

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 6, गुरुवार, शाके 1942-फरवरी 25, 2021 <i>Phalguna 6, Thursday, Saka 1942- February 25, 2021</i>	

भाग-7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुये सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 17, 2021

संख्या रा.वि.वि. आयोग/सचिव/ विनियम-139 :-विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36वां) की धारा 43 से 48, 50, 55 एवं 56 सपठित धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रदाय कोड तथा सम्बद्ध मामलें) विनियम, 2021

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1.1 लघुशीर्षक, प्रयोज्यता तथा प्रारम्भण

- क) ये विनियम, “राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रदाय कोड तथा सम्बद्ध मामलें) विनियम, 2021” कहलायेंगे।
- ख) ये विनियम राज्य में मानित अनुज्ञप्तिधारियों सहित वितरण अनुज्ञप्तिधारियों एवं उपभोक्ताओं के लिये प्रयोज्य होंगें।
- ग) ये विनियम, इन विनियमों के शासकीय राज-पत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगें।

1.2 कोड में संशोधन

- (क) आयोग कोड में स्व प्रस्ताव से या वितरण अनुज्ञप्तिधारी/ हितधारियों द्वारा इसके समक्ष दायर किये गये आवेदन पर संशोधन कर सकता है। तथापि, कोड में कोई भी संशोधन

करने से पहले, प्रस्तावित परिवर्तनों पर उचित प्रक्रिया का पालन करते हुये पारदर्शी तरीके से सभी वितरण अनुज्ञप्तिधारियों और जनसाधारण की टीका-टिप्पणी प्राप्त करेगा। (ख) कोड में सभी स्वीकृत परिवर्तनों को अनुज्ञप्तिधारी और राविविआ की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा और परिवर्तनों के निष्कर्ष का अनुज्ञप्तिधारी द्वारा व्यापक प्रचार किया जायेगा। परिवर्तनों की प्रतिलिपियां भी सभी स्थानीय कार्यालयों में रखी जायेगी।

अध्याय-2

परिभाषा एवं निर्वचन

2.1 परिभाषाएँ:

इन विनियमों में, जब तक की सन्दर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित नहीं है:

1. "अधिनियम" का अभिप्राय, समय-समय पर यथा संशोधित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36वां) से है;
2. "अधिकृत प्रयोगशाला" का अभिप्राय, परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा अधिकृत प्रयोगशाला से है;
3. "समझौता" का अभिप्राय, अनुज्ञप्तिधारी और/या उसके पूर्ववर्तियों और विद्युत की आपूर्ति के लिए कोई व्यावसायिक व्यवस्था सहित इसके उपभोक्ता द्वारा इसकी व्याकरणिक भिन्नताओं और संज्ञानात्मक अभिव्यक्तियों के साथ समझौता करने से है;
4. "उपकरण" का अभिप्राय, विद्युत उपकरण; और इसमें विद्युत वितरण प्रणाली से संबंध सभी मशीनें, फिटिंग, सहायक उपकरण और उपयंत्र से हैं;
5. "अपीलीय प्राधिकारी" का अभिप्राय, निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए अधिनियम, 2003 की धारा 127 की उप-धारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी से हैं;
6. "आवेदक" का अभिप्राय, किसी भी परिसर के मालिक या अधिवासी, जो अधिनियम, नियमों, विनियमों और उनके अधीन करे गये आदेशों के प्रावधानों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी के साथ निम्न जैसे प्रयोजनों के लिए आवेदन दायर करता है, से हैं:
 - (i) अस्थायी कनेक्शन सहित विद्युत की आपूर्ति;

- (ii) स्वीकृत भार या अनुबंध की मांग में वृद्धि या कमी;
 - (iii) श्रेणी में परिवर्तन;
 - (iv) स्वत्व में परिवर्तन या नाम का नामांतरण
 - (iv) बिलिंग से संबंधित मुद्दे या कनेक्शन से संबंधित विवरणों में परिवर्तन;
 - (v) आपूर्ति का विच्छेदन या पुनःकनेक्शन;
 - (vi) समझौते की समाप्ति या
 - (vii) अधिनियम, नियमों एवं विनियमों के प्रावधानों के अनुसार कनेक्शन का स्थानान्तरण, या अन्य सेवाएं आदि;
7. "आवेदन" का अभिप्राय, सभी अपेक्षित दस्तावेजों एवं अन्य अनुपालनाओं के साथ उपयुक्त प्रारूप में सभी तरह से पूर्ण किये गये आवेदन से हैं;
 8. "आपूर्ति का क्षेत्र" से अभिप्राय उस क्षेत्र से है जिसके भीतर वितरण अनुज्ञप्तिधारी उसकी अनुज्ञप्ति द्वारा विद्युत की आपूर्ति के लिये अधिकृत है;
 9. "निर्धारण अधिकारी" का अभिप्राय, अधिनियम की धारा 126 के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नामित राज्य सरकार या अनुज्ञप्तिधारी, जैसी भी स्थिति हो, के अधिकारी से हैं;
 10. "प्राधिकृत अधिकारी" का अभिप्राय, अधिनियम की क्रमशः धारा 135 (1-क) या धारा 135 (2) के अधीन राज्य आयोग या राज्य सरकार द्वारा जैसी भी स्थिति हो, इस रूप में नामित अधिकारी से हैं;
 11. किसी भी व्यक्ति/सत्ता के "प्राधिकृत प्रतिनिधि" का अभिप्राय, संबंधित व्यक्ति/सत्ता के सामान्य या विशिष्ट प्राधिकारी के अधीन कार्यों का निर्वहन करने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, प्रतिनिधियों या व्यक्तियों से हैं;
 12. "प्राधिकरण" का अभिप्राय, अधिनियम की धारा 70 की उप-धारा (1) में यथा निर्दिष्ट केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) से हैं;
 13. "औसत पावर फैक्टर" का अभिप्राय, औसत मासिक पावर फैक्टर से हैं और एक महीने के दौरान आपूर्ति किए गए कुल केडव्ल्यूएच (किलो वाट घंटा) को कुल केवीएएच (किलो वॉल्ट एम्पीयर घंटा) के यथा अनुपात प्रतिशत के रूप में अभिप्रेत है;

14. "बैंक दर" का अभिप्राय, संबंधित वर्ष की 1 अप्रैल को भारतीय रिज़र्व बैंक की बैंक दर से हैं;
15. "बिल दिनांक" का अभिप्राय, वितरण अनुज्ञप्तिधारी/फ्रेंचाइजी द्वारा बिल जारी करने की दिनांक से हैं;
16. "बिलिंग चक्र" या "बिलिंग अवधि" का अभिप्राय, आयोग द्वारा अनुमोदित अवधि, जिसके लिए विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियमित विद्युत बिल जारी किया जाना है, से हैं;
17. उपभोक्ता की श्रेणी के लिए "बिलिंग मांग" की गणना आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ आदेश में दी गई प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी;
18. "बिलिंग महीना" का अभिप्राय, उस महीने से है जिसमें बिल की तारीख आती है;
19. "कैलेंडर वर्ष" का अभिप्राय, ग्रेगोरियन कैलेंडर वर्ष के जनवरी के पहले दिन से उसी वर्ष में दिसंबर के इकतीसवें दिन तक की अवधि से है;
20. "सीईए (सुरक्षा और विद्युत की आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010" का अभिप्राय, समय-समय पर यथा संशोधित सीईए (सुरक्षा और विद्युत की आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 से है;
21. "कोड" का अभिप्राय, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आयोग द्वारा बनाये गये विद्युत प्रदाय कोड से है;
22. "आयोग" का अभिप्राय, अधिनियम की धारा 82 के अधीन गठित राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (राविविआ/आरईआरसी) से है;
23. "सम्बद्ध भार" का अभिप्राय, उपभोक्ता के परिसर में सभी ऊर्जा का उपभोग करने वाले उपकरणों जिन्हें एक साथ संचालित किया जा सकता है, की रेटेड क्षमताओं के योग से होगा। यथा प्रयुक्त सम्बद्ध भार को स्वीकृत भार के रूप में माना जाएगा और बाद में जाँच/निरीक्षण के दौरान पाए गए भार को वास्तविक सम्बद्ध भार माना जाएगा। यह दोनों मामलों में, अनुलग्नक-1 के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
24. "उपभोक्ता" का अभिप्राय, उस व्यक्ति से है जिसे अपने स्वयं के उपयोग के लिए सरकार या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा या कोई अन्य व्यक्ति जो कि विद्युत अधिनियम, 2003 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत जनता को विद्युत की आपूर्ति करने के व्यवसाय में

- लगा हुआ हैं और इसमें वह व्यक्ति जिसका परिसर विद्युत प्राप्त करने के प्रयोजन हेतु अनुज्ञप्तिधारी, सरकार या ऐसे अन्य व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, की कार्यशाला के साथ तत्समय जुड़ा हुआ है, सम्मिलित है;
25. **"उपभोक्ता अधिष्ठापन"** का अभिप्राय, उपभोक्ता की ओर से या द्वारा उसके परिसर में आपूर्ति के बिंदु से शुरू होकर निर्माण और वायर किये गये विद्युत के तारों, फिटिंग, मोटरों और उपकरणों से होगा;
26. **"स्वीकृत भार/अनुबंधित मांग"** का अभिप्राय आवेदक द्वारा आवेदन किए गए और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सहमत हुए और अनुज्ञप्तिधारी और उपभोक्ता के बीच निष्पादित समझौते में संकेतित किवा/बीएचपी/केवीए में अधिकतम भार/मांग से है। टैरिफ के उद्देश्य से हॉर्स पावर (एचपी) में सम्बद्ध भार "ब्रेक हॉर्स पावर" होगा। किलोवाट में सम्बद्ध भार के रूपांतरण के लिए, ब्रेक हॉर्स पावर (एचपी) को 0.746 से गुणा किया जाएगा। ऐसे मामलों में जहां अनुबंध की मांग किवा में दी गई है, टैरिफ उद्देश्यों के लिए केवीए में अनुबंध की मांग का निर्धारण औसत पावर फैक्टर को 0.90 के रूप में अपनाकर किया जाएगा।
27. **"सही मीटर"** का अभिप्राय उस मीटर से है, जिसमें कम से कम सीईए (मीटर का अधिष्ठापन एवं संचालन) विनियम, 2006 में दिए गए मीटर के अधिष्ठापन और संचालन के मानक के अनुसार लक्षण, शुद्धता श्रेणी और विनिर्देश होंगे।
28. **"आपूर्ति के प्रारम्भण की तारीख"** उस तारीख को संदर्भित करता है जब अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता के अधिष्ठापन को वितरण मेन/सिस्टम से जोड़कर उर्जित करता है। इसे कनेक्शन की तिथि भी माना जाएगा;
29. **"आपूर्ति के विच्छेदन की तारीख"** उस तारीख को संदर्भित करता है जब उपभोक्ता के अधिष्ठापन को वितरण मेन/प्रणाली/मीटर से हटाकर अउर्जित किया जाता है;
30. **"विकासक"** का अभिप्राय वितरण अनुज्ञप्तिधारी के आपूर्ति के क्षेत्र के भीतर ऐसे व्यक्ति जो सार्वजनिक भूमि विकास एजेंसियों (जैसे जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम (निगमों), नगर परिषदों, राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन(रीको), राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, शहरी सुधार ट्रस्ट आदि) सहित किसी क्षेत्र के विकास (स्वयं अपने या एक अनुज्ञप्तिधारी के माध्यम से विद्युतीकरण सहित) का कार्य करते हैं, निजी विकासक, निजी कॉलोनाइजर्स, भवन निर्माणकर्त्ता, सहकारी समूह हाउसिंग सोसायटीयां, ग्रुप हाउसिंग सोसायटीयां, सहकारी समितियां, एसोसिएशन आदि, जिसमें

- उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कोई आवासीय-सह-वाणिज्यिक परिसर भी शामिल है, से है;
31. **"विच्छेदन"** का अभिप्राय वितरण अनुज्ञप्तिधारों की वितरण प्रणाली से अपभोक्ता के भौतिक पृथक्करण या रिमोट असम्बद्धीकरण से हैं;
32. **"वितरण मेन"** से तात्पर्य किसी मेन के उस हिस्से से है जिसके साथ एक सर्विस लाइन को कनेक्ट किया है या तुरंत कनेक्ट करने के लिये आशयित है;
33. **"वितरण प्रणाली"** का अभिप्राय उत्पादन केन्द्र कनेक्शन या प्रसारण लाइनों की वितरण बिंदुओं और उपभोक्ताओं के अधिष्ठापन के कनेक्शन बिंदु के बीच तारों और संबंधित सुविधाओं की प्रणाली से है;
34. **"विद्युतीय लाइन"** का अभिप्राय किसी भी लाइन से है जो किसी भी प्रयोजन के लिए विद्युत ले जाने के लिये उपयोग की जाती है और इसमें निम्न शामिल है:
- क) ऐसी किसी भी लाइन के लिए कोई सहारा, अर्थात्, कोई संरचना, टॉवर, पोल या अन्य वस्तु जिस में, पर, द्वारा या से ऐसी कोई भी लाइन है, या उसे सहारा, ढोया या लटकाया जा सकता है; और
- ख) विद्युत ले जाने के उद्देश्य से ऐसी किसी भी लाइन से जुड़ा कोई उपस्कर;
35. **"विद्युतीय संयंत्र"** का अभिप्राय है कोई संयंत्र, उपकरण, उपस्कर या साधन या उसके किसी भी भाग का विद्युत के उत्पादन, प्रसारण, वितरण या आपूर्ति के लिये उपयोग किया गया है या सम्बद्ध हो रहा है, लेकिन इसमें निम्न शामिल नहीं है-
- क) विद्युतलाइन; या
- ख) किसी भी परिसर में आपूर्ति की गई विद्युत की मात्रा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मीटर; या
- ग) उपभोक्ता के नियंत्रण के अन्तर्गत विद्युत उपकरण, उपस्कर या साधन;

36. **"विद्युत निरीक्षक"** का अभिप्राय अधिनियम की धारा 162 की उप-धारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त व्यक्ति से है और इसमें मुख्य विद्युत निरीक्षक भी शामिल है;
37. **"अधिकृत अधिकारी"** का अभिप्राय राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 152 के अधीन प्राधिकृत किये गये अधिकारी से है, जो किसी उपभोक्ता या व्यक्ति से प्रशमन प्रभार के रूप में राशि का निर्धारण और उसे स्वीकार करता है;
38. **"ऊर्जा प्रभार"** का अभिप्राय किसी भी बिलिंग चक्र या बिलिंग अवधि में उपभोक्ता द्वारा किवाघं या केवीएघं (किलोवाट घंटा या किलो वोल्ट एम्पीयर घंटा), जैसी भी स्थिति हो, में उपभोग की गई ऊर्जा के लिए समय-समय पर आयोग द्वारा जारी किए गए टैरिफ आदेश के प्रावधानों के अनुसार लगाये गये प्रभारों से है;
39. **"वित्तीय वर्ष"** का अभिप्राय एक कैलेंडर वर्ष की 1 अप्रैल के पहले दिन से शुरू हो कर और उसके बाद के कैलेण्डर वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि से है;
40. बिलिंग चक्र या बिलिंग अवधि के लिए **"स्थायी प्रभार"** का अभिप्राय आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए टैरिफ आदेश के प्रावधानों के अनुसार लगाए गए स्थायी प्रभार से है;
41. **"फोर्स मैज्योर"** का अभिप्राय कोई भी घटना या परिस्थितियों के घटित होने से है जो कि अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण से परे हो एवं जिसका अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उचित रूप से पूर्वाभास नहीं किया जा सकता था और जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी भी दायित्व के उचित पालन को रोकने/देरी करने का प्रभाव रखती हो;
42. **"फोरम"** का अभिप्राय अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (5) के अधीन स्थापित उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) से है;
43. **"फ्रैंचाइज़ी"** का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसके आपूर्ति के क्षेत्र के भीतर एक विशेष क्षेत्र में उसकी ओर से विद्युत वितरित करने के लिए अधिकृत है;

44. "अधिष्ठापन प्रमाणपत्र/आईसी" का अभिप्राय राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना के अधीन स्व-प्रमाणपत्र सहित जारी किये गये विद्युत फिटिंग प्रमाणपत्र से है;
45. "देर से भुगतान अधिप्रभार(एलपीएस) / विलंबित भुगतान अधिप्रभार (डीपीएस)" का अभिप्राय देय तिथि से परे उसके बिलों के भुगतान में विलंबित अवधि के लिए किसी उपभोक्ता पर टैरिफ आदेश के प्रावधानों के अनुसार लगाये गये मौद्रिक प्रभार से है;
46. "अनुज्ञप्त विद्युत ठेकेदार (एलईसी)" का अभिप्राय समय-समय पर यथा संशोधित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञप्त ठेकेदार से है;
47. "अनुज्ञप्तिधारी" या "वितरण अनुज्ञप्तिधारी" का अभिप्राय उस व्यक्ति से है, जिसे आपूर्ति के अपने क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति के लिए वितरण प्रणाली को संचालित करने और संधारण करने के लिए अधिनियम की धारा 14 के अधीन अनुज्ञापत्र प्रदान किया गया है और इसमें एक मानित अनुज्ञप्तिधारी भी शामिल है;
48. "भार गुणक" एक निश्चित अवधि के दौरान उपभोग की गई युनिटों की कुल संख्या को यदि उस अवधि में आपूर्ति की उपलब्धता के अध्यधीन पूर्णतया अनुबन्ध मांग/ स्वीकृत सम्बद्ध भार बनाए रखा गया होता तो जिनका उपभोग किया गया होता उन युनिटों की कुल संख्या के अनुपात को दर्शाता है और आमतौर पर निम्न प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाएगा:

$$\text{भार गुणक (\%)} = \frac{\text{एक निश्चित अवधि में वास्तविक युनिटों का उपभोग}}{\text{स्वीकृत सम्बद्ध भार/अनुबन्ध मांग (किवा में) x अवधि में घंटों की संख्या}} \times 100$$

जहां अनुबन्ध मांग केवीए में है भार गुणक की गणना के प्रयोजनार्थ किलोवाट में अनुबन्ध मांग की गणना यूनिटी पावर फैक्टर को विचारित करते हुये की जायेगी।

49. "अधिकतम मांग (एमडी)" का अभिप्राय आयोग की स्वीकृति से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, जैसा कि निर्दिष्ट किया गया हो महीने के दौरान अधिकतम उपयोग के 30 या 15 मिनट की निरन्तर अवधि के दौरान उपभोक्ता की आपूर्ति के बिंदु पर दिया गया औसत केवीए या किवा से है;
50. "मीटर" का अभिप्राय है, सीईए (मीटर की स्थापना और संचालन) विनियम, 2006 समय समय पर यथा संशोधित, में निर्दिष्ट उपकरण/यंत्र से है;

51. **"अधिवासी"** का अभिप्राय है पते के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर आईडी, पासपोर्ट/राशन कार्ड या पते के प्रमाण के लिये, जैसा कि आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो, किसी अन्य दस्तावेज के रूप में उसके द्वारा प्रस्तुत करने के अधीन मालिक/किरायेदार या कोई व्यक्ति जो परिसर के अधिभोग में है जहां उर्जा का उपयोग किया जाता है या उपयोग करने के लिये प्रस्ताव किया गया है;

52. **"लोकपाल"** का अभिप्राय अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (6) के अधीन यथा नियुक्त विद्युत लोकपाल से है;

53. **आपूर्ति का बिंदु:**

क्र. सं.	उपभोक्ता की श्रेणी	आपूर्ति का बिंदु
1.	एल.टी. उपभोक्ता	मीटर/मीटर क्यूबिकल का आउटगोइंग टर्मिनल
2.	एच.टी. एवं ई.एच.टी. उपभोक्ता	समय-समय पर यथा संशोधित सीईए (सुरक्षा और विद्युत की आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 35 के निबंधनों के अनुसार, ट्रांसफार्मर/सबस्टेशन, जैसी भी स्थिति हो, के एचटी/ईएचटी पक्ष पर उपभोक्ता द्वारा अधिष्ठापित/अधिष्ठापित किये जाने वाला स्विच गियर का इनकमिंग टर्मिनल

54. **"परिसर"** में कोई भी भूमि, भवन या संरचना शामिल है;

55. **"प्रोज्यूर"** का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो ग्रिड से विद्युत का उपभोग करता है और उसी आपूर्ति बिन्दू का उपयोग करते हुये वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिये ग्रिड में विद्युत प्रवाहित भी कर सकता है;

56. **"ग्रामीण क्षेत्र"** का अभिप्राय ग्राम पंचायतों द्वारा आवृत्त समस्त क्षेत्र से है;

57. **"अनुसूची"** से अभिप्राय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ताओं पर उदग्रहित किये जाने वाले आयोग द्वारा यथा अधिकृत तत्समय प्रवृत्त विभिन्न प्रभारों और किरायों को इंगित करते हुए इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची से होगा;

58. **"सर्विस लाइन"** का अभिप्राय है कोई भी विद्युत की आपूर्ति-लाइन, जिसके माध्यम से विद्युत की आपूर्ति की जा रही है या किया जाना आशयित है -

- क) एकल उपभोक्ता को, या तो वितरण मेन से या तुरंत वितरण अनुज्ञप्तिधारी के परिसर से या
- ख) एक ही परिसर में उपभोक्ताओं के समूह को वितरण करने वाले मेन से या वितरण करने वाले मेन के उसी बिंदु से आपूर्ति किए गए सन्निहित परिसरों में;

59. **"मानक/भण्डार निर्गम दर"** का अभिप्राय वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तत्समय के लिए जारी किए गए मानक/भण्डार निर्गम दर से होगा;

60. **"स्विचगियर"** सर्किटों के संचालन, नियमन और नियंत्रण के लिए उपयोग किए गए स्विच, सर्किट ब्रेकर, कट-आउट और अन्य साधनों को व्यक्त करेगा;

61. **"टैरिफ आदेश"** का अभिप्राय निर्दिष्ट अवधि के लिए विद्युत ऊर्जा और सेवाओं की आपूर्ति के लिए अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में विद्युत के उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों हेतु आयोग द्वारा जारी किया गया टैरिफ आदेश से है;

62. **"अस्थायी कनेक्शन"** का अभिप्राय उस विद्युत कनेक्शन से है जो कि किसी व्यक्ति द्वारा अस्थायी जरूरतों की पूर्ति के लिये अपेक्षित है जैसे कि-

- i. निर्जलीकरण के लिये पम्पों सहित आवासीय, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक संकुलों के निर्माण के लिये;
- ii. कृषि पम्प सैटों को छोड़कर श्रेणियों या अन्य ऐसी मशीनरी के लिये;
- iii. भ्रमणशील, सिनेमा, थियेटर, सर्कस, मेलें, प्रदर्शनी या सामूहिक सभा के लिये;
- iv. आयोग द्वारा निर्दिष्ट किये जाने वाले अन्य उपभोग के लिये;

63. **"अस्थायी आपूर्ति"** का अभिप्राय वितरण अनुज्ञप्तिधारी और आवेदक के बीच सहमत हो सकने वाली किसी अवधि के लिए अस्थायी आधार पर विद्युत की आपूर्ति से होगा

64. "विद्युत की चोरी" का अभिप्राय अधिनियम की धारा 135 के अनुसार विद्युत की चोरी से है;
65. "शहरी क्षेत्र" का अभिप्राय ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा सभी क्षेत्रों से है;
66. "विद्युत का अनधिकृत उपयोग" का अभिप्राय अधिनियम की धारा 126 के अनुसार विद्युत के उपयोग से है।

2.2 निर्वचन:

- क) इन विनियमों की इस रूप में व्याख्या की जायेगी और कार्यान्वित किया जाएगा जिससे कि वे अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के प्रावधानों के साथ असंगत न हो।
- ख) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक इन विनियमों में आ रहे शब्दों और अभिव्यक्तियों, जिनको यहाँ परिभाषित नहीं किया गया है परन्तु अधिनियम या सीईए (अधिष्ठापन और मीटर का संचालन) विनियम, 2006 या सीईए (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) के विनियम, 2010 या आयोग द्वारा बनाये गये कोई अन्य विनियम/टैरिफ आदेश में परिभाषित किया गया है, का वही अर्थ होगा जो उनमें विहित किया गया है और उसके अभाव में, वही अभिप्राय होगा, जिसका अभिप्राय सामान्यतः विद्युत आपूर्ति उद्योग में समझा जाता है।
- ग) इन विनियमों की आवश्यकता के अनुसार भरे जाने वाले प्रपत्र और प्रारूप, समय-समय पर आयोग के आदेशों के अनुसार होंगे।

अध्याय-3

आपूर्ति की प्रणाली

3.1 आपूर्ति का स्वरूप

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आपूर्ति की गई प्रत्यावर्ती धारा (एसी) का वोल्टेज इस प्रकार होगा:

- क) निम्न आतति (एलटी) आपूर्ति
- प्रत्येक फेज और न्यूट्रल के बीच एकल फेज 230 वोल्ट
 - फेजों के बीच तीन फेज 400 वोल्ट।

ख) उच्च आतति (एचटी) आपूर्ति

- i) फेजों के बीच तीन फेज 11,000 वोल्ट (11 केवी) ।
- ii) फेजों के बीच तीन फेज 33,000 वोल्ट (33 केवी) ।

ग) अतिरिक्त उच्च आतति (ईएचटी) आपूर्ति

- i) फेजों के बीच तीन फेज 1,32,000 वोल्ट (132 केवी) ।
- ii) फेजों के बीच तीन फेज 2,20,000 वोल्ट (220 केवी) ।

3.2 आवृत्ति विभिन्नता

अनुज्ञप्तिधारी केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2010 और उसके संशोधनों और "राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (राजस्थान विद्युत ग्रिड कोड) विनियम 2008" और उसके संशोधन में निर्दिष्ट आवृत्ति बैंड के भीतर बिजली की आपूर्ति करेगा।

3.3 वोल्टेज विभिन्नता

आपूर्ति के बिंदु पर वोल्टेज यहां आगे निर्दिष्ट सीमा के भीतर रहेगा:

- क) निम्न आतति और उच्च आतति के मामलों में, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रवर्तमान कार्यक्षता के मानदण्ड के अनुसार। (यह वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सुनिश्चित किया जाना है)
- ख) उच्च आतति के मामलों में, प्रवर्तमान प्रसारण अनुज्ञप्तिधारी के कार्यक्षता के मानदण्ड के अनुसार। (यह प्रसारण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सुनिश्चित किया जाना है);

अध्याय-4

आपूर्ति का वर्गीकरण

4.1 प्रयोज्य आपूर्ति वोल्टेज

आपूर्ति सामान्यतः सम्बद्ध भार/स्वीकृत भार/अनुबंधित मांग के आधार पर निम्नलिखित वोल्टेज पर दी जाएगी।

उपभोक्ता की श्रेणी	सेवा की प्रकृति	
क) घरेलू/ अघरेलू मिश्रित भार	i) 5 किवा तक के सम्बद्ध भार	i) उपभोक्ता के विकल्प पर एलटी एकल फेज या तीन फेज
	ii) 5 किवा से उपर के सम्बद्ध भार परन्तु संविदा/ वास्तिक मांग 50 केवीए तक	ii) एलटी तीन फेज
	iii) 5 किवा से अधिक के सम्बद्ध भार एवं संविदा/ वास्तिक मांग 50 केवीए से अधिक परन्तु 2500 केवीए तक	iii) एचटी 11 केवी
	iv) संविदा/ वास्तिक मांग 2500 केवीए से अधिक परन्तु 8000 केवीए तक	iv) एचटी 33 केवी
	v) संविदा/ वास्तिक मांग 8000 केवीए से अधिक	v) ईएचटी 132 केवी या अधिक
ख) सावर्जनिक पथ प्रकाश	सभी सेवायें	एलटी एकल फेज या तीन फेज
ग) कृषि	सभी सेवायें	एलटी तीन फेज
घ) लघु औद्योगिक	i) 5 किवा तक के सम्बद्ध भार (6.7 एचपी)	i) उपभोक्ता के विकल्प पर एलटी एकल फेज या तीन फेज
	ii) 5 किवा (6.7 एचपी) से अधिक के सम्बद्ध भार परन्तु 18.65 किवा (25 एचपी) तक	ii) एलटी तीन फेज
ड.) मध्यम औद्योगिक	i) 18.65 किवा (25 एचपी) से अधिक के सम्बद्ध भार और 112 किवा (150 एचपी) तक परन्तु संविदा/ वास्तिक मांग 50 केवीए तक	i) एलटी तीन फेज
	ii) 18.65 किवा (25 एचपी) से	ii) एचटी 11 केवी

	अधिक के सम्बद्ध भार और 112 किवा (150 एचपी) तक परन्तु संविदा/ वास्तिक मांग 50 केवीए से अधिक परन्तु 125 केवीए तक	
च) वृहत औद्योगिक (कर्षण भार के अतिरिक्त)	i) 112 किवा (150 एचपी) से अधिक के सम्बद्ध भार और/या संविदा/ वास्तिक मांग 125 केवीए से अधिक परन्तु 2500 केवीए तक	i) एचटी 11 केवी
	ii) संविदा/ वास्तिक मांग 2500 केवीए से अधिक परन्तु 8000 केवीए तक	ii) एचटी 33 केवी
	iii) संविदा/ वास्तिक मांग 8000 केवीए से अधिक	iii) ईएचटी 132 केवी या अधिक
छ) कर्षण भार	सभी सेवायें	वृहत औद्योगिक उपभोक्ता के लिये निर्दिष्ट वोल्टेज पर फेज से फेज आपूर्ति
ज) विद्युतिकरण के मामलों में	i) अनुमानित अभिकल्पित मांग 50 केवीए से अधिक और 2500 केवीए तक	i) एचटी 11 केवी
	i) अनुमानित अभिकल्पित मांग 2500 केवीए से अधिक और 8000 केवीए तक	ii) एचटी 33 केवी
	i) अनुमानित अभिकल्पित मांग 8000 केवीए से अधिक	iii) ईएचटी 132 केवी या अधिक

टिप्पणी: विद्युत वाहन चार्जिंग केन्द्रों के लिये प्रयोज्यता उद्योगों की प्रासंगिक श्रेणी की प्रयोज्यता के अनुसार होनी चाहिये।

4.2 प्रचालन भार >3 बीएचपी

जहां प्रचालन भार 3 बीएचपी से अधिक है, एकल फेज आपूर्ति स्वीकार्य नहीं होगी।

4.3 5 किवा तक 3 फेज एलटी आपूर्ति का विकल्प ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध होगा जहां 3 फेज 24 घंटे एलटी आपूर्ति प्रणाली विद्यमान है।

4.4 कनेक्शन जारी करने के लिए खंडित आपूर्ति 11 केवी मेन के विस्तार और स्वतंत्र वितरण ट्रांसफार्मर के अधिष्ठापन के अधीन रहते हुए 5 किलोवाट से अधिक (उप-विनियम 4.3 में शामिल नहीं) और 5 किलोवाट तक के अधिष्ठापनों के लिए 3 फेज एलटी आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकार्य होगी। तथापि, एलटी आपूर्ति की अपेक्षा करने वाले कृषि कनेक्शन के अतिरिक्त सभी उपभोक्ताओं एवं एलटी आपूर्ति के लिए पात्र औद्योगिक या अघरेलू श्रेणी उपभोक्ता जो उप-विनियम 4.3 के अन्तर्गत आवृत्त नहीं हैं, को प्रभार की अनुसूची (अनुसूची- I) के अनुसार 11 केवी लाइन और ट्रांसफार्मर की सम्पूर्ण लागत और अन्य प्रभारों के भुगतान पर निरंतर आपूर्ति 11 केवी फीडरों के माध्यम से आपूर्ति दी जा सकती है।

4.5 10 किलोवाट तक के एकल फेज कनेक्शन का विकल्प

ऐसे कनेक्शन को देने के लिये 11 केवी लाइन के विस्तार (यदि आवश्यक हो) और स्वतंत्र एकल फेज वितरण ट्रांसफार्मर के अधिष्ठापन के अधीन रहते हुये और 11 केवी लाइन, एकल फेज ट्रांसफार्मर और अन्य प्रभारों की प्रभार की अनुसूची (अनुसूची- I) के अनुसार वसूली द्वारा कृषि श्रेणी के सिवाय सभी श्रेणीयों को उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां निरन्तर 3 फेज आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, 10 किवा से सम्बद्ध भार तक एकल फेज एलटी आपूर्ति का विकल्प उपलब्ध होगा।

4.6 सुरक्षा उपकरणों जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपेक्षित हो, को प्रदान करने के अधीन रहते हुए यदि अनुबंध मांग 500 केवीए से अधिक है तो उपभोक्ता को, यदि ऐसा उसके द्वारा अनुरोध किया जाता है, 33 केवी आपूर्ति वोल्टेज उपभोक्ताओं के अनुरोध पर प्रदान किया जा सकता है। तथापि विद्युतिकरण के प्रयोजनार्थ, न्यूनतम अभिकल्पित मांग जिस पर 33 केवी आपूर्ति प्रदान की जा सकती है, वह 1500 केवीए होगी।

4.7 132 केवी आपूर्ति वोल्टेज के लिए पात्र उपभोक्ता को 33 केवी प्रणाली पर, यदि तकनीकी रूप से संभव हो तो 33 केवी आपूर्ति वोल्टेज पर आपूर्ति की जा सकती है जहां प्रसारण अनुज्ञप्तिधारी ने तकनीकी मंजूरी प्रदान करने के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अनुरोध पर

132 केवी आपूर्ति पर विशेष कनेक्शन जारी करने के लिए तकनीकी बाध्यता हेतु सुचित किया है। तथापि, कम वोल्टेज की यह सुविधा कंडक्टर और तकनीकी व्यवहार्यता की क्षमता के अधीन अनुबंध की मांग जो 12 एमवीए से अधिक नहीं है, के लिए उपलब्ध है।

4.8 विद्यमान कनेक्शन के संबंध में आपूर्ति वोल्टेज में भिन्नता: निम्नलिखित स्थिति को आपूर्ति वोल्टेज में विचरण माना जाएगा:

क) जहां तालिका 4.1 के अनुसार स्वीकार्य आपूर्ति वोल्टेज से एक चरण कम आपूर्ति वोल्टेज पर कनेक्शन जारी किया गया है।

ख) यदि तालिका 4.1 में यथा उल्लिखित किसी विशेष आपूर्ति वोल्टेज की प्रारम्भिक अधिकतम मांग से दर्ज की गई मासिक अधिकतम मांग उसी वित्तीय वर्ष में 3 बार 5% से अधिक है।

ग) जहां कनेक्शन तालिका 4.1 के अनुसार स्वीकार्य आपूर्ति वोल्टेज से उच्च आपूर्ति वोल्टेज पर दिया गया है।

4.9 उप-विनियम 4.6, 4.7 और 4.8 के अन्तर्गत आने वाले वोल्टेज विचलन मामलों पर कार्यवाही करने के लिए प्रावधान:

(क) उप-विनियम 4.6 के अन्तर्गत आने वाले मामलों

- i. 33 केवी की वोल्टेज छूट/ टैरिफ की अनुमति दी जाएगी।
- ii. डिस्कॉम के सब-स्टेशन का पोषण कर रहे 33 केवी फीडर और आवश्यक सेवाओं को समर्पित फीडर जो की पावर-कट से मुक्त है जैसे कि अस्पताल, रक्षा, रेल्वे एवं जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग (पीएचईडी) को उपभोक्ता को व्यक्तिगत कनेक्शन दिये जाने के लिये या भवनों/कालोनियों के विद्युतीकरण के लिये टैप नहीं किया जायेगा।

(ख) उप-विनियम 4.7 के अन्तर्गत आने वाले मामलों

- i. 33 केवी की वोल्टेज छूट की अनुमति दी जाएगी।

- ii. 33 केवी आपूर्ति केवल स्वतंत्र 33 केवी फीडर के माध्यम से निकटतम तकनीकी संभव 132/220 केवी उप-केन्द्रों से दी जाएगी और ऐसे 132/220 केवी उप-केन्द्रों पर मीटरींग प्रदान की जायेगी।
- iii. 8 एमवीए से अधिक की अतिरिक्त मांग के लिये संयंत्र की लागत सामान्य दर से दोगुनी वसूली जायेगी।

(ग) उप-विनियम 4.8(क) के अन्तर्गत आने वाले मामलें

- i. अनुज्ञप्तिधारी ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान करेगा जो तालिका 4.1 के अनुसार स्वीकार्य आपूर्ति वोल्टेज के आधार पर विचरण में हैं। इस तरह के सभी उपभोक्ताओं को इस उच्च स्वीकार्य वोल्टेज पर आपूर्ति लेने के लिए इन विनियमों की अधिसूचना के तीन माह के भीतर नोटिस जारी किया जाएगा। उच्च वोल्टेज पर आपूर्ति अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तकनीकी व्यवहार्यता के अधीन रहते हुए प्रदान की जाएगी, जिसके लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एक मांग नोटिस जारी किया जाएगा। ऐसे समय तक उपभोक्ता द्वारा भी तालिका 4.1 के अनुसार निर्धारित वोल्टेज पर स्वीकार्य अनुबंध की मांग से अधिक विद्यमान अनुबंध मांग के अनुरूप उपभोग के अनुपात के समानुपात में रिकार्ड किये गये उपभोग पर 3% की दर से ट्रांसफोर्मेशन हानि वहन करना अपेक्षित होगा। उदाहरण के लिए, यदि उपभोक्ता के लिए एक महीने में किवाघं उपभोग 27 लाख यूनिट है एवं उपभोक्ता की अनुबंध मांग 9 एमवीए है और कनेक्शन 132 केवी के स्थान पर 33 केवी पर है, 1 एमवीए (8 एमवीए से ऊपर) के अनुरूप किवाघं उपभोग $27 \times 1/9 = 300000$ यूनिट होगा और इस उपभोग में उपभोक्ता से प्रभार्य यूनिट ज्ञात करने के लिए 3% ट्रांसफोर्मेशन हानि (9000 यूनिट) जोड़ी जाएगी। कुल प्रभार्य यूनिट $27 + 0.09 = 27.09$ लाख यूनिट होगी।

बशर्ते कि अगर ऐसा उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उच्च आपूर्ति वोल्टेज पर अन्तरण के लिए प्रभारों के प्रति जारी किए गए डिमांड नोटिस को विनियम 6.2 (छ) के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा कराने में विफल रहता है तो 3% ट्रांसफोर्मेशन हानि और ट्रांसफार्मर किराया, यदि लागू हो, पूर्ण रिकार्ड किये गये उपभोग पर लागू हो जाएगा।

बशर्ते यह और कि सम्बद्ध आपूर्ति वोल्टेज की वोल्टेज छूट/ टैरिफ लागू रहेगी।

- ii. उप-विनियम 4.8(ख) के अन्तर्गत आने वाले मामलें

अनुज्ञप्तिधारी इस तरह के कनेक्शन को उच्च वोल्टेज पर परिवर्तन करने के लिए तकनीकी व्यवहार्यता की जांच करेगा एवं यदि उच्च वोल्टेज आपूर्ति अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तकनीकी रूप से व्यवहार्य पाई जाती है तो तीसरी चूक होने के 30 दिनों के भीतर एक डिमांड नोटिस जारी किया जाएगा। उपभोक्ता इस तरह के डिमांड नोटिस को विनियम 6.2 (छ) के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करायेगा ऐसा करने में असफल होने पर आपूर्ति का विच्छेदन कर दिया जाएगा। यदि उपभोक्ता डिमांड नोटिस जमा कराता है, तीसरी चूक की तारीख से डिमांड नोटिस जमा करने की तारीख से 60 दिनों की समाप्ति या उच्च वोल्टेज पर कनेक्शन जारी करने की तिथि, जो भी पहले हो, की सीमित अवधि के लिए 3% ट्रांसफॉर्मेशन हानियां और ट्रांसफार्मर किराया, यदि लागू हो, का प्रभार लिया जाएगा। यदि अनुज्ञप्तिधारी के सिस्टम की बाध्यता के कारण उच्च स्वीकार्य वोल्टेज पर परिवर्तन करना तकनीकी रूप से संभव नहीं है तो उपभोक्ता विद्यमान वोल्टेज से सम्बद्ध रहेगा। इस मामले में, रिकार्ड किये गये उपभोग पर अतिरिक्त 3% और ट्रांसफार्मर किराया, यदि लागू हो, का प्रभार ट्रांसफॉर्मेशन हानियों के प्रति निरन्तर लिया जाएगा और वोल्टेज छूट/ टैरिफ विद्यमान वोल्टेज के अनुसार लागू होगी। जैसे ही तकनीकी व्यवहार्यता अनुमति देती है अनुज्ञप्तिधारी उच्च वोल्टेज पर इस तरह के कनेक्शन को परिवर्तित करेगा।

iii. उप-विनियम 4.8(ग) के अन्तर्गत आने वाले मामलें

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। उच्च वोल्टेज की वोल्टेज छूट/ टैरिफ जिस पर कनेक्शन चल रहा है, अनुज्ञात की जाएगी।

अध्याय-5

श्रेणियों का वर्गीकरण

अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ताओं को आयोग द्वारा समय-समय पर अनुमोदित विभिन्न टैरिफ श्रेणियों में वर्गीकृत और पुनःवर्गीकृत कर सकता है और आयोग की स्वीकृति से उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न टैरिफ की घोषणा कर सकता है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग द्वारा अनुमोदित श्रेणियों के अतिरिक्त किसी अन्य श्रेणी का सृजन नहीं किया जायेगा। वर्तमान में टैरिफ आदेशों के अनुसार निम्नलिखित वर्गीकरण विद्यमान है।

- i. घरेलू सेवा
- ii. अघरेलू सेवा
- iii. सार्वजनिक पथ प्रकाश सेवा
- iv. कृषि सेवा

- क) मीटरीत आपूर्ति
- ख) फ्लैट दर पर आपूर्ति
- v. लघु औद्योगिक सेवा
- vi. मध्यम औद्योगिक सेवा
- vii. वृहत् औद्योगिक सेवा
- viii. मिश्रित भार के लिए थोक आपूर्ति
- ix. अस्थायी आपूर्ति
- x. विद्युत वाहन चार्जिंग केन्द्र
- xi. कर्षण (ट्रेक्शन) भार
- xii. कोई अन्य श्रेणी जिसे आयोग द्वारा टैरिफ आदेश में विचार किया जाये।

अध्याय-6

कनेक्शन, विविध सेवाओं के लिए आवेदन और प्राथमिकता

6.1 आपूर्ति के लिए आवेदन

- क) विद्युत की आपूर्ति चाहने वाला परिसर का स्वामी या अधिवासी, व्यक्तिशः या ऑन-लाइन, इस प्रयोजनार्थ अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नामित अधिकारी को ऐसे परिसर में विद्युतापूर्ति के लिये निर्धारित आवेदन प्रपत्र में यथा निर्धारित दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकता है। आवेदन, अनुलग्नक-2 पर दिये गये नमूना प्रपत्र में होगा। यह प्रपत्र अन्य विविध गतिविधियों/सेवाओं यथा-भार में वृद्धि/कमी, कनेक्शन के स्थानान्तरण/स्थान परिवर्तन, नाम परिवर्तन आदि के लिये भी प्रयोज्य होगा। यदि आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाता है, तो उपभोक्ता द्वारा उसकी हार्ड कॉपी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। अनुज्ञप्तिधारी कनेक्शन दिये जाने तथा/या अन्य सम्बन्धित किये जाने वाले कार्य के लिये आवेदन प्रपत्र में उचित परिवर्तनों का समावेश करते हुये, अन्य सुसंगत सूचनायें भी मांग सकता है।
- ख) आवेदन पत्र अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निःशुल्क दिया जाएगा या अनुज्ञप्तिधारी की वेबसाइट से डाउनभार किया जा सकता है। अनुज्ञप्तिधारी प्रपत्र के साथ निर्दिष्ट दस्तावेजों की चेकलिस्ट भी उपलब्ध कराएगा। अनुज्ञप्तिधारी ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिये वेबपोर्टल और मोबाइल ऐप का सृजन करेगा।

ग) आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क तथा अन्य प्रभार प्रभारों की अनुसूची (अनुसूची-1) के अनुसार या समय-समय पर आयोग द्वारा यथानिर्धारित जमा करायेगा और जहां उसे अनुज्ञप्तिधारी से विद्युत लाइन या विद्युत संयन्त्र की आवश्यकता होती है, तो उसे ऐसी आपूर्ति दिये जाने हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपयोग में लाये जाने के लिये उपलब्ध करवायी जाने वाली विद्युत लाइन/विद्युत संयन्त्र के व्यय भी, अनुसूची -1 में यथाधिकृत, जमा कराने होंगे।

घ) आवेदन पत्र की प्राप्ति और पावती।

i. जब आवेदन हार्ड कॉपी में प्रस्तुत किया जाता है:

ऐसा आवेदन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऑनलाइन सिस्टम में दर्ज किया जाएगा और प्राप्त किए गए और प्राप्त नहीं किए गए दस्तावेजों की सिस्टम द्वारा बनायी गयी पावती के साथ सिस्टम द्वारा बनायी गयी रसीद और पंजीकरण संख्या प्रदान की जाएगी। पंजीकरण संख्या के साथ ऐसी पावती सभी अपेक्षित सूचना के साथ पूर्ण, हार्डकॉपी की प्राप्ति के एक दिन के भीतर बना देनी चाहिये और आवेदक को सूचित किया जायेगा।

ii. जब आवेदन ऑनलाइन किया जाता है:

प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की सिस्टम द्वारा पंजीकरण संख्या के साथ बनायी गयी रसीद के साथ-साथ सिस्टम द्वारा बनायी गयी पावती और प्रस्तुत नहीं किए गए दस्तावेजों की सूची जारी की जाएगी और आवेदक को सूचित किया जायेगा।

iii. उपरोक्त दोनों में से प्रत्येक तरीके में प्राप्त आवेदन की जाँच पर कमी, यदि कोई है, को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 7 दिनों के भीतर पंजीकृत मोबाइल नंबर/ई-मेल/डाक या किसी अन्य सत्यापनीय संचार साधन से सूचित किया जाएगा। कमी को दूर करने/आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने, यदि कोई हो, के लिए अनुज्ञप्तिधारी 30 दिनों का नोटिस देगा। यदि आवेदन पत्र प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर कोई कमी सूचित नहीं की गई है, तो यह माना जाएगा कि आवेदन सभी मामलों में पूर्ण है।

iv. कमी को दूर करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी के नोटिस के जवाब में, कमी को दूर करने की सूचना/आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने के बाद अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदक को सिस्टम द्वारा बनायी गयी पावती जारी की जाएगी।

- v. कमी को दूर करने पर, आवेदन को कमी को दूर करने की तारीख को सम्पूर्ण आवेदन माना जाएगा।
- vi. यदि आवेदक अनुज्ञप्तिधारी से सूचना प्राप्त करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर कमी को दूर नहीं करता है तो ऐसे आवेदन को आवेदक को सूचना देते हुए निरस्त कर दिया जाएगा।
- vii. यदि आवेदन उप-विनियम 6.1(ग) के अनुसार अपेक्षित शुल्क और प्रभारों के साथ नहीं है तो ऐसे आवेदन को भी अपूर्ण आवेदन माना जाएगा।
- viii. सभी अपेक्षित सूचनाओं के साथ पूर्ण आवेदन, पंजीकरण संख्या के साथ पावती की दिनांक को प्राप्त किया जाना माना जायेगा।
- ix. अद्वितीय पंजीकरण संख्या के आधार पर आवेदन ट्रेकिंग तंत्र वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वेब आधारित एप्लीकेशन या मोबाइल ऐप के माध्यम से या एस एम एस के माध्यम से या किसी अन्य विधि द्वारा आवेदन की प्रक्रिया की स्थिति जैसे कि स्थल निरीक्षण, डिमांड नोट का निर्गमन, बाहरी कनेक्शन, मीटर स्थापना और विद्युत प्रवाह, की निगरानी के लिये प्रदान किया जायेगा।

6.2 प्राथमिकता

- क) प्राथमिकता का संधारण उप-खण्ड वार/स्थानीयता-वार/श्रेणी वार/विविध गतिविधि वार जैसे अंतरण/स्थानांतरण/भार का विस्तार/भार में कमी/नाम परिवर्तन आदि किया जाएगा।
- ख) पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख मांग नोटिस जारी करने के लिए प्राथमिकता निर्धारित करेगी यदि इसे जारी करने की आवश्यकता है। जहां कोई मांग नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है वहां पृथक से प्राथमिकता दी जाएगी।
- ग) अधिष्ठापन प्रमाण पत्र किसी भी समय घरेलू और सभी अन्य श्रेणियों के 5 किवा तक वाले आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है परन्तु डिमांड नोटिस जमा करने की तारीख से पहले। तथापि, अन्य श्रेणियों के आवेदक कनेक्शन जारी होने से पहले अधिष्ठापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। जहां कोई मांग नोटिस जारी नहीं किया जाना है, अधिष्ठापन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए 30 दिनों का नोटिस जारी किया जाएगा। यदि नोटिस की अवधि के भीतर अधिष्ठापन प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो आवेदन निरस्त हो जाएगा।

- घ) यदि डिमांड नोटिस जमा कराने के पश्चात् उपर उप विनियम 6.2 (ग) के अनुसार उपभोक्ता द्वारा अधिष्ठापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो अधिष्ठापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक के संदर्भ में प्राथमिकता पुनःनिर्धारित की जायेगी।
- ङ) डिमांड नोटिस जमा करने के बाद, कनेक्शन जारी करने के लिए उप-विनियम 7.2 से 7.6 के अन्तर्गत आने वाले कार्यों की प्रकृति के अनुसार उपभोक्ताओं के लिये अलग-अलग समूह नियत किये जायेंगे। जॉब कार्य को पूरा करने के लिए उप-विनियम 7.2 (घ) के अधीन पृथक से प्राथमिकता दी जाएगी। विभिन्न समूहों में आने वाले आवेदकों की पारस्परिक प्राथमिकता डिमांड नोटिस जमा कराने की तारीख के आधार पर निर्धारित की जाएगी।
- च) यदि आवेदक के अधिष्ठापन के निरीक्षण पर, कोई भी कमी पाई जाती है या फिटिंग को अपूर्ण पाया जाता है तो कमी को दूर करने के लिए आवेदक को तीस (30) दिनों का नोटिस दिया जाएगा। उत्तरवर्ती निरीक्षण के लिए, प्रभारों की अनुसूची(अनुसूची-1) के अनुसार अधिष्ठापन के परीक्षण के लिए आवश्यक शुल्क देय होगा। कमी को दूर करने के आधार पर ऐसे आवेदक की भिन्न प्राथमिकता निर्धारित की जायेगी। नोटिस में दर्शायी गयी प्रेक्षितियों की 30 दिवस के अन्दर-अन्दर अनुपालना करने में विफलता, के परिणामस्वरूप आवेदक की अस्वीकृति अपने आप हो जायेगी।
- छ) डिमांड नोटिस जमा करने के लिए जारी करने की तारीख से तीस दिनों की अवधि अनुज्ञात की जाएगी और डिमांड नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद आवेदन निरस्त हो जाएगा। तथापि, अनुज्ञप्तिधारी नोटिस अवधि को अतिरिक्त 30 दिनों के लिये बढ़ा सकता है। ऐसे मामलों में प्राथमिकता को पुनःनिर्धारित किया जाएगा और डिमांड नोटिस राशि जमा करने की तारीख से गणना की जाएगी।

6.3 एकल बिंदु आपूर्ति के लिए आवेदन

- क) सहकारी समूह हाउसिंग सोसाइटी को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एकल बिंदु पर विद्युत की आपूर्ति:

वितरण अनुज्ञप्तिधारी सहकारी समूह हाउसिंग सोसाइटी जो परिसर का मालिक है, द्वारा आवेदन करने पर एक ही परिसर में निवास करने वाले ऐसी सोसाइटी के सदस्यों को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए एक बिंदु पर आवासीय प्रयोजन के लिए ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जो राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट किए जाये विद्युत की आपूर्ति करेगा।

बशर्ते कि इस उपबंध के प्रावधान सहकारी समूह समिति हाउसिंग सोसाइटी द्वारा बेचे या किराए पर दी गई आवासीय इकाई में रहने वाले व्यक्ति के क्षेत्र के वितरण

अनुज्ञप्तिधारी से ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जो राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट किए जाये सीधे विद्युत की आपूर्ति की मांग करने के अधिकार को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा। यदि व्यक्तिगत आवेदक वितरण अनुज्ञप्तिधारी से सीधे ही विद्युत आपूर्ति की मांग करता है, तो ऐसे व्यक्तिगत आवेदक का कनेक्शन समूह हाउसिंग सोसाइटी की प्रणाली से अनुज्ञप्तिधार द्वारा जारी किया जायेगा।

बशर्त यह और कि ऐसे व्यक्ति भूतल पर मीटरिंग की व्यवस्था करेंगे और जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्धारित की गई सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करेंगे।

ख) किसी व्यक्ति को उसके कर्मचारियों के लिए एकल बिंदु पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत की आपूर्ति:

वितरण अनुज्ञप्तिधारी किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर एक ही परिसर में रहने वाले उसके कर्मचारियों को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जो राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट किए जाये, एक बिंदु पर आवासीय प्रयोजनों के लिए विद्युत की आपूर्ति करेगा ।

ग) एकल बिंदु आपूर्ति के लिए निबन्धन और शर्तें निम्नानुसार होंगी:

i. हाउसिंग सोसाइटी/नियोक्ता, सोसायटी के सदस्यों/कर्मचारियों को विद्युत की आपूर्ति के लिए इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रभार से अधिक प्रभार नहीं लेगा।

ii. हाउसिंग सोसायटी/नियोक्ता अनुज्ञप्तिधारी के आपूर्ति क्षेत्र में स्थित आवासीय उपभोक्ताओं के लिए आयोग द्वारा निर्धारित विद्युत टैरिफ से अधिक प्रभार नहीं लेगा, जहां ऐसी हाउसिंग सोसायटी/परिसर स्थित है।

iii. हाउसिंग सोसाइटी/नियोक्ता के सदस्यों/कर्मचारियों को इन विनियमों के अन्तर्गत एक 'आवेदक' के अधिकार और दायित्व होंगे। साथ-साथ, ऐसे हाउसिंग सोसाइटी/नियोक्ता के पास अपने सदस्यों/कर्मचारियों को विद्युत की आपूर्ति के लिए इन विनियमों के अन्तर्गत एक 'अनुज्ञप्तिधारी' के अधिकार और दायित्व भी होंगे।

iv. हाउसिंग सोसाइटी/नियोक्ता समय-समय पर कॉलोनी का संपूर्ण सम्बद्ध भार/संविदा मांग और इसकी अभिवृद्धि के लिये आवेदन करेगा।

- v. सभी व्यक्तिगत कनेक्शनों को मीटरीत किया जाएगा और यथा निर्धारित पर्याप्त सुरक्षा के साथ भूतल पर सीढ़ी मीटरिंग विनियमों में यथा निर्दिष्ट मीटर प्रदान किया जाएगा।
- vi. हाउसिंग सोसाइटी/नियोक्ता को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत की आपूर्ति, उपभोक्ताओं के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्धारित विद्युत की आपूर्ति के लिए आयोग द्वारा विधिवत अनुमोदित निबन्धनों और शर्तों द्वारा शासित होगी।
- vii. व्यक्तियों के विद्युत अधिष्ठापनों के साथ हाउसिंग सोसाइटी/नियोक्ता की वितरण प्रणाली अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये सभी नियमों, विनियमों और कोडों की सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप होगा। विद्युत अधिष्ठापन को सीढ़ी सुरक्षा विनियमों में दी गयी विधि के अनुसार वायर/तार युक्त किया जाएगा और एकल बिंदु आपूर्ति के माध्यम से कनेक्शन के पूर्व परीक्षण किया जाएगा।
- viii. हाउसिंग सोसाइटी/नियोक्ता आयोग के पूर्व अनुमोदन से अपने सदस्यों/कर्मचारियों को विद्युत की आपूर्ति के लिए विस्तृत निबन्धनों और शर्तों को प्रकाशित करेगा। हाउसिंग सोसाइटी/नियोक्ता द्वारा बनाये गये निबन्धन और शर्तें इन नियमों से असंगत नहीं होंगे और सदस्यों के लिए कम लाभप्रद नहीं होने चाहिए।
- 6.4** सभी एचटी/ ईएचटी उपभोक्ताओं को अनिवार्यतः अनुलग्नक-3 में दिए गए आदर्श अनुबंध के आधार पर अनुज्ञप्तिधारी के साथ राजस्थान सरकार द्वारा यथा निर्धारित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अनुबंध का निष्पादन करना होगा। अन्य सभी उपभोक्ताओं के लिए, आवेदन पत्र अपने आप ही, अनुबंध होगा। समझौते के प्रारम्भण की तारीख कनेक्शन जारी करने की तारीख होगी और ऐसे सभी समझौतों के लिए न्यूनतम अवधि एक वर्ष होगी।
- 6.5** आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य के प्रस्तुत करने पर परिसर के मालिक या अधिवासी को आपूर्ति दी जाएगी। अनुज्ञप्तिधारी और उपभोक्ता के बीच कोई औपचारिक अनुबंध नहीं होने की स्थिति में, एक बार विद्युत की आपूर्ति शुरू हो गई है तो दूसरा ऊपर दिए गए निष्पादन किये जाने वाले अपेक्षित अनुबंध के निबन्धनों और शर्तों से बाध्य होगा। आपूर्ति शुरू होने के बाद किसी भी समय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यदि अपेक्षित हो, तो उपभोक्ता अनुबंध को पेश करने से इंकार नहीं करेगा, इसके होते हुए भी कि यह पहले भी पेश नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में, अनुबंध की तारीख उपभोक्ता को आपूर्ति शुरू करने की तारीख होगी।

6.6 अनुज्ञप्तिधारी की पूर्व सहमति के बिना, उपभोक्ता अपने अनुबंध के लाभ को अनुज्ञप्तिधारी के साथ न तो समनुदेशन, हस्तांतरण या हिस्सा कर सकता है न ही उपभोक्ता उसके अधीन किसी भी तरह से अलग हो सकेगा या कोई आंशिक या पृथक हित का सृजन कर सकेगा।

6.7 पुराने कनेक्शन के बकायों का समाशोधन/भुगतान

परिसर में नया कनेक्शन तभी दिया जाएगा जब परिसर में पुराने कनेक्शन के संबंध में सभी बकाया और देय राशि का भुगतान कर दिया गया हो और चुका दी गई हो। तथापि, रीको / राजस्थान वित्त निगम (आर. एफ. सी.) द्वारा या राजस्थान उच्च न्यायालय या ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा नियुक्त आधिकारिक परिसमापक द्वारा किसी विद्यमान उद्योग की नीलामी के मामले में, नया कनेक्शन राज्य सरकार के नीतिगत दिशानिर्देशों और प्रचलित कानून के अनुसार जारी किया जाएगा। तथापि, S A R F A E S I अधिनियम (वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002) के अधीन बैंक द्वारा नीलाम किए गए परिसरों के संबंध में, आयोग की स्वीकृति से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बनाये जाने वाले दिशानिर्देशों के अनुसार नया कनेक्शन जारी किया जाएगा।

6.8 कनेक्शन का स्थानान्तरण

कृषि नीति के अनुसार कृषि उपभोक्ता को छोड़कर विद्यमान कनेक्शन के स्थानान्तरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.9 अस्थायी आपूर्ति

क) अनुज्ञप्तिधारी प्रभारों की अनुसूची (अनुसूची- I) के अनुसार आवेदन शुल्क एवं अन्य प्रभारों के साथ अनुलग्नक-2 में निर्धारित नमूना प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्राप्त होने पर किसी उपभोक्ता को अस्थायी आपूर्ति भी प्रदान कर सकता है। तथापि, अस्थायी कनेक्शन सार्वजनिक सड़क प्रकाश व्यवस्था, कृषि के अन्तर्गत और स्थायी विवाह घरों के स्थानों को जारी नहीं किया जाएगा।

ख) अस्थाई आपूर्ति, पहली बार में दो माह की अवधि के लिये ही दी जा सकती है, परन्तु आपूर्ति को प्रत्येक अवसर पर दो माह से अनधिक की अग्रेतर अवधियों के लिये अभिवृद्धित अवधि के लिये अतिरिक्त निक्षेपों की वसूली कर बढ़ाया जा सकता है। निर्माण कार्य हेतु कनेक्शन पहली बार में तीन माह की अवधि के लिये दिया जा सकता है और प्रत्येक अवसर पर तीन माह से अनधिक की अग्रेतर अवधियों के लिये बढ़ाया जा

सकता है। तथापि, उपभोक्ता से विद्युत प्रभार आयोग द्वारा समय-समय पर अस्थायी आपूर्ति हेतु निर्धारित की गयी टैरिफ के अनुसार उद्गृहीत किये जायेंगे।

6.10 निर्माण के प्रयोजन हेतु आपूर्ति

एलटी घरेलू तथा अघरेलू श्रेणी के अन्तर्गत विद्यमान उपभोक्ता अपने कनेक्शन का उसी परिसर में अग्रेतर निर्माण के लिये उपयोग, इस शर्त के साथ कर सकता है कि उसका सम्बद्ध भार/उसकी संविदा मांग, कुल स्वीकृत सम्बद्ध भार/संविदा मांग से अधिक नहीं होगा(गी) यह सुविधा भवन संकुल निर्माण तथा अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिये उपलब्ध नहीं होगी।

6.11 कनेक्शन का अन्तरण/नाम परिवर्तन

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एक उपभोक्ता से दूसरे को कनेक्शन का अन्तरण, यदि सम्पत्ति के विक्रय/ विरासत/भेंट/कम्पनी के समापन या अन्य वैध कारणों से विक्रय/अंतरण के कारण स्वामित्व में कोई परिवर्तन हैं तो अनुमत किया जायेगा:

- (क) किसी सरकारी कर्मचारी को किसी सरकारी कॉलोनी में आवास आवंटित कर दिये जाने की दशा में, कनेक्शन नये अधिवासी के नाम पर, सरकारी आवास के आवंटन के दस्तावेजीय प्रमाण प्रस्तुत कर दिये जाने पर अन्तरित किया जा सकता है।
- (ख) यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी परिसर का अधिकार ग्रहण करता है, जहां विद्युत कनेक्शन विद्यमान है या विच्छेदित है, तो वह परिसर के अन्तरण के समर्थन में आवश्यक विधिक दस्तावेजों के साथ अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत कनेक्शन के अन्तरण का अनुरोध करते हुये आवेदन प्रस्तुत करेगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा औपचारिक स्वीकृति दिये जाने के पश्चात् नया उपभोक्ता उस सेवा की समस्त देयताओं को निपटायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रचलित प्रावधानानुसार प्रतिभूति जमा करवायेगा।
- (ग) उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी की पूर्व स्वीकृति के बिना अनुज्ञप्तिधारी के साथ किये गये उसके अनुबन्ध के हित (लाभ) का न तो अभ्यर्पण, अन्तरण या परित्याग करेगा न ही उपभोक्ता किसी भी रीति से उसके अन्तर्गत किसी प्रकार का आंशिक या पृथक् हित सृजित या परित्याग करेगा। ऐसे मामलों में नये उपभोक्ता का दायित्व अनुबन्ध की असमाप्त अवधि के लिये होगा। एचटी/ईएचटी उपभोक्ता को असमाप्त अवधि के लिये नया अनुबन्ध करने की आवश्यकता होगी।

- (घ) यदि कोई उपभोक्ता अपने नाम में परिवर्तन (स्वामित्व वही रहते हुये) चाहता है तो वह इसके लिये आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। अनुज्ञप्तिधारी आवश्यक कानूनी दस्तावेजों के आधार पर नाम का परिवर्तन अनुज्ञात करेगा।
- (ङ.) अन्तरिती, अनुसूची-1 में यथा-निर्धारित अन्तरण शुल्क का भुगतान करेगा।
- (च) मूल पंजीकृत उपभोक्ता के साथ किया गया विद्युतापूर्ति अनुबन्ध अधिष्ठापन के अन्तरण की तिथि या अन्तरिती द्वारा अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर दिये जाने के सात दिवस की समाप्ति की तिथि जो भी पहले हो से समाप्त माना जायेगा।
- (छ) जिन अधिकारियों को विद्युतापूर्ति अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने की शक्ति प्राप्त है उन्हें ऐसे कनेक्शन को अन्य व्यक्ति को अन्तरण करने की शक्ति भी प्राप्त होगी।

6.12 श्रेणी परिवर्तन

एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में श्रेणी परिवर्तन निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जा सकता है

- क) कृषि श्रेणी में कनेक्शन के रूपांतरण की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- ख) उच्च टैरिफ श्रेणी से निम्न टैरिफ श्रेणी में रूपांतरण की अनुमति दी जायेगी।
- ग) इसके लिये उपभोक्ता नये कनेक्शन के लिये निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेगा।
- घ) आवेदन फॉर्म के साथ उपभोक्ता श्रेणी रूपांतरण के समय प्रचलित निम्नलिखित राशि का भुगतान करेगा।
- (i) आवेदन शुल्क।
 - (ii) विद्यमान श्रेणी की तुलना में आवेदित (नई) श्रेणी के तहत कनेक्शन जारी करने के लिये लागत अंतर।
 - (iii) इस मामले में उपभोक्ता को कोई धनवापसी की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- ङ.) विद्यमान कनेक्शन के विरुद्ध बकाया नहीं होने पर ही रूपांतरण की अनुमति दी जायेगी।
- च) उपभोक्ता इस आशय के लिये एक गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर वचन भी प्रस्तुत करेगा कि भविष्य में यदि पहले कनेक्शन के विरुद्ध कोई भी राशि बकाया पायी जाती है तो रूपांतरण की अनुमति दिये जाने के पश्चात् भी उसके द्वारा वह राशि जमा करायी जायेगी।

- छ) श्रेणी के परिवर्तन करने से पहले संबंधित अधिकारी को अपने स्तर पर उपभोक्ता द्वारा वास्तविक श्रेणी/उपभोग का सत्यापन करना चाहिये।

6.13 कृषि उपभोक्ताओं के लिए विशेष प्रावधान

कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति के लिए विनियमों में किसी बात के इसके प्रतिकूल होते हुए भी, आपूर्ति के लिए आवेदन, कनेक्शन देने की प्राथमिकता, सम्बद्ध भार में वृद्धि, कनेक्शन का स्थानान्तरण, आपूर्ति की बहाली आदि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 के अधीन राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नीति निर्देशों द्वारा, जहां तक यह अधिनियम के प्रावधानों से असंगत नहीं है, शासित होंगे। अनुज्ञप्तिधारी कृषि नीति में परिवर्तनों को समाविष्ट और "विद्युत की आपूर्ति के लिए निबन्धन और शर्तें" को अद्यतन कर सकते हैं। आयोग को सूचना के अधीन अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अद्यतन कृषि नीति प्रकाशित करेगा।

अध्याय-7

आपूर्ति और कनेक्शन जारी करना

7.1 आपूर्ति जहां वितरण साधन/मेन्स के विस्तार की आवश्यकता नहीं है

जहाँ कोई वितरण साधन/मेन्स का विस्तार या नए उप-केन्द्रों को चालू करना अन्तर्निहित नहीं है, अनुज्ञप्तिधारी आवेदक के अधिष्ठापन का निरीक्षण करेगा और अध्याय-6 में उल्लिखित पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के मेट्रो शहरों में सात दिनों, अन्य नगरपालिका क्षेत्रों में पन्द्रह दिनों और ग्रामीण क्षेत्रों में तीस दिनों के भीतर कनेक्शन जारी करेगा। तथापि घरेलू श्रेणी के लिये, कनेक्शन अधिमानतः सात दिनों के भीतर दे देना चाहिये।

स्पष्टीकरण

- क) यदि विद्यमान सेवा लाइन द्वारा या विद्यमान ओवरहेड लाइन या भूमिगत केबल जहां एक केबल बॉक्स, जंक्शन बॉक्स, पिलर बॉक्स आदि प्रदान किए गए हैं, से 50 मीटर

तक सर्विस लाइन बिछाकर आवेदित परिसर में विद्युत की एलटी आपूर्ति प्रदान की जा सकती है, वितरण साधन/मेन्स को बिना विस्तार की आवश्यकता के समझा जाएगा।

- ख) परिसर में विद्युत की एचटी आपूर्ति के मामले में, वितरण प्रणाली के संवर्धन की आवश्यकता समझी जाएगी और उप-विनियम 7.2 और 7.3 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

7.2 आपूर्ति जहां वितरण साधन/मेन्स के विस्तार की आवश्यकता है

- क) अध्याय 6 में दिए गए आवेदन की प्राप्ति के पश्चात, यदि अनुज्ञप्तिधारी को पता चलता है कि आवेदित परिसर में विद्युत की आपूर्ति के वितरण के लिये साधन/मेन्स के विस्तार की आवश्यकता है तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसे विस्तार के लिए प्रभारों की अनुसूची (अनुसूची- I) में यथा निर्दिष्ट अतिरिक्त खर्चों की गणना, यदि कोई हो, करेगा और संपूरित आवेदन की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर आवेदक को आवश्यक विस्तार और इस तरह के विस्तार को प्रदान करने के लिए अतिरिक्त राशि की सूचना देगा। यदि कनेक्शन 132 केवी या अधिक या 33 केवी पर है ईएचटी ग्रिड सब-स्टेशन पर बे के निर्माण की आवश्यकता है, तो अतिरिक्त राशि का नोटिस 60 दिनों के भीतर वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी किया जायेगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए गए अनुरोध के 30 दिनों के भीतर, प्रसारण अनुज्ञप्तिधारी अपने से संबंधित कार्यों के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी को अनुमान भेजेगा।
- ख) जहां वितरण के साधन/मेन्स के विस्तार की आवश्यकता है, लेकिन अतिरिक्त राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है, अनुज्ञप्तिधारी विस्तार का कार्य पूरा करेगा और संपूरित आवेदन की प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर कनेक्शन जारी करेगा।
- ग) आवेदक उप-विनियम 6.2(छ) के प्रावधानों के अनुसार डिमाण्ड नोटिस जमा करायेगा।
- घ) आवेदक द्वारा अतिरिक्त राशि जमा करने के बाद, अनुज्ञप्तिधारी नीचे निर्दिष्ट समय के भीतर विभिन्न वोल्टेज स्तरों के लिए वितरण के साधन/मेन्स के विस्तार के कार्य को पूरा करेगा:

(i)	एलटी लाइन	15 दिन
-----	-----------	--------

(ii)	11 केवी लाइन	प्रथम 5 किलोमीटर तक	30 दिन
		अगले प्रत्येक 5 किलोमीटर के लिये	15 दिन
(iii)	33 केवी लाइन	प्रथम 5 किलोमीटर तक	60 दिन
		अगले प्रत्येक 5 किलोमीटर के लिये	30 दिन
(iv)	132 केवी लाइन या अधिक	प्रथम 5 किलोमीटर तक	180 दिन
		अगले प्रत्येक 5 किलोमीटर के लिये	45 दिन

ड) विस्तार का कार्य पूरा होने के पश्चात, अनुज्ञप्तिधारी अधिष्ठापन का निरीक्षण करेगा और जैसा विनियम 7.1 में निर्धारित है, के भीतर कनेक्शन जारी करेगा।

च) डिस्कॉम के सब-स्टेशन का पोषण कर रहे 33 केवी फीडर और आवश्यक सेवाओं को समर्पित फीडर जो की पावर-कट से मुक्त है जैसे कि अस्पताल, रक्षा, रेल्वे एवं पीएचईडी को उपभोक्ता को व्यक्तिगत कनेक्शन दिये जाने के लिये या भवनों/कालोनियों के विद्युतीकरण के लिये टैप नहीं किया जायेगा।

7.3 आपूर्ति जहां नए उप-केन्द्र को चालू किया जाना है/सिस्टम के संवर्धन की आवश्यकता है

क) ऐसे मामले में जहां आवेदित परिसर में विद्युत की आपूर्ति के लिए नए उप-केन्द्र की आवश्यकता है, अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा अनुमोदित निवेश योजना के अनुसार नए उप-केन्द्र के लिये कार्य करेगा और आवेदन प्राप्त होने के दो महीने के भीतर आवेदक को काम शुरू होने की तारीख सूचित करेगा एवं कार्य शुरू होने की तिथि से विभिन्न उप-केन्द्रों के लिए नीचे दिए गए निर्दिष्ट समय के भीतर कार्य को पूरा करेगा:

(i)	11/0.4 केवी एस/एस	30 दिन
(ii)	33/11 केवी एस/एस	120 दिन
(iii)	33/11 केवी एस/एस पर कक्ष का विस्तार	30 दिन
(iv)	132/33/11 केवी एस/एस	12 महिने

(v)	ईएचटी पर बे का विस्तार	90 दिन
-----	------------------------	--------

- ख) इस तरह की आपूर्ति देने के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपयोग किये जाने वाली विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र प्रदान करने के लिए प्रभारों की अनुसूची (अनुसूची-I) में यथाधिकृत कोई अतिरिक्त राशि यदि आवेदक द्वारा जमा करायी जानी है तो उप-केन्द्र का कार्य शुरू करने के पहले, अनुज्ञप्तिधारी आवेदक को पंद्रह दिनों के भीतर सूचित करेगा।
- ग) आवेदक उप-विनियम 6.2(छ) के प्रावधानों के अनुसार डिमाण्ड नोटिस जमा करायेगा।
- घ) जहां आवेदक द्वारा विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र प्रदान करने के लिए कोई अतिरिक्त राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है, अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता के अधिष्ठापन का निरीक्षण करेगा और उप-केन्द्र के चालू होने के विनियम 7.1 में निर्धारित समय सीमा के अनुसार कनेक्शन जारी करेगा।
- ड) जहां विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र प्रदान करने के लिए आवेदक द्वारा उप-विनियम 7.3 (ख) में यथा सूचित अतिरिक्त राशि जमा करायी जानी है, उपभोक्ता द्वारा डिमांड नोटिस के जमा कराने के पश्चात्, अनुज्ञप्तिधारी विस्तार कार्य पूरा करेगा और उपभोक्ता के अधिष्ठापन का निरीक्षण करेगा और उप-विनियम 7.2 (घ) और 7.2 (ड) के अनुसार कनेक्शन जारी करेगा।

7.4 उन इलाकों में आपूर्ति जहां आपूर्ति का कोई प्रावधान विद्यमान नहीं है

- क) निकटतम तकनीकी रूप से व्यवहार्य वितरण मेन्स से 2 किमी से अधिक की दूरी पर विद्यमान गाँवों/खेडों/बिखरे हुए क्षेत्र को ऐसा गाँव/खेडा/बिखरा हुआ क्षेत्र माना जायेगा जहाँ आपूर्ति का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे मामलों में विद्युतीकरण अनुमोदित निवेश योजना के अनुसार किया जाएगा। इन विनियमों की अधिसूचना के एक वर्ष के भीतर, अनुज्ञप्तिधारी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में, अपनी वेबसाइट पर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) की अवस्थिति सहित सभी तकनीकी विवरणों के साथ विद्यमान 33 केवी, 11 केवी और एलटी नेटवर्क को प्रकाशित/प्रदर्शित करेगा ताकि ऐसे क्षेत्रों की पहचान हो सके जहां आपूर्ति का कोई प्रावधान नहीं है। सिस्टम के संबंध में इस तरह का पहला प्रकाशन 31.03.2021 को किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी ऐसे

गाँवों/खेडों/बिखरे हुए क्षेत्र के अनुज्ञप्तिधारी के खर्च पर विद्युतीकरण की योजना भी प्रदर्शित करेगा। 2 किलोमीटर से कम दूरी होने के मामले में, कनेक्शन जारी करने के लिए अध्याय-4 और उप विनियम 7.1, 7.2 और 7.3 के प्रावधान लागू होंगे।

ख) यदि आवेदक/आवेदकों/आवेदनों के समूह निवेश योजनाओं के अनुसार विद्युतीकरण की प्रतीक्षा किए बिना उप-विनियम 7.4(क) के अनुसार, उन क्षेत्रों में कनेक्शन जारी करने की अपेक्षा करते हैं जहां आपूर्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं है, ट्रांसफार्मर सहित सम्पूर्ण विद्युत नेटवर्क की लागत आवेदकों द्वारा वहन की जाएगी।

7.5 विकासक द्वारा विकसित आवासीय कॉलोनियों/टाउनशिप (उपनगर बस्ती)/समूह आवास/ औद्योगिक संकुल/बहु मंजिला इमारतें/संकुल/ वृहद इमारतों को आपूर्ति

क) विकासक अनुलग्नक-2 पर उपलब्ध नमूना प्रपत्र में इस तरह के क्षेत्र के विद्युतीकरण के लिए अनुरोध करेगा। विद्युत नेटवर्क की सामग्री के बिल सहित प्रस्तावित लेआउट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के साथ प्रपत्र में अपेक्षित/उपदर्शित दस्तावेज अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे अनुरोध की प्राप्ति पर अनुज्ञप्तिधारी विद्युतीकृत होने वाले प्रस्तावित क्षेत्र के लिये अनुरोध प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर संयुक्त निरीक्षण की तारीख सूचित करेगा।

ख) संयुक्त निरीक्षण के बाद, अनुज्ञप्तिधारी संयुक्त निरीक्षण के 7 दिनों के भीतर स्पष्टतः कमियों/न्यूनता/किसी भी अन्य प्रेक्षितियों, यदि कोई हो, का उल्लेख करते हुए निरीक्षण रिपोर्ट जारी करेगा। किसी प्रेक्षिति के नहीं होने की स्थिति में, सम्बन्धित अधिकारी यह प्रमाणित करेगा कि डीपीआर मानदण्डों के अनुसार है और निरपवाद रूप से विकासक के प्रस्ताव का अनुमोदन जारी किया जाएगा। ऐसे अनुमोदन के पश्चात 30 दिनों के भीतर तकनीकी स्वीकृति और डिमाण्ड नोटिस जारी किया जाएगा।

ग) निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर, विकासक 30 दिनों के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट का अनुपालन करेगा। यदि वह निरीक्षण रिपोर्ट में दी गयी प्रेक्षितियों से असहमत है तो उसे निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर संबंधित अधीक्षण अभियंता (ओ एंड एम) के पास अपील करने का अधिकार होगा।

घ) अधीक्षण अभियंता (ओ एंड एम) अपील की प्राप्ति की तारीख के एक महीने के भीतर विकासक की अपील के संदर्भ में आख्यापक आदेश जारी करेगा। यदि विकासक अभी भी अधीक्षण अभियंता (ओ एंड एम) के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, वह अधीक्षण अभियंता

(ओ एंड एम) के निर्णय के 30 दिनों के भीतर निगम स्तर की शिकायत निवारण मंच/लोकपाल को निवेदन कर सकता है।

- ड) प्रेक्षितियों के अनुपालन और उपरोक्त शिकायतों के निपटान के पश्चात, विकासक के अनुरोध के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी सभी अपेक्षित औपचारिकताओं के पूर्ण होने के 30 दिनों के भीतर विद्युतीकरण के लिए तकनीकी स्वीकृति और डिमाण्ड नोटिस जारी करेगा।
- च) विकासक (बहु मंजिला इमारतों/संकुल के अलावा) या तो डिमाण्ड नोटिस के जारी होने के 30 दिनों के भीतर डिमाण्ड नोटिस के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी के पास अनुमानित लागत जमा करायेगा या यदि विकासक स्वयं अपने आप ही क्षेत्र का विकास करने का विकल्प चुनता है तो प्रभारों की अनुसूची (अनुसूची-1) के अनुसार पर्यवेक्षण प्रभार अनुज्ञप्तिधारी के पास जमा करायेगा। बहु मंजिला इमारतों/संकुल के विकासक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति के अनुसार स्वयं अपने आप ही विद्युतीकरण का कार्य करेगा और अनुज्ञप्तिधारी केवल पर्यवेक्षण प्रभार स्वीकार करेगा।
- छ) आवासीय कॉलोनियों/टाउनशिप (उपनगर बस्ती)/समूह आवास/औद्योगिक संकुल के विद्युतीकरण के मामले में जहाँ विकासक ने स्वयं अपने आप ही क्षेत्र का विकास करने का विकल्प चुना है, वितरण ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर की लागत (वितरण और पावर ट्रांसफार्मर की लागत स्टोर इश्यू दर साथ ही लेबर एवं ओवरहेड प्रभारों के प्रति 15 प्रतिशत प्रभारित की जायेगी) और पर्यवेक्षण प्रभार अनुज्ञप्तिधारी के पास जमा करना होगा। अनुज्ञप्तिधारी डिमाण्ड नोटिस में ऐसी लागत का विस्तृत वर्णन इंगित करेगा। डिमाण्ड नोटिस जमा कराने के समय विकासक आरंभ करने और निष्पादन की योजना के बारे में सूचित करेगा ताकि अनुज्ञप्तिधारी कार्यों के पर्यवेक्षण की व्यवस्था कर सके। अनुज्ञप्तिधारी का संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपेक्षित तकनीकी विनिर्देश के अनुसार काम किया जा रहा है और यह सुरक्षा मानकों का अनुपालन करता है और वह उचित अधिष्ठापन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा और सीईए सुरक्षा विनियमों में यथा अपेक्षित रिकॉर्डों का संधारण करेगा।
- ज) आवासीय कॉलोनियों/टाउनशिप (उपनगर बस्ती)/समूह आवास/औद्योगिक संकुल के विद्युतीकरण के मामले में जहाँ विकासक ने स्वयं अपने आप ही क्षेत्र का विकास करने का विकल्प चुना है, अनुज्ञप्तिधारी क्षेत्र में आने वाले भार वृद्धि/व्यक्तिगत कनेक्शन के

कारण तकनीकी आवश्यकता के अनुसार वितरण ट्रांसफार्मर (ट्रांसफार्मरों) और पावर ट्रांसफार्मर (ट्रांसफार्मरों) अधिष्ठापित करेगा।

तथापि, विकासक संबंधित अनुज्ञप्तिधारी के विनिर्देश के अनुसार उपरोक्त ट्रांसफार्मर भी खरीद सकता है और अनुज्ञप्तिधारी की केंद्रीय परीक्षण प्रयोगशाला में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्धारित शुल्क पर इनका परीक्षण कराया जा सकता है अनुज्ञप्तिधारी के निर्देशानुसार ट्रांसफार्मर (ट्रांसफार्मरों) को स्थापित कर सकता है और उसके बाद अनुज्ञप्तिधारी को बचे हुये ट्रांसफार्मर (ट्रांसफार्मरों), यदि कोई हो, सौंप दें। ऐसे मामलों में यह विकासक प्रत्याभूति अवधि के दौरान ट्रांसफार्मर के प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार होगा और ट्रांसफार्मर की लागत की 5% बैंक गारंटी देगा जो ट्रांसफार्मर की प्रत्याभूति अवधि पूरी होने तक वैध रहेगी।

झ) तकनीकी स्वीकृति जारी करने के लिए डिजाइन मानदंड निम्नानुसार होंगे-

क्र.सं.	क्षेत्र का स्वरूप	प्राक्कलित रूपरेखा मांग
1	घरेलू उपयोग- क) नक्शे के अनुसार प्लोटों के लिये विशेषांकित ख) निर्मित फ्लेटस~ ग) इडब्ल्यूएस/फ्लेटस~ एलआईजी किफायती आवास योजनाएं	1 किलोवाट प्रति 1000 वर्ग फुट के आकार का भूखंड 4 किलोवाट प्रति 1000 वर्ग फुट का आच्छादित क्षेत्र # 2 किलोवाट प्रति 1000 वर्ग फुट का आच्छादित क्षेत्र #
2	अघरेलू क) नक्शे के अनुसार प्लोटों के लिये विशेषांकित ख) निर्मित क्षेत्र ग) रिज़ॉर्ट योजनाएँ निर्मित क्षेत्र के लिये	4 किलोवाट प्रति 1000 वर्ग फुट के आकार का भूखंड 5 किलोवाट प्रति 1000 वर्ग फुट का आच्छादित क्षेत्र # 5 किलोवाट प्रति 1000 वर्ग फुट आच्छादित

	खुले क्षेत्र के लिये	क्षेत्र # कुल निर्मित क्षेत्र का 25 प्रतिशत भार
3	औद्योगिक उपयोग	क. 1000 वर्ग फुट तक के आकार का भूखंड- 10 किलोवाट
		ख. 1000 वर्ग फुट से अधिक के आकार का भूखंड- 10 किलोवाट + 5 किलोवाट (प्रत्येक अतिरिक्त 1000 वर्ग फुट या उसका भाग)
4	फार्म हाउस योजना निर्मित क्षेत्र के लिये खुले क्षेत्र के लिये	2 किलोवाट प्रति 1000 वर्ग फुट कुल निर्मित क्षेत्र का 25 प्रतिशत भार
5	पार्किंग सहित सामान्य सुविधाएं	(1+2+3+4) का 5 प्रतिशत
6	अन्य विविध उपयोग	(1+2+3+4) का 2 प्रतिशत

#ऐसे भवन संकुल या विशाल भवनों की सभी मंजिलों पर जन सुविधा क्षेत्र को शामिल करते हुये, पार्किंग क्षेत्र को छोड़कर, आच्छादित क्षेत्र, अनुमोदित प्लान या वास्तविक निर्मित क्षेत्र, जो भी अधिक है। यदि भवन ऐसे इलाके में स्थित है जहां स्थानीय प्राधिकरणों के प्रचलित उपनियमों के अनुसार प्लान के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, पार्किंग क्षेत्र को छोड़कर, भवन की सभी मंजिलों पर जन सुविधा क्षेत्र को शामिल करते हुये वास्तविक निर्मित क्षेत्र।

टिप्पणी:

- यदि विकासक द्वारा उप-विनियम 7.5(झ) की तालिका में 1 से 6 तक वर्णित क्षेत्रों के संबंध में उच्चतर मांग इंगित की गयी है, तब कुल अनुमानित डिजाइन की मांग ज्ञात करते समय उच्चतर मांग पर विचार किया जाएगा।
- किलोवाट को 0.90 पावर फैक्टर का उपयोग करते हुए केवीए में परिवर्तित किया जाएगा।
- यदि उप-विनियम 7.5 (झ) के प्रावधान के अनुसार अनुमानित डिजाइन की मांग 50 केवीए से अधिक हो जाती है, तो आवेदकों की लागत पर उपयुक्त ट्रांसफार्मर

प्रदान करके 11 केवी या उससे अधिक का विद्युतीकरण अनिवार्य है इसके बाद कई एलटी कनेक्शन जारी किये जा सकते हैं।

- ज) विद्युतीकरण के लिए वोल्टेज अनुमानित डिजाइन की मांग के आधार और अध्याय -4 के अनुसार आपूर्ति के वर्गीकरण पर निर्णीत किया जाएगा। एचटी केबल/ओवरहेड लाइन, वितरण ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर और एलटी केबल की क्षमता जो ट्रांसफार्मर को मीटर क्यूबिकल आदि से जोड़ती है, अनुमानित डिजाइन की गई माँग की तुलना में 10% अधिक माँग के लिए डिजाइन किया जाएगा।
- ट) यदि विद्युतीकरण के लिए वोल्टेज 33 केवी है, विकासक 33 केवी लाइन और उप-केन्द्र, नियंत्रण कक्ष सहित सिविल कार्यों आदि की पूरी लागत वहन करेगा। इसके अतिरिक्त, विकासक/स्थानिय/ विकास प्राधिकरण सुविधाओं के प्रति समर्पित क्षेत्र में से उपयुक्त लाइनों के लिये विकासक द्वारा विकसित क्षेत्र के भीतर रास्ते के अधिकार के साथ उप-केन्द्र के निर्माण के लिये उपयुक्त परिमाणों के साथ 1000 वर्ग मीटर के माप की भूमि भी 33 केवी सब-स्टेशन के निर्माण के लिए अनुज्ञप्तिधारी को निःशुल्क उपलब्ध करायेगा। ऐसी भूमि के उपयोग का अधिकार विकासक द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को हस्तांतरित किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी को भूमि प्रदान करने की अपेक्षा बहु-मंजली संकुलों/इमारतों के विकासक पर लागू नहीं होगी। बशर्ते यह भी कि औद्योगिक क्षेत्र के मामले में, 33 केवी उपकेन्द्र के लिए भूमि की आवश्यकता 1500 वर्ग मीटर होगी।
- ठ) यदि विद्युतीकरण के लिए वोल्टेज 132 केवी है, सुविधाओं के प्रति समर्पित क्षेत्र में से 5000 वर्ग मीटर के माप की भूमि विकासक/स्थानीय निकाय विकास प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को निःशुल्क और भूमि के उपयोग के अधिकार सहित उपयुक्त लाइनों के लिये विकासक द्वारा विकसित क्षेत्र के भीतर रास्ते के अधिकार के साथ 132 केवी उप-केन्द्र के निर्माण के लिये उपयुक्त परिमाणों के साथ एवं उपयुक्त लाइनों के लिये रास्ते के अधिकार के साथ 33 केवी उप-केन्द्र के निर्माण के लिये उपयुक्त परिमाणों के साथ 1000 वर्ग मीटर के माप की भूमि भी उपलब्ध करायी जायेगी। 132 केवी कार्य (लाइन और उपकेन्द्र) की लागत विकासक द्वारा वहन नहीं की जाएगी। हालाँकि, आंतरिक उप-प्रसारण और वितरण व्यय (33 केवी/11 केवी/एलटी कार्य) विकासक की लागत पर होंगे। अनुज्ञप्तिधारी को भूमि प्रदान करने की अपेक्षा बहु-मंजली संकुलों/इमारतों के विकासक पर लागू नहीं होगी।

बशर्ते, औद्योगिक क्षेत्रों के मामले में भूमि की आवश्यकता उपयुक्त लाइनों के लिये विकासक द्वारा विकसित क्षेत्र के भीतर रास्ते के अधिकार के साथ 132 केवी उप-केन्द्र के निर्माण के

लिये उपयुक्त परिमाणों के साथ 6000 वर्ग मीटर एवं 33 केवी उप-केन्द्र के निर्माण के लिये उपयुक्त परिमाणों के साथ 1500 वर्ग मीटर होगी।

ड) इस तरह के विद्युतीकरण से निपटने के लिए अन्य प्रावधान

- i. आरम्भ में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 33 केवी लाइन को 11 केवी पर चार्ज किया जा सकता है और इसे कुल समग्र मांग के 2.5 एमवीए से अधिक होने तक इसे 11 केवी पर चार्ज रखे जा सकता है। तत्पश्चात जब मांग अधिक हो जाती है, तो अनुज्ञप्तिधारी तकनीकी स्वीकृति के अनुसार उचित क्षमता का पावर ट्रांसफार्मर अधिष्ठापित करने के लिए बाध्य होगा।
- ii. अनुज्ञप्तिधारी को तकनीकी आवश्यकता/भार वृद्धि के आधार पर तकनीकी स्वीकृति के अनुसार वितरण ट्रांसफार्मर के अधिष्ठापन का समय निर्धारित करने का अधिकार होगा।
- iii. आवासीय कॉलोनियों/टाउनशिप (उपनगर बस्ती)/समूह आवास/औद्योगिक संकुल के विकासक पावर और वितरण ट्रांसफार्मर के अधिष्ठापन को छोड़कर तकनीकी स्वीकृति के अनुसार संबंधित क्षेत्र के विद्युतीकरण को पूरा करेंगे। विद्युतीकरण के पश्चात, विकासक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अधिष्ठापन प्रमाण पत्र के साथ सामग्री का बिल और विस्तृत नक्शे के साथ उसके द्वारा निर्मित बुनियादी ढांचे को इंगित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी को सूचना भेजेगा। अनुज्ञप्तिधारी पूर्ण किए गए कार्य का संयुक्त निरीक्षण करेगा और यह सुनिश्चित करने के पश्चात कि कार्य विनिर्देशों के अनुसार किया गया है और सीईए सुरक्षा विनियमों का अनुपालन किया है, विकासक से इसे अपने अधिकार में लेगा। विकासक अपेक्षानुसार पूर्ण किए गए कार्यों के अधिष्ठापन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा। ईएचटी सबस्टेशन/ लाइनों के मामलों में, वितरण और ट्रांसमिशन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जायेगा और ट्रांसमिशन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिग्रहण किया जायेगा जिसके लिये विकासक और ट्रांसमिशन अनुज्ञप्तिधारी के बीच आवश्यक समन्वय वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जायेगा।
- iv. अनुज्ञप्तिधारी निरीक्षण पूरा करेगा और विकासक द्वारा सूचना देने की तिथि के 15 दिनों के भीतर इन विनियमों के अनुसार जहाँ भी आवश्यक हो पूर्ण किए गए कार्यों को अपने अधिकार में लेगा।

- v. यदि कुछ कमियां हैं जो निरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान ध्यान में आती हैं, संयुक्त निरीक्षण के 7 दिनों के भीतर निरीक्षण टिप्पणी के साथ स्पष्टतः कमी/न्यूनता और प्रेक्षितियों, यदि कोई हो, का उल्लेख करते हुए विकासक को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।
- vi. विकासक 30 दिनों के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट का अनुपालन करेगा। तथापि, अगर विकासक निरीक्षण रिपोर्ट से सहमत नहीं है, वह निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अधीक्षण अभियंता (ओ एंड एम) के समक्ष अपील कर सकता है।
- vii. अधीक्षण अभियंता (ओ एंड एम) अपील की प्राप्ति की तारीख के एक महीने के भीतर विकासक की अपील के संदर्भ में आख्यापक आदेश जारी करेगा। यदि विकासक अभी भी अधीक्षण अभियंता (ओ एंड एम) के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, वह अधीक्षण अभियंता (ओ एंड एम) के निर्णय के 30 दिनों के भीतर निगम स्तर की शिकायत निवारण मंच/लोकपाल को निवेदन कर सकता है।
- viii. कनेक्शन जारी करने की आवेदक की व्यक्तिगत मांग के आधार पर स्टेज निरीक्षण और आंशिक रूप से अधिकार में लेना;

व्यक्तिगत आवेदकों को कनेक्शन जारी करने को सुविधाजनक बनाने हेतु विकासक को उसके द्वारा निर्धारित छोटे चरणों में काम पूरा करने की अनुमति दी जाएगी। अनुज्ञप्तिधारी छोटे चरणों में विकासक द्वारा पूर्ण किए गए कार्यों के अनुसार कार्यों का निरीक्षण करेगा। अनुज्ञप्तिधारी स्वयं की संतुष्टि के पश्चात कि विकासक द्वारा छोटे चरण में काम पूरा कर लिया गया है और अधिष्ठापन प्रमाणपत्र भी विशेष चरण के संबंध में प्रस्तुत कर दिया गया है, अनुज्ञप्तिधारी इस तरह के विभिन्न चरणों में पूर्ण किए गए कार्य को आंशिक रूप से अधिकार में लेगा और व्यक्तिगत/समूह कनेक्शनों को जारी करेगा।
- ix. बहु-मंजली संकुल (जिनकी अनुमानित डिजाइन की मांग 50 केवीए से अधिक है) के विकासक भवन संकुल/बड़े भवन के भू-तल पर मीटर लगाने के लिए अपने स्वयं के खर्च पर पैनल के साथ क्यूबिकल उनलब्ध करायेगा। ऐसे विकासक को बस बार/मीटरिंग क्यूबिकल तक एचटी/एलटी केबल बिछाना और निकटतम तकनीकी संभव मेन्स से केबल बिछाने सहित अपने स्वयं के ट्रांसफार्मर अधिष्ठापित करने होंगे। विकासक प्रभारों की अनुसूची (अनुसूची-I) के अनुसार इस कार्य के प्रति पर्यवेक्षण प्रभारों का भुगतान करेगा।

- x. यदि उप-विनियम 7.5 (ड) (ix) में उल्लिखित भवन संकुल में एक व्यक्तिगत उपभोक्ता, एचटी कनेक्शन (50 केवीए से अधिक की मांग) के लिए आवेदन करता है एवं जहां एक व्यक्तिगत उपभोक्ता के लिए कोई अलग ट्रांसफार्मर अधिष्ठापित नहीं किया जा सकता है, कनेक्शन एलटी वोल्टेज पर जारी किया जाएगा और इस तरह के कनेक्शन को एचटी कनेक्शन माना जाएगा। तथापि, ऐसे मामलों में रिकार्ड किये गये उपभोग पर 3% ट्रांसफार्मेशन हानियों का अतिरिक्त बिल किया जाएगा।
- xi. अनुज्ञप्तिधारी विकासक के काम का पर्यवेक्षण करेगा और सुरक्षा से संबंधित मामलों और तकनीकी मामलों में मार्गदर्शन प्रदान करेगा और सुनिश्चित करेगा कि सुरक्षा मानदण्ड और तकनीकी मानदण्डों का अनुपालन किया गया है। ईएचटी सबस्टेशन/ लाइनों के मामले में, वितरण और ट्रांसमिशन अनुज्ञप्तिधारी संयुक्त रूप से काम का पर्यवेक्षण करेंगे और दिशानिर्देश प्रदान करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सुरक्षा मानदण्डों और तकनीकी मानदण्डों का अनुपालन किया गया है।
- xii. अनुज्ञप्तिधारी आपूर्ति के बिंदु तक विकासक से उसके द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से ली गई प्रणाली के रखरखाव के लिए उत्तरदायी होगा। तथापि, ऊपर दिये गये उपविनियम 7.5 (ड) (ix) में उल्लिखित बहु-मंजली संकुल/भवनों में, विकासक द्वारा अधिष्ठापित भूमिगत केबल नेटवर्क, ट्रांसफार्मर और स्विच गियर के संबंध में रखरखाव का उत्तरदायित्व विकासक का ही होगा।
- xiii. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत के बुनियादी ढांचे को अधिकार में लेने के पश्चात, ऐसे नेटवर्क का स्वामित्व विकासक द्वारा भुगतान की गयी लागतों के बावजूद अनुज्ञप्तिधारी में निहित होगा। अनुज्ञप्तिधारी को किसी अन्य आवेदक को जो अनुज्ञप्तिधारी को निवेदन करता है, कनेक्शन जारी करने के लिए विद्युत के बुनियादी ढांचे का उपयोग करने का अधिकार होगा। संबंधित अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति के अनुसार पूरा प्रोजेक्ट लेने के पश्चात, अनुज्ञप्तिधारी को एलटी लाइनों, 11 केवी लाइनों या 33 केवी लाइनों या ईएचटी लाइनों का परिधि क्षेत्र से परे/बाहर, यथास्थिति विस्तार करने का अधिकार होगा।
- xiv. विकासक द्वारा विकसित क्षेत्र के व्यक्तिगत उपभोक्ता की सर्विस लाइन विकासक द्वारा अधिष्ठापित की जाएगी। ऐसे व्यक्तिगत उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी को प्रभारों की अनुसूची (अनुसूची- I) के अनुसार कम प्रभारों का भुगतान करेंगे।

- xv. विद्यमान तथा नये औद्योगिक क्षेत्रों में भार की मांग को पूरा करने के लिये रीको औद्योगिक क्षेत्रों तथा सहयुक्त सब-स्टेशनों तक मुख्य फीडर लाइनों अर्थात् 132/33/11 केवी लाइन(नें) बिछाने का कार्य अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने स्वयं के बजट में से किया जायेगा। इसके पश्चात् औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर बिछायी जाने वाली उप प्रसारण व वितरण लाइनों की लागत रीको द्वारा वहन की जायेगी, जबकि सहयुक्त सब-स्टेशन की लागत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन की जायेगी।
- xvi. विकासक द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुमोदित तकनीकी विनिर्देश के अनुरूप होगी। सामग्री की खरीद विकासक द्वारा उन आपूर्तिकर्ताओं से की जाएगी जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पेनल में सम्मिलित और अनुमोदित हैं। सामग्री और कारीगरी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, अनुज्ञप्तिधारी आयोग के अनुमोदन से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा।
- xvii. अनुज्ञप्तिधारी आयोग आयोग के अनुमोदन से सीईए द्वारा निर्धारित निर्माण और सुरक्षा विनियम के अनुपालन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगा।
- xviii. विकासक विद्युतीकरण की लागत के बराबर सुरक्षा बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा जो पूरी परियोजना को सौंपने की तारीख तक मान्य रहेगी। तथापि, यदि आंशिक सौंपी/चरण वार सौंपी गयी है, तो बैंक गारंटी की राशि को सौंप दिए गए कार्यों की लागत की सीमा तक कम किया जा सकता है।
- xix. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी किए गए तकनीकी अनुमोदन के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण परियोजना को अधिकार में लेने के पश्चात, भार वृद्धि को पूरा करने के लिए सिस्टम के संवर्द्धन/उन्नयन का उत्तरदायित्व अनुज्ञप्तिधारी का होगा।
- 7.6 आवासीय कॉलोनियों/टाउनशिप (उपनगर बस्ती) की आपूर्ति विकासक द्वारा विकसित की गई है, लेकिन विकासक विद्युतीकरण का काम प्रारम्भ करने/पूरा करने के लिए तैयार नहीं है**
- क) इन विनियमों की अधिसूचना के एक वर्ष के भीतर, अनुज्ञप्तिधारी अपनी वेबसाइट पर जीपीएस की अवस्थिति सहित बुनियादी ढांचे के पूर्ण विवरण के साथ ऐसे क्षेत्रों की सूची को प्रकाशित/प्रदर्शित करेगा। इस तरह का ऐसा प्रकाशन 31.03.2021 पर स्थित क्षेत्रों के संबंध में किया जाएगा।

- ख) ऐसे क्षेत्रों को पूरी तरह से विद्युतीकृत करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी आवश्यक बुनियादी ढाँचे का अनुमान लगाएगा और पर्याप्त बजट प्रावधान करने के लिए विद्युतीकरण की लागत की गणना करेगा।
- ग) ऐसी कॉलोनिजों में व्यक्तिगत कनेक्शन की मांग के आधार पर व्यक्तिगत उपभोक्ताओं/ उपभोक्ताओं के समूह को कनेक्शन जारी करेगा। प्रभारों की अनुसूची (अनुसूची- I) के अनुसार उपभोक्ता यथानुपात/ भूखण्ड के क्षेत्र के आधार पर प्रभारों का भुगतान करेगा।

7.7 उप-विनियम 7.5 और 7.6 के अन्तर्गत आवृत्त नहीं होने वाले बड़े आवासीय भवन/घरों को आपूर्ति

- क) यदि केवल एक कनेक्शन लिया जाता है, तो एलटी आपूर्ति वोल्टेज 50 केवीए तक लागू होगी चाहे अनुमानित डिजाइन की मांग 50 केवीए से अधिक हो। 50 केवीए से अधिक की मांग के लिए, एचटी आपूर्ति वोल्टेज लागू होगा और उपभोक्ता को एचटी घरेलू कनेक्शन लेना अपेक्षित होगा।
- ख) यदि आपूर्ति वोल्टेज उप-विनियम 7.5 (झ) के प्रावधानों के अनुसार अनुमानित डिजाइन मांग के मानदंडों के अनुसार एलटी है, तो परिसर के प्रत्येक पंजीकृत मालिक/ अधिवासी/ किरायेदार के लिए वांछित श्रेणी में अलग कनेक्शन जो भौतिक रूप से और विद्युत रूप से अलग है, जारी किया जा सकता है। यदि परिसर का पंजीकरण उसी मालिक के नाम पर है तो एक ही नाम के मालिक के लिए अलग कनेक्शन जारी किया जा सकता है।
- ग) ऐसे भवनों में जहाँ एक से अधिक विद्युत कनेक्शन जारी किए जाते हैं तो ऐसे भवन के भूतल पर पर्याप्त सुरक्षा के साथ मीटर फिक्सिंग के लिए, परिसर का मालिक अपनी लागत पर पैनल के साथ क्यूबिकल प्रदान करेगा और इस कार्य के लिए अनुसूची-I के अनुसार पर्यवेक्षण प्रभारों का भुगतान करेगा।

7.8 जहां कोई विकासक नहीं है और कनेक्शनों के लिये व्यक्तिगत आवेदकों द्वारा अनुरोध किया जा रहा है, उन परिसर या परिसरों के समूह को आपूर्ति

- क) यदि ऐसा परिसर निकटतम तकनीकी रूप से व्यवहार्य 11 केवी या एलटी मेन्स के 2 किमी के भीतर आता है, अध्याय-4 और उप-विनियम 7.1, 7.2 और 7.3 के प्रावधान के अनुसार कनेक्शन जारी किया जाएगा।

ख) यदि निकटतम तकनीकी रूप से व्यवहार्य 11 केवी या एलटी मेन्स से दूरी 2 किमी से अधिक है, उप-विनियम 7.4 के प्रावधान के अनुसार कनेक्शन जारी किया जाएगा।

7.9 उप-विनियम 7.5 और 7.6 के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों के समीपस्थ और विद्युतीकृत क्षेत्रों के समीपस्थ स्थित क्षेत्रों को आपूर्ति

क) व्यक्तिगत कनेक्शन उप-विनियम 7.8 (क) के प्रावधान के अनुसार आवेदकों को जारी किया जाएगा जो तकनीकी रूप से व्यवहार्य 11 केवी या एलटी व्यवहार्य मेन्स के 2 किमी तक है।

ख) 2 किमी से अधिक हो पर, कनेक्शन उप-विनियम 7.8 (ख) के प्रावधान के अनुसार जारी किया जाएगा।

7.10 पुरानी हवेलियों और बहु मंजिला संकुल/ इमारतों को आपूर्ति

कनेक्शन के लिए आवेदन करने पर मालिक/अधिवासी को वितरण ट्रांसफार्मर के विद्युतीकरण/अधिष्ठापन के लिए आग्रह किये बिना अनुसूची- I के अनुसार भूमितल क्षेत्र के यथानुपात आधार पर प्रभारों के भुगतान पर कनेक्शन जारी किया जाएगा। हवेली/भवन जिनका इन विनियमों के जारी होने से पहले कम से कम एक कनेक्शन था, को इस प्रावधान के अन्तर्गत माना जाएगा।

यदि किसी भवन संकुल/बड़े भवन में, इन विनियमों के जारी होने से पूर्व कम से कम एक कनेक्शन था और उस समय प्रयोज्य विनियमों के अनुसार अपना स्वयं का ट्रांसफार्मर अधिष्ठापित नहीं था और कनेक्शन की आवश्यकता होने पर चाहे कनेक्शन भले ही विनियम के विद्यमान व नयी आवेदित प्राक्कलित अभिकल्पित मांग उप विनियम 7.5 (झ) के अनुसार 50 केवीए से अधिक ही हो, तो स्वयं का वितरण ट्रांसफार्मर अधिष्ठापित किये जाने के लिये जोर दिये बिना विद्युतीकरण हेतु भूमितल क्षेत्र के यथानुपात आधार पर अनुसूची-I के अनुसार प्रभारों की वसूली करके दिया जायेगा। इस प्रयोजनार्थ सिस्टम का संवर्धन, यदि अपेक्षित हो, तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी स्वयं की लागत पर किया जायेगा।

तथापि, भार विस्तार के मामले में, यदि विस्तार उसी क्षेत्र में वांछित है, तो भूमितल क्षेत्र के आधार पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं किया जायेगा, परन्तु यदि भार विस्तार के लिये नया

क्षेत्र जोड़ा गया है तो नये क्षेत्र के लिये भूमितल क्षेत्र के अनुसार यथानुपात लागत कि वसूली की जायेगी।

बशर्ते कि यदि उपरोक्त भवन संकुल/ बड़े भवन के नवनिर्मित क्षेत्र की अनुमानित डिजाइन की मांग 50 केवीए से अधिक होती है या यदि पुराने भवन को ध्वस्त कर भवन का नया निर्माण किया गया है, तो स्वामी/निर्माता/विकासक/उपभोक्ताओं के समूह को भवन संकुल/बड़े भवन के भीतर उपर उप-विनियम 7.5 (झ) पर परिकल्पनानुसार उपयुक्त क्षमता का अपना स्वयं का ट्रांसफार्मर व इसके सहयुक्त उपकरण अधिष्ठापित करने होंगे।

7.11 सर्विस लाइन का रखरखाव

इस के बावजूद कि सर्विस लाइन की लागत का भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया गया है, उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए भाग सहित सर्विस लाइन के सभी अधिकार अनुज्ञप्तिधारी में निहित होंगे और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी लागत पर रखरखाव किया जायेगा। इस संबंध में उपभोक्ता की आवश्यक सहायता करनी चाहिये। अनुज्ञप्तिधारी को पूर्वोक्त सर्विस लाइन का इष्टतम रूप से उपयोग करने का अधिकार होगा, अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक उपकरणों के अलावा अन्य उपकरण रख सकता है और किसी भी अन्य उपभोक्ता के परिसर में अधिष्ठापित उपकरण के साथ कनेक्ट करने की दृष्टि से उपभोक्ता की संपत्ति में भूमि के ऊपर और भूमिगत फीडर रख सकता है बशर्ते उपभोक्ता की आपूर्ति की गुणवत्ता प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। ऐसे काम के लिए उपभोक्ता सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा।

बशर्ते कि एक समर्पित फीडर जो अनुज्ञप्तिधारी के सबस्टेशन से उपभोक्ता के परिसर तक निर्गत होता है और इसकी पूरी लागत उपभोक्ता द्वारा वहन की गई है, कनेक्शन जारी होने की तारीख से पहले दो साल के लिए दूसरे कनेक्शन को जारी करने के लिए जब तक उपभोक्ता जिसने लागत वहन की है, अपनी सहमति नहीं देता है, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा टैप नहीं किया जाएगा।

7.12 आवेदन वापस लेना

क) यदि कोई व्यक्ति कनेक्शन के लिए आवेदन करने के पश्चात, अपना आवेदन वापस लेता है या आपूर्ति लेने से इंकार करता है तो आवेदन शुल्क का समपहरण/जब्त किया जाएगा, लेकिन प्रतिभूति की धन राशि वापस की जाएगी जबकि लाइन लागत और संयंत्र की लागत के लिए आवेदक द्वारा जमा की गई राशि को निम्नानुसार वापस किया जाएगा:

i.	उस समय तक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कार्य निष्पादन शुरू नहीं किया गया है	पूर्ण राशि
ii.	यदि सर्विस लाइन या वितरण मेन्स के विस्तार सहित शुरू किया गया है	50 प्रतिशत राशि (अनुज्ञप्तिधारी द्वारा काम को विखण्डित किया जा सकता है)

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वापसी/इनकार पत्र प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर धन राशि की वापसी की जाएगी, इसके उपरान्त बैंक दर पर ब्याज देय होगा।

ख) उपरोक्त उप-विनियम (क) के प्रावधान निरस्त/अस्वीकृत आवेदन के लिए भी लागू होंगे।

7.13 आपूर्ति लेने के लिए आवेदक की ओर से विलंब

क) जहां अनुज्ञप्तिधारी ने आवेदक को विद्युत की आपूर्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्य पूरा कर लिया है, परन्तु आपूर्ति प्राप्त करने के लिए आवेदक का अधिष्ठापन तैयार नहीं है, तो अनुज्ञप्तिधारी सूचना की तामील के साठ दिनों के भीतर आपूर्ति लेने के लिए आवेदक को सूचना (नोटिस) भेजेगा।

ख) यदि, सूचना की तामील के पश्चात, आवेदक कनेक्शन लेने में विफल रहता है, तो अनुज्ञप्तिधारी नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद आवेदक के कनेक्शन लेने तक संपूरित महीनों के लिए उपभोक्ताओं की प्रासंगिक श्रेणी के लिए आयोग द्वारा यथा निर्धारित न्यूनतम/स्थायी प्रभारों की वसूली कर सकता है। तथापि, ऐसी वसूली अधिकतम 12 महीनों तक के लिये ही सीमित रहेगी।

ग) 12 महीने की समाप्ति के पश्चात, आवेदन निरस्त हो जाएगा और वसूली योग्य न्यूनतम/स्थायी प्रभारों के समायोजन के पश्चात उप-विनियम 7.12(क) के प्रावधानों के अनुसार धनराशि वापसी की जाएगी।

7.14 निर्धारित समय में शिथिलता

अनुज्ञप्तिधारी के लिये कतिपय गतिविधियों को पूरा करने के लिये अध्याय-6 एवं अध्याय-7 में निर्दिष्ट समयावधि शिथिल रहेगी यदि अनुज्ञप्तिधारी को अपरिहार्य घटना जैसे भूकम्प,

बाढ़, चक्रवात, तूफान, आदि या विधि की किसी कार्यवाही अथवा लाइन खींचने के लिये मार्गाधिकार उपलब्ध न होने या सब-स्टेशन अधिष्ठापित करने के लिये स्थान उपलब्ध न होने जैसे इसके नियन्त्रण से बाहर के कारणों से, कार्यों के निष्पादन में रुकावट आती है।

7.15 आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर विद्युत की आपूर्ति में विफलता के मामले में जुर्माना

यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर बिजली की आपूर्ति करने में विफल रहता है, तो वह अर्थदंड के लिये उत्तरदायी होगा, जो उन मामलों को छोड़कर जहां देरी कारण वितरण अनुज्ञप्तिधारी के उचित नियंत्रण से परे है, विफलता के प्रत्येक दिन के लिये 500 रुपये से अधिक नहीं होगा।

अध्याय-8

प्रतिभूति

8.1 अन्तरिम प्रतिभूति

अनुज्ञप्तिधारी को धन के भुगतान के लिए प्रतिभूति की अन्तरिम राशि जो अध्याय -6 के अधीन विद्युत की आपूर्ति के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को आपूर्ति की गई विद्युत के संबंध में उसको देय हो सकती है, निम्न होगी:

क) घरेलू, अघरेलू और सार्वजनिक पथ प्रकाश उपभोक्ताओं द्वारा आवेदित सम्बद्ध भार के क्रमशः 250 रु./किवा, 500 रु./किवा और 750 रु./किवा के आधार पर गणना की गयी राशि के समतुल्य

ख) कृषि और अन्य उपभोक्ताओं के लिए दो माह के स्थायी प्रभारों के समतुल्य।

बशर्ते कि औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए जो पाक्षिक बिलिंग का विकल्प चुनते हैं, प्रतिभूति की अन्तरिम राशि डेढ़ माह के स्थायी प्रभारों के समतुल्य होगी।

बशर्ते यह भी कि बड़े औद्योगिक उपभोक्ता विशेष पाक्षिक बिलिंग का विकल्प चुन रहे हों और अनुज्ञप्तिधारी के साथ इस आशय का पूरक अनुबंध कर रहे हो कि विच्छेदन से पहले किसी भी सूचना की तामील की आवश्यकता के बिना उपभोक्ता हर महीने एक निश्चित तारीख को मुख्य और पाक्षिक बिलों का भुगतान करेगा, तो एक माह के उपभोग प्रभारों के समतुल्य प्रतिभूति का भुगतान करना अपेक्षित होगा।

बशर्ते यह भी कि परिसर के मालिक के अतिरिक्त किसी अन्य उपभोक्ता की अन्तरिम प्रतिभूति की राशि इस उप-विनियम में निर्दिष्ट राशि से दो गुनी होगी।

8.2 अंतिम प्रतिभूति

क) शुरु में जमा की गई अन्तरिम प्रतिभूति की, आपूर्ति शुरु होने के पश्चात सामान्य रूप से 2 महीने और पाक्षिक बिलिंग के मामले में 1.5 या 1 महीने, जैसी भी स्थिति हो, के समतुल्य उपभोग के आधार पर पहले बारह महीनों के औसत मासिक उपभोग के आधार पर समीक्षा की जाएगी और उप-विनियम 8.1 के अधीन दी गयी प्रतिभूति से कमी को, यदि कोई हो, तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को जमा कराने के लिये सूचित किया जायेगा।

ख) मौसमी उद्योगों के मामले में, प्रतिभूति की राशि मौसम की अवधि के दौरान दो महीने की औसत बिलिंग के समतुल्य होगी।

ग) मालिक के अलावा किसी अन्य उपभोक्ता से प्रतिभूति:

परिसर के मालिक के अतिरिक्त किसी अन्य उपभोक्ता की प्रतिभूति की राशि इस उप-विनियम में उल्लिखित राशि से दोगुनी होगी।

8.3 प्रतिभूति का अन्तरण:

(क) यदि कोई उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी को, नोटरी पब्लिक से विधिवत् सत्यांकित, इस आशय की लिखित सहमति देता है कि अनुज्ञप्तिधारी के पास उसके नाम से प्रतिभूति निक्षेप की राशि कनेक्शन का अन्तरण चाहने वाले नये उपभोक्ता के नाम व खातों में स्थानान्तरित कर दी जाये, तो उसे अनुज्ञात किया जायेगा।

(ख) विधिक वारिस होने की दशा में कनेक्शन का अन्तरण अनुमत किया जायेगा और अनुज्ञप्तिधारी के पास उपलब्ध नकद प्रतिभूति अन्तरिती अर्थात् कनेक्शन के अन्तरण हेतु आवेदन करने वाले विधिक वारिस के नाम अन्तरित कर दी जायेगी।

- (ग) जहां कोई विद्यमान उपभोक्ता कनेक्शनों के एकीकरण के लिये आवेदन करता है, तो अनुज्ञप्तिधारी के पास विभिन्न कनेक्शनों के प्रति उपलब्ध प्रतिभूति को नवीन एकीकृत खातों में समायोजित किया जा सकता है।

8.4 प्रतिभूति राशि की वार्षिक समीक्षा

- क) अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में उपभोक्ता की प्रयोज्य अवधि हेतु वास्तविक औसत उपभोग को सम्मिलित करने के लिए पूर्ववर्ती बारह महीनों के लिए विद्युत की उसकी औसत वास्तविक उपभोग के आधार पर उससे अपेक्षित प्रतिभूति की समीक्षा कर सकता है और उपभोक्ता को सूचित कर सकता है।

- ख) अतिरिक्त प्रतिभूति

यदि वार्षिक समीक्षा के आधार पर, उपभोक्ता द्वारा दी गई प्रतिभूति को पाया जाता है कि अपर्याप्त हो गयी है और इस प्रकार से परिकलित राशि एवं अनुज्ञप्तिधारी के पास पहले से जमा की गई प्रतिभूति के बीच का अंतर 500 रु. या मौजूदा प्रतिभूति का 10% जो भी अधिक हो, से अधिक है, तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को सूचना कि तामील के 30 दिनों के भीतर शेष राशि जमा करने के लिए नोटिस दे सकता है।

- ग) अतिरिक्त प्रतिभूति का समायोजन

यदि, उपभोक्ता द्वारा दी गई प्रतिभूति अधिक पाई जाती है और इस प्रकार से परिकलित राशि एवं अनुज्ञप्तिधारी के पास जमा करायी गयी प्रतिभूति के बीच का अंतर 500 रु. या मौजूदा प्रतिभूति का 10%, जो भी अधिक हो, से अधिक है, तो अनुज्ञप्तिधारी जारी किए गए बिलों के माध्यम से या अन्यथा, समायोजन द्वारा उपभोक्ता को अधिक से अधिक सितंबर के अंत तक अतिरिक्त प्रतिभूति राशि वापस करेगा, इसके पश्चात अनुज्ञप्तिधारी अप्रदत्त प्रतिभूति राशि पर वर्ष की पहली अक्टूबर से बैंक दर से अधिक 2% प्रति वर्ष ब्याज का भुगतान करेगा।

8.5 पूर्व-प्रदत्त(प्री-पेड) मीटर के माध्यम से आपूर्ति

यदि किसी व्यक्ति को आपूर्ति पूर्व-प्रदत्त(प्री-पेड) मीटर के माध्यम से की जाती है तो उप-विनियम 8.1 और 8.2 के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी किसी भी प्रतिभूति का हकदार नहीं होगा।

8.6 विद्युत मीटर के लिए प्रतिभूति

उपभोक्ता के पास सीईए (मीटरिंग) विनियम, 2006 और उसके संशोधनों के अनुसार अपना स्वयं का मीटर प्रदान करने का विकल्प है। मीटर के संबंध में प्रतिभूति राशि, जब अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदान किया जाता है, प्रभारों की अनुसूची (अनुसूची-I) में यथा उल्लिखित होगी।

8.7 प्रतिभूति जमा पर ब्याज का भुगतान

(क) अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता की प्रतिभूति निक्षेप पर जिस वित्तीय वर्ष के लिये ब्याज देय है, के 1 अप्रैल को प्रचलित बैंक दर पर ब्याज देगा तथा प्रतिभूति निक्षेप पर देय ब्याज की राशि को निकटतम रुपये तक पूर्णांकित किया जायेगा।

(ख) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रतिभूति निक्षेप पर प्रोद्भूत ब्याज, उपभोक्ता के खाते में पश्चात्पूर्व वित्तीय वर्ष के जुलाई के अंत तक क्रेडिट किया जाकर उपभोग प्रभारों के प्रति समायोजित किया जायेगा, जिसमें विफल रहने पर ब्याज की अदत्त राशि पर भी 1 अगस्त से बैंक दर पर ब्याज संदेय होगा। यदि कनेक्शन किसी भी समय स्थायी रूप से विच्छेदित कर दिया जाता है, तो फिर निपटारे की तिथि पर प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज को ध्यान में रखते हुये खाते का निपटारा किया जायेगा।

(ग) अनुज्ञप्तिधारी के पास उपलब्ध निक्षेपों तथा उस पर ब्याज की विस्तृतियां उपभोक्ता को, उस माह के बिल, जिसमें ब्याज समायोजित किया गया है, के साथ उपलब्ध करवायी जायेगी।

(घ) वर्ष के दौरान संगृहित प्रतिभूति निक्षेप के लिये, प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज का परिकलन प्रतिभूति निक्षेप संगृहित किये जाने के माह के अगले माहों के लिये किया जायेगा।

(ड.) नयी अधिष्ठापनाओं के सम्बन्ध में प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज का परिकलन, अधिष्ठापन को सेवा प्रदान किये जाने के माह के अगले माहों के लिये किया जायेगा।

(च) प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज, जब तक यह वापिस की जाती है या देयताओं के प्रति इसके समायोजन किये जाने तक ग्राह्य होगा। प्रतिभूति राशि के समायोजन के पश्चात्, विलम्ब से भुगतान पर अधिभार/विलम्बित भुगतान अधिभार केवल समायोजित न किये

गये शेष, यदि कोई है, पर प्रोद्धभूत होगा। तथापि जहां प्रतिभूति राशि अभी भी शेष रहती है, तो इस पर ब्याज संदेय होगा।

(छ) किसी अस्थाई कनेक्शन के मामले में अग्रिम उपभोग प्रभारों पर कोई ब्याज संदेय नहीं होगा।

8.8 प्रतिभूति का भुगतान करने में विफलता

अनुज्ञप्तिधारी, यदि वह उचित समझता है, तो उस व्यक्ति को जो उप-विनियम 8.1 के अधीन प्रतिभूति देने में विफल रहता है, विद्युत की आपूर्ति देने से इनकार कर सकता है या उस व्यक्ति को जो उप-विनियम 8.4(ख) के अधीन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो विफलता जारी रहने की अवधि के दौरान विद्युत की आपूर्ति को विच्छेदित कर सकता है। अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करने में विफलता के लिए विद्युत की आपूर्ति बंद करने से पहले, अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को पंद्रह दिन का एक नोटिस देगा।

8.9 प्रतिभूति की वापसी

अनुज्ञप्तिधारी विद्युत की आपूर्ति के स्थायी विच्छेदन पर धनवापसी से पहले बकाया राशि और एलपीएस/डीपीएस की वसूली/समायोजन के पश्चात विच्छेदन के सात दिनों के भीतर, वापस करेगा। इस प्रयोजनार्थ, जारी किए गए पिछले बिल पर इंगित राशि प्रतिभूति जमा राशि के पर्याप्त प्रमाण के रूप में मानी जायेगी और कोई अतिरिक्त प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। यदि उपभोक्ता द्वारा ऐसी अनुरोध किया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी अदेयता प्रमाण-पत्र भी जारी करेगा।

अध्याय-9

मीटर

9.1 सही मीटर के माध्यम से आपूर्ति

क) विद्युत की सभी आपूर्ति आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों/प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में बनाए गए विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार सही मीटर के अधिष्ठापन के

माध्यम से होगी। यदि अपेक्षित हो, तो अनुज्ञप्तिधारी सीईए (मीटरिंग) विनियम, 2006 एवं उसके संशोधनों के अनुसार उपयुक्त संचार सुविधा के साथ पूर्व-प्रदत्त मीटर/ स्वचालित मीटर पठन (एएमआर)/स्मार्ट मीटर (मीटरों)/ स्मार्ट पूर्व-प्रदत्त मीटरों को अधिष्ठापित कर सकता है।

बशर्ते कि उन कृषि उपभोक्ताओं को जिनको इन विनियमों के लागू होने की तिथि पर मीटर के माध्यम से न हो कर अन्यथा विद्युत की आपूर्ति की जा रही है विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 55[1] के अधीन आयोग द्वारा अधिसूचित अवधि के भीतर समयबद्ध तरीके से मीटरीत-आपूर्ति की श्रेणी में परिवर्तित किया जायेगा।

ख) नये कनेक्शन को चाहने के समय पर, उपभोक्ता के पास निम्न विकल्प होंगे-

(i) मीटर, एमसीबी या सीबी और सहयोगी उपकरण स्वयं क्रय करे; या

(ii) लागू प्रतिभूति/प्रभारों के भुगतान पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मीटर, एमसीबी या सीबी और सहयोगी उपकरण की आपूर्ति के लिये निवेदन करें।

बशर्ते यह कि जहां उपभोक्ता उसके स्वयं का मीटर लेने का विकल्प करता है, मीटर परीक्षण, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मुहरबन्दी एवं विनियमों के अन्य प्रावधानों के अध्यधीन होगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ताओं को क्रय करने के लिये अनुमोदित मीटर निर्माताओं के परीक्षित एवं मोहरबंद मीटर उपलब्ध हैं और जहां से उपभोक्ता क्रय कर सकते हैं उन स्थानों की सूचना अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गयी है।

9.2 भूतल पर मीटर

प्रत्येक मामले में मीटरिंग केवल भूतल पर ही प्रदान की जायेगी। मीटरिंग उपकरण अधिमानतः परिसर के प्रवेश के निकट या समीपस्थ खम्भे/पिलर बॉक्स पर होंगे तथा आसानी से अभिगम्य होंगे।

अनुज्ञप्तिधारी, यदि वह ऐसा चाहे, तो मौजूदा मीटर को उपभोक्ता से बिना किसी लागत वसूली के परिसर के बाहर एक उपयुक्त स्थान पर या खम्भे पर अंदर से बाहर लाने की अनुमति दी जाएगी।

9.3 अस्थायी कनेक्शन के लिए मीटर

अस्थायी कनेक्शन के लिए विद्युत की आपूर्ति जहां व्यवहार्य हो अधिमानतः पूर्व-प्रदत्त(प्री-पेड) मीटर के माध्यम से की जाएगी।

उपभोक्ताओं के कर्तव्य

- 9.4 उपभोक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह उसकी अधिष्ठापना/परिसर में अधिष्ठापित मीटर तथा मीटरिंग उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
- 9.5 अनुज्ञप्तिधारी, जहां कहीं आवश्यक समझे सामान्यतः लगायी जाने वाली के अतिरिक्त सीलें लगा सकता है, जिसकी उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि द्वारा अभिस्वीकृति दी जायेगी।
- 9.6 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियत-कालिक निरीक्षण/परीक्षण के दौरान, निरीक्षण/परीक्षण के प्रयोजनार्थ सीलों को तोड़ा जाना हो, तो उन्हें उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में पुनः सील किया जायेगा, जिसकी उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि द्वारा अभिस्वीकृति दी जायेगी। अनुज्ञप्तिधारी के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा तोड़ी गयी व पुनः लगायी गयी सीलों की विस्तृतियां देते हुये पृष्ठांकन उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि को किया जायेगा।
- 9.7 उपभोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि लगाये गये उपकरण तथा सील क्षतिग्रस्त नहीं है/सीलों के साथ छेड़छाड़ नहीं की गयी है।

9.8 मीटर का पठन

- क) उपभोक्ता को आपूर्ति में निहित विद्युत मात्रा या आपूर्ति की गई विद्युत की मात्रा को अभिनिश्चित करने के लिए मीटर के पठन/निरीक्षण के प्रयोजनार्थ अनुज्ञप्तिधारी की ओर से, मीटर रीडर या इस सम्बन्ध में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की दिन के दौरान हर समय उपभोक्ता के परिसर तक पहुंच होगी।
- ख) प्रत्येक माह या आयोग की पूर्व स्वीकृति से फोर्स मेज्योर शर्तों के अधीन के सिवाय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यथा नियत किये गये अंतराल पर मीटर का पठन किया जायेगा। स्मार्ट मीटरों के मामले में, मीटरों का प्रत्येक महीने कम से कम एक बार परोक्ष रूप से पठन किया जायेगा और अन्य पूर्व-प्रदत्त मीटरों के मामले में, मीटरों का प्रत्येक तीन महीने में कम से कम एक बार वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा पठन किया जायेगा।

ग) यदि मीटर का प्रदर्शन (डिस्प्ले) पठनीय नहीं है, तो मीटर के पठन के प्रयोजनार्थ अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति तत्काल पृथक से उपखण्डाधिकारी को प्रदर्शन में पाये गये दोष सूचित करेगा तथा अधिकारी तदनुसार कार्यवाही करेगा। ऐसे मामलों में, अनुज्ञप्तिधारी मीटर का पठन/ डैटा हस्तधारित अन्तस्थ (एचएचटी)/ मीटर पठन यन्त्र (एमआरआई) के माध्यम से या जहां कहीं साध्य हो, किसी अन्य प्रौद्योगिकी से लेगा। एचएचटी/एमआरआई के माध्यम से या किसी अन्य प्रौद्योगिकी से इस तरह पुनर्प्राप्त पठन/डैटा बिलिंग के प्रयोजन से वैध होंगे। इस तरह से पुनःप्राप्त रीडिंग/डाटा को उपभोक्ता को सूचित किया जायेगा और अनुज्ञप्तिधारी तुरंत मीटर बदलेगा।

घ) पेपर बिल/ एस एम एस/ ई-मेल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से बिल प्राप्त न होने की दशा में, उपभोक्ता बिल के पिछले 4 माह की औसत राशि के आधार पर भुगतान कर सकता है। उपभोक्ता द्वारा किये गये अधिक/कम भुगतान का समायोजन अगले बिल में किया जायेगा।

ड.) ऐसे मामले में, यदि उपभोक्ता मीटर रीडिंग (गों) को स्वयं अनुज्ञप्तिधारी के कॉल सेंटर या संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करता है, उस बिलिंग चक्र (क्रों) के लिये बिलिंग, अगले बिलिंग चक्र में समायोजन के अधीन, उस/उन रीडिंग के आधार पर की जायेगी:

बशर्ते कि यह सुनिश्चित करने के लिये कि मीटर रीडिंग को वास्तविक समय के आधार पर लिया गया है और रीडिंग विवरण स्पष्ट रूप से दिखाई/पढ़ने योग्य हैं, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विकसित एप्लिकेशन का उपयोग करके मीटर की रीडिंग और मीटर रीडिंग की तारीख का संकेत देते हुये उपभोक्ता ई-मेल/व्हाट्स ऐप से माध्यम से मीटर की तस्वीर भेजेगा।

च) स्मार्ट मीटरों साथ ही पूर्व-प्रदत्त मीटरों के मामले में, उपभोक्ता द्वारा जैसा भी अपेक्षित हो, अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ताओं को डाटा एक्सेस उपलब्ध करायेगा।

9.9 मीटर की अगम्यता (दुर्गमता)

क) यदि रीडिंग लेते समय, उपभोक्ता का परिसर बंद पाया जाता है या मीटर अन्यथा पहुंच से बाहर है, तो अनुज्ञप्तिधारी पिछले चार महीनों के औसत उपभोग के आधार पर विद्युत की आपूर्ति के लिए प्रभारों की वसूली कर सकता है।

बशर्ते कि अगर मीटर दो मीटर रीडिंग की दिनांक पर मीटर रीडर की पहुंच से बाहर है तो उपभोक्ता के पास पंजीकृत मोबाइल या ई-इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मीटर रीडिंग और मीटर रीडिंग की दिनांक दर्शाते हुये मीटर की तस्वीर भेजने का विकल्प होगा। ऐसे मामले में, वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को कोई भी नोटिस या अनन्तिम बिल नहीं भेज सकता है।

ख) यदि अगले बिलिंग चक्र में भी मीटर पहुंच से बाहर/अप्राप्य रहता है, तो मीटर के पठन की सुविधा के लिए अनुज्ञप्तिधारी नोटिस दे सकता है जो पंद्रह दिनों से कम का नहीं हो। यदि उपभोक्ता नोटिस का पालन करने में विफल रहता है तो अनुज्ञप्तिधारी तब तक की राशि वसूलने से प्रभावित न हो कर विद्युत की आपूर्ति बंद कर सकता है।

ग) जिस अवधि के लिए मीटर मीटर पहुंच से बाहर/अप्राप्य रहता है, तो अनुज्ञप्तिधारी आपूर्ति की गई विद्युत के लिए पिछले चार महीनों के औसत के आधार पर शुल्क ले सकता है। रीडिंग के लिए मीटर सुलभ होने पर, अनुज्ञप्तिधारी विद्युत के वास्तविक उपभोग के आधार पर शुल्क वसूल सकता है और पहले से ही औसत आधार पर प्राप्त राशि को समायोजित कर सकता है।

9.10 बन्द/दोषपूर्ण/जले हुए, खोए या चुराये हुए मीटर के मामले में मूल्यांकन

क) यदि किसी भी कारण से मीटर काम करना बंद कर देता है, या मीटर चोरी हो जाता है या खो जाता है या जल जाता है, तो जिस अवधि में विद्युत का उपभोग किया गया है, उसके लिए विद्युत के उपभोग की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

i. मौसमी औद्योगिक और कृषि उपभोक्ताओं के अतिरिक्त सभी उपभोक्ता।

पिछले वर्ष की इसी अवधि के लिए विद्युत के उपभोग के समान या पिछले 12 महीनों का औसत उपभोग, जो कोई उच्चतर हो, निर्धारित होगा।

ii. मौसमी औद्योगिक उपभोक्ता।

पूर्ववर्ती मौसम या गैर-मौसम, जैसी भी स्थिति हो, की इसी अवधि के लिए विद्युत के उपभोग के समान निर्धारित होगा ।

iii. कृषि उपभोक्ता।

विद्युत के उपभोग को सम्बद्ध भार के आधार पर निम्न प्रकार निर्धारित किया जायेगा:

(क) ग्रामीण क्षेत्र:

अक्टूबर से अप्रैल के बिलिंग महीनों के लिए: 6 यूनिट/एचपी/दिन

मई से सितंबर के बिलिंग महीनों के लिए: 4 यूनिट/एचपी/दिन

(ख) शहरी क्षेत्र:

अक्टूबर से अप्रैल के बिलिंग महीनों के लिए: 12 यूनिट/एचपी/दिन

मई से सितंबर के बिलिंग महीनों के लिए: 8 यूनिट/एचपी/दिन

बशर्ते कि जब तक विद्युत की आपूर्ति के लिए टैरिफ, कृषि उपभोक्ताओं के लिए फ्लैट रेट टैरिफ निर्दिष्ट करती है, विद्युत के उपभोग को संबंधित फ्लैट रेट कृषि उपभोक्ताओं के लिए लागू दरों पर प्रभारित किया जायेगा।

(ख) कृषि उपभोक्ताओं के अतिरिक्त अन्य मामलों में, पिछले सभी 12 महीने की अवधि के विद्युत उपभोग के अभिलेख की अनुपलब्धता की दशा में उपभोक्ता की अनन्तिम रूप से, जिस अवधि का भी उपभोग उपलब्ध है के, औसत उपभोग के आधार पर बिलिंग की जायेगी। तथापि, पिछली अवधि के उपभोग अभिलेख की अनुपलब्धता की दशा में उपभोक्ता की अनन्तिम रूप से, घरेलू श्रेणी के मामले में 8 घण्टे प्रतिदिन उपभोग मानते हुये 25 प्रतिशत भार घटक के आधार पर तथा अन्य सभी श्रेणियों के लिये 8 घण्टे प्रतिदिन उपभोग मानते हुये 50 प्रतिशत भार घटक के आधार पर बिलिंग की जायेगी तथा निर्धारण की, सही मीटर की अधिष्ठापना के बाद अनुगामी छः महीने की अवधि के औसत उपभोग के आधार पर, समीक्षा की जायेगी और तदनुसार प्रभारित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामले में जहां औसत का अनुगामी या पूर्ववर्ती आधार यद्यपि उपलब्ध है परन्तु संविदा मांग/सम्बद्ध भार में वृद्धि/कमी है, तो औसत संविदा मांग/सम्बद्ध भार के यथानुपात आधार पर प्रभारित किया जायेगा। इसी प्रकार मौसमी उपभोक्ताओं के मामले में, पिछली अवधि के अभिलेख की अनुपलब्धता की दशा में, निर्धारण की अनुगामी मौसम या गैर-मौसम की उपभोग अवधि के लिये सही मीटर

द्वारा पंजीकृत उपभोग के आधार पर मीटर के बन्द रहने की अवधि के लिये समीक्षा की जायेगी।

ग) किसी भी दोषपूर्ण मीटर को 2 से अधिक बिलिंग चक्र के लिए नहीं रहने दिया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी तुरंत मीटर बदलेगा।

घ) अस्थायी कनेक्शन:

अस्थायी कनेक्शन के मामले में प्रति दिन 12 घंटे के उपयोग पर 80% भार घटक पर विचार करते हुए उपभोग का आकलन किया जाएगा, यदि यह सतत् प्रक्रिया के लिए न हो तो वहां यह प्रति दिन 24 घंटे का उपयोग होगा।

9.11 त्रुटिपूर्ण मीटर

क) यदि अनुज्ञप्तिधारी को संदेह है कि मीटर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो परीक्षण की तारीख को इंगित करते हुए 15 दिनों का नोटिस उपभोक्ता को दिया जाएगा। मीटर की शुद्धता का परीक्षण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा साइट पर या उपभोक्ता की उपस्थिति में अपनी परीक्षण प्रयोगशाला में किया जाएगा। यदि उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है, वह आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामित किसी अन्य प्रयोगशालाओं में परीक्षण करवा सकता है। यद्यपि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी प्रयोगशाला में परीक्षण किया गया हो परन्तु उपभोक्ता द्वारा अन्य प्रयोगशाला के लिए परीक्षण प्रभारों के जमा कराने पर अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता की पसंद की प्रयोगशाला में परीक्षण की व्यवस्था करेगा। यदि अनुज्ञप्तिधारी की प्रयोगशाला के अतिरिक्त अन्य प्रयोगशाला द्वारा परीक्षण के दौरान मीटर त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तब अन्य प्रयोगशाला के परीक्षण प्रभार वापस नहीं होंगे। यदि मीटर अन्य प्रयोगशाला परीक्षण में सही पाया जाता है, तो उपभोक्ता द्वारा जमा कराये गए परीक्षण प्रभार उत्तरवर्ती ऊर्जा बिलों के माध्यम से वापस किए जाएंगे। प्रयोज्य परीक्षण के परिणाम के बारे में अनुज्ञप्तिधारी और उपभोक्ता के बीच विवाद की स्थिति में, अन्य परीक्षण प्रयोगशाला (एनएबीएल द्वारा अधिकृत) के परीक्षण परिणाम दोनों पर बाध्यकारी होंगे।

ख) यदि उपभोक्ता को संदेह है कि मीटर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उपभोक्ता द्वारा मीटर के परीक्षण के लिये अनुज्ञप्तिधारी को 15 दिनों की सूचना दी जायेगी। उपभोक्ता पर आरोप्य कारणों के कारण मीटर खराब होने पर रिपोर्टिंग के समय उपभोक्ता से कोई

परीक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा, उपभोक्ता नये मीटर की लागत/ प्रतिभूति वहन करेगा और बाद के बिलों के माध्यम से परीक्षण शुल्क उपभोक्ता से वसूला जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी परीक्षण के लिये निवेदन की प्राप्ति से 15 दिनों के भीतर परीक्षण की व्यवस्था करेगा।

- ग) उप-विनियम 9.11(ख) के अधीन उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी की प्रयोगशाला के परीक्षण-परिणाम को भी चुनौती दे सकते हैं और अपेक्षित शुल्क को जमा कराने के पश्चात पेनल में सम्मिलित किसी भी प्रयोगशाला से मीटर/मीटरिंग उपकरणों के परीक्षण के लिए अनुरोध कर सकते हैं। अनुज्ञप्तिधारी परीक्षण फीस के जमा होने के 15 दिनों के भीतर पेनल में सम्मिलित प्रयोगशाला से परीक्षण की व्यवस्था करेगा। पेनल में सम्मिलित परीक्षण प्रयोगशाला का परिणाम अंतिम होगा। यदि उपभोक्ता ने अनुज्ञप्तिधारी के परीक्षण-परिणाम को चुनौती दी है, जब अनुज्ञप्तिधारी की प्रयोगशाला में मीटर सही पाया गया है और अगर पेनल में सम्मिलित प्रयोगशाला में मीटर को त्रुटिपूर्ण घोषित किया जाता है तब पेनल में सम्मिलित प्रयोगशाला का परीक्षण शुल्क अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन किया जाएगा। यदि उपभोक्ता ने अनुज्ञप्तिधारी के परीक्षण-परिणाम को चुनौती दी है, जब अनुज्ञप्तिधारी की प्रयोगशाला में मीटर त्रुटिपूर्ण पाया गया है और तब पेनल में सम्मिलित प्रयोगशाला का परीक्षण शुल्क उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा।
- घ) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में आयोग की पूर्व स्वीकृति से अनुज्ञप्तिधारी एनएबीएल द्वारा अधिकृत मीटर परीक्षण प्रयोगशालाओं की एक सूची प्रकाशित करेगा। सूची, अनुज्ञप्तिधारी के विभिन्न कार्यालयों और अनुज्ञप्तिधारी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी।
- ड) यदि मीटर उपभोक्ता के स्वामित्व में है और परीक्षण में सही पाया गया है, तो अनुज्ञप्तिधारी का दायित्व होगा कि वह उपभोक्ता द्वारा वांछित होने पर फिर से उसी मीटर को स्थापित करे।
- च) मीटर के त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में, परीक्षण के लिए मीटर हटाने के दो (2) महीनों के भीतर उपभोक्ता को उपभोग निर्धारण सूचित किया जाएगा और उपभोक्ता से वसूल की गई अतिरिक्त राशि को उत्तरवर्ती दो बिलों में समायोजित किया जाएगा। जहां उपभोक्ता से अतिरिक्त राशि वसूली जानी है, इसकी भी उत्तरवर्ती दो बिलों में वसूली की जा सकती है।

- (छ) उप-विनियम 9.11(च) के अन्तर्गत, पिछले मीटर परीक्षण से मीटर के परीक्षण हेतु या स्थल पर परीक्षण हेतु हटाये जाने या प्रतिस्थापित किये जाने की तिथि तक की अवधि के लिये अधिक या कम राशि समायोजित या वसूल की जा सकती है, परन्तु किसी भी दशा में यह अवधि द्वि मासिक बिलिंग के मामले में छः महीने एवं मासिक बिलिंग के मामलों में 3 महीने से अधिक नहीं होगी।

बशर्ते कि जहां त्रुटिपूर्णता का पता एमआरआई या प्रयोगशाला में, परीक्षण के माध्यम से चलता है और उसकी विस्तृतियां अनुज्ञप्तिधारी के पास उपलब्ध हैं, तो निर्धारण उस पूरी अवधि के लिये किया जायेगा, जिसमें मीटर एमआरआई रिपोर्ट/प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार त्रुटिपूर्ण रहा था और ऐसी रिपोर्टों की प्रतिलिपियां उपभोक्ता को भी उपलब्ध करवायी जायेगी।

9.12 मीटर का प्रतिस्थापन

- क) किसी मीटर के बन्द/दोषपूर्ण/त्रुटिपूर्ण होने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी इसकी जाँच कर इसे इसकी लागत पर बदलेगा। जला हुआ मीटर के मामले में मीटर के प्रति निक्षिप्त प्रतिभूति जब्त कर ली जायेगी और मीटर के प्रतिस्थापन के लिये नयी प्रतिभूति जमा करानी होगी। उपभोक्ता पर आरोप्य कारणों के कारण दोषपूर्ण मीटर के मामले में, उपभोक्ता से आवश्यक प्रभार वसूल किये जायेंगे। यदि प्रतिस्थापन के लिये मीटर उपभोक्ता द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है, तो ऐसा प्रभारों की अनुसूची (अनुसूची-I) के अनुसार उत्तरवर्ती बिल के माध्यम से परीक्षण प्रभार वसूल करने के बाद, किया जायेगा। बशर्ते कि, यदि यह प्रमाणित किया जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी पर आरोप्य कारणों से मीटर जला है तो अनुज्ञप्तिधारी अपनी लागत पर मीटर का निरीक्षण और प्रतिस्थापन करेगा।
- ख) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घंटे के भीतर मीटर का प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा। मीटर की अनुपलब्धता आपूर्ति की बहाली में देरी का कारण नहीं होगी। यदि उपभोक्ता द्वारा सूचना नहीं देने या कोई अन्य कारण के कारण उपभोक्ता द्वारा बन्द/दोषपूर्ण मीटरिंग प्रणाली इसके पता लगने के या उपभोक्ता द्वारा सूचना देने की तिथि के दो महीने की अवधि के भीतर प्रतिस्थापित नहीं होती है, तो दोष पता लगने से मीटर के प्रतिस्थापन होने तक उप-विनियम 9.10 के अधीन तैयार किए गए उपभोक्ता के कुल बिल पर विद्युत शुल्क को छोड़कर 5% की छूट, मासिक/पाक्षिक बिलिंग के मामलों में तीसरे मासिक बिल से और द्वि-मासिक

बिलिंग के मामले में दूसरे बिल से, अनुज्ञात की जायेगी। तथापि, मीटर के प्रतिस्थापन में देरी के लिये उत्तरदायी अधिकारी से 5 प्रतिशत राशि की वसूली की जायेगी।

ग) यदि किसी चोरी/कदाचार के मामले का पता लगाया जाता है और मीटर की टेम्परिंग के आधार पर अधिनियम की धारा 135/126 के अधीन सतर्कता जाँच रिपोर्ट अधिमान्य है, तो ऐसे मामलों में मीटर की उपलब्ध प्रतिभूति का समपहरण कर लिया जाएगा और नई प्रतिभूति की मांग की जाएगी। यह अधिनियम की धारा 135/126 के अधीन विद्युत की चोरी/कदाचार के लिए यथा उपार्जित अन्य दायित्व से विमुक्त नहीं करेगा।

9.13 जाँच मीटर

यदि मुख्य मीटर काम करना बंद कर देता है और जाँच मीटर, जहां भी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदान किया गया है, कार्य कर रहा है, तो उप-विनियम 9.10 में किसी बात के होते हुए भी उपभोक्ता जाँच मीटर के आधार पर विद्युत प्रभार का भुगतान करेगा।

9.14 खोया हुआ मीटर

यदि उपभोक्ता के परिसर से कोई मीटर खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो उपभोक्ता ऐसे मामले की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में करेगा और उसकी विद्यमान मीटर प्रतिभूति जब्त कर ली जाएगी। नए मीटर की प्रतिभूति की अभिप्राप्ति और अधिष्ठापना के पश्चात अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आपूर्ति प्रतिस्थापित कर दी जाएगी। जहां अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मीटर खम्भे पर अधिष्ठापित है या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सड़क पर अधिष्ठापित पैनल गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी मीटर का प्रतिस्थापन अपनी लागत पर करेगा।

अध्याय-10

आपूर्ति के लिए प्रभारों की वसूली

10.1 बिलिंग अवधि

अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को प्रत्येक माह या आयोग द्वारा अनुमोदित ऐसे अंतरालों पर दिए जाने वाले बिल के आधार पर किसी उपभोक्ता को दी जाने वाली विद्युत के प्रभारों की वसूली करेगा।

10.2 बिल के साथ जानकारी

इस बिल में उपभोक्ता की श्रेणी और उसके मीटरिंग का प्रकार (संपूर्ण करण्ट मीटर, सीटी संचालित मीटर, त्रि-वेक्टर मीटर आदि), अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी होगी:

क) स्पष्ट शब्दों में उपभोक्ता की श्रेणी

- ख) मीटर रीडिंग की दिनांक
- ग) पूर्ववर्ती मीटर रीडिंग
- घ) वर्तमान मीटर रीडिंग
- ङ) बिल जारी करने की दिनांक,
- च) भुगतान की नियत दिनांक,
- छ) निश्चित शुल्क,
- ज) ऊर्जा प्रभार
- झ) न्यूनतम बिलिंग राशि, यदि कोई हो,
- ञ) विलंबित भुगतान अधिभार/देर से भुगतान पर अधिभार
- ट) ईंधन अधिभार
- ठ) मीटर का विवरण- सीटी/पीटी अनुपात, गुणक घटक
- ड) सरकारी शुल्क जैसे विद्युत शुल्क इत्यादि।
- ढ) किराये आदि,
- ण) प्रतिभूति की राशि
 - I) विद्युत के प्रति
 - II) मीटर के प्रति
- त) संबंधित सहायक अभियन्ता का पूरा पता और टेलीफोन नंबर,
- थ) शिकायत केंद्र/कॉल सेंटर का पूरा पता और टेलीफोन नंबर।
- द) उपभोक्ता का नाम, पता, मोबाइल/फोन नंबर, फैक्स नंबर, ई-मेल पता;
- ध) के. सं.
- न) मीटर परिवर्तन की दिनांक (यदि कोई हो);
- प) प्रयोज्य टैरिफ;
- फ) पूर्ण विवरण और कारण के साथ अन्य प्रभार;
- ब) पिछले एक साल की सामयिक ऊर्जा की उपभोग;
- भ) सब डिवीजन कार्यालय की बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड ।
- म) सतर्कता के लम्बित बकाया।
- य) भार घटक।

10.3 बिलों को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दस्ती या डाक या कोरियर या फैक्स या ई-मेल या एस एम एस या अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधना द्वारा भेजा जा सकता है और विभिन्न क्षेत्रों के लिए बिल जारी करने की तिथि को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए व्यापक रूप से प्रचारित किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी बिल बनाने के दिन अपने वेब पोर्टल के माध्यम से बिलों को भी उपलब्ध करायेगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी बिल राशि के विवरण और भुगतान की देय तिथि को इंगत करते हुये एसएमएस के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक्स साधनों द्वारा बिल

के प्रेषण के बारे में उपभोक्ता को तुरंत सूचित करेगा।

बशर्ते कि पूर्व-प्रदत्त मीटरों के मामले में, वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को उसके अनुरोध पर बिल जारी करेगा।

10.4 इन विनियमों की अधिसूचना के दो माह के भीतर, अनुज्ञप्तिधारी सभी उपभोक्ताओं के पंजीकृत मोबाइल नंबर अभिप्राप्त करेगा और डेटा बेस का संधारण करेगा जिसमें संचार के अन्य सभी तरीके जैसे ई-मेल आदि हो सकते हैं। भावी उपभोक्ताओं के लिये अनुज्ञप्तिधारी निरपवाद रूप से आवेदन के साथ डाटा का संग्रह करेगा। अनुज्ञप्तिधारी 25 से अधिक एचपी भार के सभी उपभोक्ताओं को ई-मेल द्वारा बिल वितरित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी सचेत (अलर्ट) करने हेतु निम्नलिखित एसएमएस भी भेजेगा-

क) बिल जारी करने, देय राशि और नियत तारीख की जानकारी

ख) सप्ताह में कम से कम दो अलर्ट जिसमें देय तिथि हो।

ग) भुगतान प्राप्ति की पावती।

10.5 उपभोक्ताओं को बिलों का वार्षिक विवरण

अनुज्ञप्तिधारी, प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर उपभोक्ता को उसके उपभोग भुगतान की तिथि तथा उसकी राशि, धारित प्रतिभूति तथा संदेय ब्याज तथा यह कब संदत्त किया गया था, अतिरिक्त प्रतिभूति यदि अपेक्षित हो तथा उसकी देय तिथि विधिवत् इंगित करते हुये लेखा विवरण पत्र की विस्तृतियां प्रस्तुत करेगा। सभी उपभोक्ताओं के लिये पिछले एक वर्ष के बिलिंग विवरण को भी अनुज्ञप्तिधारी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा।

10.6 अनुज्ञप्तिधारी को भुगतान की पद्धति

क) उपभोक्ता विद्युत आपूर्ति प्रभागों का जारी किये जाने के कार्यालय में या अधिकारिक नकद काउंटरों पर नियत तारीख को या उससे पूर्व नीचे इंगितानुसार भुगतान करेगा:

- i. विद्युत बिल के भुगतानों के सम्बन्ध में अर्थात् 10,000/- रुपये तक व सहित या आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जा सकने वाली अन्य सीमा तक मासिक विद्युत आपूर्ति प्रभागों का नकद या चैक या डिमाण्ड ड्राफ्ट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से भुगतान किया जा सकता है। अधिसूचित राशि से अधिक का भुगतान केवल चैक या डी.डी. या अन्य इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से किया जायेगा।

- ii अन्य लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत भुगतान, अर्थात् विद्युत बिल के अलावा भुगतान 10,000/- रुपये तक व सहित या आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जा सकने वाली अन्य सीमा तक नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट या अन्य इलैक्ट्रॉनिक पद्धति से भुगतान किया जा सकता है और अधिसूचित राशि से अधिक का भुगतान केवल डिमाण्ड ड्राफ्ट या अन्य इलैक्ट्रॉनिक पद्धति से किया जायेगा।
- iii अनुज्ञप्तिधारी के नकद काउंटर्स पर आये बिना बिलों के ऑनलाइन भुगतान को सक्षम करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी पर्याप्त आईटी बुनियादी ढांचे का सृजन करेगा। तथापि, ऐसी संभावित परिस्थिति में जब ऑनलाइन भुगतान संभव नहीं हो रहा हो, अनुज्ञप्तिधारी नकद काउंटर को भी बनाए रखेगा। नकद काउंटर्स में भी, अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ताओं को यथासंभव ऑनलाइन भुगतान प्रणाली का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उपभोक्ता विद्युत आपूर्ति बिलों के भुगतान ईसीएस/ डेबिट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड/ ऑन लाइन ई-पेमेण्ट के माध्यम किये जाने की सुविधा, जहां कहीं ऐसी सुविधा अनुज्ञप्तिधारी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विहित की गयी सीमा तक विद्युत आपूर्ति बिलों के भुगतान के संबंध में उपलब्ध करवा रखी है, का उपभोग कर सकता है। उपरोक्त माध्यमों से किये गये भुगतानों के लिये अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कोई अतिरिक्त लागत प्रभारित नहीं की जायेगी। यदि भुगतान डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जाता है, तो 5000/- रुपये तक के भुगतान पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कोई संव्यवहार प्रभार प्रभारित नहीं किये जायेंगे। तथापि, यदि किसी बिल की राशि 5000/- रुपये से अधिक है और भुगतान डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जाता है, तो अनुज्ञप्तिधारी डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड कम्पनी/सेवा प्रदाता को संदत्त वास्तविक प्रभारों की वसूली कर सकता है। ऑनलाइन भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिये, आयोग प्रथम आदेश द्वारा ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से भुगतान के लिये उपयुक्त प्रोत्साहन/छूट निर्दिष्ट कर सकता है।
- iv अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिकृत किये गये बैंकों के माध्यम से। (बैंक में भुगतान किये जाने की तिथि ही बिल के भुगतान की तिथि होगी।

(ख) डिमाण्ड ड्राफ्ट/चैक, बिल जारी करने वाले कार्यालय के मुख्यालय पर स्थित किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक पर आहरित अनुज्ञप्तिधारी के पक्ष में होगा और उसे बिल सहित प्रस्तुत करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट/चैक के पीछे के. नं. तथा खाता बही पन्ना इंगित किया जायेगा। भुगतान किये जाने की रसीद प्राप्त की जायेगी।

- (ग) डाक से भेजे गये चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट या धनादेश (मनी आर्डर) से भेजे गये भुगतान भी स्वीकार किये जायेंगे। उपभोक्ता डाक से भेजे गये चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के पीछे/ धनादेश के प्रपत्र के. नम्बर, खाता बही संख्या एवं पन्ना संख्या निरपेक्ष रूप से प्रस्तुत करेगा। उपभोक्ता को रसीद संगृहित करनी होगी। रसीद की अभिस्वीकृति अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एसएमएस/व्हाट्स अप के माध्यम से पंजीकृत मोबाइल नं. पर भेजी जायेगी।
- (घ) अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता से चैक सद्भावपूर्वक स्वीकार करेगा तथा बैंक से प्रापण के अध्यधीन रसीद जारी करेगा। यदि चैक की राशि प्राप्त नहीं होती है बल्कि उसे बैंक द्वारा लौटा दिया जाता है, तो इसे भुगतान न किया माना जायेगा और उपभोक्ता ब्याज एलपीएस/डीपीएस और चैक अस्वीकृत प्रभारों के उद्ग्रहण तथा उचित नोटिस के साथ विद्युतापूर्ति विच्छेदन का उत्तरदायी होगा।
- (ङ) दो बार चैक की राशि प्राप्त न होने की दशा में ऐसे उपभोक्ता से आगे कभी चैक, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुसूची-प्रथम में यथा-दर्शित चैक अनादरण शुल्क उद्ग्रहण जैसी कार्यवाही किये जाने के अलावा पराक्राम्य लिखित अधिनियम तथा अन्य दण्डिक कानून(नों) के अन्तर्गत अभियोजन शुरू करने को प्रतिकूल प्रभावित किये बिना स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- (च) जहां भुगतान नियत तिथि से पूर्व निर्धारित अवधि में प्राप्त हो जाता है तो उपभोक्ता को, आयोग द्वारा समय-समय पर टैरिफ आदेश में यथा-विनिर्दिष्ट प्रोत्साहन, उत्तरवर्ती महीनों के बिलों में, समायोजन के रूप में दिया जायेगा।
- (छ) अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को विद्युत बिल इसके जारी किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर-अन्दर परिदत्त करेगा तथा बिल का अनुज्ञप्तिधारी के सम्बन्धित कार्यालय या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से यथाधिसूचित/बिलों पर मुद्रित अन्य अधिकृत संग्रहण केन्द्रों या ऑन लाइन पर भुगतान किये जाने के लिये विद्युत बिल जारी किये जाने की तिथि से कम से कम दस दिवस की न्यूनतम अवधि अनुज्ञात करेगा।

बशर्ते कि फोर्स मेज्योर शर्तों को छोड़कर, यदि कोई बिल 60 दिनों से अधिक अवधि की देरी से परिदत्त किया जाता है तो उपभोक्ता को 2 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

- (ज) बिलिंग चक्रानुसार यदि भुगतान पाक्षिक रूप से किया जाना है, तो उपभोक्ता को दो बिल जारी किये जायेंगे। पहला बिल जारी किये जाने वाले माह के पहले पखवाड़े के दौरान किये गये उपभोग का, गत माह में किये गये उपभोग के, आधे के बराबर अनन्तिम आधार पर माह के 15वें दिवस को या उसके पश्चात् जारी किया जायेगा और इसका भुगतान बिल जारी किये जाने की तिथि से 12 दिवस के अन्दर-अन्दर संदेय होगा। दूसरा बिल पूर्ववर्ती माह के अभिलिखित किये गये उपभोग के आधार पर, प्रथम बिल के प्रति किये गये भुगतान को कम करते हुये जारी किया जायेगा। द्वितीय बिल जारी किये जाने की तिथि से 12 दिवस के अन्दर-अन्दर संदेय होगा।
- (झ) आपूरित विद्युत के प्रभारों के अतिरिक्त किसी कानून के अन्तर्गत संदेय कोई भी कर, शुल्क या अन्य उद्ग्रहण उपभोक्ता द्वारा विद्युत प्रभारों के साथ संदेय होंगे।
- (ञ) यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिष्ठापित उपकरण या आपूरित विद्युत के मासिक प्रभार महीने के किसी भाग के लिये वसूल किये जाने हैं, तो वे माह में आपूर्ति किये जाने के दिनों की संख्या के लिये यथानुपात वसूल किये जायेंगे।
- (ट) उपभोक्ता, भुगतान करते समय उसका बिल प्रस्तुत कर सकता है या उसके कनेक्शन के सभी प्रासंगिक विवरण उपलब्ध करवा सकता है। यदि उपभोक्ता ने बिल खो दिया है या अन्यथा बिल की दूसरी प्रतिलिपि मांगता है, तो उसे बिल की दूसरी प्रतिलिपि निःशुल्क उपलब्ध करवायी जायेगी। डुप्लिकेट बिल का अनुरोध उपभोक्ता सेवा केंद्र/शिकायत केंद्र पर पंजीकृत किया जा सकता है और अनुज्ञप्तिधारी डुप्लिकेट बिल को अनुरोध के 3 दिनों के भीतर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजेगा।
- (ठ) यदि कोई घरेलू उपभोक्ता लम्बी अवधि के लिये अपनी परिसर छोड़ना चाहता है तो वह उसके बारे में अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करेगा ताकि मीटर के बन्द होने के भ्रम को टाला जा सके। वह अनुज्ञप्तिधारी के पास ऐसी अवधि के लिये स्थाई प्रभारों के समान राशि उसके बिल के मासिक समायोजन के लिये जमा करवा सकता है। ऐसी अवधि के लिये स्थाई प्रभारों को जमा कराने के पश्चात्, अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को कोई नोटिस या अनन्तिम बिल नहीं भेजेगा। ऐसी अग्रिम राशि पर बैंक दर से ब्याज प्रदत्त किया जायेगा। विच्छेदन से बचने की सुविधा उपभोक्ता को दिये जाने हेतु अनुज्ञप्तिधारी ऐसी राशि स्वीकार करेगा। उपभोक्ता को कोई छूट अनुज्ञात नहीं की जायेगी। उपभोक्ता इस अवधि के लिये विद्युतापूर्ति की अनिरन्तरता करवा या नहीं भी करवा सकता है। आपूर्ति की ऐसी अनिरन्तरता को यथा विच्छेदन व्यवहार्य नहीं किया जायेगा।

(ड) उपभोक्ता द्वारा किये गये किसी भी भुगतान का समायोजन निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम में किया जायेगा:

- i विद्युत शुल्क की बकाया राशि और अन्य वैद्यनिक कर,
- ii अनुज्ञप्तिधारी की देयताओं की बकाया राशि,
- iii विलम्ब से भुगतान पर अधिभार की राशि,
- iv चालू बिल पर विद्युत शुल्क और वैद्यनिक कर राशि, तथा
- v चालू बिल पर अनुज्ञप्तिधारी की देयताओं की मूल राशि।

(ढ) यदि कोई उपभोक्ता स्वेच्छा से 6(छः) या 12 (बारह) माह के विद्युत की औसत राशि, पूर्ववर्ती वर्ष के औसत बिल के आधार पर अग्रिम जमा करवाता है, तो उसे अग्रिम राशि जमा कराने वाले वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को प्रचलित बैंक दर के बराबर दर छूट अनुज्ञात की जायेगी। छूट की राशि का समायोजन मूल अग्रिम जमा राशि का समायोजन करने के बाद, अन्तिम बिल में किया जायेगा। कोई उपभोक्ता 6(छः) माह के बिलों की राशि से कम राशि भी अग्रिम जमा करवा सकता है परन्तु उस दशा में उपर्युक्तानुसार छूट अनुज्ञात नहीं की जायेगी।

ण) अनेक कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को अनुज्ञप्तिधारी केन्द्रीकृत भुगतान की भी सुविधा प्रदान करेगा।

10.7 विलंबित भुगतान अधिभार

यदि कोई उपभोक्ता जारी होने की तारीख के 10 [दस] दिनों के भीतर अपने बिल का भुगतान करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञप्तिधारी समय-समय पर आयोग द्वारा निर्धारित दर पर भुगतान में देरी के लिए अधिभार वसूलने का हकदार होगा।

10.8 अधिक राशि की वापसी

यदि अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ से अधिक प्रभार वसूल करता है, तो अनुज्ञप्तिधारी उस व्यक्ति को, जब राशि वसूल की गयी थी उस वर्ष की 1 अप्रैल को प्रचलित भारतीय रिज़र्व बैंक की बैंक दर के बराबर ब्याज के साथ-साथ अतिरिक्त राशि वापस कर देगा, जिससे वह वसूल की गयी थी।

10.9 विद्युत प्रभार और कीमतें

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत की आपूर्ति के लिए उसके द्वारा प्रभारित किये जाने वाले मूल्य समय-समय पर आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ के अनुसार होंगे। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आपूर्ति की गई विद्युत के प्रभारों को स्थानीय समाचारपत्रों में इस तरह से प्रकाशित किया जाएगा ताकि इस तरह के प्रभारों और कीमतों के लिए पर्याप्त प्रचार हो सके। उपभोक्ता की सुविधा के लिए अनुज्ञप्तिधारी विद्युत आपूर्ति के लिए प्रभारित की जाने वाली कीमतों को देते हुए समय-समय पर एक पुस्तिका भी प्रकाशित करेगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वेबसाइट पर भी सभी विवरण उपलब्ध होंगे।

प्रथम बिल का जारी करना

10.10 जहां पश्च-भुगतान मीटर स्थापित किये गये हैं, वितरण अनुज्ञप्तिधारी नये कनेक्शन को सक्रिय करने पर दो बिलिंग चक्रों से अनाधिक आयोग द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली समयावधि के भीतर जारी करेगा।

10.11 यदि ऐसी अवधि के भीतर उपभोक्ता प्रथम बिल प्राप्त नहीं करता है तो, वह अनुज्ञप्तिधारी को लिखित में शिकायत कर सकता है और वितरण अनुज्ञप्तिधारी सात दिनों से अनाधिक समयावधि के भीतर बिल जारी करेगा।

अनंतिम बिलिंग

10.12 वितरण लाइसेंसधारी एक वित्तीय वर्ष के दौरान उपभोक्ता के लिये, दो से अधिक अनंतिम बिल नहीं बनायेगा और यदि फोर्स मैज्योर के कारण असाधारण स्थिति को छोड़कर दो से अधिक बिलिंग चक्रों के लिये अनंतिम बिलिंग जारी रहती है, तो उपभोक्ता जब तक लाइसेंसधारी द्वारा वास्तविक मीटर रीडिंग के अनुसार बिल नहीं बनाया जाता है, तब तक बकाया का भुगतान करने से इनकार कर सकता है।

अध्याय-11

आपूर्ति का विच्छेदन

11.1 विच्छेदन हेतु नोटिस

यदि कोई उपभोक्ता आपूरित विद्युत प्रभारों या उसकी ओर अनुज्ञप्तिधारी की अन्य राशि के भुगतान की उपेक्षा करता है, तो अनुज्ञप्तिधारी कम से कम स्पष्ट पन्द्रह दिवस का लिखित

नोटिस देकर विद्युतापूर्ति काटने का हकदार होगा। नोटिस के अतिरिक्त, अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को पंजीकृत मोबाइल नंबर/ई-मेल आईडी पर, यदि उपलब्ध है, एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से भी सूचित करेगा।

11.2 विच्छेदन के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी के कर्तव्य

आपूर्ति विच्छेदन के लिये, अनुज्ञप्तिधारी समान्यतः ध्यान रखेगा कि-

- (क) विद्युतापूर्ति सामान्य छुट्टियों तथा रविवार को विच्छेदित नहीं की जायेगी।
- (ख) जहां तक संभव हो विद्युतापूर्ति का विच्छेदन मध्यान्ह 1:30 बजे से पहले किया जायेगा तथा विद्युतापूर्ति अधिमानतः भुगतान किये जाने की तिथि को ही पुनः चालू की जायेगी।
- (ग) विच्छेदन खम्भे/वितरण बॉक्स पर किया जायेगा।
- घ) यदि बकाया राशि 1000/- रुपये या उससे कम है, तो अधिष्ठापना विच्छेदित नहीं की जायेगी और बकाया अगले विपत्र में अग्रेणीत की जायेगी।
- ङ) निम्नलिखित परिस्थितियों के अन्तर्गत विच्छेदन नहीं किया जायेगा या यदि विच्छेदन कर दिया गया है तो पुनः कनेक्शन चालू कर दिया जायेगा,
 - (i) यदि ऐसा व्यक्ति विरोध में भुगतान का या जमा का सबूत प्रस्तुत कर देता है जो उससे दावित राशि के बराबर राशि हो, या
 - (ii) उसके द्वारा पूर्ववर्ती छः माह के दौरान विद्युत के लिये औसत प्रभार के आधार पर परिकलित प्रत्येक माह के लिये उसके द्वारा देय विद्युत प्रभारों की राशि, जो भी कम है, प्रतिवादाधीन जमा करवा देता है।

11.3 विच्छेदन पर देयता

देयताओं का भुगतान न किये जाने या अन्य किसी कारण से आपूर्ति का विच्छेदन किये जाने की दशा में, उपभोक्ता द्वारा अनुबन्ध की प्रारम्भिक असमाप्त अवधि के लिये स्थाई प्रभारों की राशि सहित, यदि कोई है, उस समय तक संदेय समस्त राशि देय व वसूली योग्य होगी।

यदि विच्छेदन माह के मध्य में किया जाता है या अनुबन्ध की प्रारम्भिक अवधि माह के मध्य में समाप्त होती है तो स्थाई प्रभारों की राशि यथानुपात संदेय होगी।

- 11.4** कोई भी उपभोक्ता, एक महीने का लिखित नोटिस देकर विच्छेदन करवा सकता है। नोटिस अवधि या प्रारम्भिक अनुबन्धावधि जैसी भी स्थिति हो, के अध्यक्षीन उपभोक्ता विच्छेदन की तिथि तक अनुज्ञप्तिधारी के पास उपलब्ध प्रतिभूति का समायोजन करने के पश्चात् संदेय समस्त प्रभारों का भुगतान करेगा। यदि विच्छेदन माह के मध्य में किया जाता है या नोटिस की अवधि /अनुबन्ध की प्रारम्भिक अवधि माह के मध्य में समाप्त होती है तो स्थाई प्रभारों की राशि यथानुपात संदेय होगी। ऐसी विच्छेदित कनेक्शन को पुनः चालू नहीं किया जायेगा और उपभोक्ता को यथा नये आवेदक के आवेदन करना होगा।

बशर्ते कि परिसर को खाली करने के मामले में वितरण लासेंसधारी उपभोक्ता के लिखित अनुरोध को प्राप्त करने पर मीटर की विशेष रीडिंग लेने की व्यवस्था करेगा और बिलिंग की तारीख तक सभी बकाया सहित एक अंतिम बिल जारी करेगा और अंतिम भुगतान प्राप्त करने पर ऐसे अंतिम भुगतान की प्राप्ति से सात दिनों की समयावधि के भीतर अदेयता प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

- 11.5** उपभोक्ता, यदि नोटिस की अवधि या अनुबन्ध की असमाप्त अवधि, जैसी भी स्थिति हो, के लिये स्थाई प्रभारों की राशि का भुगतान करने को तैयार हो, तो नोटिस दिये जाने की तिथि को भी विच्छेदन करवा सकता है।

11.6 उपभोक्ता द्वारा कोड का उल्लंघन

किसी भी समय यदि उपभोक्ता,:

- (क) इन आपूर्ति की शर्तों या अनुबन्ध के निबन्धनों का अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिये गये तीन महीनों के नोटिस के बावजूद भी, उल्लंघन करता है,
- (ख) लिमिटेड कम्पनी होने के नाते समापन का संकल्प पारित करता है या कार्य क्षेत्र के सक्षम न्यायालय द्वारा समापन किया जाना आदेशित किया जाता है, या
- (ग) व्यक्तिक होने के नाते दिवालियेपन का कृत्य करता है या उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, या

- (घ) उपभोक्ता की किसी भी संपत्ति या आस्ति पर किसी भी बंधक प्रभार या अन्य ऋणभार का निष्पादन या सृजन करता है ताकि उपभोक्ता के परिसर में अनुज्ञप्तिधारी के विद्युत प्लांट उपकरण और उपस्करों को या उसके किसी भाग को या उक्त विद्युत के मीटर, संयंत्र, उपकरण और उपस्करों के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रयोग किये जाने योग्य किसी भी अधिकार को पक्षपातपूर्वक प्रभावित किया जा सके,
- (ङ) यदि सुरक्षा संकटापन्न है, तो अनुज्ञप्तिधारी तुरंत आपूर्ति बन्द कर सकता है और सुरक्षा मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने के बाद ही इसे बहाल कर सकता है।

तो फिर अनुज्ञप्तिधारी सात दिवस का लिखित नोटिस देकर उपभोक्ता के साथ किये गये अनुबन्ध का समाप्त करने के लिये स्वतन्त्र होगा तथा ऐसी समाप्ति पर उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी को तुरन्त उस समय तक देय तथा अनुबन्धार्हत संदेय समस्त राशि के साथ परिसमापन हर्जाने के रूप में असमाप्त न्यूनतम अवधि के लिये न्यूनतम तथा/या विशेष प्रत्याभूति की राशि के बराबर के भुगतान के लिये उत्तरदायी होगा।

11.7 पुराने बकायों की वसूली

- क) तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, किसी उपभोक्ता से विद्युत प्रभारों या विद्युत प्रभारों के अतिरिक्त कोई अन्य बकाया राशि, जब इस तरह की राशि पहली बार देय हुई थी, उस तारीख से दो साल की अवधि के पश्चात जब तक इसे लगातार बकाया के रूप में नहीं दिखाया गया है, वसूली योग्य नहीं होगी और अनुज्ञप्तिधारी विद्युत की आपूर्ति बन्द नहीं करेगा।
- ख) बकायों की वसूली को प्रभावित करने से पहले, अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ताओं को बकायों के पूर्ण विवरण के साथ 15 दिनों का नोटिस जारी करेगा। यदि उपभोक्ता व्यक्तिगत सुनवाई चाहता है और बकाया मांग के बारे में लिखित उत्तर प्रस्तुत करता है तब व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर उपभोक्ता को दिया जाएगा और उसके बाद उपभोक्ता के नोटिस/व्यक्तिगत सुनवाई के उत्तर की प्रतिक्रिया में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आख्यापक आदेश जारी किया जाएगा और आख्यापक आदेश के जारी होने के बाद ही विच्छेदन/बकाया की वसूली पर बल दिया जायेगा। यदि उपभोक्ता आख्यापक आदेश से पीड़ित है, तो वह उपयुक्त उपभोक्ता शिकायत निवारण मंचों से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होगा।

ग) बकाया राशि की वसूली के लिए, अनुज्ञप्तिधारी संयोजित/विच्छेदित हुए उपभोक्ताओं के लिए एक योजना तैयार करेगा जिसमें आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार एक विशेष मामले के रूप में ब्याज/एलपीएस/डीपीएस में कमी /अधित्यजन की अनुमति दी जा सकती है। तथापि, यह एक नियमित सुविधा नहीं होगी और आयोग को पूर्व सूचना के अधीन सीमित अवधि के लिए प्रस्तावित की जायेगी और पिछले 3 वर्षों के दौरान इस तरह की योजनाओं से पहले से ही लाभान्वित उपभोक्ताओं और चोरी/कदाचार के मामलों को शामिल नहीं किया जायेगा।

(घ) किसी स्थाई रूप से विच्छेदित कनेक्शन के विरुद्ध कोई भी बकाया देयता उसी व्यक्ति के नाम अन्य विद्यमान/नये कनेक्शन से, तीस (30) दिवस का नोटिस दिया जाकर वसूली योग्य होगी। उपभोक्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर और नोटिस का जवाब दिया जाएगा और उसके पश्चात, नोटिस के जवाब के साथ-साथ व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान प्रस्तुत तथ्यों पर विचार करने के बाद अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आख्यापक आदेश जारी किया जाएगा। आख्यापक आदेश जारी किए बिना कोई विच्छेदन/वसूली प्रभावित नहीं होगी। यदि उपभोक्ता आख्यापक आदेश से पीड़ित है, तो वह उपयुक्त उपभोक्ता शिकायत निवारण मंचों से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11.8 आपूर्ति को पुनःचालू करना/की बहाली

क) कोई व्यक्ति जिसकी विद्युत आपूर्ति बकाया भुगतान न करने या किसी अन्य कारणों के कारण काट दी गई हो, वह आपूर्ति को पुनः चालू कराने के लिए आयोग की मंजूरी से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यथा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकता है।

ख) आपूर्ति को पुनः चालू कराने के लिए आवेदन पर विचार किया जाएगा:

(i)	कृषि उपभोक्ताओं के लिये:	जैसा कि राज्य कृषि नीति में निर्धारित है
(ii)	एच.टी./ई.एच.टी. उपभोक्ता:	विच्छेदन की तिथि से 1 वर्ष के भीतर
(iii)	अन्य के लिये:	विच्छेदन की तिथि से 2 वर्ष के भीतर

ऊपर बताए गए विच्छेदन की संबंधित अवधि की समाप्ति के बाद कनेक्शन को स्थायी रूप से विच्छेदित माना जाएगा। ऐसे उपभोक्ता जिन्हें स्थायी रूप से विच्छेदित के

वर्गीकृत किया गया है, को उसी परिसर में कनेक्शन वांछित होने पर फिर से आवेदन करना होगा।

- ग) उप-विनियम 11.8 (ख) के अधीन आवेदन प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर, अनुज्ञप्तिधारी आवेदक को विच्छेदन की तिथि तक उसके द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को देय बकाया राशि, विच्छेदन के बाद भुगतान न होने वाले प्रत्येक पूर्ण महीने के लिए प्रति वर्ष 10% की दर से ब्याज सहित, सूचित करेगा। भुगतान में देरी के लिए अधिभार पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी आवेदक द्वारा संदेय अनुसूची-1 में यथा विनिर्दिष्ट पुनःकनेक्शन प्रभार भी सूचित करेगा।
- घ) अनुज्ञप्तिधारी उप-विनियम 11.8 (ग) के अधीन सूचित राशि और ऐसा अतिरिक्त ब्याज जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट पुनःकनेक्शन प्रभार और जमा की तारीख देय हो सकता है के जमा होने के छः कार्य घंटों के भीतर आवेदक को विद्युत की आपूर्ति पुनः चालू करेगा। यदि विद्युत कनेक्शन को पुनः चालू करने के लिये पुनः लाइन खींचने/सब-स्टेशन बनाने की आवश्यकता हो, तो विद्युतापूर्ति इन विनियमों के अध्याय-7 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पुनः चालू की जायेगी। पुनः चालू करने के मामलों में, पुनः लाइन खींचने/सब-स्टेशन बनाने के लिये प्रभार, यदि कोई है, वसूली योग्य नहीं होंगे। अनुज्ञप्तिधारी सार्वजनिक छुट्टियों के दौरान देय राशि के जमा के लिये ऑफलाइन/ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी प्रदान करेगा और पुष्टि होने पर सार्वजनिक अवकाश के दौरान भी आपूर्ति का पुनः स्थापन करेगा।
- (ड) विद्युतापूर्ति पुनः चालू किये जाने के मामले में प्रतिभूति की राशि पुनःसमायोजन के समय प्रयोज्य या विच्छेदन के समय उपलब्ध प्रतिभूति की राशि, जो भी उच्चतर है, होगी। तथापि, यदि कनेक्शन अगले वित्तीय वर्ष में प्रतिभूति की समीक्षा के बाद पुनः चालू किया जाता है और यह देय हो गयी है तो फिर प्रतिभूति की राशि, समीक्षा की गयी राशि के अनुसार होगी।

11.9 पूर्व-प्रदत्त मीटर

पूर्व-भुगतान मीटर को, जब जमा की गई राशि समाप्त हो जायेगी, स्वचालित रूप से आपूर्ति को कट-ऑफ करने के लिये डिजाइन किया जायेगा। तथापि इसे विच्छेदन नहीं माना जायेगा और जब भी मीटर को रीचार्ज किया जाता है कट-ऑफ अवधि के लिये स्थायी प्रभारों के समायोजन के अधीन आपूर्ति फिर से शुरू की जायेगी। अनुज्ञप्तिधारी

यदि आवश्यक हो, तो पूर्व-प्रदत्त मीटरिंग के संचालन के लिये आयोग की स्वीकृति से दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

अध्याय-12

अनाधिकृत उपयोग, चोरी और छेड़छाड़

12.1 सामान्य

- क) अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता द्वारा किये गये विद्युत के अनधिकृत उपयोग, चोरी और अन्य अनियमितताओं के विरुद्ध आयोग के आदेशों में प्रक्रिया, विनियमों और अधिनियम के भाग X II, X IV, X V, में यथा निर्धारित संबंधित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करेगा।
- ख) इन नियमों के प्रावधान कृषि नीति के अधीन जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये या अन्यथा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 (1) के अधीन नीति के मामले में आयोग को निर्देश के माध्यम से कृषि उपभोक्ताओं के लिए विशेष प्रावधानों के अध्यधीन होंगे।
- ग) अनुज्ञप्तिधारी अपनी वेबसाइट पर अधिनियम की धारा 126 के अधीन निर्धारण अधिकारियों, अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारियों और अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (1- ए) के अधीन आपूर्ति का विच्छेदन करने के लिए आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारियों की सूची प्रकाशित करेगा और अपने स्थानीय कार्यालयों में प्रमुख स्थानों पर ऐसी सूची प्रदर्शित करेगा।
- घ) अनुज्ञप्तिधारी सभी निर्धारण अधिकारियों और प्राधिकृत अधिकारियों को विशेष रूप से उनके पदनाम और प्राधिकरण के विवरण को इंगित करते हुए, फोटो पहचान पत्र जारी करेगा।
- ड) परिसर के निरीक्षण के दौरान, सभी मामलों में, निर्धारण अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, कार्यवाही की वीडियोग्राफी कर सकते हैं।
- च) अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम की धारा 126, अधिनियम की धारा 135 और धारा 138 के अधीन दर्ज मामलों का विवरण का संधारण करेगा और तिमाही आधार पर आयोग को प्रस्तुत करेगा।

- छ) यदि कोई उपभोक्ता अनधिकृत उपयोग या ऊर्जा की चोरी या दोनों में लिप्त पाया जाता है, तो इस तरह के प्रत्येक गलत कार्य के लिए निर्धारण के प्रावधान पृथक रूप से लागू होंगे।
- (ज) यदि, कोई उपभोक्ता राज्य की विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों का सेवारत कर्मचारी है और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 के अन्तर्गत विद्युत के अनाधिकृत उपयोग या धारा 135 के अन्तर्गत विद्युत की चोरी में या दोनों में संलिप्त पाया जाता है, तो वह निर्धारण के प्रावधानों की प्रयुक्ति के अतिरिक्त, कानून में विहित अन्य कार्यवाहियों के अलावा अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये उत्तरदायी होगी।

12.2 अधिनियम की धारा 126 के अधीन विद्युत का अनधिकृत उपयोग

- क) निर्धारण अधिकारी द्वारा परिसर और विद्युत अधिष्ठापनों का निरीक्षण:
- i. निर्धारण अधिकारी किसी भी परिसर का या तो स्वप्रेरणा से या वहां पर विद्युत के अनधिकृत उपयोग के बारे में सूचना प्राप्त होने पर निरीक्षण करेगा; बशर्ते कि निर्धारण अधिकारी निरीक्षण करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी के कर्मचारियों की सहायता प्राप्त कर सकता है।
 - ii. निर्धारण अधिकारी उप-विनियम 12.1 (घ) के अधीन जारी किए गए अपने फोटो पहचान पत्र को साथ रखेगा।
 - iii. यदि ऐसा उपभोक्ता द्वारा अनुरोध किया गया हो तो परिसर में प्रवेश करने से पहले उपभोक्ता को फोटो पहचान पत्र दिखाया जाएगा।
 - iv. निर्धारण अधिकारी इन विनियमों के अधीन प्रावधानों के अनुसार एक निरीक्षण/साइट रिपोर्ट तैयार करेगा।
 - v. यदि विद्युत का अनधिकृत उपयोग प्रमाणित हो जाता है, तो उपभोक्ता सूचना की तारीख से 7 दिनों के भीतर उन कारणों को जिनसे अनधिकृत उपयोग हो रहा है, हटायेगा ऐसा न कर सकने पर आपूर्ति को विच्छेदित कर दिया जाएगा। यदि उपभोक्ता अनधिकृत उपयोग को नियमित करने के लिए तैयार है, डिमांड नोटिस

यदि आवश्यक हो, तो प्रभारों की अनुसूची (अनुसूची-I) के अनुसार जारी किया जाएगा। सामान्य लागू टैरिफ के अनुसार बिल डिमांड नोटिस जमा करने के बाद जारी किया जाएगा।

ख) निम्नलिखित मामलों में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत के अनधिकृत उपयोग का कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा:

- i. जहां उपभोक्ता उच्च टैरिफ श्रेणी के लिए विद्युत शुल्क का भुगतान कर रहा है, लेकिन कम टैरिफ श्रेणी के लिए विद्युत का उपयोग कर रहा है;
- ii. घरेलू श्रेणी में मीटर से अतिरिक्त भार और गैर-घरेलू श्रेणी में 5 किलोवाट भार तक के छोटे उपभोक्ताओं के मामले।
- iii. जहां यह अनुज्ञप्तिधारी की स्वयं के द्वारा आपूर्ति की श्रेणी परिवर्तन करने की बाध्यता है। उदाहरण के लिए, उपभोक्ता ने गैर-घरेलू श्रेणी में कनेक्शन के लिए आवेदन किया था लेकिन कनेक्शन घरेलू श्रेणी में जारी किया गया था या आवेदित टैरिफ श्रेणी की स्थान पर भिन्न टैरिफ श्रेणी में जारी किया गया था।
- iv. उपभोक्ता का स्वयं द्वारा धार्मिक, सामाजिक कार्य या किसी अन्य गैर-वाणिज्यिक गतिविधि के लिए, अपने स्वयं के या आसपास के परिसर में, 3 दिन से अधिक, आपूर्ति का उपयोग बशर्ते कुल परिचालन भार उपभोक्ता के स्वीकृत भार से अधिक न हो।
- v. जहां सम्बद्ध भार स्वीकृत भार से अधिक पाया जाता है, लेकिन उपभोक्ता को मांग के आधार पर बिल भेजा जाता है। हालांकि, उपभोक्ता को अनुज्ञप्तिधारी को एक संशोधित [**अधिष्ठापना प्रमाण पत्र**] प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- vi. उप-मीटर की अधिष्ठापन के माध्यम से एक ही परिसर में किरायेदार/अधिवासी द्वारा आपूर्ति का उपयोग बशर्ते कि ऊर्जा शुल्क के लिए संग्रह संबंधित श्रेणी के लिए आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ के अनुसार हो।

ग) विद्युत के अनधिकृत उपयोग में शामिल होंगे:

- i. जिस उद्देश्य के लिये उच्च टैरिफ लागू हो, उसके लिए कम टैरिफ के तहत आपूर्ति की गई विद्युत का उपयोग, या
 - ii. स्वीकृत सम्बद्ध भार (उप-विनियम 12.2 (ख) में प्रदान किए गए को छोड़कर) में अधिकता
 - iii. उस प्रयोजन के अलावा जिसके लिये विद्युत का उपयोग अधिकृत था; या उन परिसरों या क्षेत्रों के अलावा जिनके लिये विद्युत की आपूर्ति अधिकृत थी।
 - iv. 3-चरण के उपकरण को चलाने के लिए एक या दो चरण को विभाजित करने के लिए उपकरण का उपयोग जब 3-चरण की आपूर्ति उसके लिए उपलब्ध नहीं है फेज और अर्थ में हेरफेर करके 3- चरण ट्रांसफार्मर को एकल चरण में बदलने के लिये सिस्टम के साथ छेड़छाड़; या
 - v. विद्युत कटौती/भार शेडिंग के दौरान विद्युत के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेशों का पालन न करना या
 - vi. मीटर के माध्यम से विच्छेदित की गई सेवा की बहाली।
- घ) निर्धारण अधिकारी द्वारा रिपोर्ट तैयार करना
- i. विद्युत के अनधिकृत उपयोग का पता लगने की स्थिति में, निर्धारण अधिकारी साइट पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्धारित तरीके से विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा।
 - ii. सभी सारवान सबूत जैसे छेड़छाड़ किया हुआ मीटर, आदि और दस्तावेजी साक्ष्य, जो निरीक्षण के दौरान पाए गए मामले से संबंधित हैं, जब्ती ज़ापन के अधीन जब्त किये जायेंगे और उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में सील किये जायेंगे और परिसर की फोटोग्राफी के साथ इन्हें प्रमाण के रूप में रखा जायेगा।
 - iii. जब्त की गई सामग्री, तिथि, समय और स्थान और जब्ती के लिए गवाहों का नाम और पता सहित विस्तृत विवरण कवर के बाहरी हिस्से पर दर्ज किया जाएगा और सभी गवाहों के हस्ताक्षर सीलिंग बिंदुओं पर करवाये जाएंगे:

बशर्ते कि अगर गवाह ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, तो रिपोर्ट में दर्ज किया जाएगा और वीडियोग्राफी द्वारा रिकार्ड कर लिया जाएगा।

- iv. निरीक्षण रिपोर्ट पर निर्धारण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसकी एक प्रति उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि को उचित पावती के अधीन तुरंत साइट पर सौंप दी जाएगी। साइट पर विद्यमान अन्य व्यक्ति भी निरीक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।
- v. यदि साइट पर उपभोक्ता या उसका प्रतिनिधि रिपोर्ट की प्रति को स्वीकार करने और/या ग्रहण करने से इनकार करता है तो रिपोर्ट की एक प्रति एक सहज दृश्य स्थान पर या परिसर के बाहर चिपकाई जाएगी और फोटो ली जायेगी। उसी रिपोर्ट की एक अन्य प्रति उपभोक्ता को पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के अधीन या इलेक्ट्रॉनिक रूप से उसी दिन या निरीक्षण के अगले दिन भेजी जाएगी।
- vi. विनियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार निरीक्षण रिपोर्ट आगे की कार्यवाही का आधार बनेगी।

12.3 विद्युत के अनधिकृत उपयोग (यूआई) के मामले की कार्यवाही की प्रक्रिया:

क) अनंतिम निर्धारण और सूचना:

यदि निरीक्षण रिपोर्ट और अन्य सामग्रियों के आधार पर निर्धारण अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह प्रथम दृष्टया विद्युत के अनधिकृत उपयोग का मामला है, तो वह:

- i. अपने सर्वश्रेष्ठ निर्णय के आधार पर अनंतिम निर्धारण करेगा जो दी गयी परिस्थितियों में उचित है और सभी उपलब्ध साक्ष्यों और रिकॉर्डों पर आधारित है। ऐसा करते समय निर्धारण अधिकारी विद्युत के अनधिकृत उपयोग से लाभान्वित व्यक्ति द्वारा देय राशि की गणना अधिनियम की धारा 126 की उपधारा (6) के साथ पठित उप-धारा (5) के प्रावधान के अनुसार करेगा:

बशर्ते कि विद्युत के अनधिकृत उपयोग की अवधि को निर्णायक रूप से प्रमाणित किया जा सके, मूल्यांकन उस पूरी अवधि के लिए किया जाएगा जिसके लिए अनधिकृत उपयोग हो रहा था और अगर इस तरह के अनधिकृत उपयोग की अवधि

ज्ञात नहीं है या निर्णायक रूप से प्रमाणित नहीं की जा सकती है, मूल्यांकन की अवधि 12 (बारह) महीने तक सीमित होगी जो तुरंत निरीक्षण की तारीख से पहले होगी:

बशर्ते यह और कि विद्युत के अनधिकृत उपयोग की अवधि का आकलन निम्नलिखित कारकों के आधार पर किया जाएगा:

अ. आपूर्ति शुरू होने की तारीख से निरीक्षण की तारीख तक वास्तविक अवधि;

आ. मीटरिंग प्रणाली के घटक के प्रतिस्थापन की तारीख जिसमें साक्ष्य का पता लगाया गया है, से निरीक्षण की तारीख तक वास्तविक अवधि;

इ. निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिष्ठापन की पूर्व जाँच की तारीख से निरीक्षण की तारीख तक वास्तविक अवधि;

ई. ऊर्जा मीटर मेमोरी में दर्ज डेटा जहां कहीं भी उपलब्ध हो;

उ. आरोपी व्यक्ति द्वारा विश्वास किये जा रहे दस्तावेज के आधार पर।

- ii एक अनंतिम निर्धारणबिल निरीक्षण रिपोर्ट की कॉपी के साथ, निरीक्षण की तारीख या मीटर परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि, यदि आवश्यक हो, जो भी बाद में हो, से 7 (सात) दिनों के भीतर उपभोक्ता को यह कारण बताते हुए कि उसके खिलाफ विद्युत के अनधिकृत उपयोग का मामला क्यों चलाया जा रहा है, नोटिस भेजेगा। नोटिस में स्पष्ट रूप से उस समय, तिथि और स्थान का उल्लेख होना चाहिए जिस पर उत्तर प्रस्तुत किया जाना है और उस व्यक्ति का पदनाम जिसे इसे संबोधित किया जाना चाहिए।

ख) अनंतिम निर्धारण के साथ नोटिस के खिलाफ आपत्ति: -

उपभोक्ता, जिसको निर्धारण के अनंतिम बिल के साथ नोटिस दिया गया है, निर्धारण अधिकारी के समक्ष, नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 7 (सात) दिनों के भीतर आपत्ति, यदि कोई हो, प्रस्तुत कर सकता है।

ग) व्यक्तिगत सुनवाई: -

- i निर्धारण अधिकारी उपभोक्ता द्वारा आपत्तियों को प्रस्तुत करने की तारीख से 7 (सात) दिनों के भीतर उपभोक्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के साथ व्यक्तिगत सुनवाई की व्यवस्था करेगा।
- ii उपभोक्ता के अनुरोध पर, सुनवाई को भावी तारीख के लिए व्यवस्थित किया जा सकता है लेकिन यह उपभोक्ता द्वारा आपत्तियां प्रस्तुत करने की तारीख से 10 (दस) दिनों के पश्चात की नहीं होगी।

घ) अंतिम निर्धारण आदेश: -

- i निर्धारण अधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा देय विद्युत शुल्क के अनंतिम निर्धारण के आदेश की तामील की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर अंतिम निर्धारण आदेश पारित करेगा।
- ii निर्धारण का अंतिम आदेश स्पष्ट रूप से दर्शायेगा कि विद्युत के अनधिकृत उपयोग का मामला प्रमाणित है या नहीं। इस आदेश में निरीक्षण रिपोर्ट, उपभोक्ता द्वारा की गयी, मौखिक या लिखित, प्रस्तुतियाँ और स्वीकृति या अस्वीकार के कारणों का संक्षिप्त विवरण होगा।
- iii यदि विद्युत का कोई अनधिकृत उपयोग प्रमाणित नहीं होता है, तो निर्धारण अधिकारी मामले को तुरंत बन्द करने के लिए निर्धारण आदेश पारित करेगा और तदनुसार उपभोक्ता को सूचित किया जाएगा साथ ही एक प्रति अगले उच्च अधिकारी को दी जायेगी।
- iv यदि विद्युत का अनधिकृत उपयोग प्रमाणित किया जाता है, तो निर्धारण अधिकारी अधिनियम की धारा 126 की उपधारा (6) के साथ पठित उप-धारा (5) में निहित प्रावधानों के अनुसार विद्युत शुल्क का मूल्यांकन करेगा और अधिनियम की धारा 126 की उपधारा (3) के अधीन अंतिम निर्धारण आदेश पारित करेगा।
- v अंतिम आदेश में ऊर्जा का निर्धारण विनियमों के परिशिष्ट- I के अनुसार किया जाएगा:

बशर्ते कि विद्युत का अनधिकृत उपयोग टैरिफ श्रेणी के गलत उपयोग के कारण या परिसर या क्षेत्रों के अलावा हो जिसके लिये विद्युत की आपूर्ति अधिकृत थी, निर्धारण अधिकारी निर्धारण अवधि के लिए मीटर में दर्ज ऊर्जा का मूल्यांकन करेंगे।

- vi मूल्यांकन बिल बनाते समय, अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को मूल्यांकन बिल की अवधि के लिए पहले से भुगतान की गई राशि का क्रेडिट देगा।
- vii अंतिम निर्धारण आदेश में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा कि अधिनियम की धारा 127 के उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार उक्त आदेश के तामील होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकरण (नाम, पदनाम और पते का उल्लेख किया जावे) के समक्ष उपभोक्ता द्वारा आदेश अपीलीय है।

ड) अंतिम निर्धारण आदेश के आधार पर बिलिंग और भुगतान:-

- i अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी अंतिम निर्धारण आदेश के अनुसार विद्युत के अनधिकृत उपयोग के शुल्क के लिए बिल प्रदान करेगा।
- ii तामील की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर बिल उपभोक्ता द्वारा देय होगा। अनुज्ञप्तिधारी 30 (तीस) दिनों से आगे की अवधि के लिए अप्रदत्त राशि पर प्रति 6 (छह) माह में चक्रवृद्धि के तहत प्रति वर्ष 16 (सोलह) प्रतिशत की दर से ब्याज के भुगतान के अधीन निर्धारित राशि के भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ा सकता है या किश्तों में भुगतान की अनुमति दे सकता है।
- iii उपभोक्ता बिल को स्वीकार करेगा और उप-विनियम 12.3 (ड)(ii) के अनुसार समय सीमा और तरीके के भीतर निर्धारित राशि जमा करायेगा या अधिनियम और विनियमों के अनुसार अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष इसके विरुद्ध अपील करेगा।
- iv उप-विनियम 12.3(ड)(ii) में उल्लिखित अवधि के भीतर बिल राशि का भुगतान न करने की स्थिति में, पंद्रह दिनों का नोटिस दे कर कनेक्शन का विच्छेदन कर दिया जायेगा जिसे जब तक अन्य यथा संदेय प्रभारों के साथ निर्धारित राशि जमा नहीं करायी जाती है पुनः कनेक्ट नहीं किया जायेगा। भुगतान न करने की स्थिति में, राशि को नियमित बिल में बकाया के रूप में दर्शाया जायेगा।

च) अधिनियम की धारा 127 के अधीन अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील

- i यदि उपभोक्ता निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी अंतिम निर्धारण आदेश से व्यथित है, तो वह अधिनियम की धारा 127 की उपधारा (2) के अधीन निर्दिष्ट राशि की आधी राशि जमा कराने के बाद, इस आदेश के जारी होने की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर अधिनियम की धारा 127 के अधीन आयोग द्वारा "निर्धारण के विरुद्ध अपील विनियम, 2004" में निर्दिष्ट स्वरूप और तरीके में अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकता है।

बशर्ते कि कोई भी अपील निर्धारण अधिकारी के अंतिम निर्धारण आदेश के खिलाफ अपीलीय प्राधिकारी के पास नहीं होगी, यदि पक्षकारों की सहमति से इसे पारित किया जाता है।

- ii अपीलीय प्राधिकारी, साक्ष्य और प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर और पक्षों को सुनने के बाद उपयुक्त आख्यापक आदेश पारित करेगा और आदेश की एक प्रति निर्धारण अधिकारी और अपीलकर्ता को भेजेगा।

- iii अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा।

- iv यदि अपीलीय प्राधिकारी के अनुसार, विद्युत के अनधिकृत उपयोग का कोई मामला प्रमाणित नहीं है, इस संबंध में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आगे कोई कार्यवाही शुरू या जारी नहीं की जाएगी और अपीलार्थी द्वारा जमा की गई राशि को, जमा की गई राशि की तारीख से वापिस किए जाने तक की अवधि के लिए प्रति 6 (छह) माह में चक्रवृद्धि के तहत प्रति वर्ष 16 (सोलह) प्रतिशत की दर से ब्याज सहित वापिस कर दिया जाएगा।

- v यदि अपीलीय प्राधिकारी यह मानता है कि विद्युत के अनधिकृत उपयोग का मामला प्रमाणित है, तो अपीलीय प्राधिकारी द्वारा जारी अंतिम आदेश के अनुसार विद्युत के अनधिकृत उपयोग के आरोपों के लिए अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को संशोधित बिल प्रदान करेगा।

- vi अपीलीय प्राधिकारी द्वारा जारी अंतिम आदेश के आधार पर तैयार किया गया बिल, तामील की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपभोक्ता द्वारा देय होगा। अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम की धारा 127 की उपधारा (6) के अनुसार, 30 (तीस) दिनों से आगे की अवधि के लिए अप्रदत्त राशि पर प्रति 6 (छह) माह में चक्रवृद्धि

के तहत प्रति वर्ष 16 (सोलह) प्रतिशत की दर से ब्याज के भुगतान के अध्यक्षीन निर्धारित राशि के भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ा सकता है या किशतों में भुगतान की अनुमति दे सकता है।

vii यदि अपील प्राधिकारी द्वारा निर्धारित राशि, अपील दायर करने के समय उपभोक्ता द्वारा पहले से जमा राशि से कम है, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 30 (तीस) दिनों के भीतर अतिरिक्त राशि वापस की जाएगी:

बशर्ते कि अगर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रिफंड विलम्बित है, तो विलम्बित अवधि के लिए प्रति 6 (छह) माह में चक्रवृद्धि के तहत प्रति वर्ष 16 (सोलह) प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

12.4 धारा 135 के अधीन विद्युत की चोरी

क) यदि किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा परिसर की जाँच करने पर प्रथम दृष्टया यह प्रमाण मिलता है कि कोई व्यक्ति, बेईमानी से

(i) लाइन को टैप करता है या ओवरहेड, अंडरग्राउंड या अंडर वॉटर लाइनों या केबल, या सर्विस वायर, या अनुज्ञप्तिधारी की सेवा सुविधाओं, जैसी भी स्थिति हो, के साथ किसी भी तरह का कनेक्शन करता है; या

(ii) मीटर से छेड़छाड़ करता है, छेड़छाड़ किये हुए मीटर को अधिष्ठापित या उपयोग करता है, करंट रिवर्सिंग ट्रांसफॉर्मर, लूप कनेक्शन या कोई अन्य उपकरण या विधि जो कि सटीक या उचित पंजीकरण, विद्युत करंट की मीटरिंग या कैलिब्रेशन या अन्यथा को ऐसे तरीके से हस्तक्षेप करता है जिससे विद्युत चोरी होती है या बर्बाद होती है; या

(iii) विद्युत मीटर, उपकरण, उपस्कर, या तार को क्षति पहुंचाता है या नष्ट कर देता है या उनमें से किसी को भी इतना क्षतिग्रस्त या नष्ट कर देता है ताकि विद्युत की उचित या सटीक मीटरिंग में हस्तक्षेप हो, चोरी की घटना में सन्निहित होने का निर्णायक सबूत होगा विद्युत और विद्युत की आपूर्ति तुरंत विच्छेदित कर दी जाएगी।

- (iv) छेड़छाड़ किये हुए मीटर के माध्यम से विद्युत का उपयोग करता है; या
- (v) उस प्रयोजन से अतिरिक्त के लिए विद्युत का उपयोग करता है, जिसके लिए विद्युत का उपयोग अधिकृत है।

बशर्ते, यह साबित हो जाए कि जो उपभोक्ता द्वारा विद्युत के दोहन, उपभोग या उपयोग के लिए कृत्रिम साधन या साधन विद्यमान है, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिकृत नहीं है, यह समझा जाएगा कि विद्युत का दोहन, उपभोग या उपयोग ऐसे उपभोक्ता द्वारा बेईमानी से किया गया है और विद्युत की चोरी के रूप में माना जाएगा जब तक कि अन्यथा उपभोक्ता द्वारा साबित नहीं किया जाता है।

ख) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा परिसर और विद्युत अधिष्ठापनों का निरीक्षण

- i प्राधिकृत अधिकारी तुरंत किसी भी परिसर का निरीक्षण स्वप्रेरणा से या विद्युत की चोरी के संबंध में जानकारी प्राप्त करने पर करेगा:
बशर्ते कि प्राधिकृत अधिकारी निरीक्षण करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी कर्मचारियों की सहायता ले सकते हैं।
- ii प्राधिकृत अधिकारी उप-विनियम 12.1 (घ) के अधीन जारी किए गए स्वयं का फोटो पहचान पत्र को ले जाएगा।
- iii परिसर में प्रवेश करने से पहले उपभोक्ता या अधिवासी को फोटो पहचान पत्र दिखाया जायेगा।
- iv इन विनियमों के अन्तर्गत प्रावधानों के अनुसार, प्राधिकृत अधिकारी एक निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करेगा।

ग) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रिपोर्ट तैयार करना

- i विद्युत की चोरी का पता लगाने की स्थिति में, प्राधिकृत अधिकारी अनुलग्नक 4 और 5 (मॉडल रिपोर्ट) के अनुसार साइट पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा।
- ii. तमाम भौतिक साक्ष्य जैसे छेड़छाड़ किया हुआ मीटर, छेड़छाड़ किये हुए मीटर की सील और ऊर्जा के अवैध दोहन के लिए कृत्रिम साधनों का उपयोग और दस्तावेजी साक्ष्य, आदि जो मामले के लिए प्रासंगिक हैं और निरीक्षण के दौरान पाए गए, उन्हें

जब्त की जापन के अधीन जब्त किया जायेगा और उपभोक्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में सील किया जायेगा और परिसर की फोटोग्राफी के साथ एक प्रमाण के रूप में रखा जायेगा।

- iii. तिथि, समय और स्थान और जब्त करने के लिए गवाहों का नाम और पता सहित जब्त की गई सामग्री का विस्तृत विवरण कवर के बाहरी हिस्से पर दर्ज किया जाएगा और सभी गवाहों के हस्ताक्षर सीलिंग बिंदुओं पर करवाये जाएंगे:

बशर्ते कि अगर गवाह ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, तो रिपोर्ट में दर्ज किया जाएगा।

- iv निरीक्षण रिपोर्ट प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी और उसकी एक प्रति उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि को उचित पावती के अधीन तुरंत साइट पर सौंप दी जाएगी। साइट पर विद्यमान अन्य व्यक्ति भी निरीक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।
 - v यदि साइट पर उपभोक्ता या उसका प्रतिनिधि रिपोर्ट की प्रति को ग्रहण करने और स्वीकार करने से इनकार करता है, तो रिपोर्ट की एक प्रति परिसर में या उसके बाहर एक विशिष्ट स्थान पर चिपकाई जायेगी ली जाएगी। उसी रिपोर्ट की एक अन्य प्रति उपभोक्ता को उसी दिन या निरीक्षण के अगले दिन पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के अधीन या इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी।
 - vi निरीक्षण रिपोर्ट विनियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्यवाही का आधार बनेगी।
- घ) विद्युत की चोरी के लिए मुकदमा चलाने की प्रक्रिया
- i अधिनियम की धारा 135 के अधीन विद्युत की चोरी के लिए अभियोजन केवल उन मामलों में शुरू किया जाएगा जहां बेईमान का इरादा प्रासंगिक तथ्यों, रिकॉर्ड और मामले के अन्य सबूतों से स्पष्ट हैं।
 - ii यदि विद्युत की चोरी को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त सबूत पाए जाते हैं, तो अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी परिसर से

तारों/केबलों, मीटर, सर्विस लाइन आदि सहित सभी सामग्री साक्ष्य को जब्ती ज्ञापन के अधीन जब्त और सील करेगा।

- iii उप-विभागीय अधिकारी या विभागीय अधिकारी या उनसे उच्चतर रैंक के अधिकारी एलटी और एचटी उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति का निम्न प्रकार से विच्छेदन करने के लिये अधिकृत अधिकारी होंगे:

1. एलटी आपूर्ति कनेक्शन	संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी का संबंधित उप-विभागीय अधिकारी/सहायक अभियंता।
2. एचटी आपूर्ति कनेक्शन	संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी का संबंधित विभागीय अधिकारी/अधिशाषी अभियंता।

बशर्ते कि प्रथक आदेश के माध्यम से आयोग अनुज्ञप्तिधारी के अन्य अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, जिन्हें वह उचित समझे, नामित कर सकता है।

- iv प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी के रैंक से उच्च अधिकारी विद्युत आपूर्ति को विच्छेदित करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी होगा।

बशर्ते कि प्राधिकृत अधिकारी इस तरह के विच्छेदन के समय से चौबीस घंटे के भीतर अपराध की, घटना स्थल के अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन में लिखित में शिकायत दर्ज करायेगा;

बशर्ते यह और कि, प्राधिकृत अधिकारी उपभोक्ता/गैर-उपभोक्ता को पुलिस थाने में दर्ज शिकायत की एक प्रति, उप-नियम 12.6 (ग) के अधीन निरीक्षण की फोटोग्राफी की एक प्रति, यदि उपलब्ध हो, सहित आख्यापक आदेश की प्रति भी ऐसे विच्छेदन के 2 दिन के भीतर भेजेगा।

- v चोरी के लिए कोई भी मामला केवल मीटर पर सील नहीं होने या मीटर की कांच की खिड़की के टूटने के कारण बुक नहीं किया जाएगा, जब तक कि किसी भी सबूत द्वारा बेईमान इरादा प्रमाणित नहीं किया जाता है।

- vi उपभोक्ता या उसके कर्मचारी या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रिमोट कंट्रोल, उच्च वोल्टेज इंजेक्शन आदि से अन्तर्ग्रस्त बाहरी तरीकों का सहारा लेकर ऊर्जा के सही पंजीकरण के साथ हस्तक्षेप भी विद्युत की चोरी माना जायेगा जो मीटरिंग डेटा के विश्लेषण और डिस्कॉम के मीटर परीक्षण प्रयोगशाला या आयोग द्वारा अधिसूचित किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला या इस संबंध में आयोग द्वारा अधिकृत एजेंसी से मीटर के परीक्षण द्वारा प्रमाणित की जा सकती है।

12.5 विद्युत की चोरी के लिए मूल्यांकन बिल

- क) सिविल दायित्व के लिए विद्युत की मात्रा का अनंतिम रूप से मूल्यांकन इन विनियमों के परिशिष्ट- I के अनुसार किया जाएगा।
- ख) विद्युत की चोरी के लिए मूल्यांकन की अवधि विद्युत की चोरी का पता लगाने की तारीख से पहले 12 (बारह) माह की अवधि के लिए होगी जो या चोरी की सही अवधि यदि निर्धारित की जाती है, जो भी कम हो;

बशर्ते यह और कि निम्नलिखित कारकों के आधार पर विद्युत की चोरी की अवधि का आकलन किया जाएगा:-

- i आपूर्ति शुरू होने की तारीख से निरीक्षण की तारीख तक वास्तविक अवधि;
 - ii मीटरिंग प्रणाली के घटक के प्रतिस्थापन की तारीख जिसमें साक्ष्य का पता लगाया जाता है, से निरीक्षण की तारीख तक वास्तविक अवधि;
 - iii प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिष्ठापन से पहले की जाँच की तारीख से निरीक्षण की तारीख तक वास्तविक अवधि;
 - iv ऊर्जा मीटर मेमोरी में दर्ज डेटा जहां कहीं भी उपलब्ध हो;
 - v आरोपी व्यक्ति द्वारा विश्वास किये जा रहे दस्तावेज के आधार पर।
- ग) मूल्यांकन बिल लागू टैरिफ के अनुसार दो गुना दर पर तैयार किया जाएगा।

- घ) मूल्यांकन बिल बनाते समय, अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को मूल्यांकन बिल की अवधि के लिए उपभोक्ता द्वारा पहले से भुगतान की गई धन राशि के लिए क्रेडिट देगा।
- ड) निर्धारण आदेश उपभोक्ता या उस स्थान या परिसर के प्रभारी अधिवासी या कब्जेधारी, जैसी भी स्थिति हो, को आपूर्ति के विच्छेदन के 7 (सात) दिनों के भीतर या ऐसे व्यक्ति के अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से 2 (दो) दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, दिया जायेगा।

12.6 सदिग्ध चोरी

- क) ऐसे सभी मामलों में जहां निरीक्षण पर चोरी प्रमाणित नहीं की जा सकती है लेकिन उपभोग पद्धति, आदि के आधार पर चोरी का संदेह है, प्राधिकृत अधिकारी जब्ती ज्ञापन के अधीन पुराने मीटर को हटा सकता है और इसे उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में सील कर सकता है जिस पर दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, और नए मीटर के साथ उपभोक्ता को आपूर्ति बहाल करेगा:

बशर्ते कि यदि पिछले 1 (एक) वर्ष के लिए उपभोग की पद्धति यथोचित रूप से एक जैसी हो और मूल्यांकन की गई उपभोग के 75% से कम न हो, तो आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और निर्णय 3 (तीन) दिनों के भीतर उपभोक्ता को सूचित किया जाएगा।

- ख) मीटर का परीक्षण उप-विनियम 12.4 (घ)(vi) के अनुसार किया जाएगा।

- ग) यदि प्राधिकृत अधिकारी, भार और उपभोग पद्धति से असंगत उपभोग, मीटर परीक्षण के परिणाम, निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर यह निष्कर्ष करता है कि यह प्रथम दृष्टया विद्युत चोरी का मामला है, तो उप-विनियम 12.5 और 12.7 में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:

बशर्ते कि प्राधिकृत अधिकारी मीटर परीक्षण रिपोर्ट के 7 (सात) दिनों के भीतर विद्युत की चोरी के मामले की पुष्टि करते हुए आख्यात्मक आदेश पारित करेगा।

12.7 अधिनियम की धारा 152 के अधीन अपराध का शमन

सशक्त अधिकारी, उपभोक्ता, या विद्युत चोरी करने वाले व्यक्ति या विद्युत की चोरी करने वाला संशयास्पद व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर और विशेष अदालत में कानूनी कार्यवाही

के आरम्भ के बावजूद पहले शमन हेतु अपनी संतुष्टि के पश्चात अधिनियम की धारा 152 (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दरों पर और उसके अभाव में उस खंड के साथ प्रदर्शित होने वाली तालिका के अनुसार अपराध का शमन करके धनराशि स्वीकार कर सकता है।

- क) उपरोक्त धनराशि का भुगतान करने पर, विद्युत की चोरी के अपराध में हिरासत में रखा गया कोई भी व्यक्ति दोष मुक्त हो जाएगा और किसी भी दण्ड न्यायालय में ऐसे उपभोक्ता या व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या जारी नहीं की जाएगी।
- ख) अपराध का शमन करने के लिए इस तरह के धन की स्वीकृति को दंड प्रक्रिया कोड, 1973 की धारा 300 के अर्थ के अन्तर्गत दोषमुक्ति माना जाएगा।
- ग) इस तरह के प्रशमन का लाभ उठाने के लिए, उपभोक्ता या व्यक्ति इस आशय का वचन देंगे कि विद्युत की आपराधिक चोरी का ऐसा प्रशमन पहली बार किया जा रहा है।
- घ) प्रशमन शुल्क जमा करने के बाद, सिविल देयता राशि बकाया रहेगी और इन नियमों के अनुसार पुनः कनेक्शन का उपाय किए जाने तक कनेक्शन विच्छेदित रहेगा।

12.8 विद्युत की चोरी के कारण विच्छेदित आपूर्ति को पुनः चालू करना

- क) उपभोक्ता द्वारा निम्न राशि के भुगतान के 48 घंटे के भीतर अनुज्ञप्तिधारी परिसर में विद्युत की आपूर्ति पुनः चालू करेगा-
 - i उप-विनियम 12.5 के अनुसार निर्धारित राशि (सिविल देयता), या
 - ii लोक अदालत सहित किसी भी न्यायालय द्वारा जमा किए जाने की अनुमति।
- ख) यदि आवेदक जो कि विद्यमान मौजूदा उपभोक्ता नहीं है, द्वारा मूल्यांकित राशि जमा करायी जाती है तो परिसर में आपूर्ति का कनेक्शन वांछित होने पर इन विनियमों के अनुसार प्राथमिकता और कनेक्शन जारी करने से सम्बन्धित प्रावधानों के अध्यधीन यथा नये कनेक्शन के मामलों के व्यवहारित किया जाएगा।
- ग) विद्युतापूर्ति की बहाली अधिनियम की धारा 135 के अनुसार विद्यमान उपभोक्ता के विरुद्ध अधिनियम की धारा 154 की उपधारा 5 और 6 के अधीन सिविल दायित्वों को

पूर्ण करने/आपराधिक कार्यवाही आरम्भ करने के अनुज्ञप्तिधारी के अधिकार के लिये बिना किसी पूर्वाग्रह के होगी।

- घ) यदि प्रशमन प्रभार जमा नहीं किया जाता है, तो निरपवाद रूप से दाण्डिक कार्यवाही शुरू करने के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफ.आई.आर.) दायर की जाएगी।

12.9 विद्युत संयंत्र से छेड़छाड़, दुर्गति या क्षति आदि

- क) किसी व्यक्ति द्वारा विद्युत संयंत्र, विद्युत लाइनों से छेड़छाड़, उनकी दुर्गति या क्षति के मामले में, अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अन्य कार्यवाही के अतिरिक्त, ऐसे विद्युत संयंत्र, विद्युत लाइनों की मरम्मत या प्रतिस्थापन की अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यथा निर्धारित लागत की वसूली कर सकता है और/या व्यक्ति से मीटर के प्रति प्रतिभूति निक्षेप (यदि मीटर क्षतिग्रस्त हैं) का समपहरण कर सकता है और उसकी आपूर्ति को विच्छेद कर सकता है।
- ख) अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति को कम से कम सात दिन का नोटिस देगा और उसके स्पष्टीकरण पर विचार करेगा और उप-विनियम 12.9 (क) के अधीन लागत की वसूली या उसकी आपूर्ति को विच्छेदित करने की कार्यवाही से पहले आख्यापक आदेश जारी करेगा। आख्यापक आदेश के 7 दिनों के भीतर व्यक्ति अधीक्षण अभियंता के पास अपील दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा और अधीक्षण अभियंता 15 दिनों के भीतर अपील का फैसला करेगा। अधीक्षण अभियंता को आख्यापक आदेश जारी करना होगा। व्यक्ति, अगर व्यथित है, तो उपयुक्त शिकायत निवारण मंच से संपर्क कर सकता है, अगर ऐसा वांछित है।
- ग) छेड़छाड़ किये गये या क्षतिग्रस्त संयंत्र, लाइन की मरम्मत/प्रतिस्थापन के 24 घंटे के भीतर, आपूर्ति पुनः चालू की जाएगी।
- घ) धारा 138 के अधीन बनाए गए मामलों को उपकरण/संयंत्र की मरम्मत/क्षति के लिए शुल्क की वसूली के प्रति इस विनियम के अनुसार व्यवहारित किया जाएगा। जहां तक किसी प्रशमन प्रभार और सिविल देयता राशि, यदि कोई है, का संबंध है तो उसे अधिनियम की धारा 135 और 152 के अधीन इन विनियमों के प्रावधानों अनुसार व्यवहारित किया जाएगा।

अध्याय-13

अन्य प्रावधान

13.1 परिसर में प्रवेश करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी की शक्ति

- क) कोई भी अनुज्ञप्तिधारी या कोई भी व्यक्ति, जो किसी भी उचित समय पर और अपने प्रयोजन से अधिवासी को सूचित करने के लिए किसी भी परिसर में प्रवेश करता है, जिसमें विद्युतापूर्ति है, या उसके द्वारा आपूर्ति की गई है या कोई भी परिसर जिसे सर्विस लाइन के लिए उपयोग किया गया है या लाइनें या ऐसे परिसर जिनमें भूमिगत या जिनके उपर से निम्न उद्देश्य के लिए सर्विस लाइन दी गयी है
- i मीटर, विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र से छेड़छाड़, दुर्गति या क्षति के संबंध में मीटर, विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र का निरीक्षण ।
 - ii परिवर्तन, मीटर रीडिंग, रखरखाव, हटाने और किसी भी मीटर, विद्युत लाइन या विद्युत प्लांट का प्रतिस्थापन ।
 - iii परिसर का अधिभोक्ता या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में आपूर्ति के विच्छेदित या आपूर्ति को पुनः चालू करने हेतु।
 - iv ऐसे परिसर में रहने वाले वयस्क पुरुष सदस्य की उपस्थिति को छोड़कर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच घरेलू परिसर का कोई निरीक्षण नहीं किया जाएगा।
- ख) जहां उपभोक्ता उप-विनियम 13.1 (क) के प्रयोजनों के लिए अपने परिसर या भूमि में प्रवेश करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी या उसकी ओर से काम करने वाले किसी व्यक्ति को अनुमति देने से इनकार करता है या प्रवेश करने के पश्चात, उसे उस कार्य को जिसे वह करने के लिए अधिकृत है, करने की अनुमति देने से इनकार करता है तो अनुज्ञप्तिधारी लिखित में नोटिस देने से 24 घण्टे व्यतीत होने के पश्चात उपभोक्ता की आपूर्ति काट सकता है।
- ग) जब तक उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी या उसकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति को परिसर में प्रवेश करने और उप-विनियमन 13.1 (क) के अधीन अपना कार्य करने की अनुमति नहीं देता है, तब तक के लिए आपूर्ति बंद रहेगी। परन्तु आपूर्ति लम्बे समय के लिये बंद नहीं होगी।

- घ) अनुज्ञप्तिधारी अपने अधिकृत प्रतिनिधि की जो परिसर में प्रवेश करना चाहता है, आधिकारिक पहचान प्रमाण दिखाने के लिए बाध्य होगा।

13.2 स्वीकृत सम्बद्ध भार/स्वीकृत सम्बद्ध अनुबंध मांग में वृद्धि/कमी की आवश्यकता

- क) यदि किसी उपभोक्ता को अपने सम्बद्ध भार/मांग में वृद्धि/कमी की आवश्यकता है, तो अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने और उचित व्यय का भुगतान जिसे वह सेवा की प्रकृति और उपभोक्ता की श्रेणी के लिए प्रभारों की अनुसूची (अनुसूची-1) के अधीन इस तरह के भार/मांग के लिए वसूल करने के लिए अधिकृत है, करने की अपेक्षा कर सकता है।
- ख) 1 वर्ष की प्रारंभिक समझौता अवधि के दौरान भार में कमी/स्थायी रूप से विच्छेदन के मामले में, उपभोक्ता को समझौते की असमाप्त अवधि के लिए स्थायी प्रभारों का भुगतान करना होगा।
- ग) समझौते की अवधि को भार की वृद्धि/कमी की मंजूरी के प्रत्येक उत्तरवर्ती तारीख से यथा एक (1) वर्ष माना जाएगा। अग्रतर, एक बार भार बढ़ा दिए जाने के पश्चात, विस्तारित समझौते की असमाप्त अवधि के स्थायी प्रभारों के जमा कराने के पश्चात 1 वर्ष के भीतर इसे कम करने की अनुमति दी जा सकती है।
- घ) एक बार भार/मांग कम कर दी गयी है, तो इसे विस्तारित समझौते की असमाप्त अवधि के लिए स्थायी प्रभारों के भुगतान के अध्यधीन कमी के एक वर्ष के भीतर और कम करने की अनुमति दी जाएगी।
- इ) सम्बद्ध भार/अनुबंध मांग में किसी वृद्धि के मामले में, अनुज्ञप्तिधारी को 45 दिनों के नोटिस की आवश्यकता होगी। संबंधित उप-खण्ड कार्यालय में भार/मांग में वृद्धि के लिये विद्युत लाइन/संयंत्र प्रदान करने के लिये प्रतिभूति और व्यय और वितरण मेन्स का विस्तार या संयंत्र की लागत, जैसी भी स्थिति हो, की राशि के साथ पूरा आवेदन प्राप्त होने की तारीख नोटिस की तिथि के रूप में माना जायेगा। यदि अनुज्ञप्तिधारी ऐसी नोटिस-अवधि के भीतर प्रस्तावित वृद्धि के लिये स्वीकृति देने या अस्वीकार करने के कारणों को सूचित करने में विफल रहता है या सम्बद्ध भार/अनुबंध मांग में प्रस्तावित वृद्धि को स्वीकृत नहीं किया है, तो अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली पर बढ़ी हुई भार मांग को स्थापित करने के बारे में उपभोक्ता द्वारा लिखित में प्रासंगिक प्रमाणन और/या सूचना

के अधीन वृद्धि की स्वीकृति दे दी गई माना जायेगा। नोटिस की अवधि समाप्त होने पर, तदनुसार, अन्य शर्तों की पूर्ति के अधीन, यदि कोई हो, उपभोक्ता का बिल बनाया जायेगा, उसके पश्चात:

बशर्ते कि सम्बद्ध भार/अनुबंध मांग में उपरोक्त वृद्धि निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

- (i) अन्तर्निहित वितरण प्रणाली अतिभारित है या यह तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं है।
- (ii) यदि तकनीकी व्यवहार्यता के लिये नई लाइन खींचने के लिये आवेदक द्वारा कोई अतिरिक्त राशि जमा करना अपेक्षित है;

विद्यमान सब-स्टेशन की क्षमता के परिवर्तन/नये को स्थापित करके उपभोक्ता को अपने स्वयं के सिस्टम का संवर्धन करना और अपेक्षित स्थापना प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

- च) सम्बद्ध भार/अनुबंध मांग में किसी भी कमी के मामले में, अनुज्ञप्तिधारी को 30 दिनों के नोटिस की आवश्यकता होगी। संबंधित उप-खण्ड कार्यालय में भार/मांग में कमी के लिये पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि को नोटिस की तिथि माना जायेगा। यदि अनुज्ञप्तिधारी ऐसी नोटिस-अवधि के भीतर प्रस्तावित कमी के लिये स्वीकृति देने या अस्वीकार करने के कारणों को सूचित करने में विफल रहता है या सम्बद्ध भार/अनुबंध मांग में प्रस्तावित कमी को स्वीकृति नहीं किया है, तो कमी की स्वीकृति दे दी गई माना जायेगा।

13.3 आपूर्ति की सामान्य शर्तें

- क) अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत की आपूर्ति के लिए आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं और व्यक्तियों के लाभार्थ आयोग द्वारा बनाये गये विनियमों और आपूर्ति के नियमों और शर्तों जो कि अधिनियम से असंगत न हो, के बारे में विस्तृत निर्देश जारी करेगा, जिनमें निम्न से सम्बन्धित विवरणात्मक जानकारी होगी:
 - i उपभोक्ता के और अनुज्ञप्तिधारी के अधिष्ठापन की तकनीकी आवश्यकताएं और सी.ई.ए. द्वारा जारी संबंधित विनियमों द्वारा यथा निर्दिष्ट सुरक्षा से संबंधित प्रावधान,

- ii अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निरीक्षण की प्रक्रिया,
- iii प्रतिभूति की आवश्यकता,
- iv समझौता जो कि उपभोक्ता को विद्युतापूर्ति के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी के साथ निष्पादित करना होगा,
- v आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के प्रावधानों के अनुरूप शिकायत निवारण, मीटरिंग, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदान की गई विविध सेवाओं के लिए प्रभार और सभी सम्बन्धित मामलें, उसके अनुज्ञप्ति के निबन्धन और शर्तें और समय-समय पर आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित टैरिफ के निबन्धन और शर्तें,
- vi आयोग द्वारा बनाये गये विनियम के प्रावधानों के अनुरूप अन्य संबंधित मामलें, अनुज्ञप्ति के निबन्धन और शर्तें एवं टैरिफ के निबन्धन और शर्तें।

13.4 विद्युत लाइन, विद्युत संयंत्र, प्रतिभूति और विविध सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रभार

पर्यवेक्षण प्रभारों के साथ-साथ कनेक्शन जारी करने के लिए/विद्युतीकरण/विविध सेवाओं/प्रतिभूति आदि के लिये इन विनियमों की प्रभारों की अनुसूची (अनुसूची- I) के अनुसार प्रभार लागू होंगे।

13.5 परिसंपत्ति का इष्टतम उपयोग

वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपनी संपत्ति का बेहतर उपयोग कर सकता है जैसे कि से अपनी संपत्ति के इष्टतम उपयोग के लिए सुरक्षा लाइनों और अन्य तकनीकी मानदंडों के पालन के अधीन संचार लाइनों, केबलों को बिछाने के लिए खम्भों का उपयोग करना। इसके लिये अनुज्ञप्तिधारी व्रत्त स्तर पर उपयुक्त समिति(यां) बनायेंगे। अनुज्ञप्तिधारी इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश भी जारी करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारित दर न्यायोचित और उचित है, उपयोग किये गये खंभों की संख्या या बिछाई गई केबल की लंबाई या माप के किसी अन्य तरीके, जैसी भी स्थिति हो, के संदर्भ में बिलिंग की जा रही है और उपयोगकर्ताओं से संग्रहित की जा रही है। संबंधित सहायक अभियन्ता/ उप-विभागीय अधिकारी सत्यापन पर आधारित अनुमोदित दर के अनुसार सम्पूर्ण प्रभारों की वसूली के लिये उत्तरदायी होंगे।

13.6 इंटरकनेक्शन के मामले में सुरक्षा

आपूर्ति का कोई भी वैकल्पिक स्रोत उपभोक्ता के नेटवर्क तक ही सीमित रहेगा और उपभोक्ता बैटरी पावर/डीजल जनरेटर पावर/बैक-अप या कोई मीटर प्लांट के पीछे की ओर (जो नेट मीटरिंग विनियम के अधीन आवृत्त नहीं हैं) अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क पर वापस आ रहा है, को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय अपनाने के लिए जिम्मेदार होगा। प्रोजेक्ट/व्यक्ति सीईए (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 और अन्य तकनीकी एवं कनेक्टीविटी मानको/दिशा-निर्देशों जैसा कि सीईए या आयोग द्वारा निर्दिष्ट की जाये का अनुपालन भी सुनिश्चित करेगा।

13.7 विद्यमान विद्युत लाइनों और अन्य संरचनाओं के स्थानांतरण की लागत को साझा करना

इन विनियमों के प्रभावी होने के समय पर विद्यमान विद्युत लाइनें और अन्य संरचनाएं, जो मानव जीवन और संपत्ति के लिए संकटजनक साबित हो सकती हैं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की, तकनीकी व्यवहार्यता के अध्यधीन ऐसे स्थानांतरण के इच्छुक व्यक्ति/एजेंसी से स्थानांतरण के लिए अनुमानों की लागत का केवल 50% वसूल करके अनुमति दी जा सकती है और शेष 50% लागत डिस्कॉम द्वारा वहन की जायेगी।

अनुज्ञप्तिधार यह सुनिश्चित करेगा कि सभी लाइनें और संयंत्र सीईए सुरक्षा विनियमों के अनुसार स्थापित की गई हैं और उपभोक्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि भवन के निर्माण/परिवर्तन के मामले में अनापत्ति सीईए सुरक्षा विनियमों के अनुसार अनुरक्षित है। अनुज्ञप्तिधारी को इस संबंध में नियमित अन्तराल पर जन जागरूकता के लिए नोटिस भी जारी करने चाहिए।

13.8 सामान्य प्रावधान

- 1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपनी वेबसाइट पर और अपने सभी कार्यालयों में नोटिस बोर्ड पर निम्नलिखित को प्रदर्शित करेगा, अर्थात:
 - क) नये कनेक्शन, अस्थायी कनेक्शन, मीटर या सर्विस लाइन की शिफ्टिंग, उपभोक्ता श्रेणी में परिवर्तन, भार में वृद्धि, भार में कमी या नाम में परिवर्तन, स्वामित्व का स्थानांतरण और परिसर का स्थानांतरण आदि की स्वीकृति के लिये विस्तृत प्रक्रिया;

- ख) कार्यालयों के पते और टेलीफोन नंबर जहां भरे हुये आवेदन फार्म प्रस्तुत किये जा सकते हैं;
- ग) आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने के लिये वेबसाइट का पता;
- घ) आवेदन के साथ संलग्न होने के लिये अपेक्षित दस्तावेजों की प्रतियों की पूरी सूची;
- ड) आवेदक द्वारा जमा कराये जाने वाले सभी लागू प्रभार।
- 2) वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपनी वेबसाइट/वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप और इसके विभिन्न क्षेत्र-वार नामित कार्यालय के माध्यम से विभिन्न सेवाओं जैसे आवेदन प्रस्तुतीकरण, आवेदन की निगरानी स्थिति, बिलों का भुगतान आदि तक की पहुंच उपभोक्ताओं को प्रदान करेगा।
- 3) वितरण अनुज्ञप्तिधारी वरिष्ठ नागरिकों और विशेष योग्यजन व्यक्तियों को उनके घर पर आवेदन प्रस्तुत करने, बिलों का भुगतान आदि जैसी सभी सेवायें प्रदान करेगा।
- 4) वितरण अनुज्ञप्तिधारी सामान्य सेवायें प्रदान करने और उपभोक्ता शिकायतों से निपटने के लिये प्रक्रिया के मैनुअल जारी करते हुये उपभोक्ताओं और अनुज्ञप्तिधारी के कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिये आवश्यक कदम उठायेगा एवं सुरक्षा, मीटिंग और बिलिंग, टैरिफ परिवर्तनों और अन्य महत्वपूर्ण मामलों के बारे में सार्वजनिक विज्ञापन जारी करेगा।

अध्याय-14

विविध

14.1 कठिनाइयों को निवारण

यदि इन विनियमों के प्रावधानों को प्रभावी करने में या इन विनियमों की या संबंधित मामलों के निर्वचन के मामले में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, आयोग स्वप्रेरणा से या किसी भी व्यक्ति द्वारा ध्यान में लाया गया हो सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक या समीचीन कार्यवाही करने का निर्देश दे सकता है।

14.2 निरसन और व्यावृत्ति

क) इन विनियमों के प्रारंभ होने पर, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रदाय कोड तथा सम्बद्ध मामलें) विनियम, 2004 एवं उनके संशोधन निरस्त हो जाएंगे।

ख) इन विनियमों के प्रारंभ होने पर, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के किसी भी विनियम, मानक, कोड या प्रक्रिया में राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय कोड तथा सम्बद्ध मामलें) विनियम, 2004 के किसी भी संदर्भ को राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रदाय कोड तथा सम्बद्ध मामलें) विनियम, 2021 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना माना जाएगा।

आयोग के आदेश द्वारा

सचिव

विशेष टिप्पणी: मूल अंग्रेजी भाषा में विनियम एवं उसके हिन्दी रूपान्तरण में अगर अंतर होता है, तो अंग्रेजी भाषा का अभिप्राय ही मान्य होगा।

अनुसूची-I

1. आवेदन शुल्क

क. एलटी आपूर्ति के लिए

क्र. सं.	विवरण	प्रस्तावित प्रभार	संबंधित विनियम
i.	एलटी एकल फेज*	200 रुपये	6.1
ii.	एलटी तीन फेज*	500 रुपये	
iii.	विविध कार्य जैसे स्थानांतरण, भार वृद्धि/ कमी, श्रेणी का परिवर्तन, नाम परिवर्तन आदि।	100 रुपये	

* बशर्ते कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आवेदन शुल्क शून्य होगा। तथापि घरेलू उपभोक्ता 100 रुपये यथा अग्रिम के जमा करायेगा जिसे उसके डिमाण्ड नोटिस में समायोजित किया जायेगा।

ख. एचटी आपूर्ति के लिए

क्र. सं.	विवरण	प्रस्तावित प्रभार	संबंधित विनियम
i.	11 केवी	1000 रुपये	6.1
ii.	33 केवी	2000 रुपये	
iii.	132 केवी और अधिक	4000 रुपये	
iv.	विविध कार्य जैसे स्थानांतरण, भार वृद्धि / कमी, श्रेणी में परिवर्तन, नाम परिवर्तन आदि।	500 रुपये	

2. विद्युत लाइन/संयंत्र और वितरण मैन्स और/या सर्विस लाइन का विस्तार प्रदान करने के लिए व्यय

2.1 आवेदन के साथ जमा कराये जाने वाली राशि (विनियम 6 देखें)

क. एलटी आपूर्ति के लिए

क्र. सं.	विवरण	प्रस्तावित प्रभार	संबंधित विनियम
1	घरेलू	जनजातीय उपयोजना: 750/- रुपये ग्रामीण: <u>5किलोवाट तक</u> एकल फेज/तीन फेज: 1500 रुपये <u>5किलोवाट से अधिक</u> एकल फेज/तीन फेज: 1500 रुपये एवं अतिरिक्त राशि @ 200 रुपये प्रति किलोवाट या 5किलोवाट के अधिक में उसका अंश। नगरीय: <u>5किलोवाट तक</u> एकल फेज/तीन फेज: 3000 रुपये <u>5किलोवाट से अधिक</u> एकल फेज / तीन फेज: 3000 रुपये एवं अतिरिक्त राशि @ 200 रुपये	6.1

		प्रति किलोवाट या 5किलोवाट के अधिक में उसका अंश।	
2	अधरेलू	एकल फेज / तीन फेज: 3000 रुपये एवं अतिरिक्त राशि @ 300 रुपये प्रति किलोवाट।	
3	सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था	5000/- रुपये प्रति कनेक्शन। इसमें लाइन / नेटवर्क लागत शामिल नहीं है।	
4	लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और मिश्रित भार एलटी आपूर्ति	एकल फेज / तीन फेज: 4000 रुपये एवं अतिरिक्त राशि @ 300 रुपये प्रति किलोवाट।	

ख. एचटी आपूर्ति: 10,000/- रुपये

ग. ईएचटी आपूर्ति: 20,000/- रुपये

घ. मीटर बॉक्स की लागत: जहां अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदान किया गया है वहां मीटर बॉक्स की लागत निम्न प्रकार से अतिरिक्त वसूल की जाएगी:

क्र. सं.	विवरण	राशि रुपये में
1	एलटी एकल फेज/ 3 फेज मीटर के लिए मीटर बॉक्स	स्टोर निर्गम दर के अनुसार
2	पैनल एचटी के लिये/ ईएचटी आपूर्ति/ मीटर बॉक्स	

टिप्पणी: 1. जहां पर पुश-फिट मीटर एकल फेज और तीन फेज पूरे वर्तमान मीटर के लिए प्रदान किए जाते हैं, मीटर बॉक्स के लिए कोई अतिरिक्त लागत वसूली योग्य नहीं होगी।

2. उस मामले में जहां क्षेत्र विद्युतिकृत है अर्थात् वितरण मैन्स/ आपूर्ति लाइन के विस्तार की आवश्यकता नहीं है, उपर के अलावा अतिरिक्त प्रभारों को जमा कराने की आवश्यकता नहीं है।

2.2 वितरण मैन्स/आपूर्ति लाइन के विस्तार के लिये मांग पर जमा कराये जाने वाली अतिरिक्त राशि (विनियम 7.2 और 7.3 देखें)

क. एलटी आपूर्ति के लिए

क्र. सं.	उपभोक्ता की श्रेणी	उपरोक्त मद 2(1) के अधीन देय राशि के अतिरिक्त जमा करायी जाने वाली राशि	संबंधित विनियम
1	घरेलू और अघरेलू (शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण अबादी क्षेत्र में)	300 मीटर से अधिक वितरण मैन्स और/या सेवा लाइन के विस्तार के लिए: क) एकल फेज आपूर्ति के लिये: 150 रुपये प्रति मीटर ख) तीन फेज आपूर्ति के लिये: 225 रुपये प्रति मीटर	7.2 एवं 7.3
2	सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था	वास्तविक सामग्री लागत + श्रम और यथा प्रयोज्य उपरी प्रभार	
3	लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और मिश्रित भार	50 मीटर से अधिक वितरण मेनस् और/या सेवा लाइन के विस्तार के लिए: क) एकल फेज आपूर्ति के लिये: 150 रुपये प्रति मीटर ख) तीन फेज आपूर्ति के लिये: 225 रुपये प्रति मीटर	

टिप्पणी: 1. यदि कनेक्शन विद्यमान एलटी सिस्टम और कमीशन किए जाने वाले नए सब-स्टेशन से व्यवहार्य नहीं है, तो एचटी वितरण मैन्स के विस्तार की आवश्यकता होगी, यह उपभोक्ता से 225 रुपये प्रति मीटर की दर से वसूल किया जाएगा। तथापि, सब-स्टेशन, यदि कोई हो, की लागत की आवश्यकता है तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन की जायेगी।

2. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सर्विस लाइन प्रदान की जायेगी। जहां अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सर्विस लाइन प्रदान नहीं की जाती है तब अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता द्वारा अनुसूची 2.1 (क) के अनुसार उपभोक्ता द्वारा जमा करायी गयी राशि का 25 प्रतिशत क्रेडिट प्रदान करेगा।

ख. एचटी/ ईएचटी आपूर्ति:

एचटी आपूर्ति के लिये, सभी कार्यों का वास्तविक लागत अनुमान वितरण अनुज्ञप्तिधारी के संबंधित अधिकारी द्वारा तैयार किया जायेगा और ईएचटी आपूर्ति के लिये इस तरह के

अनुमान को, यदि आवश्यक हो, तो क्षेत्र की स्थितियों के अनुसार वास्तविक सर्वेक्षण करने के पश्चात् वितरण अनुज्ञप्तिधारी के परामर्श से तैयार किया जायेगा। लागत का अनुमान सिविल कार्यों के साथ-साथ श्रम लागतों और लागू होने वाले श्रम और उपरि प्रभार और संयंत्र लागत के प्रति अनुबंध मांग के 400/- रु प्रति केवीए पर भी लगाया जायेगा। आवेदन के साथ जमा की गई अग्रिम राशि को उपरोक्त अनुमान के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।

ग. विद्युतीकरण प्रभार:

- i) ऐसे मामले जहां उपभोक्ता/विकासक स्वयं अपने स्तर पर काम कराते हैं, कुल अनुमानित लागत के 5% की दर से पर्यवेक्षण प्रभार वसूली योग्य होंगे।
 - ii) यदि विकासक ने विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया है और उपभोक्ता के परिसर तक सर्विस लाइन प्रदान कर दी है, अनुसूची-1 के बिंदु संख्या 2 पर निर्धारित प्रभार के स्थान पर कुल अनुमानित लागत के 5% की दर से पर्यवेक्षण प्रभार वसूली योग्य होंगे।
- घ) आवासीय कॉलोनियों/टाउनशिप (उपनगर बस्ती) की आपूर्ति विकासक द्वारा विकसित की गयी है, लेकिन विकासक विद्युतीकरण का काम प्रारम्भ करने/ पूरा करने के लिये तैयार नहीं है।

क्र. सं.	विवरण	राशि (रुपये)	संबंधित विनियम
1	नगर निगम क्षेत्र	प्लॉट क्षेत्र का 100 रुपये प्रति वर्ग गज	7.6
2	नगर परिषद क्षेत्र	प्लॉट क्षेत्र का 85 रुपये प्रति वर्ग गज	
3	नगर पालिका क्षेत्र	प्लॉट क्षेत्र का 75 रुपये प्रति वर्ग गज	
4	ग्रामीण क्षेत्र (उपरोक्त में आवृत्त नहीं है।)	प्लॉट क्षेत्र का 65 रुपये प्रति वर्ग गज	

- ड.) अविद्युतिकृत पुरानी हवेलियां बहुमंजलीय संकुल/भवन के अंतर्गत मामलों के लिये विद्युतीकरण प्रभार

क्र. सं.	विवरण	राशि (रूपये)	संबंधित विनियम
1	घरेलू	आवेदित भूमि क्षेत्र पर आधारित 25 रुपये प्रति वर्ग फुट	7.10
2	अघरेलू एवं अन्य	आवेदित भूमि क्षेत्र पर आधारित 30 रुपये प्रति वर्ग फुट	

3. मीटर और मीटरिंग उपकरण के लिए प्रतिभूति राशि

क्र. सं.	विवरण	राशि (रूपये)	संबंधित विनियम
1	ऊर्जा मीटर 1-फेज स्थैतिक प्रकार (सभी क्षमता)	900/-	8.6
2	स्मार्ट/पूर्वदत्त ऊर्जा मीटर 1-फेज	2,500/-	
3	ऊर्जा मीटर 3-फेज 4-वायर स्थैतिक प्रकार	2,500/-	
4	स्मार्ट/पूर्वदत्त ऊर्जा मीटर 3-फेज	5,000/-	
5	एलटी टाइमिंग मीटर (स्थैतिक)	4,000/-	
6	एचटी टाइमिंग मीटर - 0.5 वर्ग	15,000/-	
7	एलटी सीटी - वर्ग 0.5, बर्डन 15 वीए, बैकेलाइट प्रकार	600/-	
8	एलटी सीटी - वर्ग 0.5, बर्डन 10 वीए, रेजीन कास्ट प्रकार	300/-	
9	11 केवी सीटी पीटी सेट - सभी रेटिंग के	35,000/-	
10	33 केवी सीटी पीटी सेट - सभी रेटिंग के	1,10,000/-	
11	ईएचटी सीटी- सभी रेटिंग के (प्रति सेट)	राविप्रनि मानक निर्गम दर के अनुसार	
12	ईएचटी पीटी/सीवीटी- सभी रेटिंग के (प्रति सेट)	राविप्रनि मानक निर्गम दर के अनुसार	

टिप्पणी:

1. नया कनेक्शन जारी करने या मीटर बदलने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, पिछले वित्तीय वर्ष की मानक/भंडार निर्गम दर के आधार पर उपरोक्त प्रतिभूति राशि को संशोधित किया जा सकता है।
2. मौजूदा उपभोक्ताओं के लिए प्रतिभूति राशि को संशोधित नहीं किया जाएगा।
3. मीटर बदलने से जुड़े मामलों में, विद्यमान प्रतिभूति राशि के लिए क्रेडिट प्रदान किया जाएगा।
4. सरकारी क्वार्टर में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों से प्रतिभूति जमा। (ऊर्जा और मीटर के प्रति)

आवास का प्रकार	प्रतिभूति जमा की राशि	संबंधित विनियम
'ए' से 'सी' प्रकार के	1000/- रुपये	8.6
'डी' से 'एच' प्रकार के	500/- रुपये	

5. किराया प्रभार**(1) ट्रांसफार्मर किराया**

जिन उपभोक्ताओं को एचटी पर आपूर्ति लेने की आवश्यकता है और स्वयं के ट्रांसफार्मर को अधिष्ठापित स्थापित करने के स्थान पर निगम के ट्रांसफार्मर और डी.पी./ स्वीचगेयर के लिए चयन करते हैं, उनसे निगम द्वारा ट्रांसफार्मर के अधिष्ठापन के लिए निम्न दरों पर किराया लिया जाएगा:

विवरण	राशि (रुपये)
(क) 60 केवीए तक की अनुबंध मांग के लिए	3000/- रुपये प्रति माह
(ख) 60 केवीए से अधिक परन्तु 100 केवीए तक की अनुबंध मांग के लिए	4000/- रुपये प्रति माह
(ग) 100 केवीए से अधिक परन्तु 160 केवीए तक की अनुबंध मांग के लिए	5500/- रुपये प्रति माह
(घ) 160 केवीए से अधिक की अनुबंध मांग के लिए	5500/- रुपये + 160 केवीए से अधिक प्रत्येक केवीए के लिये 50/- रुपये प्रति माह

(2) अन्य उपकरण

विवरण	प्रभार
(क) एलटी करंट ट्रांसफार्मर	100/- रुपये प्रति सेट प्रति माह
(ख) 11 केवी सीटी पीटी सेट	900/- रुपये प्रति सेट प्रति माह
(ग) 33 केवी सीटी पीटी सेट	2200/- रुपये प्रति सेट प्रति माह
(घ) ईएचटी सीटी पीटी सेट	9000/- रुपये प्रति सेट प्रति माह

6. अस्थायी कनेक्शन के लिए लाइन और संयंत्र प्रभार

(1) स्थायी प्रभार

क्र. सं.	विवरण	प्रभार	संबंधित विनियम
(i)	5 किवा तक की एलटी आपूर्ति	1000/- रुपये प्रति कनेक्शन	6.9
(ii)	5 किवा से अधिक और 25 किवा तक की एलटी आपूर्ति	2000/- रुपये प्रति कनेक्शन	
(iii)	25 किवा से अधिक और 50 किवा तक की एलटी आपूर्ति	5000/- रुपये प्रति कनेक्शन	
(iv)	11 केवी या 33 केवी आपूर्ति	10,000/- रुपये प्रति कनेक्शन	

टिप्पणी: एक महीने तक की अवधि के लिए सीटी और सीटीपीटी सेटों के लिए उपरोक्त नियत प्रभारों में किराया शामिल हैं। यदि अस्थायी कनेक्शन की अवधि एक महीने से अधिक है, तो सीटी/पीटी के लिए एक महीने की अवधि से अधिक दिनों की संख्या के लिए किराया प्रति दिन के आधार पर लिया जाएगा।

(2) लाइन की लागत के प्रति प्रभार

क्र. सं.	विवरण	प्रभार	संबंधित विनियम
(i)	एलटी लाइनें		6.9

(क)	एकल फेज	50/- रुपये प्रति मीटर
(ख)	तीन फेज	75/- रुपये प्रति मीटर
(ii)	9 मीटर पीसीसी पोल पर 11 केवी एकल पथ लाइन	85/- रुपये प्रति मीटर
(iii)	9 मीटर पीसीसी पोल पर 33 केवी एकल पथ लाइन	140/- रुपये प्रति मीटर

अस्थायी कनेक्शन की अवधि पूर्ण होने के पश्चात्, लाइन हटा दी जायेगी या हटा दी गयी माना जायेगी।

(3) ट्रांसफार्मर के प्रति प्रभार (यदि आवश्यक हो)

(क) ट्रांसफार्मर के अधिष्ठापन और हटाने के प्रभार: 3000/- रुपये।

(ख) ट्रांसफार्मर का किराया: सामान्य शुल्क, अनुसूची 5(1) में निर्धारित। यदि अस्थायी कनेक्शन की अवधि एक महीने से अधिक है, तो ट्रांसफार्मर के लिए एक महीने की अवधि से अधिक दिनों की संख्या के लिए किराया प्रति दिन के आधार पर लिया जाएगा।

(4) समायोज्य अंश

12 घंटे प्रति दिन विद्युत के न्यूनतम उपयोग के साथ कनेक्शन के उपयोग की संभावित अवधि के आधार पर और उपभोक्ता की संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित अस्थायी आपूर्ति शुल्क (दोनों नियत और ऊर्जा प्रभार) पर अग्रिम उपभोग प्रभारों की गणना की जायेगी। बिलिंग "विद्युत की आपूर्ति के लिए टैरिफ" के अधीन "अस्थायी आपूर्ति के लिए टैरिफ" के आधार पर की जायेगी।

7. पुनः कनेक्शन प्रभार

सेवा का प्रकार	प्रतिभूति जमा की राशि	संबंधित विनियम
(क) निम्न आतति सेवा		11.8
(i) एकल फेज	200/- रुपये	
(ii) तीन फेज	600/- रुपये	

(ख) उच्च आतति सेवा	2,000/- रुपये	
(ग) अतिरिक्त उच्च आतति सेवा	10,000/- रुपये	

8. उपभोक्ता के अनुरोध पर मीटरिंग उपकरणों के लिए परीक्षण प्रभार

विवरण	राशि (रुपये)	संबंधित विनियम
क) एलटी एकल फेज मीटर (प्रति मीटर)	35/- रुपये	9.11, 9.12
ख) एलटी तीन फेज मीटर (प्रति मीटर)	70/- रुपये	
ग) मांग या विशेष प्रकार का मीटर (प्रति मीटर)		
i) एलटी आपूर्ति के लिए	250/- रुपये	
ii) एचटी आपूर्ति के लिए	1000/- रुपये	
iii) ईएचटी आपूर्ति के लिए	2000/- रुपये	
घ) एबीटी कम्प्लेंट मीटर - 0.2 एस वर्ग	10000/- रुपये	
ड) साधन ट्रांसफार्मर:		
i) एलटी करंट ट्रांसफार्मर	100/- रुपये प्रति ट्रांसफार्मर	
ii) एचटी सीटीपीटी सेट - 0.5एस वर्ग	2000/- रुपये प्रति सेट	
0.2एस वर्ग	4000/- रुपये प्रति सेट	
iii) ईएचटी करंट या संभावित ट्रांसफार्मर	2000/- रुपये प्रति ट्रांसफार्मर	
च) कैपेसीटर इकाइयाँ: (प्रति इकाई)		
i) 5 केवीएआर तक	150/- रुपये	
ii) 5 केवीएआर से अधिक परन्तु	250/- रुपये	

10 केवीएआर तक		
iii) 10 केवीएआर से अधिक परन्तु 25 केवीएआर तक	300/- रुपये	
iv) 25 केवीएआर से अधिक	500/- रुपये	

9. निर्माता की निर्माण-शाला में मीटरिंग उपकरणों के परीक्षण की गवाही

क्र. सं.	विवरण	राशि रुपये में
1	मीटरिंग उपकरण (मीटर, सभी रेटिंग्स के सीटीपीटी सेट)	5000/- रुपये प्रति निरीक्षण

10. अन्य सामग्री के लिए परीक्षण प्रभार

विवरण	राशि रुपये में
ट्रांसफार्मर तेल (प्रति नमूना) (बीडीवी केवल)	1000/- रुपये

टिप्पणी: केंद्रीय परीक्षण प्रयोगशाला (सीटीएल) या अन्य प्रयोगशालाओं में अन्य मदों जैसे कि ट्रांसफार्मर, केबल, लाइन सामग्री आदि के लिये समय-समय पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यथा निर्धारित परीक्षण प्रभार होंगे।

11. उपभोक्ता के अधिष्ठापन का परीक्षण

विवरण	राशि रुपये में	संबंधित विनियम
क) किसी नए अधिष्ठापन का पहला निरीक्षण और परीक्षण या विद्यमान अधिष्ठापन में परिवर्धन या परिवर्तन।	शून्य	

ख) पहले निरीक्षण के समय वायरिंग कॉन्ट्रैक्टर के पर्यवेक्षक की अनुपस्थिति से या अधिष्ठापन में देखे गए दोषों के कारण आवश्यक हुआ पश्चातवर्ती निरीक्षण और परीक्षण (परीक्षण के प्रयोजनार्थ पश्चातवर्ती प्रत्येक निरीक्षण के लिए अग्रिम में देय)	एलटी - 200/- रुपये एचटी - 1000/- रुपये	6.2
--	---	-----

12. डुप्लिकेट बिल के लिए प्रभार

उपभोक्ता की श्रेणी	प्रभार
सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिल की डुप्लिकेट कॉपी	निःशुल्क

अनुज्ञप्तिधारी अपनी वेबसाइट से बिलों की प्रतिलिपि डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान करेगा जिसे भुगतान के लिये वैध माना जायेगा।

13. फ्यूज मैन की उपस्थिति

किसी भी समारोह के दौरान उपभोक्ता के परिसर में फ्यूज मैन की उपस्थिति के लिए प्रभार (अधिकतम 6 घंटे)	500/- रुपये
---	-------------

14. पुनः मोहरबन्द करने के प्रभार (यदि टूटी हुई पायी गयी)

क) मीटर बॉक्स/टर्मिनल कवर मीटर/मीटर बॉडी	50/- रुपये प्रति मीटर/ टर्मिनल कवर/ बॉडी
ख) एचटी/ईएचटी मीटरिंग पैनल	3000/- रुपये
ग) भवन संकुल में क्यूबिकल	200/- रुपये

15. मीटर बदलना

केवल उपभोक्ता की प्रेरणा पर मीटर बदलने के लिए जहां उपभोग और मांग में अस्थायी वृद्धि से यह आवश्यक हो गया है।	घरेलू
	35/- रुपये (प्रत्येक)
	अन्य-
	200/- रुपये (1-फेज)
	200/- रुपये (3-फेज)

16. एक ही परिसर में मीटर के स्थानांतरण के लिए श्रम प्रभार

एलटी- एकल फेज	100/- रुपये
तीन फेज	200/- रुपये
एचटी- 11 केवी	3000/- रुपये
33 केवी	3000/- रुपये
132 केवी या अधिक	3000/- रुपये

17. सर्विस लाइन के परिवर्तन/स्थानांतरण के लिए प्रभार

सिविल कार्यों सहित वास्तविक सामग्री लागत और श्रम और यथा प्रयोज्य उपरि शुल्क। लाइन की पुनर्प्राप्त सामग्री (जिसे हटाया और नहीं हटाया जा सकता है) के लिए अनुमानित राशि के 25% की दर से क्रेडिट अनुज्ञात की जायेगी।

18. कनेक्शन स्थानांतरण शुल्क (नाम का परिवर्तन)

क्र. सं.	विवरण	प्रभार	संबंधित विनियम
----------	-------	--------	----------------

(क)	घरेलू	50/- रुपये प्रति अधिष्ठापन	6.11
(ख)	सभी एलटी अधिष्ठापनायें	250/- रुपये प्रति अधिष्ठापन	
(ग)	एचटी अधिष्ठापनायें	2500/- रुपये प्रति अधिष्ठापन	

19. चेक अनादरण प्रभार

क्र. सं.	विवरण	प्रभार	संबंधित विनियम
1	10,000/- रुपये के समेत एवं तक की चेक राशि	100/- रुपये के न्यूनतम के अध्यधीन धनराशि का 5%	10.6
2	10,001/- रुपये से 1,00,000/- रुपये के समेत एवं तक की चेक राशि	500/- रुपये के न्यूनतम के अध्यधीन धनराशि का 3%	
3	1,00,000/- रुपये से अधिक की चेक राशि	3000/- रुपये के न्यूनतम के अध्यधीन धनराशि का 2%	

टिप्पणी: कृषि कनेक्शन के लिए प्रभार राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी कृषि नीति के अनुसार होंगे।

परिशिष्ट I

विद्युत के अनधिकृत उपयोग या विद्युत की चोरी के मामले में ऊर्जा/प्रभार के मूल्यांकन के लिए सूत्र

(क) अनधिकृत उपयोग

- i. मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ, निरीक्षण की तारीख को कनेक्टेड भार की गणना अनुलग्नक -1 के अनुसार की जाएगी।
- ii. उप-विनियम 12.2 (ग) में सूचीबद्ध विभिन्न श्रेणियों के अधीन विद्युत के अनधिकृत उपयोग की मात्रा का मूल्यांकन निम्न प्रकार किया जाएगा:

- क. 12.2 (ग)(i) - कुल भार के लिए उच्चतर टैरिफ भार के अनुपात में।
- ख. 12.2 (ग)(ii) - बड़े हुए भार की मात्रा।
- ग. 12.2 (ग)(iii)- कुल भार (बड़े हुए भार सहित) के लिए अन्य परिसर में बड़े हुए भार के अनुपात में।
- घ. 12.2 (ग)(iv) - संपूर्ण उपभोग पर।
- ङ. 12.2 (ग)(v) - संपूर्ण उपभोग पर।
- च. 12.2 (ग)(vi) - संपूर्ण उपभोग पर।

iii. प्रभार की दर

मूल्यांकन निम्नानुसार प्रभार की दरों पर किया जाएगा:

क	12.2 (c) (i) के लिए	-	सेवा के उच्चतर टैरिफ श्रेणी के लिए प्रयोज्य टैरिफ के दोगुना पर।
ख	12.2 (c) (ii) के लिए	-	सर्विस कनेक्शन की प्रासंगिक श्रेणी के लिए प्रयोज्य स्थाई प्रभारों के दोगुना पर।
ग	12.2 (c) (iii) के लिए	-	सर्विस कनेक्शन की प्रासंगिक श्रेणी के लिए प्रयोज्य टैरिफ या बढ़ाये गये भार, जो भी उच्चतर है, पर।
घ	12.2 (c) (iv) से (vi) के लिए	-	सर्विस कनेक्शन की प्रासंगिक श्रेणी के लिए प्रयोज्य टैरिफ के दोगुना पर।

(ख) विद्युत की चोरी का ऊर्जा निर्धारण

सिविल दायित्व के लिए विद्युत की मात्रा का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा-

श्रेणी	एलटी आपूर्ति (यूनिट/किलोवाट*/माह)	एचटी आपूर्ति (यूनिट/केवीए**/माह)
घरेलू	85	100
अघरेलू	125	300
सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था	300	लागू नहीं है।
निरंतर/24 घंटे की आपूर्ति के अतिरिक्त कृषि-सामान्य श्रेणी	200	लागू नहीं है।
कृषि-अन्य	600	लागू नहीं है।
लघु उद्योग	100 प्रति पारी	लागू नहीं है।
मध्यम उद्योग	100 प्रति पारी	100 प्रति पारी
मिश्रित भार	150	150
बड़ा उद्योग	लागू नहीं है।	100 प्रति पारी

मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ

- * एलटी आपूर्ति के लिए कुल सम्बद्ध भार या स्वीकृत सम्बद्ध भार, जो भी अधिक हो, माना जाएगा।
- ** अनुबंध की मांग या पिछले 6 महीनों के दौरान रिकार्ड की गई अधिकतम मांग के उच्चतम में से जो भी अधिक हो, उसे एचटी आपूर्ति के लिए माना जाएगा।

अनुलग्नक-1

सम्बद्ध भार के निर्धारण की प्रक्रिया

(संदर्भ विनियम 2.1 (23))

आवेदक इन विनियमों के विनियम 2.1 (23) में निर्धारित परिभाषा के अनुसार वास्तविक सम्बद्ध भार के लिए अधिष्ठापन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा। तथापि, आपूर्ति की शर्तों के तहत किसी प्रभार के लिए या विविध सेवाओं के लिए प्रभार या विद्युत की आपूर्ति के लिए टैरिफ और आपूर्ति वोल्टेज निश्चित

करने के लिए भी, सम्बद्ध भार एलटी उपभोक्ताओं के मामले में निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा। आवेदक को सलाह दी जाती है कि वह तदनुसार मंजूरी के लिए भार की गणना करे।

सभी प्रयोजनों के लिए सम्बद्ध भार निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा:

1	सीएफएल/एलईडी	-	7/15 वाट या वास्तविक रेटिंग
2	बल्ब / पंखा	-	वास्तविक रेटिंग या 60 वाट प्रत्येक, यदि बल्ब/पंखे पर रेटिंग पढ़ना संभव नहीं है।
3	ट्यूब लाइट	-	वास्तविक रेटिंग या 60 वाट प्रत्येक
4	लाइट प्लग	-	तीन प्लगों तक 60-वाट प्रत्येक और प्रत्येक तीन प्लगों या उससे कम के लिए अतिरिक्त 60 वाट।
5	टेलीविजन	-	
	(क) रंगीन	-	100 वाट
	(ख) ब्लैक एंड व्हाइट	-	60 वाट
6	पावर प्लग	-	तीन प्लगों तक 500-वाट प्रत्येक और प्रत्येक तीन प्लगों या उससे कम के लिए अतिरिक्त 500 वाट।
7	फ्रिज	-	250 वाट
8	डेजर्ट कूलर	-	250 वाट
9	गीजर	-	1500 वाट या वास्तविक रेटिंग
10	एयर-कंडीशनर 1 टन/1.5 टन	-	1500 वाट/2200 वाट
11	पानी उठाने वाला पंप	-	180 वाट या 360 वाट (पंप के अनुसार) या उपकरण की मूल रेटिंग (नेम प्लेट और विशेष वर्णन) के अनुसार।
12	कोई अन्य उद्देश्य से भार/डिवाइस	-	निर्धारित क्षमता

टिप्पणी:

- क) उपरोक्त क्र. सं. 1 से 6 के लिये कुल भार, निम्नलिखित विविधता के साथ विचार किया जाएगा:
- i) घरेलू-30%
 - ii) सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था- 100%
 - iii) अन्य - 80%
- ख) यदि कोई उपकरण प्लग पॉइंट से जुड़ा है, तो उपकरण का भार या प्लग पॉइंट रेटिंग जो भी अधिकतम हो, लिया जाएगा। ऐसे मामले में, प्लग प्वाइंट का भार अलग से नहीं गिना जाएगा।
- ग) आर्क/इंडक्शन फर्नेस के लिए भार की गणना भट्टी की क्षमता के 600 केवीए प्रति टन के आधार पर की जाएगी।
- घ) गीजर और एयर कंडीशनर दोनों स्थापित होने पर केवल एक उपकरण की उच्च रेटिंग पर विचार किया जाएगा।
- ङ) जो उपकरण स्थापना के अधीन हैं और विद्युत रूप से जुड़े हुए नहीं हैं, वे उपकरण जो गोदाम/शोरूम में या तो स्पेयर या बिक्री के लिए संग्रहीत हैं, उन्हें "सम्बद्ध भार" के रूप में नहीं माना जाना जायेगा।
- च) सम्बद्ध भार का आंकलन करने के लिए अग्नि सुरक्षा उपकरणों के भार पर विचार नहीं किया जाएगा।

अनुलग्नक -2

..... .. विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(कृपया राजस्थान स्टाम्प अधिनियम के अधीन यथा

अपेक्षित उपयुक्त मूल्य के स्टाम्प पेपर संलग्न करें)

नये विद्युत कनेक्शन (एकल बिंदु कनेक्शन सहित), अस्थायी/स्थायी कनेक्शन और अन्य विविध गतिविधियाँ जैसे भार विस्तार/कमी, नाम परिवर्तन, कनेक्शन का हस्तान्तरण, कनेक्शन का स्थानांतरण, श्रेणी का परिवर्तन और विकासक द्वारा विद्युतीकरण के लिए आवेदन सह समझौता फॉर्म।

सहायक अभियंता (),

..... .. विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

जयपुर / अजमेर / जोधपुर

1. आवेदक/फर्म/विकासक/सरकारी/निजी विभाग/संगठन/सहकारी समिति का नाम (बड़े अक्षरों में):

--

पिता/पति का नाम: (केवल वैयक्तिक व्यक्ति के मामले में लागू)

--

2. परिसर का पूरा पता जहां कनेक्शन की आवश्यकता है:

घर/प्लॉट/दुकान सं.:		इलाका:	
---------------------	--	--------	--

खसरा सं./मार्ग:		गांव:	
-----------------	--	-------	--

तहसील/नगर/जिला:		पिन कोड:	
-----------------	--	----------	--

दूरभाष सं.:		मोबाइल:	
-------------	--	---------	--

ईमेल आईडी	
-----------	--

3. विकासक द्वारा विकसित आवास कॉलोनी/टाउनशिप/ग्रुप हाउसिंग/औद्योगिक संकुल/बहु मंजिला इमारत/ भवन-समूह (कॉम्प्लेक्स) का पूरा पता

घर/प्लॉट/दुकान सं.:		इलाका:	
---------------------	--	--------	--

खसरा सं./मार्ग:		गांव:	
-----------------	--	-------	--

तहसील/नगर/जिला:		पिन कोड:	
-----------------	--	----------	--

दूरभाष सं.:		मोबाइल:	
-------------	--	---------	--

ईमेल आईडी	
-----------	--

4. पत्राचार के लिए पूरा पता (दूरभाष सं., मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी और पूर्ण डाक पता निर्दिष्ट करें)

डाक पता	
---------	--

ईमेल आईडी	
-----------	--

मोबाइल सं.:	
-------------	--

5. आपूर्ति का प्रयोजन:

--

(निवास, कार्यालय, दुकान, होटल/रेस्तरां, अस्पताल, थिएटर, मोबाइल टॉवर, टेलीफोन एक्सचेंज, शिक्षा भवन, कार्यशाला, कृषि पंप सेट, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, आटा चक्की,

कारखाना, छात्रावास, टाउनशिप, ग्रुप हाउसिंग, औद्योगिक संकुल, बहु मंजिला इमारत/विकासक द्वारा विकसित भवन-समूह (कॉम्प्लेक्स), ईवी चार्जिंग स्टेशन आदि)

6. उपयोग के उद्देश्य के आधार पर आपूर्ति के लिए कनेक्शन का वर्गीकरण

घरेलू सेवा ☐	अघरेलू सेवा ☐	सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था सेवा ☐
कृषि सेवा ☐	लघु औद्योगिक सेवा ☐	मध्यम औद्योगिक सेवा ☐
बृहत औद्योगिक सेवा ☐	मिश्रित भार के लिए थोक आपूर्ति ☐	अस्थायी आपूर्ति ☐
कोई अन्य श्रेणी (कृपया श्रेणी निर्दिष्ट करें) ☐		

टिप्पणी: आवेदक लागू वर्गीकरण पर इंगित (tick) कर सकता है। आवेदन पत्र के साथ संलग्न चेकलिस्ट/मार्गदर्शन पत्रक को संदर्भित किया जा सकता है।

7. आवेदक की स्थिति: (क) मालिक ☐ (ख) किरायेदार ☐ (ग) अधिवासी ☐
(घ) विकासक ☐ (ङ) सहकारी सोसायटी ☐ (च) अन्य ☐

8. आवेदन का प्रकार: स्थायी ☐ अस्थायी ☐

(i) नया कनेक्शन: किवा ☐ केवीए ☐

एकल फेज ☐ तीन फेज ☐

टिप्पणी: एकल फेज की आपूर्ति स्वीकार्य नहीं होगी जहां प्रयोजन का भार 3 बीएचपी से अधिक है।

(ii) भार में वृद्धि/कमी

खाता सं.		के. सं.	
----------	--	---------	--

	विद्यमान		नया
सम्बद्ध भार (किवा)		से	
अनुबंध मांग (केवीए)		से	

(iii) कनेक्शन का स्थानांतरण

खाता सं.		के. सं.	
से		को	

(iv) नाम परिवर्तन

खाता सं.		के. सं.	
से		को	

(v) श्रेणी का परिवर्तन

खाता सं.		के. सं.	
से		को	

(vi) कनेक्शन का हस्तानांतरण

खाता सं.		के. सं.	
से		को	

(vii) अन्य विविध सेवाएं जैसे मीटर/सर्विस लाइन शिफ्टिंग, ओवरहेड लाइन/केबल शिफ्टिंग, ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग आदि।

(viii) आवास कॉलोनियों/टाउनशिप/ग्रुप हाउसिंग/औद्योगिक संकुल/बहु मंजिला इमारत/विकासक द्वारा विकसित भवन-समूह (कॉम्प्लेक्स) का विद्युतीकरण

(ix) एकल बिंदु कनेक्शन।

9. बैंक के नाम के साथ बैंक खाता संख्या का विवरण, खाते का प्रकार, आइएफएससी कोड, शाखा का नाम, शाखा का पता, पिन कोड का विवरण।(यदि लागू हो)

बैंक का नाम	
खाते का प्रकार	बचत/चालू
खाते की संख्या	
आइएफएससी कोड	
शाखा का नाम	
शाखा का पता	
पिन कोड	

10. क) भामाशाह कार्ड संख्या (यदि उपलब्ध हो)

ख) बीपीएल कार्ड का विवरण

ग) आस्था कार्ड का विवरण

11. आधार कार्ड संख्या (यदि उपलब्ध हो)

12. मेरी/हमारी संपत्ति का विवरण, यदि व्यक्ति (व्यक्तियों) के पास ऐसी कोई जमीन/संपत्ति नहीं है, तो उसके विरुद्ध एक 'शून्य' का उल्लेख किया जा सकता है।

निवास-स्थान/भवन			
निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट)		भूमि क्षेत्र (वर्ग फुट)	
गांव		जिला	

कृषि भूमि / दुकान

पर स्थित है		खसरा सं.	
-------------	--	----------	--

कारखाने की इमारत

पर स्थित है		जिला	
-------------	--	------	--

- 13 उपभोक्ता के नाम पर अनुज्ञप्तिधारी के परिचालन क्षेत्र में शेष कोई विद्युत देय राशि: हां/नहीं
- 14 कोई विद्युत देय राशि जो परिसर के लिये शेष है जिसके लिये कनेक्शन का आवेदन किया है: - हां/नहीं
- 15 किसी भी फार्म के विरुद्ध जिसके साथ उपभोक्ता मालिक, साझेदार, निदेशक या प्रबंध निदेशक के रूप में सहभागी है अनुज्ञप्तिधारी की शेष विद्युत देय राशि है:- हां/नहीं

(प्रश्न 13,14 और 15 के लिये, यदि उत्तर किसी भी स्थिति में हां है, तो कृपया एक अलग शीट पर विवरण प्रदान करें)

16. आवश्यक दस्तावेज - आवेदन के साथ संलग्न चेकलिस्ट के अनुसार।

17. * अधिष्ठापन का विवरण:

क्र. सं.	भार का विवरण	संख्या	प्रत्येक की वाट क्षमता/एच.पी.	कुल वाट क्षमता/एच.पी.
----------	--------------	--------	-------------------------------	-----------------------

अ. लाइट एवं पावर भार				
1	सीएफएल / एलईडी		15/7 वाट	वाट
2	बल्ब / पंखा		60 वाट	वाट
3	ट्यूब लाइट		40 वाट	वाट
4	लाइट प्लग (5 एम्पीयर)		60 वाट	वाट
5	टेलीविजन			वाट
	(क) रंगीन		100 वाट	वाट
	(ख) ब्लैक एंड व्हाइट		60 वाट	वाट
6	पावर प्लग (15 एम्पीयर)		500 वाट	वाट
7	फ्रिज		250 वाट	वाट
8	डेजर्ट कूलर		250 वाट	वाट
9	गीजर		1500 वाट	वाट
10	एयर-कंडीशनर 1 टन/1.5 टन		1500/2200 वाट	वाट
11	पानी उठाने वाला पंप		180 वाट या 360 वाट या उपकरण की मूल रेटिंग के अनुसार।	वाट
12	कोई अन्य उद्देश्य से भार/डिवाइस		निर्धारित क्षमता या परीक्षण के अनुसार	
योग				
* कुल सम्बद्ध भार किवा/एचपी				
(क) * मंजूरी के लिए सम्बद्ध भार किवा/एचपी				
(ख) * अनुबंध की मांग केवीए				

* आवेदित सम्बद्ध भार/अनुबंध की मांग की गणना करने के लिए आवेदन पत्र के साथ संलग्न चेकलिस्ट/मार्गदर्शन पत्रक देखें।

18. (i) मैं/हम आपूर्ति कोड/ आपूर्ति के निबन्धन एवं शर्तों में यथा विहित प्रभारों को आवेदन के साथ जमा करने के लिए एतद्वारा सहमत हूँ/हैं।
- (ii) मैं/हम आगे मीटर बॉक्स एवं आपूर्ति की गयी विद्युतीय ऊर्जा की मात्रा को मापने के लिए मुझे/हमें आवश्यक मीटर की आपूर्ति करने की भी निगम से अपेक्षा करता हूँ/करते है। मैं/हम मेरे या हमारे परिसर में अधिष्ठापित निगम के मीटर और अन्य तंत्र को किसी भी नुकसान या क्षति के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हूँ/होंगे। (यदि आवेदक अपना मीटर प्रदान करना चाहता है तो काट देवें)।
- (iii) मैं/हम मेरे/हमारे सद्भावी उपयोग के लिये आपूर्ति शुरू होने की तारीख से कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए (अस्थायी आपूर्ति के मामले में, अवधि के लिए) निगम से विद्युतीय ऊर्जा की आपूर्ति लेने का भी वचन करता हूँ/करते है और मैं/हम आगे समय-समय पर लागू टैरिफ पर उक्त आपूर्ति के लिए भुगतान करने के लिए सहमत हूँ/ हैं और निगम की विद्युत आपूर्ति के लिये निबन्धन एवं शर्तों एवं कोई अन्य नियमों और विनियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार जो मेरे/हमारे द्वारा समय-समय पर देय हो जायेंगे इस तरह के अन्य सभी प्रभारों का भुगतान करने के लिए सहमत हूँ/ हैं ।
- iv) मैं/हम सहमत हूँ/हैं और मेरे/हमारे परिसर में स्थापित सेवा लाइन या तंत्र से किसी अन्य आवेदक को विद्युत की आपूर्ति करने के लिए निगम के अधिकारों के लिए किसी भी समय कोई आपत्ति नहीं होगी।
- v) निगम द्वारा प्रतिबंधित घंटों के दौरान विद्युत ऊर्जा का उपयोग न करने के लिये, मैं/हम सहमत हूँ/हैं।
- vi) इस कनेक्शन के दिए जाने की स्थिति में, इस आवेदन को कनेक्शन दिए जाने की तारीख से ऐसे समय तक जब तक इसे विद्युत आपूर्ति के लिये निबन्धन एवं शर्तों के प्रावधानों के अनुसार या तो नए समझौते से बदल दिया जाता है या इसे समाप्त कर दिया जाता है, एक समझौते के रूप में माना जाएगा ।
19. आवेदक सीईए सुरक्षा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अधिष्ठापन/विद्युत निरीक्षक की अनुमति का स्व प्रमाणन/ अधिष्ठापन प्रमाणन प्रस्तुत करेगा।

20. एचटी श्रेणी के लिए, आवेदक अनुबंध -3 में अलग से, जैसे ही और जब ऐसा करने के लिए कहा जावे, निगम के साथ एक समझौते का निष्पादन करेगा।

इस समझौते को समय-समय पर लागू विद्युत की आपूर्ति के लिए टैरिफ एवं विद्युत की आपूर्ति के लिए निबन्धन एवं शर्तों के सभी प्रावधानों के संबंध में विषय के रूप में पढ़ा और माना जाएगा, जो इस समझौते का एक अभिन्न अंग होगा। विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रासंगिक प्रावधान और इसके अधीन बनाये गए नियमों और विनियमों या उसके बाद किए गए संशोधन या रूपान्तरण, शासी प्रावधान होंगे।

21. मैं/हम समझता हूँ/समझते हैं कि इस आवेदन में किसी भी गलत जानकारी का प्रस्तुतीकरण समझौते को रद्द करने के लिए अपने आप ही दायी होगा और कनेक्शन, यदि जारी कर दिया गया है, तो अकेले इस आधार पर विच्छिन भी कर दिया जाएगा।
22. यथा प्रोज्यूर, मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि मैं/हम आयोग/सीईए द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये अन्य प्रासंगिक विनियमों या दिशानिर्देशों में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होंगे।

टिप्पणी: (i) जो खण्ड/भाग लागू नहीं है उसे काट दें।

(ii) आवेदन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर आवेदक के हस्ताक्षर होने चाहिए।

आवेदक/उपभोक्ता के हस्ताक्षर एवं पता

साक्षी के हस्ताक्षर और पता

(यदि उपलब्ध हो तो के.संख्या के साथ)

दिनांक:

संलग्नक: चेकलिस्ट

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

की ओर से स्वीकृत

दिनांक:

(हस्ताक्षर)

अभिस्वीकृति

श्री/सुश्री/मैसर्ससे (कनेक्शन का वर्गीकरण) के लिए को चेकलिस्ट के अनुसार दस्तावेज़ के साथ आवेदन प्राप्त किया और क्रम संख्या पर पंजीकृत किया जिसे आगे के सभी पत्राचार में उद्धृत किया जाना चाहिए।

आवेदन प्राप्त करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर और पदनाम

क-(1). 10 किलोवाट के भार तक के नये घरेलू कनेक्शन के लिये पूर्ण आवेदन पत्र के लिए अपेक्षित दस्तावेजों के लिये चेकलिस्ट/मार्गदर्शन पत्रक

गतिविधि	हाँ/नहीं
1) (क) परिसर के स्वामित्व/ अधिभोग का प्रमाण: (निम्न में से कोई एक)	
क) स्वत्व विलेख (रजिस्ट्री)	☐
ख) स्थानीय निकायों या किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण जैसे रीको, उद्योग विभाग आदि द्वारा जारी किया गया आधिपत्य पत्र	☐
ग) ग्रामीण क्षेत्रों में, राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र	☐
घ) बंधक विलेख	☐
ड) पट्टा	☐
च) बिक्री विलेख	☐
छ) आवंटन पत्र	☐
ज) कोर्ट का आदेश	☐
झ) कोई अन्य दस्तावेज़ (निर्दिष्ट करें)	☐

ख) किरायेदार / अधिवासी का प्रमाण: फॉर्म-ए में मकान मालिक का अनापत्ति प्रमाण पत्र या यदि एनओसी उपलब्ध नहीं है तो फॉर्म-बी में क्षतिपूर्ति बंधपत्र साथ में लगाया जावे	☐
ग) अधिवासी या किराएदार जिनके पास मालिक का कोई एनओसी या किराया विलेख नहीं है, के मामले में पते का प्रमाण। प्रमाण के रूप में आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर आईडी, पासपोर्ट/राशन कार्ड या आयोग द्वारा अनुमोदित पते के प्रमाण के लिए कोई अन्य दस्तावेज।	☐
2) पहचान प्रमाण-(अर्थात् आधार कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस/ वोटर आईडी, पासपोर्ट/ राशन कार्ड या पहचान प्रमाण के लिये कोई अन्य दस्तावेज।	

नोट- आवेदक सीईए विनियमों के अनुसार आवश्यक स्व प्रमाणपत्र/स्थापना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

क- (2) चेकलिस्ट क-(1) के अतिरिक्त 10 किलोवाट से अधिक के घरेलू उपभोक्ताओं और घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा नये कनेक्शन और विद्यमान कनेक्शन में संशोधन के लिये पूर्ण आवेदन पत्र के लिये चेकलिस्ट/मार्गदर्शन पत्र।

1) परिसर की अवस्थिति, मीटरिंग उपकरणों आदि को दर्शाते हुए साइट का नक्शा।	☐
2) "स्व- प्रमाणपत्र/अधिष्ठापन प्रमाणपत्र" (बाद में भी दिया जा सकता है परन्तु डिमांड जमा करने की तारीख से पहले) ऐसे मामले जहां मांग नोटिस की आवश्यकता नहीं है, आवेदन को पूर्ण मानने के लिये अधिष्ठापन प्रमाणपत्र को शीघ्रताशीघ्र दिया जाना चाहिए।	☐
3) यदि कनेक्शन को एचटी या ईएचटी आपूर्ति पर जारी किया जाना है और उपभोक्ता द्वारा ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है, तो विद्युतीय निरीक्षणालय या राजस्थान सरकार की अधिसूचना के अनुसार चार्टर्ड विद्युतीय सुरक्षा इंजीनियर, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा अनुमति पत्र और यह बाद में भी दिया जा सकता है परन्तु कनेक्शन जारी करने से पहले।	☐
4) कोई अन्य दस्तावेज। विकासक को आरईआरए के साथ पंजीकरण की प्रतिलिपि के साथ विद्युतीकरण के प्रस्तावित क्षेत्र के लेआउट के साथ पूर्ण परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। इसी तरह एकल बिंदु कनेक्शन के लिए आवेदक को प्रस्तावित क्षेत्र के लेआउट के साथ-साथ लाभार्थियों के पूर्ण आंकड़ों को प्रस्तुत	☐

करना चाहिए।	
5) किरायेदार/अधिवासी को कनेक्शन जारी करने के लिए फार्म ए और बी और कृषि कनेक्शन के लिए फार्म सी इसके साथ संलग्न हैं।	☐
6) साझेदारी फर्म के मामले में- आवेदक भागीदारी विलेख एवं मांग पत्रक और समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिये आवेदक के नाम प्राधिकृति प्रस्तुत करेगा।	☐
7) सार्वजनिक और/या निजी लिमिटेड कंपनी के मामले में- आवेदक मांग पत्रक और समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिये आवेदक के नाम प्राधिकृति के साथ ज्ञापन और संगम अनुच्छेद और निगमन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।	☐
8) अघरेलू थड़ी और अस्थायी संरचना के मामले में- थड़ी या अस्थायी संरचना के लिये नगर निगम/नगर पालिका/ नगर पंचायत/ ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ भूमि विकास प्राधिकरण/ भूमि मालिक एजेंसी से अनापत्ति प्रमाण पत्र।	☐
9) बीपीएल/आस्था कार्ड श्रेणी के उपभोक्ता: राज्य सरकार के समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया बीपीएल/ आस्था कार्ड।	☐
10) कानूनी उत्तराधिकारी के अलावा अन्य के नाम परिवर्तन के मामले में: विद्यमान उपभोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध/ संभव हो और पंजीकृत बिक्री विलेख/ लीज डीड/ उत्तराधिकार प्रमाण पत्र/ (यदि कोई अन्य दस्तावेज है, तो कृपया निर्दिष्ट करें)।	☐
11) कानूनी उत्तराधिकारी के लिये नाम परिवर्तन करने के मामले में: पंजीकृत विलेख/ उत्तराधिकार या कानूनी वारिस प्रमाणपत्र/ नामांतरण विलेख/ (यदि कोई अन्य दस्तावेज है, तो कृपया निर्दिष्ट करें), और यदि कानूनी उत्तराधिकारियों में से किसी एक के नाम से कनेक्शन बदला जाना है तो अन्य कानूनी वारिसों से एनओसी। यदि विद्यमान उपभोक्ता की मृत्यु हो गयी है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र अपेक्षित है।	☐

ख. सम्बद्ध भार गणना के लिए मार्गदर्शन

सभी प्रयोजनों के लिए सम्बद्ध भार निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा:

1	सीएफएल / एलईडी	-	15/7 वाट या वास्तविक रेटिंग
2	बल्ब / पंखा	-	वास्तविक रेटिंग या 60 वाट प्रत्येक, यदि बल्ब/पंखे पर रेटिंग पढ़ना संभव नहीं है।
3	ट्यूब लाइट	-	वास्तविक रेटिंग या 60 वाट प्रत्येक
4	लाइट प्लग	-	तीन प्लगों तक 60-वाट प्रत्येक और प्रत्येक तीन प्लगों या उससे कम के लिए अतिरिक्त 60 वाट।
5	टेलीविजन	-	
	(क) रंगीन	-	100 वाट
	(ख) ब्लैक एंड व्हाइट	-	60 वाट
6	पावर प्लग	-	तीन प्लगों तक 500-वाट प्रत्येक और प्रत्येक तीन प्लगों या उससे कम के लिए अतिरिक्त 500 वाट।
7	फ्रिज	-	250 वाट
8	डेजर्ट कूलर	-	250 वाट
9	गीजर	-	1500 वाट या वास्तविक रेटिंग
10	एयर-कंडीशनर 1 टन/1.5 टन	-	1500 वाट/2200 वाट
11	पानी उठाने वाला पंप	-	180 वाट या 360 वाट (पंप के अनुसार) या उपकरण की मूल रेटिंग (नेम प्लेट और विशेष वर्णन) के अनुसार।
12	कोई अन्य उद्देश्य से भार/डिवाइस	-	निर्धारित क्षमता या परीक्षण के अनुसार

टिप्पणी:

- क) उपरोक्त क्र. सं. 1 से 6 के लिये कुल भार, निम्नलिखित विविधता के साथ विचार किया जाएगा:
- i) घरेलू-30%
 - ii) सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था- 100%
 - iii) अन्य - 80%
- ख) यदि कोई उपकरण प्लग पॉइंट से जुड़ा है, तो उपकरण का भार या प्लग पॉइंट रेटिंग जो भी अधिकतम हो, लिया जाएगा। ऐसे मामले में, प्लग प्वाइंट का भार अलग से नहीं गिना जाएगा।
- ग) आर्क/इंडक्शन फर्नेस के लिए भार की गणना भट्टी की क्षमता के 600 केवीए प्रति टन के आधार पर की जाएगी।
- घ) गीजर और एयर कंडीशनर दोनों स्थापित होने पर केवल एक उपकरण की उच्च रेटिंग पर विचार किया जाएगा।
- ङ) जो उपकरण स्थापना के अधीन हैं और विद्युत रूप से जुड़े हुए नहीं हैं, वे उपकरण जो गोदाम/शोरूम में या तो स्पेयर या बिक्री के लिए संग्रहीत हैं, उन्हें "सम्बद्ध भार" के रूप में नहीं माना जाना जायेगा।
- च) सम्बद्ध भार का आकलन करने के लिए अग्नि सुरक्षा उपकरणों के भार पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्रपत्र- क

अनुबन्ध - पत्र

(समय - समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर)

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने यह (स्थान का पूर्ण विवरण) जो कि नगर परिषद / अन्य स्थानीय निकाय में स्थित है मैंसर्स / श्री निवासी को किराये पर दे दिया है तथा उक्त भवन में विद्युत कनेक्शन देने पर मुझे आपत्ति नहीं है। मैं इस बात की गारन्टी देता हूँ कि जब भी किरायेदार मकान/ दुकान/ खाली करेगा तो इस बात का पूरा-

पूरा ध्यान रखूँगा कि निगम की राशि न रहे। ऐसा न होने की स्थिति में मैं स्वयं निगम की बकाया रकम को देनदार रहूँगा।

हस्ताक्षर किरायेदार

साक्षी

हस्ताक्षर मकान मालिक

प्रपत्र- ख

क्षतिपूर्ति बंध पत्र

(समय - समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर)

जैसा कि मैं पुत्र/पत्नी श्री उम्र वर्ष निवासीने सहायक अभियन्ता जयपुर/अजमेर/जोधपुर वि.वि.नि. के कार्यालय में विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन किया है। जैसा कि वि.वि.नि.लि. ने उक्त स्थित मकान/दुकान को मेरे अपेक्षित विद्युत कनेक्शन के लिये मकान/दुकान मालिक की सहमति माँगी है।

जबकि मैं मकान/दुकान मालिक का सहमति पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ हूँ। चूँकि जयपुर/अजमेर/जोधपुर वि.वि.नि.लि. ने इस सम्बन्ध में मुझ से लिखित वचन चाहा है कि अगर मैं और मकान/दुकान मालिक के मध्य इस विद्युत कनेक्शन के सम्बन्ध में किसी न्यायालय के समक्ष विवाद उत्पन्न होता है तो इस मामले में शामिल नहीं होगा फिर भी निगम को इस कारण हुई किसी भी प्रकार की क्षति/ खर्चों की क्षतिपूर्ति करने का मैं वचन देता हूँ। अतः यह अनुबन्ध मकान/दुकान मालिक की बिना सहमति के निगम द्वारा मुझे उक्त परिसर में कनेक्शन दिये जाने हेतु साक्ष्य किया जाये। मैं वचन देता हूँ कि निगम को इस सम्बन्ध में हुये वादकरण के कारण हुई सभी प्रकार की हानियां / क्षतियों एवं खर्चों की क्षतिपूर्ति का वचन देता हूँ।

स्थान

साक्षी का नाम

(निष्पादक के हस्ताक्षर)

दिनांक

पता

शर्तें - कन्ड्यूट पाईप एवं फिटिंग हेतु आवश्यक नट बोल्ट इत्यादि आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र- ग

कृषि श्रेणी के आवेदको से लिये जाने वाले

“शपथ पत्र का प्रपत्र”

मैं/ हम सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री जाति.....
 निवासी ग्राम/शहर शपथपूर्वक बयान करता हूँ/करते हैं कि मेरा/हमारा कुआँ
 ग्राम के भू राजस्व क्षेत्र में स्थित है तथा मेरा/हमारा कुआँ/बोरिंग राजस्व
 अभिलेख के अनुसार खसरा नं. में स्थित है और यह खेती के कार्य में ही उपयोग
 में लिया जाता है। इस कुएं व खेत का मैं/हम स्वयं ही मालिक हूँ/हैं। शपथ पत्र में उल्लेखित कोई भी
 तथ्य गलत पाया जाता है तो उसके लिये मेरी/हमारी जिम्मेदारी रहेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

अनुलग्नक -3**..... विद्युत वितरण निगम लिमिटेड****एचटी/ईएचटी तन्त्र पर विद्युतीय उर्जा आपूर्ति हेतु आदर्श विद्युतापूर्ति अनुबन्ध**

यह अनुबन्ध इस..... दिन..... 20..... को

पहला पक्ष, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जिसे इसके आगे "निगम" कहा जायेगा जिसकी
 अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ ऐसा स्वीकार करे इसके कार्यालय में उत्तराधिकारी व समनुदेशित सम्मिलित
 है),

और

दूसरा पक्ष (इसके आगे
 "उपभोक्ता" कहा जायेगा जिसकी अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ ऐसा स्वीकार करे व्यापार में इसका/इसके
 उत्तराधिकारी एवं उसके अनुज्ञात समनुदेशित वारिस, निष्पादक, प्रशासक सम्मिलित होंगे) के बीच
 किया गया।

जबकि उपभोक्ता के अनुरोध पर, निगम ने उपभोक्ता को उसके स्थित तथा साथ
 में संलग्न नक्शे में लाल से इंगित परिसर में के प्रयोजनार्थ विद्युत उर्जा की
 आपूर्ति हेतु सहगति दी है तथा निगम इसके आगे अन्तर्विष्ट निबन्धनों एवं शर्तों पर ऐसी उर्जा आपूर्ति
 की सहमति देता है।

अब एतद्वारा निम्नवत की घोषणा और सहमति दी जाती है:

- (1) निगम विद्युत आपूर्ति हेतु निबन्धन एवं शर्तें (इसके संशोधनों के साथ) में यथानिर्धारित एचटी/ईएचटी पर वितरण मुख्य से उपभोक्ता के परिसर में..... के घोषित वोल्टेज पर फेजों के बीच तथा अन्तस्थों पर प्रति सेकण्ड 50 (पचास) चक्र की नामिक आवृत्ति पर तीन फेज, एकान्तर करंट की विद्युतीय उर्जा की आपूर्ति करेगा तथा उपभोक्ता निगम से इसमें उपर वर्णित प्रयोजन के लिये अधिकतम केवीए (इसके आगे संविदा मांग कहा जायेगा) तक की अपेक्षित विद्युत आपूर्ति के एकल बिन्दु पर लेगा।
- (2) परिसर को आपूर्ति की गयी विद्युतीय उर्जा का उपभोक्ता द्वारा, निगम के प्रतिकूल किसी भी रीति से उपयोग नहीं किया जायेगा तथा सभी उपयोग निगम द्वारा यथा-अनुमोदित पद्धति या पद्धतियों के अनुसार होना चाहिये। विद्युत का उपयोग उसी स्थान तक सीमित होना चाहिये जिसका निगम ने पहले से ही लिखित में अनुमोदन किया हुआ है। यदि विद्युत का प्रतिकूल (हानिकर) उपयोग पाया जाता है, तो उपभोक्ता विद्युत आपूर्ति हेतु निबन्धन एवं शर्तें (इसके संशोधनों के साथ) के प्रावधानों के अनुसार दण्डिक प्रभारों का भुगतान करेगा। इसके अतिरिक्त, विद्युत का बेईमानी से दोहन/उपयोग/उपभोग या मीटरिंग उपकरण या उपांगों के साथ हस्तक्षेप के लिये उपभोक्ता अधिनियम तथा तत्समय प्रवृत्त अन्य कानून के अन्तर्गत अभियोजन के लिये भी उत्तरदायी होगा तथा अधिष्ठापन का विद्युत विच्छेदन कर दिया जायेगा। उपभोक्ता उसे आपूरित विद्युत के किसी भाग को पुनर्विक्रय नहीं किये जाने के लिये सहमत है तथा वचन देता है।
- (3) आपूर्ति का बिन्दु तथा मीटरिंग बिन्दु प्रसारण के अनुज्ञप्तिधारी/ अनुज्ञप्तिधारी के सब-स्टेशन पर होगा। (केवल ईएचटी के लिये)
- (4) कम्पनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत कंपनियों के मामलों में सामान्य मोहर सहित समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, अन्यथा उसकी गवाही सहित रबर मोहर लगाये।
- (5) उपभोक्ता भार के प्रतिबन्ध की किन्हीं भी शर्तों तथा निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाने वाले समय के अन्तर्गत आपूर्ति लेने को सहमत है।
- (6) इस अनुबन्ध के अन्तर्गत विद्युतीय उर्जा की आपूर्ति, यदि विद्युत की स्थिति या अन्य कोई आपातकाल में ऐसी कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो जाये तो, प्रतिबन्ध, समयान्तर या पूर्णतः काटे जाने के अधीन होगी। सामान्य संधारण के प्रयोजन से, जब

कभी आवश्यक हो, उपभोक्ता को समुचित सूचना देने के बाद नियतकालिक, निगम के पास विद्युत बन्दी का अधिकार सुरक्षित होगा।

- (7) यह अनुबन्ध आगे दिये गये विषयों पर तथा पहली बार में आपूर्ति प्रारम्भण की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिये लागू रहेगा तथा उसके पश्चात् जब तक कि किसी एक पक्ष द्वारा लिखित में स्पष्टतः समाप्त न कर दिया जाये वर्ष-दर-वर्ष स्वतः नवीकृत हो जायेगा।

बशर्ते कि कोई भी एक पक्ष इस अनुबन्ध को समाप्त करने या उसकी संविदा मांग को कम करने हेतु नोटिस की अवधि को सम्मिलित करते हुये एक वर्ष की प्रारम्भिक अवधि पूर्ण होने के अन्त्यधीन इस निमित्त एक महीने का लिखित नोटिस दिये जाने के लिये स्वतंत्र होगा। उपभोक्ता यदि एक माह के स्थाई प्रभारों के बराबर की राशि जमा कराने को तैयार हो तो एक महीने के नोटिस के एवज में नोटिस दिये जाने की तिथि को ही कनेक्शन स्थायी रूप से विच्छेदित या संविदा मांग में कमी करवा सकता है।

- (8) विद्युत का उपयोग होने वाली/ से उपजी उत्पन्न हुयी या परिणामी जान या माल की हानि के सम्बन्ध में निगम क्षतिपूर्ति/प्रतिकर के भुगतान के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

- (9) जहां उपभोक्ता को उसके औद्योगिक/वाणिज्यिक संस्था को चलाने के लिये अनुज्ञापत्र या परमिट या अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना आवश्यक है तथा अनुज्ञापत्र या परमिट निलम्बित या रद्द कर दिया गया है या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो गयी है तो निगम को अनुज्ञापत्र या परमिट के रद्द होने या निलम्बित रहने अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की अवधि के लिये विद्युतापूर्ति बन्द करने का अधिकार होगा।

- (10) **मीटर:** आपूरित उर्जा को मीटर(रों) द्वारा मापा/पंजीकृत किया जायेगा जिन्हे उक्त परिसर में सही स्थिति में अधिष्ठापित किया जायेगा और रखा जायेगा। जब मीटर बन्द/दोषपूर्ण है, खो जाता है, चुरा लिया जाता है या अयथार्थ है तो बिलिंग की प्रविधि अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये विनियमों के सुसंगत प्रावधानों से विनियमित होगी।

- (11) **प्रतिभूति निक्षेप:** उपभोक्ता इस सम्बन्ध में निगम द्वारा अनुरोध किये जाने पर सभी प्रतिभूति निक्षेपों को उनके समाप्त या अपर्याप्त हो जाने पर नवीनीकृत/बढ़ायेगा या पुनःपूर्ति करेगा।

- (12) **टैरिफ तथा विद्युत प्रभारों का भुगतान:** इस अनुबन्ध के लागू होने की तिथि से उपभोक्ता आयोग द्वारा समय-समय पर उपभोक्ताओं की उपयुक्त श्रेणी के लिये अनुमोदित प्रभारों व टैरिफ के अनुसार स्थाई प्रभारों, विद्युत प्रभारों, किरायों, यदि कोई है तथा अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप द्वारा आबद्ध होगा तथा निगम को उनका भुगतान करेगा। उपभोक्ता, निगम को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्धारित कर तथा उद्योगों का भुगतान करेगा। विद्युत सम्बन्ध विच्छेदित कर दिये जाने के बाद भी यदि कोई देयता अदत्त रहती है, तो निगम बकाया को वसूल करने के लिये विनियमों तथा तत्समय प्रवृत्त अन्य कानूनों में अनुबद्ध प्रावधानों का सहारा लेने का हकदार होगा।
- (13) **बकाया हेतु विच्छेदन तथा पुनःकनेक्शन:** यदि उपभोक्ता आवधिक बिल तथा देय प्रभारों का नियत तिथि तक भुगतान करने में विफल रहता है तो निगम अधिनियम तथा राविविआ विनियमों में यथा उपबन्धित नोटिस दिये जाने के बाद आपूर्ति काटने का हकदार होगा तथा विद्युतापूर्ति ब्याज सहित समस्त बकाया राशि तथा समय-समय पर यथानुबद्ध पुनःकनेक्शन प्रभारों का भुगतान करने पर ही पुनः चालू की जायेगी।
- (14) **विद्युतापूर्ति की निरन्तरता:** निगम उपभोक्ता को आपूर्ति के प्रारम्भण बिन्दु पर विद्युतापूर्ति की निरन्तरता सुनिश्चित करने के लिये सभी युक्तिसंगत सावधानी बरतेगा। तथापि, युद्ध, विद्रोह, दंगा, हड़ताल या भूकम्प, तूफान, उपद्रव या किसी दुर्घटना या निगम के नियंत्रण से परे कारणों से विद्युतापूर्ति बाधित होती है तो निगम उपभोक्ता के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।
- (15) **उपभोक्ता के परिसर में प्रवेश:** निगम मीटर का पठन निरीक्षण, परीक्षण करने तथा/ या किसी ऐसे प्रयोजन, जो उचित विद्युतापूर्ति बनाये रखने से अनुषंगी या सम्बन्धित है, के लिये बिना नोटिस के समस्त उपयुक्त समय पर उपभोक्ता के परिसर में अभिगमन कर सकेगा या यदि इस अनुबन्ध, अधिनियम तथा राविविआ विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने के सन्देह का कोई कारण है तो निरीक्षण के लिये कभी भी परिसर में अभिगमन कर सकेगा, यदि उपभोक्ता, उसका एजेंट, कर्मचारी या अन्य कोई उसके निमित्त कृत्य करने वाला निगम या इसके कर्मचारी या इस सम्बन्ध में प्राधिकृत व्यक्ति के लिये रुकावट पैदा करता है या बाधा पहुंचाता है तो निगम कानूनानुसार अन्य कार्यवाही करने के अलावा विद्युतापूर्ति काटने का हकदार होगा।

उपर नामित द्वारा की उपस्थिति में हस्ताक्षरित	उपर नामित द्वारा की उपस्थिति में हस्ताक्षरित
उपभोक्ता के निमित्त हस्ताक्षर व रबड़ मुहर	विद्युत वितरण निगम के निमित्त एवं के लिये निगम के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर व रबड़ मुहर

उपर नामित द्वारा की उपस्थिति में हस्ताक्षरित	उपर नामित द्वारा की उपस्थिति में हस्ताक्षरित
1) (नाम व पता)	1) (नाम व पता)
2) (नाम व पता)	2) (नाम व पता)

अनुलग्नक -4

..... विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

सतर्कता जांच प्रतिवेदन (अन्तर्गत प्रावधान विद्युत अधिनियम 2003)

पुस्तक सं.....दिनांक पृष्ठ संख्या

- बस्ती का नाम..... उपखण्ड खण्ड..... वृत्त.....
- उपभोक्ता का विवरण.....
(अ) नाम व पता.....
(ब) खाता संख्या (स) श्रेणी (द) स्वीकृत भार.....
- मौके पर उपस्थिति व्यक्ति का नाम.....
(पूर्ण विवरण एवं उपभोक्ता से सम्बन्ध).....
- स्थापित मीटर का विवरण
1.मीटर नं. 2. क्षमता (एम्पीयर).....
3. चक्र प्रति युनिट 4. सी.टी. अनुपात.....
5.सी.टी. गुणांक..... 6. डायल नम्बर.....
7.विद्युत बिल हेतु गुणांक (एम.एफ.)..... 8. मीटर का स्थान एवं उँचाई.....
- मीटर का पठन के.डब्ल्यू.एचके.वी.ए.एच. एम.डी.आई.।
(अ) निरीक्षण का समय.....

- (ब) पूर्व पठन एवं दिनांक.....
6. मीटरों का विवरण बॉडी सील नं. टर्मिनल सील नं.मीटर बॉक्स सील नं.
 7. मीटर में विद्युत कनेक्शन की स्थिति एवं पाये गये दोष
.....
 8. सर्विस लाईन की स्थिति का विवरण
 9. पाये गये विद्युत भार का विवरण
 10. प्रतिदिन विद्युत उपभोग की अनुमानित अवधि (औद्योगिक कनेक्शनों हेतु)
 11. जांच के दौरान पाये गये अन्य दोष (पूर्ण
विवरण सहित)
 12. अन्य साक्ष्य
 13. जांच अधिकारी द्वारा टिप्पणी
 14. उपभोक्ता की टिप्पणी निरीक्षण मेरे सामने किया गया एवं जांच प्रतिवेदन की प्रति प्राप्ति की।

उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर (पूर्ण विवरण सहित)

कार्यालय सील
(जांच अधिकारी)

निर्धारण/प्राधिकृत अधिकारी
वि.वि.नि.लि

अनुलग्नक -5

..... विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

फर्द जब्ती सामान बिजली चोरी

श्री/श्रीमति/सुश्री पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री.....

निवासी पुलिस थाना जिला

..... दिनांक

समय वी.सी.आर. नम्बर.....

रूबरू मोतविरान

1. श्री पुत्र श्री.....
 कौम उम निवासी.....
 पुलिस थाना जिला.....
 हाल-----वि.वि.नि.लि.....
 श्री पुत्र श्री कौम
 उम निवासी..... पुलिस थाना
 हाल-----वि.वि.नि.लि.....
 उपरीक्त मोतविरान के समक्ष आज दिनांक
 मन..... वि.वि.नि.लि श्री
 के..... गांव/स्थान..... के
 बिजली कनेक्शन चैक करने पर पाया गया कि उपरोक्ता व्यक्ति
उक्त व्यक्ति का यह कृत्य विद्युत
 अधिनियम 2003 की धारा 135 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। वजह सबूत मौके पर से
 सामान साथ लाये गये शिकटश की सामग्री की मदद से जब्त कर
 नियमानुसार सील मोहर किया गया तथा प्रयोग में लायी गयी मोहर अलग से सील की जाकर
 रिकार्ड पर रखी गई। मन जांच अधिकारी द्वारा घटनास्थल की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी की गई।
2. हुलिया बिजली चोरी उपकरण
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.

समस्त हाजरान के समक्ष मौके पर फर्द मुर्तिबकर समस्त को सुनाई गई, सुन समझ कर सही मान हस्ताक्षर किये।

 - 1.
 - 2.

कार्यालय सील निर्धारण/प्राधिकृत अधिकारी
 (जांच अधिकारी) वि.वि.नि.लि

Jaipur, February 17, 2021

No. RERC/Secy/ Reg. 139 .-In exercise of the powers conferred by sections 43 to 48, 50, 55 and 56 read with section 181 of the Electricity Act 2003 (Act 36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf and after previous publications, the Rajasthan Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, namely Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Electricity supply code and connected matters) Regulation, 2021.

CHAPTER – 1

INTRODUCTION

1.1 Short title, applicability and commencement

- a) These regulations shall be called ‘The Rajasthan Electricity Regulatory Commission **(Electricity Supply Code and Connected Matters) Regulations, 2021.**
- b) These regulations shall apply to distribution licensees including deemed licensees and consumers in the State.
- c) These regulations shall come into force from the date of their publication in the official gazette.

1.2 Amendment in the Code

- a) The Commission may amend the Code suo-moto or on an application filed before it by the Distribution Licensee /Stakeholders. However, before any amendment is made in the Code, comments on the proposed changes shall be obtained from all the distribution Licensees and public in a transparent manner by following due process.
- b) All approved changes in the Code shall be placed on the website of the licensee and RERC, and the extracts of the changes shall be given wide publicity by the Licensee. The copies of changes shall also be kept in all local offices.

CHAPTER – 2

DEFINITION AND INTERPRETATION

2.1 Definitions

In these Regulations, unless the context otherwise requires:

1. “**Act**” means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), as amended from time to time;
2. “**Accredited laboratory**” means a laboratory accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL);

3. **“Agreement”** means an agreement, with its grammatical variations and cognate expressions, entered into by a Licensee and/or its predecessors and its consumer including any commercial arrangement for supply of electricity;
4. **“Apparatus”** means electrical apparatus; and includes all machines, fittings, accessories and appliances connected to the Electrical Distribution System;
5. **“Appellate Authority”** means the authority prescribed by State Government under sub-section (1) of Section 127 of the Act, 2003 for hearing appeals against the order of assessing officer;
6. **“Applicant”** means an owner or occupier of any premises who files an application with a Licensee, in accordance with the provisions of the Act, the rules, the regulations and the orders made there under, for purposes such as:
 - (i) supply of electricity including temporary connection;
 - (ii) increase or reduction in sanctioned load or contract demand;
 - (iii) change of category;
 - (iv) change in title or mutation of Name;
 - (iv) Issues related to billing or change of particulars related to connection;
 - (v) Disconnection or reconnection of supply;
 - (vi) Termination of agreement or
 - (vii) Shifting of connection or other services in accordance with the provisions of the Act, Rules & Regulations, etc.;
7. **“Application”** means an application complete in all respects in the appropriate format along with all requisite documents and other compliances;
8. **“Area of Supply”** means the area within which a distribution licensee is authorized by his license to supply electricity;
9. **“Assessing Officer”** means an officer of a State Government or Licensee, as the case may be, designated as such by the State Government under Section 126 of the Act;
10. **“Authorized Officer”** means an officer so designated by the State Commission or State Government as the case may be under Section 135 (1-A) or Section 135 (2) of the Act respectively;
11. **“Authorized representative”** of any person/entity means all officers, staff, representatives or persons discharging functions under the general or specific authority of the concerned person/entity;
12. **“Authority”** means the Central Electricity Authority (CEA) referred to in sub-section (1) of Section 70 of the Act;

13. **“Average Power Factor”** means the average monthly power factor and shall be the ratio expressed as percentage of total KWh (Kilo Watt Hour) to the total kVAh (Kilo Volt Ampere Hour) supplied during a month;
14. **“Bank rate”** means the bank rate of Reserve Bank of India as on April 1 of the relevant year;
15. **“Bill date”** means the date of issue of bill by distribution licensee/franchisee;
16. **“Billing cycle” or “Billing period”** means the period as approved by the Commission for which regular electricity bills are to be issued by the Licensee for different categories of consumers;
17. **“Billing demand”** for a category of consumer shall be calculated as per the procedure provided in the Tariff Order, approved by the Commission;
18. **“Billing month”** means the month in which the bill date falls;
19. **“Calendar year”** means the period from the first day of January of a Gregorian calendar year to the thirty first day of December, of the same year;
20. **“CEA (Measures Relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010”** means the CEA (Measures Relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010 as amended from time to time;
21. **“Code”** means Electric Supply Code framed by the Commission as per provisions of the Act;
22. **“Commission”** means the Rajasthan Electricity Regulatory Commission (RERC) as constituted under Section 82 of the Act;
23. **“Connected load”** shall mean the sum of rated capacities of all the energy consuming devices on the consumer’s premises, which can be operated simultaneously. Connected load as applied shall be considered as sanctioned load and the load found during subsequent checking/inspection shall be considered as actual connected load. It shall be determined as per Annexure-1 in both cases;
24. **“Consumer”** means any person who is supplied with electricity for his own use by a licensee or the Government or by any other person engaged in the business of supplying electricity to the public under the Electricity Act, 2003 or any other law for the time being in force and includes any person whose premises are for time being connected for the purpose of receiving electricity with the works of a licensee, the Government or such other person, as the case may be.
25. **“Consumer Installation”** shall mean the whole of the electric wires, fittings, motors and apparatus erected and wired by or on behalf of the consumer on his premises starting from the point of supply;
26. **“Sanctioned load/Contracted demand”** shall mean the maximum load/demand in KW/BHP/KVA applied for by the applicant and agreed to by the licensee and

indicated in the agreement executed between the licensee and the consumer. The connected load in horse power (HP) for the purpose of tariff shall be "Brake horse power." For conversion of connected load into KW, the brake horse power (HP) shall be multiplied by 0.746. In cases where the contract demand has been given in KW, the contract demand in KVA for tariff purposes shall be determined by adopting the average power factor as 0.90;

27. **"Correct Meter"** means a meter, which shall at least have features, Accuracy Class and specification as per the standards on Installation and Operation of Meter given in CEA (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006 as amended from time to time;
28. **"Date of Commencement of Supply"** refers to the date when the licensee energizes the consumer installation by connecting to the distribution mains/system. This shall also be considered as date of connection;
29. **"Date of Disconnection of Supply"** refers to the date of de-energization of consumer installation from the distribution main/system/meter;
30. **"Developer"** means any person who undertakes development of an area (including electrification on their own or through a Licensee) including public land development agencies (like Jaipur/Jodhpur Development Authority, Municipal Corporation(s), Municipal Councils, Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation (RIICO), Rajasthan Housing Board, Urban Improvement Trust etc.), private developers, private colonizers, builders, Cooperative Group Housing societies, group housing societies, co-operatives, associations etc., within the area of supply of the distribution Licensee including any residential-cum-commercial complex approved by an appropriate authority;
31. **"Disconnection"** means the physical separation or remote disconnection of a consumer from the distribution system of the distribution licensee;
32. **"Distributing Main"** means to the portion of any main with which a service line is, or is intended to be, immediately connected;
33. **"Distribution System"** means the system of wires and associated facilities between the delivery points on the transmission lines or the generating station connection and the point of connection to the installation of the consumers;
34. **"Electrical Line"** means any line which is used for carrying electricity for any purpose and includes-
 - a) any support for any such line, that is to say, any structure, tower, pole or other thing in, on, by or from which any such line is, or may be, supported, carried or suspended; and
 - b) any apparatus connected to any such line for the purpose of carrying electricity;

35. **“Electrical Plant”** means any plant, equipment, apparatus or appliance or any part thereof used for, or connected with, the generation, transmission, distribution or supply of electricity but does not include-
- a) an electric line; or
 - b) a meter used for ascertaining the quantity of electricity supplied to any premises; or
 - c) an electrical equipment, apparatus or appliance under the control of a consumer;
36. **“Electrical Inspector”** means a person appointed as such by the State Government under sub-section (1) of Section 162 of the Act and also includes the Chief Electrical Inspector;
37. **“Empowered Officer”** means the officer authorized by the State government under section 152 of the Act, to determine and accept an amount as compounding charges from a consumer or a person;
38. **“Energy charges”** means the charges levied as per the provisions of the Tariff Order issued by the Commission from time to time for energy consumed by the consumer in kWh or kVAh (kilo Watt Hour or kilo Volt Ampere Hour), as the case may be, in any billing cycle or billing period;
39. **“Financial year”** means a period commencing on 1st April of a calendar year and ending on 31st March of the subsequent calendar year;
40. **“Fixed Charges”** for a billing cycle or billing period means the fixed charges levied as per the provisions of the Tariff Order issued by the Commission from time to time;
41. **“Force Majeure”** means the occurrence of any event/circumstances which are beyond the control of a Licensee which could not have been reasonably foreseen by the Licensee and which has the effect of preventing/delaying due performance of any obligation by the Licensee;
42. **“Forum”** means the Consumer Grievance Redressal Forum (CGRF) established under sub-section (5) of Section 42 of the Act;
43. **“Franchisee”** means a person authorized by a distribution licensee to distribute electricity on its behalf in a particular area within his area of supply;
44. **“Installation Certificate/IC”** shall mean an electrical fitting certificate including self-certificate issued under the notification issued by the State Government from time to time;
45. **“Late Payment Surcharge (LPS)/Delayed Payment Surcharges (DPS)”** means the monetary charge levied as per provisions of the Tariff Orders, on a consumer, for the period of delay in payment of its bills beyond due date;

46. **“Licensed Electrical Contractor (LEC)”** means a contractor licensed by the State Government in accordance with the provisions of Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010 as amended from time to time;
47. **“Licensee” or “Distribution Licensee”** means a person who has been granted a license under Section 14 of the Act to operate and maintain a distribution system for supplying electricity to the consumers in his area of supply and includes a deemed Licensee;
48. **“Load Factor”** denotes the ratio of the total number of units consumed during a given period to the total number of units which would have been consumed had the Contract demand/Sanctioned connected load been maintained throughout the same period subject to availability of supply and shall usually be expressed as the following percentage:

$$\text{Load Factor (\%)} = \frac{\text{Actual units consumed in a given period}}{\text{Sanctioned Connected load/ Contract demand (in kW) x No. of Hours in the period}} \times 100$$

Where the contract demand is in kVA, contract demand in kW shall be calculated by considering unity power factor for the purpose of calculation of Load Factor.

49. **“Maximum Demand (MD)”** shall mean the average kVA or kW delivered at the point of supply of a consumer during a consecutive period of 30 or 15 minutes of maximum use during the month, as may be specified by the licensee, with the approval of Commission;
50. **“Meter”** means a device as specified in CEA (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006 as amended from time to time;
51. **“Occupier”** means owner/tenant or a person who is in occupation of the premises where energy is used or proposed to be used subject to his producing address proof in the form of Aadhar Card/Driving License/Voter ID, Passport or any other document for address proof as may be specified by the Commission;
52. **“Ombudsman”** means electricity Ombudsman as appointed under sub-section (6) of Section 42 of the Act;

53. **Point of supply:**

Sr.	Consumer Category	Point of Supply
1.	LT Consumer	Outgoing terminal of the meter/meter cubical

2.	HT and EHT Consumer	Incoming terminal of switch gear, installed/to be installed by the consumer on HT/EHT side of the transformer /substation as the case may be in terms of Regulation 35 of CEA (Measures relating to safety and electric supply) Regulations, 2010 as amended from time to time
----	---------------------	--

54. **“Premises”** includes any land, building or structure;
55. **“Prosumer”** means a person who consumes electricity from the grid and can also inject electricity into the grid for distribution licensee, using same point of supply;
56. **“Rural area”** means the all area covered by gram panchayats;
57. **“Schedule”** shall mean the Schedule attached to these Regulation indicating various charges and rentals for the time being in force as authorized by the Commission for levy by the licensee on the consumer;
58. **“Service-line”** means any electric supply-line through which electricity is, or intended to be, supplied –
- to a single consumer, either from a distributing main or immediately from the distribution Licensee’s premises or
 - from a distributing main to a group of consumers on the same premises or on contiguous premises supplied from the same point of the distributing main;
59. **“Standard/Store Issue Rate”** shall mean the Standard/Store issue rates issued by Distribution licensee for time being in force;
60. **“Switchgear”** shall denote switches, circuit breakers, cut-outs and other apparatus used for the operation, regulation and control of circuits;
61. **“Tariff Order”** means the Tariff Order issued by the Commission for different categories of consumers of electricity in the area of supply of licensee for supply of electrical energy and services for the specified period;
62. **“Temporary connection”** means an electricity connection required by a person for meeting his temporary needs such as-
- for construction of residential, commercial and industrial complexes including pumps for dewatering;
 - for threshers or other such machinery excluding agriculture pump sets;
 - for touring cinemas, theatres, circuses, fairs, exhibitions, melas or congregations;
 - or any other use as may be specified by the Commission;

63. “**Temporary supply**” means supply of electricity on a temporary basis and for a period, as may be agreed between the distribution Licensee and the applicant;
64. “**Theft of electricity**” means theft of electricity as per Section 135 of the Act;
65. “**Urban areas**” means all areas other than rural areas;
66. “**Unauthorized Use of Electricity**” means usage of electricity as per Section 126 of the Act;

2.2 Interpretation:

- a) These Regulations shall be interpreted and implemented in a manner not inconsistent with the provisions of the Act and the Rules and Regulations made there under.
- b) Unless the context otherwise requires, words or expressions occurring in these Regulations and not defined herein but defined in the Act or CEA (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006 or CEA (Measures Relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010 & amendments thereof or any other regulation framed by Commission/Tariff Order, shall bear the same meaning as prescribed therein and in absence thereof, the meaning as commonly understood in the Electricity Supply Industry.
- c) The forms and formats, if any, to be filled as per requirement of these Regulations shall be as per Commission’s Orders from time to time.

CHAPTER – 3

SYSTEM OF SUPPLY

3.1 Character of supply

The voltage of alternating current (AC) supplied by the licensee shall be as follows:

- a) Low Tension (LT) Supply
 - i) Single Phase 230 Volts between each phase and neutral.
 - ii) Three Phase 400 Volts between phases.
- b) High Tension (HT) Supply
 - i) Three Phase 11,000 Volts (11 kV) between phases.
 - ii) Three Phase 33,000 Volts (33 kV) between phases.
- c) Extra High Tension (EHT) Supply
 - i) Three Phase 1, 32,000 Volts (132 kV) between phases.

ii) Three Phase 2, 20,000 Volts (220 kV) between phases.

3.2 **Frequency Variation**

The licensee shall supply power within the frequency band specified in the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2010 & amendments thereof and “Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Rajasthan Electricity Grid Code) Regulations 2008” & amendments thereof.

3.3 **Voltage Variation**

The voltage at the point of supply shall remain within the limits as specified hereunder:

- a) In the case of low tension & high tension as per Distribution licensee's Standards of performance Regulations in force.
(This has to be ensured by the Distribution licensee).
- b) In the case of extra high tension as per Transmission licensee's Standards of performance Regulations in force.
(This has to be ensured by the transmission licensee.)

CHAPTER-4

CLASSIFICATION OF SUPPLY

4.1 **Applicable supply voltage**

Supply shall generally be given at the following voltages on the basis of connected load/sanction load/contracted demand.

<u>Category of Consumer</u>	<u>Character of Service</u>	
a) Domestic/ Non-Domestic/	i) Connected Load up to 5 kW	i) LT Single phase or three phase at the option of the consumer

	ii) Connected Load above 5 kW but contract/ actual demand remains up to 50 kVA	ii) LT Three phase
	iii) Connected Load above 5 kW and contract/ actual demand more than 50 kVA but up to 2500 kVA	iii) HT 11kV
	iv) Contract/ actual demand above 2500 kVA but up to 8000 kVA	iv) HT 33kV
	v) Contract/ actual demand above 8000 kVA	v) EHT 132 kV or above
b) Public Street Lighting	All services	LT Single phase or three phase
c) Agriculture	All services	LT Three phase
d) Small Industrial	i) Connected Load upto 5 kW (6.7 HP)	i) LT Single phase or three phase at the option of the consumer

	ii) Connected Load above 5 kW (6.7 HP) but upto 18.65 kW (25 HP)	ii) LT Three phase
e) Medium Industrial	i) Connected Load above 18.65 kW (25 HP) and upto 112 kW (150 HP) but contract/ actual demand remains upto 50 kVA	i) LT Three phase
	ii) Connected Load above 18.65 kW (25 HP) and upto 112 kW (150 HP) but contract/ actual demand is above 50 kVA and upto 125 kVA	ii) HT 11 kV
f) Large Industrial (except Traction Load)	i) Connected Load above 112 kW (150 HP) and/or contract/ actual demand above 125 kVA but upto 2500 kVA	i) HT 11kV
	ii) Contract/ actual demand is above 2500 kVA but upto 8000 kVA	ii) HT 33 kV
	iii) Contract/ actual demand above 8000 kVA	iii) EHT 132 kV or above
g) Traction Load	All services	Phase to phase supply at the voltage specified for large industrial consumer

h) In the cases for Electrification	Estimated designed demand exceeding 50 kVA and up to 2500 Kva	i) kV	HT 11
	Estimated designed demand exceeding 2500 kVA and up to 8000 kVA	ii) kV	HT 33
	Estimated designed demand exceeding 8000 kVA	iii) 132 kV or above	EHT

Note:- For EV charging stations the applicability should be as per applicability of relevant category of industries.

4.2 **Motive load > 3 BHP**

Single phase supply shall not be admissible where motive load is more than 3 BHP.

4.3 Option of 3 phase LT supply up to 5 KW shall be available in the rural and urban areas where 3 phase 24 hours LT supply system exists.

4.4 3 phase LT supply to the installations up to 5 KW and more than 5 KW (not covered in sub-regulation 4.3) shall be admissible in the rural areas subject to extension of non continuous supply 11 KV mains and installations of independent distribution transformer for release of connection. However all consumers other than Agriculture connection requiring HT supply and industrial or non-domestic category consumers eligible for LT supply not covered under clause sub-regulation 4.3 can be given supply through continuous supply 11 KV feeders on payment of entire cost of 11 kV line and transformer and other charges as per Schedule of charges (Schedule-I).

4.5 **Option of single phase connection upto 10 KW**

Option of Single phase LT supply up to 10 KW connected load shall be available to all categories except Agriculture category in the rural areas where continuous 3 phase supply is not available subject to extension of 11 KV line (if required) and installation of independent single phase distribution transformer for release of such connection and by recovery of entire cost of 11 kV line, single phase transformer and other charges as per schedule of charges (Schedule-I).

4.6 33 KV supply voltage can be provided to a consumer, if so requested by him, if contract demand is more than 500 KVA subject to providing the protection equipments as may be required by the licensee. However for the purpose of electrification, the minimum designed demand on which 33 kV supply can be provided, shall be 1500 kVA.

- 4.7** The consumer eligible for 132 KV supply voltage can be supplied on 33 KV supply voltage, if technically feasible, on 33 KV system where the transmission licensee has communicated technical constraint for release of particular connection on 132 KV supply on request of distribution licensee for providing technical clearance. However, this facility of such lower voltage is available upto contract demand not exceeding 12 MVA subject to the capacity of conductor and technical feasibility.
- 4.8** Variance in supply voltage in respect of exiting connection: The following situation shall be considered as variance in supply voltage:
- a) Where the connection has been released at a supply voltage one stage lower than the admissible supply voltage as per table 4.1.
 - b) The recorded monthly maximum demand if exceeds the threshold maximum demand of a particular supply voltage as mentioned in table 4.1 by more than 5%, 3 times in same financial year.
 - c) Where connection is provided at higher supply voltage than admissible supply voltage as per table 4.1.
- 4.9** Provisions to deal with the voltage deviation cases falling under sub-regulation 4.6, 4.7 and 4.8:
- (a) Cases covered under sub-regulation 4.6
 - i. Voltage rebate/tariff of 33 KV shall be allowed.
 - ii. A 33 kV feeder feeding Discom's substations and dedicated feeder of essential services which are exempted from power cuts like Hospitals, Defense, Railways and Public Health Engineering Department (PHED) shall not be tapped for release of individual connection to the consumer or for electrification of buildings/colonies.
 - (b) Cases covered under sub-regulation 4.7
 - i. Voltage rebate of 33 KV supply shall be allowed.
 - ii. The 33 KV supply shall be given only through independent 33 KV feeder from the nearest technical feasible 132/220 KV sub-stations and metering shall be provided at such 132/220 kV substation.
 - iii The plant cost for additional demand above 8 MVA shall be recovered at the twice of the normal rate.
 - (c) Cases covered under sub-regulation 4.8 (a)
 - i. Licensee shall identify such consumers who are at variance with reference to admissible supply voltage level as per table 4.1. All such consumer shall be issued notice within three months of notification of

these Regulations to take supply on this higher admissible voltage. Supply on higher voltage shall be provided by licensee subject to technical feasibility for which a demand notice shall be issued by the licensee. Till such time the consumer shall also be required to bear the transformation losses at the rate of 3% on the recorded consumption in proportion to the ratio of the consumption corresponding to existing contract demand exceeding the admissible contract demand on the prescribed voltage as per table 4.1. For example, if KWH consumption in a month for a consumer is 27 lakh units and the contract demand of the consumer is 9 MVA, and connection is on 33 KV instead of 132 KV the KWH consumption corresponding to 1 MVA (above 8 MVA) would be $27 \times \frac{1}{9} = 300000$ unit and to this consumption 3 % transformation losses (9000 units) shall be added to arrive at the chargeable unit from the consumer. Total chargeable unit would be $27 + 0.09 = 27.09$ lakh unit.

Provided that if such consumer fails to deposit the demand notice issued by licensee within the time frame as per Regulation 6.2 (g) towards charges for switching over to higher supply voltage, 3% transformation losses and transformer rent, if applicable, shall become applicable on the full recorded consumption.

Provided further that the voltage rebate/tariff of the connected supply voltage shall remain applicable.

ii. Cases covered under sub-regulation 4.8 (b)

The licensee shall examine the technical feasibility to convert such connections on higher voltage and in case the higher voltage supply is found technically feasible by the licensee, a demand notice shall be issued within 30 days of the occurrence of the 3rd default. The consumer shall deposit such demand notice within the time frame as per Regulation 6.2 (g) failing which supply shall be disconnected. In case consumer deposits the demand notice, 3% transformation losses and transformer rent, if applicable, shall be charged for a limited period from the date of 3rd default up to the expiry of 60 days from the date of deposit the demand notice or release of connection on higher voltage whichever is earlier. In case switching over to higher admissible voltage is not technically feasible due to system constraint of licensee, the consumer shall remain connected on existing voltage. In this case, 3 % extra on the recorded consumption and transformer rent, if applicable, shall continue to be charged towards transformation losses and voltage rebate/tariff shall be applicable as per existing voltage. Licensee shall convert such connection on higher voltage as soon as technical feasibility permits.

iii. Cases covered under sub-regulation 4.8(c)

No action required to be taken by the Licensee. Voltage rebate/tariff of higher voltage on which connection is running shall be allowed.

CHAPTER-5

CLASSIFICATION OF CATEGORIES

5.1 The licensee may classify and reclassify consumers into various tariff categories from time to time as approved by the Commission and announce the different tariffs for different classes of consumers with the Commission's approval. No additional category other than those approved by the Commission shall be created by the licensee. Presently the following classification exists as per tariff orders.

- i. Domestic service
- ii. Non domestic service
- iii. Public street lighting service
- iv. Agriculture service
 - a) Metered supply
 - b) Flat rate supply
- v. Small industrial service
- vi. Medium industrial service
- vii. Large industrial service
- viii. Bulk supply for mix load
- ix. Temporary supply
- x. Electric Vehicle Charging Station
- xi. Traction load
- xii. Any other category as may be considered by the Commission in tariff order.

CHAPTER-6

APPLICATION FOR CONNECTION, MISC. SERVICES & PRIORITY

6.1 **Application for supply**

- a) An owner or an occupier of any premises requiring supply of electricity may apply in person or online submit an application along with the documents as specified in the application form for supplying electricity to such premises to such officer as the licensee may designate for this purpose. The application shall be in a model form available at Annex-2. This form shall also be applicable for other miscellaneous activities/services viz., Load extension/reduction, transfer/shifting of connections, name change etc. In case application is submitted online, hard copy of the same is not required to be submitted by the consumer. The licensee may also ask for other relevant information required by him for release of connection and/or execution of related work by incorporating suitable changes in the application form.
- b) The application form shall be supplied free of cost by the licensee or can be downloaded from the website of the licensee. The licensee shall make available with the form, a checklist of specified documents. The licensee shall create web portal and mobile app for submission of online application.
- c) The applicant shall deposit along with his application an application fee & other charges as per Schedule of charges (Schedule-I) or as specified by the Commission from time to time, and where he requires the licensee to provide electric line or electric plant, he shall also deposit expenses as authorized in the Schedule-I for providing such electrical line or electrical plant to be used by the licensee for giving such supply.
- d) Receipt and acknowledgement of application form.
 - i. When the application is submitted in hard copy:

Such an application shall be entered in the online system by the Licensee and system generated receipt and registration No. shall be provided along with system generated acknowledgement of documents received and not received. Such acknowledgement with registration No. should be generated within 1 day of receipt of hard copy, complete with all the required information and intimated to the applicant.
 - ii. When the application is made online:

The system generated receipt with registration No. along with system generated acknowledgement of documents furnished and list of documents not furnished shall be issued and intimated to the applicant.
 - iii. On scrutiny the deficiency, if any, in the application received in either mode above shall be conveyed within 7 days on first come first serve basis on the registered mobile number/E-mail/Post or any other verifiable communication means. Licensee shall give 30 days' notice for removing deficiency/furnishing the necessary document, if any. If no deficiency is

conveyed within 7 days of receipt of application form, it will be assumed that application is complete in all respect.

- iv. In response to the notice of the Licensee for removing the deficiency, system generated acknowledgment shall be issued by the licensee to the applicant after receipt of necessary document/information of removal of deficiency.
- v. On removal of deficiency, the application shall be considered as completed application on the date of removal of deficiency.
- vi. In case the applicant does not remove the deficiency within 30 days from the date of receipt of information from licensee, such application shall be cancelled under intimation to the applicant.
- vii. The application not accompanied with the requisite fee and charges as per sub-regulation 6.1 (c) shall also be considered as incomplete application.
- viii. An application complete with all the required information, shall be deemed to be received on the date of generation of acknowledgement with registration No.
- ix. The application tracking mechanism based on the unique registration number shall be provided by the distribution licensee through web-based application or mobile app or through SMS or by any other mode to monitor the status of processing of the application like receipt of application, site inspection, issuance of demand note, external connection, meter installation and electricity flow.

6.2 **Priority**

- a) Priority shall be maintained sub division wise/locality-wise/category wise/miscellaneous activity wise such as transfer/shifting/load extension/ load reduction/name change etc.
- b) The date of receipt of completed application form shall determine the priority for issue of demand notice if it is required to be issued. Separate priority shall be assigned where no demand notice is required to be issued.
- c) Installation certificate can be furnished at any time by the domestic and upto 5 kW load of all other categories applicant but before the date of deposit of demand notice. However, other categories of applicants may furnish installation certificate before release of connection. Where no demand notice is to be issued, a notice of 30 days to furnish the installation certificate shall be issued. The application shall stand cancelled if installation certificate is not furnished within the notice period.
- d) In case installation certificate is submitted by consumer as per sub-regulation 6.2 (c) above after deposit of demand notice, the priority shall be reassigned with reference to date of furnishing of installation certificate.

- e) After deposit of demand notice, separate groups shall be assigned to the consumers as per nature of works falling under sub-regulation 7.2 to 7.6 for release of connection. For completion of job work, separate priority shall be assigned under sub-regulation 7.2 (d). The inter-se priority of the applicants falling in the various groups shall be determined with reference to date of deposit of demand notice.
- f) If on inspection of installation of applicant, any deficiency is found or the fitting is found to be incomplete, a thirty (30) days' notice shall be given to the applicant for removing the deficiency. Necessary fee for testing of installation as per Schedule of charges (Schedule-I) shall be payable for subsequent inspection. Such applicant shall be assigned different priority based on removal of deficiency. Failure to comply with the observations made in the notice within 30 days shall result in rejection of application automatically.
- g) Thirty days period from date of issue shall be allowed for deposit of demand notice and application shall stand cancelled after expiry of demand notice period. However, the licensee may grant extension of notice period of additional 30 days. The priority in such cases shall be re-assigned and reckoned from the date of deposit of demand notice amount.

6.3 **Application for the single point supply**

- a) Supply of electricity at single point by the distribution licensee to a Co-operative Group Housing Society: A distribution licensee shall give supply of electricity for residential purpose on an application by a Co-operative Group Housing Society which owns the premises at a single point for making electricity available to the members of such society residing in the same premises on such terms and condition as may be specified by the State Commission.

Provided that the provisions of this clause shall not in any way affect the right of a person residing in the housing unit sold or leased by such a Co-operative Group Housing Society to demand supply of electricity directly from the distribution licensee of the area on such terms and conditions as may be specified by the State Commission. If individual applicant demands supply of electricity directly from the distribution licensee, the connection to such individual applicant shall be released by licensee from the system of Group Housing Society.

Provided further that such persons shall make metering arrangement at ground floor and provide protection arrangements as may be prescribed by licensee.

- b) Supply of electricity by distribution licensee at single point to a person for his employees: A distribution licensee shall give supply of electricity for residential purposes on an application by a person at a single point for making electricity available to his employees residing in the same premises on such terms and conditions as may be specified by the State Commission.

- c) The terms and conditions for a single point supply shall be as under:
- i. The Housing Society/Employer shall not charge for electricity supply to the society members/ employees, more than the charges specified by the Commission in the Schedule attached with these Regulations.
 - ii. The Housing Society/Employer shall not charge more than the electricity tariff determined by the Commission for residential consumers located in the supply area of the licensee, where such Housing Society/premises is located.
 - iii. The members/ employees of a housing society /Employer will have the rights and obligations of an 'applicant' under these regulations. Simultaneously, such Housing Society/Employer will also have the rights and obligations of a 'licensee' under these regulations for supply of electricity to its members/ employees.
 - iv. The Housing Society/Employer shall apply for the entire connected load / contract demand of the colony and its additions from time to time.
 - v. All individual connections shall be metered and meter as specified in CEA metering Regulations shall be provided on ground floor with adequate protection as prescribed.
 - vi. Electricity supply by the licensee to the Housing Society/Employer shall be governed by the terms & conditions for the supply of electricity prescribed by the licensee for the consumers, duly approved by the Commission.
 - vii. The distribution system of the Housing Society/Employer along with the electrical installations of individuals shall conform to the safety requirements of the Act, all rules, regulations and codes made there under. The electrical installation shall be wired as provided in the CEA Safety regulations and shall be tested before connection through single point supply.
 - viii. The Housing Society/Employer will publish the detailed terms & conditions for the supply of electricity to its members/ employees with prior approval of the Commission. The terms and conditions as may be framed by the Housing Society/Employer shall not be inconsistent with these regulations and should not be less beneficial to the members.

6.4

All HT/EHT consumers shall be required to execute an agreement based on the model agreement given at Annexure-3 with the Licensee on a non-judicial stamp paper, of value as prescribed by the Government of Rajasthan. For all other consumers, the application form itself, shall be the agreement. The date of

commencement of agreement shall be the date of release of connection and minimum period for all such agreements shall be one year.

6.5 The supply shall be given to owner or occupier of a premises, on production of necessary documentary evidence. In the event of no formal agreement having been entered into between the Licensee and the consumer, once the supply of electricity has commenced, the latter shall be bound by the terms and conditions of the agreement required to be executed as above. The consumer shall not refuse to tender an agreement if so, required by the Licensee at any time after the supply has commenced, notwithstanding that the same was not entered into before. In such an event, the date of agreement shall be the date of commencement of supply to the consumer.

6.6 Without previous consent of the Licensee, the consumer shall neither, assign, transfer or part with the benefit of his agreement with the Licensee nor shall the consumer in any manner part with or create any partial or separate interest there under.

6.7 Clearance of arrears of old connection

A new connection shall be given in the premises only if all arrears and dues in respect of old connection in the premises have been cleared and paid. However, in case of auction of an existing industry by RIICO/ Rajasthan Financial Corporation (RFC) or by official liquidator appointed by Rajasthan High Court or Debt Recovery Tribunal, new connection shall be released as per policy guidelines of State Government & prevailing law. However, in respect of premises auctioned by bank under SARFAESI Act (The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002), the connection shall be released as per guidelines to be framed by the licensee with the approval of commission.

6.8 Shifting of connection

Shifting of existing connection shall not be allowed except for agriculture consumer as per agriculture policy.

6.9 Temporary Supply

a) The licensee may also provide temporary supply to a consumer on receipt of an application in prescribed model form at Annexure-2 alongwith necessary documents, installation certificate, application fee and other charges as per Schedule of charges (Schedule-I), However, temporary connection shall not be released under Public Street Lighting, Agriculture and to the places of permanent wedding houses.

- b) Temporary supply may be given for a period not exceeding two months in the first instance, but the supply can be extended for further periods not exceeding two months on each occasion after collecting additional deposits to cover the extended period. For construction works connection may be granted for a 3 months period in the first instance and can be extended for further periods not exceeding 3 months on each occasion. However, the electricity charges to consumers shall be levied as per the tariff for temporary supply specified by the Commission from time to time.

6.10 Supply for construction purpose

The existing consumers under LT domestic, non-domestic categories may use its connection for the purpose of further construction in the same premises subject to the condition that its connected load/contract demand shall not exceed the overall sanctioned load/demand. This facility shall not be available for construction of Building Complexes and to other categories of consumers.

6.11 Transfer of connection/name change

Transfer of connection from one consumer to other shall be permitted by the Licensee if there is any change of ownership due to sale/ transfer of property on account of inheritance/gift/liquidation of company or for any other and valid reasons:

- a) In case of a Govt. Employee having been allotted accommodation in a Govt. Colony, the connection may be changed in the name of new occupier on furnishing of documentary evidence of allotment of the Government accommodation.
- b) Any person taking over premises where electric connection exists or lying disconnected, shall furnish application along with necessary legal documents in support of transfer of premises, requesting the Licensee for transfer of electric connection. After according formal sanction by the Licensee, the new consumer shall clear all the dues against the service and deposit security as per prevailing provisions in this regard.
- c) The consumer shall neither, without previous consent of the Licensee, assign, transfer or part with the benefit of his agreement with the Licensee nor shall the consumer in any manner part with or create any partial or separate interest there under. The liability of new consumer in such cases, shall be for the unexpired period of the Agreement. The HT/EHT consumer shall be required to execute a fresh agreement for the unexpired period.
- d) In case a consumer wants change in his name (ownership remaining the same), he may furnish application for the same. The Licensee shall allow change of name on the basis of documents legally necessary.
- e) The transferee shall pay transfer fee as specified at Schedule-I.

- f) The power supply agreement with the original registered consumer is deemed to be terminated from the date of transfer of installation or from the date of expiry of seven (7) days from the date of completion of required formalities by the transferee whichever is earlier;
- g) The officers who are empowered to sign the power supply agreement are also empowered to effect transfer of such connection to other person.

6.12 **Change of category**

Change of category from one category to another category shall be allowed subject to following conditions:-

- (a) Conversion of connection to agriculture category shall not be allowed.
- (b) Conversion of category from higher tariff category to lower tariff category shall be allowed.
- (c) For this consumer shall apply in Application Form prescribed for new connections.
- (d) Along with the Application Form, the consumer shall pay the following amount prevailing at the time of category conversion :-
 - (i) Application fee.
 - (ii) The cost difference for release of connection under applied (New) category vis-à-vis the existing category.
 - (iii) No refund shall be allowed to the consumer on this account.
- (e) Conversion shall be allowed only if there is no outstanding against the existing connection.
- (f) Consumer shall also submit an undertaking on a non judicial stamp paper regarding conversion of category to the effect that in future if any amount is found due against earlier connection, the same shall be cleared by him even after the conversion has been allowed.
- (g) Before effecting change in category concerned officers at their level shall verify the actual category/use by the consumer.

6.13 **Special provisions for Agriculture Consumers**

Notwithstanding anything contrary to it contained in the Regulations for electricity supply to agriculture consumers, application for supply, connection release priority, increase in connected load, shifting of connections, restoration of supply etc shall be governed by the policy directives issued by the State Government from time to time under section 108 of the Electricity Act, 2003 so far as it is not inconsistent with the provisions of the Act. The licensee may incorporate the changes in the Agriculture Policy and update the "Terms and Conditions for Supply of Electricity." The licensee shall publish the up-dated Agriculture Policy at the end of each financial year under intimation to the Commission.

CHAPTER-7

SUPPLY AND RELEASE OF CONNECTION

7.1 Supply where no extension of distribution mains is required

Where no extension of distribution mains or commissioning of new sub-stations is involved, the licensee shall inspect the applicant's installation and release connection within seven days in metro cities, fifteen days in other municipal areas and thirty days in rural areas of the receipt of completed application as mentioned in Chapter-6. However, for Domestic category, the connection should preferably be provided within seven days in all type of areas.

Explanation

- a) If LT supply of electricity can be provided to the applied premises by existing service line or by laying service line up to 50 meters, from an existing overhead line or underground cable where a cable box, junction box, pillar box etc. has been provided, the distribution mains shall be deemed to require no extension.
- b) In case of HT supply of electricity to premises, the distribution system shall be deemed to require augmentation and procedure laid down in sub-regulation 7.2 and 7.3 shall be followed.

7.2 Supply where distribution mains require extension

- a) After receipt of an application as provided in Chapter 6, if the licensee finds that the supply of electricity to premises applied for requires extension of distribution mains, the licensee shall work out additional expenses, if any, as specified in the Schedule of charges (Schedule-I) for such extension and intimate the applicant within 15 days of the receipt of completed application, the extension required and additional sum required for providing such extension. If the connection is on 132 KV or above or on 33 KV requiring construction of bay at EHT grid sub-station, the notice of additional sum shall be issued by the Distribution Licensee within 60 days. The transmission licensee shall send the estimate for works pertaining to them to Distribution Licensee within 30 days of the request made by distribution licensee.
- b) Where extension of distribution mains is required but no additional sum is required to be deposited, the licensee shall complete the extension work and release connection within 45 days of receipt of completed application.
- c) The applicant shall deposit the demand notice as per provisions of sub-regulation

6.2 (g).

- d) The licensee shall complete the extension of distribution mains within the time specified below for different voltage levels after deposit of additional sum by the applicant:

(i)	LT Line		15 days.
(ii)	11 KV Line	Upto 1 st 5 Km	30 days
		Next 5 Km each	15 days.
(iii)	33 KV Line	Up to 1 st 5 Km	60 days
		Next 5 Km each	30 days
(iv)	132 KV Line or above	Upto 1 st 5 Km	180 days
		Next 5 Km each	45 days

- e) After completion of the extension work, the licensee shall inspect the installation and release connection within the time as specified in Regulation 7.1.
- f) A 33 kV feeder feeding Discom's substations and dedicated feeder of essential services which are exempted from power cuts like Hospitals, Defense, Railways and PHED shall not be tapped for release of individual connection to the consumer or for electrification of buildings/colonies.

7.3 **Supply where new substation is to be commissioned/ system augmentation is required**

- a) In case where supply of electricity to premises applied for requires commissioning of a new sub-station, the licensee shall take up the work on the new substation as per investment plan approved by the Commission and intimate the applicant within two months of receipt of application, the date of commencement of work and complete the work within the time specified below for different sub-stations, from the date of commencement of work:

(i)	11/0.4 KV S/S	30 days
(ii)	33/11KV S/S	120 days
(iii)	Extension of bay at 33/11KV S/S	30 days
(iv)	132/33/11KV S/S	12 months
(v)	Extension of bay at EHT	90 days

- b) Before commencement of work of sub-station, the licensee shall intimate the applicant within fifteen days, if any additional sum is to be deposited by the applicant as authorized in the Schedule of charges (Schedule-I) for providing

electric line or electric plant to be used by the licensee for giving such supply.

- c) The applicant shall deposit the demand notice as per provisions of sub-regulation 6.2 (g).
- d) Where no additional sum is required to be deposited by the applicant for providing electric line or electric plant, the licensee shall inspect consumer's installation and release connection after commissioning of substation within the time limit as specified in Regulation 7.1.
- e) Where additional sum is to be deposited by the applicant for providing electric line or electric plant as intimated in sub-regulation 7.3 (b), after deposition of demand notice by the consumer, the licensee shall complete extension work and inspect consumer's installation and release connection as per sub-regulation 7.2 (d) and 7.2 (e).

7.4 Supply in localities where no provision for supply exists

- a) Villages/Hamlets/Scattered area existing at the distance of more than 2 km from the nearest technically feasible distribution mains shall be considered as village/hamlet/scattered area where no provision of supply exists. In such cases electrification shall be done as per approved investment plan. Within one year of notification of these Regulations, the licensee shall publish/display on its website the existing 33 KV, 11 KV and LT network with all technical details with Global Positioning System(GPS) locations at the beginning of each financial year so as to identify such areas where no provision of supply exists. First such publication shall be made in respect of system as on 31.03.2021. The licensee shall also display the plan for electrification of such villages/hamlets/ scattered areas at the licensee's cost. In case of distance is less than 2 kms, provisions of Chapter-4 and sub-regulation 7.1, 7.2 and 7.3 will apply for release of connections.
- b) In case applicant/applicants/group of application require release of connection in areas where no provision for supply exists as per sub-regulation 7.4 (a) without waiting for electrification as per investment plans, cost of entire electrical network including transformer shall be borne by the applicants.

7.5 Supply to the housing colonies/township/group housing/industrial complexes/multi story buildings/complexes/large buildings developed by developer

- a) The developer shall make a request for electrification of such area in the model form available at Annexure-2. The documents required/indicated in the form shall have to be submitted to the licensee along with Detail Project Report (DPR), proposed layout with bill of material of electrical network. Licensee on receipt of such request shall intimate the date of joint inspection of the proposed area to be electrified within 15 days of the receipt of the request.

- b) After joint inspection, licensee shall issue an inspection report within 7 days of joint inspection clearly mentioning short coming/deficiency/any other observations, if any. In case there is no observation, concerned officer shall certify that DPR is as per norms and approval of the proposal of the developer shall be issued invariably. After such approval technical sanction and demand notice shall be issued within 30 days.
- c) On receipt of the inspection report, the developer shall make compliance of the inspection report within 30 days. In case he disagrees with the observations in the inspection report, he shall have a right to appeal to the concerned Superintending Engineer (O&M) within 15 days of the date of receipt of the inspection report.
- d) The Superintending Engineer (O&M) shall issue a speaking order with reference to the appeal of the developer within one month of the date of receipt of appeal. In case the developer is still not satisfied with the decision of the Superintending Engineer (O&M), he can approach the corporate level grievance redressal forum/Ombudsman within 30 days of the decision of the Superintending Engineer (O&M).
- e) After compliance of observations and settling of the grievances as above, the licensee shall issue the technical sanction and demand notice for electrification as per request of developer within 30 days of the completion of all required formalities.
- f) The developer (other than multi story buildings/complexes) shall either deposit the cost estimates as per demand notice with the licensee within 30 days of the issue of the demand notice or in case the developer opts to develop the area of his own, supervision charges as per Schedule of charges (Schedule-I) may be deposited with the licensee. The developer of multi-story buildings/complexes shall undertake the electrification works as per the technical sanction issued by the licensee of his own and licensee shall accept only the supervision charges.
- g) In case of electrification of housing colonies/township/group housing/industrial complexes where developer has opted to develop of his own, the cost of distribution transformers, power transformers (cost of Distribution and Power Transformer shall be charged at store issue rate plus 15% towards labour and overhead and other charges) and supervision charges shall have to be deposited with the licensee. The licensee will indicate break up of such cost in the demand notice. The developer shall intimate date of commencement and plan of the execution at the time of depositing the demand notice so that licensee can arrange supervision of the works. The concerned officer of the Licensee shall ensure that work is being carried out as per technical specification required by the Licensee and it complies with safety norms and he will ensure submission of proper installation certificate and maintain records as required in CEA safety Regulations.
- h) In case of electrification of housing colonies/township/group housing/industrial complexes where the developer has opted to develop of his own, the licensee shall install the distribution transformer(s) and power transformer(s) as per the technical need on account of load growth/individual connections coming up in the area.

However developer may also purchase the above transformers as per specification of concerned licensee and get these tested at central testing laboratory of licensee at a fee prescribed by licensee and install transformer(s) as per direction of licensee and thereafter handover balance transformer(s), if any, to licensee. In such cases the developer shall be responsible for performance of transformer during guarantee period and provide bank guarantee @5% of the cost of transformer which shall remain valid till completion of guarantee period of transformer.

i) Design criteria for issuing technical sanction shall be as follows-

S. No.	Character of area	Estimated Design demand
1	Domestic use- a) Ear marked for plots as per map b) Constructed Flats c) EWS flats/LIG/ Affordable housing Schemes	1KW per 1000 sq. ft. of the plot size 4 KW per 1000 sq. ft. of the covered area# 2KW per 1000sq. ft. of the covered area#
2	Non-Domestic- a) Ear marked for plots as per map b) Constructed area c) Resort Scheme For Constructed Area For Open area	4 KW per 1000 sq. ft. of the plot size 5 KW per 1000 sq. ft. of the covered area# 5 KW per 1000 sq. ft. of the covered area# 25% load of total constructed area
3	Industrial use	a. Plot size upto 1000 sq. ft.- 10 KW b. Plot size above 1000 sq. ft. 10 KW+5 KW (for each additional 1000 sq. ft. or part thereof)
4	Farm house scheme For constructed area For open land	2KW per 1000sq. ft. 25% load of total constructed area
5	Common facilities including parking	5% of (1+2+3+4)
6	Other miscellaneous use	2% of (1+2+3+4)

covered area on all floors including common utility area except parking area of such building complex/ large buildings as per approved plan or actually constructed whichever is more. In case building is located at such a locality where prior approval of plan is not required as per prevailing byelaws of the local authorities, actual constructed area including common utility area on all floors except parking area.]

Note:

1. In case higher demand has been indicated by the developer in respect of areas detailed at 1 to 6 in the table of sub-regulation 7.5 (i), then higher demand shall be taken into consideration while arriving at total estimated designed demand.
 2. The KW shall be converted in KVA by applying 0.90 power factor.
 3. If the estimated design demand arrived at as per provision of sub-regulation 7.5 (i) works out more than 50 KVA, electrification on 11 KV or higher by providing suitable transformer at applicants cost is mandatory, thereafter multiple LT connection can be released.
- j) The voltage for electrification shall be decided on the basis of estimated design demand and classification of supply as per Chapter-4. The capacity of HT cable/overhead line, Distribution transformer/Power transformer& the LT cable connecting the transformer to the meter cubical etc. shall be designed for 10% higher demand than the Estimated Designed Demand.
- k) In case the voltage for electrification is 33 KV, the developer shall bear entire cost of 33 KV line and sub-station, control room including civil works etc. In addition, the developer/ Local body/Development authority will also provide land measuring 1000 Sq. Meters with suitable dimensions for construction of substation alongwith right of way within the area developed by developer for suitable lines from the area dedicated towards facilities free of cost to the licensee for construction of 33 KV sub-station. The right to use of such land shall be transferred to the licensee by the developer. The requirement of providing land to licensee shall not be applicable to the developer of multi-story complexes/buildings. Provided further that, in case of industrial area, land requirement for 33 kV Substation shall be 1500 sq. mtr.
- l) In case the voltage for electrification is 132 KV, a piece of land measuring 5000 Sq. Meters with suitable dimensions for construction of 132 kV substation alongwith Right of way within the area developed by developer for suitable lines and a piece of land measuring 1000 sq. Meters with suitable dimensions for construction of 33 kV substation alongwith Right of Way for suitable lines shall be provided by developer/ Local body/Development authority from the area dedicated towards facilities free of cost to licensee and with right to use. The cost of 132 KV works (line and sub-station) shall not be borne by developer. However, internal sub-transmission and distribution expenses (33 KV/11 KV/LT works) shall be at developer cost. The requirement of

providing land to licensee shall not be applicable to the developer of multi-story complexes/buildings.

Provided that, in case of Industrial areas the land requirement shall be 6000 sq. mtr. with suitable dimensions for construction of 132 kV substation alongwith Right of way within the area developed by developer for suitable lines and 1500 sq. Meters with suitable dimensions for construction of 33 kV substation.

m) Other provisions to deal with such electrification

- i. Initially the 33 KV line can be charged on 11 KV by the licensee and keep it charged on 11 KV till the total aggregated demand exceeds 2.5 MVA. Thereafter when the demand exceeds, licensee shall be under obligation to install power transformer of the capacity as per technical sanction.
- ii. Licensee shall have the right to determine the timing of installation of distribution transformers as per the technical sanction depending on the technical need/load growth.
- iii. The developer of housing colonies/township/group housing/industrial complexes shall complete the electrification of the area concerned as per the technical sanction except installation of power and distribution transformers. After electrification, developer shall send intimation to the licensee indicating the infrastructure erected by him along with the detailed map and the bill of material along with the installation certificate issued by the competent authority as prescribed by State Govt. The licensee shall undertake the joint inspection of the completed work and after ensuring that work is carried out as per specifications and compliance of CEA safety Regulations take over the same from the developer. The developer shall furnish installation certificates of the completed works as per requirement. In case of EHT substation/ lines, the joint inspection shall be done by Distribution and Transmission Licensee and takeover shall be done by Transmission Licensee for which necessary coordination between developer and Transmission Licensee shall be done by Distribution Licensee.
- iv. The licensee shall complete the inspection and take over the completed works wherever required as per these regulations within 15 days of the date of intimation by the developer.
- v. In case there are some deficiencies which come to notice during the process of inspection, the same shall be intimated in writing to the developer within 7 days of the joint inspection with inspection note clearly mentioning the short coming/deficiency and observations if any.
- vi. The developer shall make compliance of the inspection report within 30 days. However, if the developer is not agreeable with the inspection report, he can make an appeal to the Superintendent Engineer (O&M) within 15 days of the

date of receipt of inspection report.

- vii. The Superintending Engineer shall issue a speaking order with reference to the appeal of the developer within one month of the date of receipt of appeal. In case the developer is not satisfied with the decision of Superintending Engineer (O&M), he can approach the corporate level grievance redressal forum/Ombudsman within 30 days of the decision of Superintending Engineer.
- viii. Stage inspection and partial take over depending upon the individual applicant's demand of release of connection;

The developer shall be allowed to complete the works in small stages as determined by him to facilitate release of connection to the individual applicants. The licensee shall undertake the inspection of works as per completed works by the developer in small stages. The licensee after satisfying himself that the work in the small stage has been completed by the developer and the installation certificate also furnished in respect of the particular stage, the licensee shall partially take over such completed work in various stages and release individual/group connections.

- ix. The developer of a multi-story complexes (having estimated design demand more than 50 KVA) shall provide at their own cost cubical with panel for fixing meters on the ground floor of the building complex/Large Building Such developers shall have to install their own transformers including laying of cables from the nearest technical feasible mains and laying of HT/LT cables up to the bus bar/metering cubical. The Developer shall pay supervision charges as per schedule of charges (Schedule-I).
- x. In case an individual consumer in a building complex as mentioned in sub-regulation 7.5 (m) (ix) above, applies for HT connection (demand more than 50 KVA), the connection shall be released on LT voltage and such connection shall be treated as HT connection where no separate transformer can be installed for an individual consumer. However, in such cases 3% transformation losses shall be billed extra on the recorded consumption.
- xi. The licensee shall supervise the work of the developer and provide guidance in technical matters and matters relating to safety and ensure that safety norms & technical norms are complied with. In case of EHT substation /lines, Distribution and Transmission licensee shall jointly supervise the work and provide guidelines and ensure that safety norms and technical norms are complied with.
- xii. The licensee shall be responsible for maintenance of the system taken over by him from developer partially or fully up to the point of supply. However, in multi-story complexes/buildings as mentioned in sub-regulation 7.5(m)(ix) above, the maintenance responsibility in respect of underground cables network,

transformers and switch gears installed by the developer shall remain with the developer.

- xiii. After taking over of the electrical infrastructure by the licensee, the ownership of such network shall vest in the licensee notwithstanding the costs having been paid by the developer. Licensee shall have the right to use the electrical infrastructure to release connections to any other applicant who approaches the licensee. Respective licensee shall have right to extend the LT lines, 11 KV lines or 33 KV lines or EHT lines as the case may be beyond/outside the periphery area after taking over the complete project as per technical sanction by the licensee.
- xiv. The service line to the individual consumer of the area developed by the developer shall be installed by the developer. Such individual consumers shall pay reduced charges to the licensee as per Schedule of charges (Schedule-I).
- xv. In case of RIICO industrial areas, the work of laying of main feeder line i.e. 132/33/11 KV lines up to RIICO industrial areas and associate sub-station required for the existing and new industrial areas for meeting the load requirement will be undertaken by the licensee out of its own budget. Thereafter, cost of all sub transmission and distribution lines required to be laid inside the industrial area shall be borne by RIICO while the cost of associate sub-station shall be borne by the licensee.
- xvi. The material used by the developer shall conform to technical specification approved by the licensee. The purchase of material shall be made by the developer from the suppliers which are empanelled and approved by the licensee. To ensure the quality of material and workmanship, the licensee shall issue detail guidelines with the approval of Commission.
- xvii. Licensee shall also issue detail guidelines for compliance of construction and safety regulation prescribed by CEA with the approval of Commission.
- xviii. The developer shall furnish security bank guarantee (BG) equivalent to the cost of electrification which shall remain valid up to date of handing over of the complete project. However, if the partial handover/phase wise handover has been done, the amount of the BG can be reduced to the extent of cost of works of so handed over.
- xix. After taking over of the project by the licensee complete in all respect as per technical sanction issued, the responsibility for augmentation/upgradation of the system to cater to the load growth shall rest with the licensee.

7.6 Supply to the housing colonies/township developed by developer but developer is not willing to commence/complete the electrification work

- a) Within one year of notification of these Regulations, the licensee shall

display/publish on its website the list of such areas with complete details of the infrastructure with GPS location. Such publication shall be made in respect of the areas as on 31.03.2021.

- b) The licensee shall make an estimate of the infrastructure required to completely electrify such areas and workout the cost of electrification to make adequate budget provision.
- c) The licensee shall release the connection to individual consumers/ group of consumers depending upon the demand for individual connection in such colonies. The consumer(s) shall pay the charges on pro-rata basis based on area of the plot as per Schedule of charges. (Schedule-I)

7.7 Supply to big residential/ commercial building/houses not covered under sub-regulation 7.5 and 7.6

- a) If only one connection is required, LT supply voltage shall be applicable up to a demand of 50 KVA even if the estimated designed demand is more than 50 kVA. For demand exceeding 50 KVA, HT supply voltage shall be applicable and consumer shall be required to take HT domestic connection.
- b) If supply voltage is LT as per norms of estimated design demand arrived at as per provisions of sub-regulation 7.5 (i), then separate connection in desired category can be released to each registered owner/occupier/tenant of the premises which is physically and electrically separated. If the registration of the premises is in the name of same owner then separate connections to the owner in the same name can be released.
- c) In such buildings where more than one electric connection is released, the owner of the premises shall provide at their own cost, cubical with panel for fixing meters with adequate protection on the ground floor of such building and shall pay supervision charges as per Schedule-I towards this work.

7.8 Supply to premises or a group of premises where there is no developer and connections being requested by individual applicants

- a) If such premises fall within 2 km of the nearest technically feasible 11 kV or LT mains, the connection shall be released as per provision of Chapter-4 and sub-regulation 7.1, 7.2 and 7.3.
- b) If the distance is exceeding 2 km from the nearest technically feasible 11 kV or LT mains, the connection shall be released as per provision of sub-regulation 7.4.

7.9 Supply to adjacent areas situated around urban areas and around electrified areas under sub-regulation 7.5 and 7.6

- a) The individual connection shall be released to the applicants as per provision of sub-regulation 7.8 (a) up to 2 km of technically feasible 11 kV or LT feasible

mains.

- b) Beyond 2 km, the connection shall be released as per provision of the sub-regulation 7.8 (b).

7.10 Supply to old Havelies and Multi Storey Complex/ Buildings

The connection shall be released to the owner/occupier on making an application for connection on payment of charges on pro-rata basis of floor area as per Schedule-I without insisting for electrification/installing of distribution transformers. The Havelies/Buildings which had at least one connection prior to issue of these Regulations shall be considered under this provision.

If a building complex/large building which had at least one connection prior to issue of these Regulations and had not installed its own transformer as per applicable regulations at that time, requires more connections, it shall be given the required connections without insisting for installation of its own distribution transformer even though the arithmetical sum of the existing and newly applied Estimated Designed Demand as per sub-regulation 7.5(i) is more than 50 kVA by recovering charges on pro-rata basis of floor area as per schedule-I. The augmentation of system, if required, for this purpose, would need to be undertaken by the Licensee at its own cost.

However in case of load extension, if the extension is desired in same area, no additional charges on floor area basis shall be charged, but if new area is added for load extension pro-rata cost as per floor area shall be recovered for new area.

Provided that in case the estimated designed demand of the newly constructed area of the above building complex/large building exceeds 50 kVA, or if the building has been newly constructed after demolishing the old one, then the owner/builder/ developer/ group of consumers is required to install his own transformer and its associated equipment within the Building Complex/Large Building of appropriate capacity as per calculation above at sub-regulation 7.5(i).

7.11 Maintenance of service line

Notwithstanding that the cost of the service line is paid for by the consumer, all rights of the service line including the portion paid for by the consumer shall vest in the Licensee and maintained by the Licensee at its cost. The consumer shall provide necessary assistance in this regard. The Licensee shall have a right to utilise optimally the aforesaid service line, the licensee may place apparatus other than those required to control the supply to the consumer and to lay overhead and underground feeders in the property of the consumer with a view to connect the same with the apparatus installed in any other consumer's premises provided the quality of supply to the consumer is not adversely affected. The consumer shall provide all necessary facilities for such work.

Provided that a dedicated feeder which emanates from licensee's substation to the consumer's premises and its full cost has been borne by the consumer, shall not be

tapped by the licensee for release of another connection for first two year from the date of release of connection, unless the consumer, who has borne the cost, gives his consent.

7.12 **Withdrawal of application**

- a) If a person, after applying for connection, withdraws his application or refuses to take supply, the application fee shall be forfeited but the security money shall be refunded whereas the amount, deposited by the applicant towards the line cost and plant cost will be refunded as here-under:

i.	In case the work execution has not commenced by the licensee by that time	Full amount
ii.	If commenced including service line or extension of distribution mains	50% amount (the works may be dismantled by the licensee)

The refund shall be made by the licensee within 30 days of the receipt of withdrawal/refusal letter, beyond which interest shall be payable at the Bank rate.

- b) The provisions of sub-regulation (a) above shall also be applicable for cancelled/rejected application.

7.13 **Delay on part of applicant to take supply**

- a) Where a licensee has completed the work required for providing supply of electricity to an applicant but the installation of the applicant is not ready to receive supply, the licensee shall serve a notice on the applicant to take supply within sixty days of service of notice.
- b) If, after serving of notice, the applicant fails to take the connection, the licensee may recover the minimum/fixed charges as determined by the Commission for the relevant category of consumers for completed months after expiry of notice period till the applicant takes the connection. However, such recovery shall be restricted to a maximum of 12 months.
- c) After expiry of 12 months, the application shall stand cancelled and the refund shall be made as per provisions of sub-regulation 7.12(a) after adjustment of the recoverable minimum/fixed charges.

7.14 **Relaxation in time specified**

The time specified in Chapter-6 and Chapter-7 for the licensee for completing certain activities may stand relaxed if the licensee is prevented to perform his functions due to force majeure conditions like earthquake, flood, cyclone, storms etc. or by any Act of

law or for reasons beyond its control like non-availability of Right of Way (RoW) to draw line or non-availability of space to install a sub-station.

7.15 Penalty in case of failure of electricity supply within the period specified by the Commission

If the distribution licensee fails to supply electricity within the period specified by the Commission, it shall be liable to a penalty which shall not exceed of Rs. 500 for each day of default except in cases where the cause of delay is beyond reasonable control of Distribution Licensee.

CHAPTER-8

SECURITY

8.1 Provisional security

The provisional amount of security for payment to a licensee of monies which may become due to him in respect of electricity supplied to a person applying for supply of electricity under Chapter-6 shall be:-

- (a) equivalent to a sum worked out on the basis of Rs. 250/kW, Rs. 500/kW and Rs. 750/kW of connected load applied for by domestic, non-domestic and Public Street Light consumers respectively.
- (b) equivalent to two months fixed charges for agriculture and other consumers.

Provided that in case of industrial consumers who opt for fortnightly billing, the provisional amount of security shall be equivalent to one and a half month's fixed charges amount.

Provided further that the large industrial consumers opting for Special fortnightly billing and entering into supplementary agreement with the licensee to the effect that consumer shall make payments of main and fortnightly bills on a fixed date every month without the requirement of serving any notice prior to disconnection, would be required to make payment of security equivalent to one month consumption charges.

Provided also that the amount of provisional security from a consumer other than owner of premises shall be double the amount specified in this sub-regulation.

8.2 Final security

- a) The provisional security deposited initially shall be reviewed on the basis of average monthly consumption of first twelve months after commencement of supply based on consumption equivalent to 2 months in general and 1-1/2 or 1 month in case of fortnightly billing, as the case may be and shortfall, if any, from the security furnished under sub-regulation 8.1 shall be intimated by the licensee to be deposited by the consumer.

- b) In case of seasonal industries, the amount of security shall be equivalent to two month's average billing during period of season.
- c) Security from a consumer other than the owner

The amount of security from a consumer other than the owner of premises shall be double the amount mentioned in this sub-regulation.

8.3 Transfer of security

- a) In case a consumer gives his consent in writing duly attested by Notary Public to the Licensee stating that the amount of security deposit available in his name with the Licensee, may be transferred in the name and account of the consumer desiring transfer of connection in his name, the same shall be allowed.
- b) In case of a legal heir, the transfer of connection shall be allowed and the amount of security deposit available in cash with the Licensee shall also be transferred in the name of transferee, i.e., legal heir who applies for transfer of connection.
- c) Where an existing consumer requests for clubbing of connections, the security as already available with the Licensee in different connections may be adjusted against the newly clubbed account.

8.4 Annual review of security amount

- a) The licensee may review at the beginning of each financial year the requirement of security from a consumer to cover actual average consumption for the period applicable to him, on the basis of his average actual consumption of electricity for the preceding twelve months and intimate the consumer.

- b) Additional security

If on the basis of annual review, the security given by a consumer is found to have become insufficient and the difference between the amount so worked out and the security already deposited with the licensee exceeds Rs. 500 or 10% of the existing security whichever is more, the licensee may give a notice to the consumer to deposit the difference within 30 days of service of notice.

- c) Adjustment of excess security

If, the security given by a consumer is found to be in excess and the difference between the amount so worked out and the security amount deposited with the licensee exceeds Rs. 500 or 10% of the existing security whichever is more, the licensee shall refund the excess security amount to the consumer by adjustment through bills issued or otherwise, latest by September end of the next year, thereafter the licensee shall pay the interest on the unpaid security amount at the bank rate plus 2% per annum from 1st October of the year.

8.5 Supply through pre-paid meter

The licensee shall not be entitled to any security under sub-regulation 8.1 & 8.2, if supply to a person is made through a pre-paid meter.

8.6 Security for electric meter

The Consumer has an option to provide his own meter as per CEA (Metering) Regulations, 2006 & amendments thereof. The security amount in respect of a meter, when provided by the licensee, shall be as mentioned in the Schedule of charges (Schedule-I).

8.7 Payment of interest on security deposit

- a) The Licensee shall pay interest on security deposit (SD) of the Consumer at the Bank Rate prevailing as on 1st April of the Financial Year for which interest is due and the amount of interest on security deposit payable shall be rounded off to the nearest Rupee.
- b) The accrued interest on security deposit for each financial year shall be credited to the consumer's account latest by July end of the subsequent financial year and be adjusted against the consumption charges failing which interest at the Bank Rate on the unpaid amount of the interest shall also be payable from 1st August. If connection is permanently disconnected at any time, then account shall be settled considering interest on SD on settlement date.
- c) The details of the deposits lying with Licensee and the interest thereon shall be provided to the consumers along with the bill in the month in which the interest is adjusted.
- d) For the security deposit (SD) collected during the course of the year, interest on such deposit shall be computed for the months following the month in which such SD is collected.
- e) In respect of new installations, interest on security deposit shall be computed for the months following the month in which service is provided to the installation.
- f) The interest on security deposit will be admissible until it is released or gets adjusted against the dues. After adjustment of security amount, the LPS/DPS shall accrue only on the unadjusted balance amount, if any. However, where the security amount still remains in balance, interest will be payable on it.
- g) No interest shall be payable on advance consumption charges in case of a temporary connection.

8.8 Failure to pay security

The licensee may, if he thinks fit, refuse to give supply of electricity to a person who fails to give security under sub-regulation 8.1 or discontinue supply of electricity to a person who fails to give security under sub-regulation 8.4 (b), for the period during

which such failure continues. Before discontinuing supply of electricity for failure to deposit additional security, the licensee shall give a fifteen days' notice to the consumer.

8.9 Refund of security

The licensee shall refund the security on permanent disconnection of supply of electricity within seven days of disconnection after recovery/adjustment of the outstanding dues and the LPS/DPS due before refund. For this purpose, the amount indicated on last bill issued shall be treated as sufficient proof of security deposit amount and no additional proof shall be required. The Licensee shall also issue a no dues certificate, if so requested by the consumer.

CHAPTER-9

METERS AND METER READING

9.1 Supply through correct meter

- (a) All supply of electricity shall be through installation of a correct meter in accordance with regulations made in this behalf by the Authority/practice directions issued by Commission, if any. If required, Licensee may install pre paid meters/ Automated Meter Reading (AMR)/ Smart meter(s)/ smart pre-paid Meters with suitable communication facility as per CEA (Metering) Regulation, 2006 & amendments thereof.

Provided that supply to agriculture consumers who are on the date of coming into force of these regulations, being supplied electricity otherwise then through a meter shall be converted to metered supply category in time bound manner within the period notified by the Commission under Section 55[1] of the Electricity Act-2003.

- (b) At the time of seeking a new connection the consumer shall have the option to –
- (i) purchase the meter, MCB or CB and associated equipment himself; or
 - (ii) require that the meter, MCB or CB and associated equipment be supplied by the distribution licensee, on payment of applicable security/charges.

Provided that where the consumer has opted to provide his own meter same shall be subject to meter testing, sealing by Licensee and other provisions of the Regulations. The distribution licensee shall ensure that tested and sealed meters of approved meter manufacturers are available to consumers for purchase and information of the places from where the consumers can purchase them is made available on its website.

9.2 Meter on ground floor

Metering in each case shall be provided on ground floor only. Metering equipment shall preferably be near the entrance of the premises or at the nearest pole/pillar box and easily accessible.

Licensee, if so desires, shall be allowed to bring out the existing meter from inside to a suitable place outside the premises or on the pole without any cost recovery from the consumer.

9.3 Meter for temporary connection

Supply of electricity to temporary connections wherever feasible shall be made preferably through pre-paid meters.

Duty of consumers

9.4 It shall be duty of the consumer to ensure safety of the meter and metering equipment installed within his premises/installation.

9.5 The licensee may provide additional seals, in addition to those normally provided, whenever considered necessary, which shall be acknowledged by the consumer or by his representative.

9.6 During periodical inspection/testing by the Licensee, if seals are to be broken for the purpose of inspection/testing, the same shall be resealed in the presence of the consumer or his representative, which shall be acknowledged by the consumer or his representative. An endorsement specifying the details of seals released and re-fixed shall be given by the authorised person of licensee breaking the seals to the consumer or his representative.

9.7 The consumer shall ensure that the equipment and seals provided are not damaged/tampered with.

9.8 Reading of meter

- a) On behalf of the licensee, a meter reader or a person authorised by the licensee in this behalf, shall have access to the consumer's premises at all times during the day for the purpose of reading/inspection of the meter for ascertaining the amount of electricity supplied or the electrical quantity contained in the supply to the consumer.
- b) The meters shall be read each month or at such intervals as the licensee may fix with prior approval of the Commission, except under force majeure conditions. In case of smart meters, the meters shall be read remotely at least once in every month and in case of other pre-paid meters, the meters shall be read by an authorised representative of the distribution licensee at least once in every three months.
- c) In case the display of the meter is not readable, the meter reader or the person authorized by the Licensee for the purpose of reading the meter shall immediately intimate separately to Sub-Divisional Officer regarding defect of display noticed and the Officer shall take action accordingly. In such cases, the Licensee shall take the

reading/data of meter through hand held terminal (HHT)/meter reading instrument (MRI) or such other technology wherever feasible. The reading/data so retrieved through HHT/MRI or such other technology would be valid for billing purpose. The reading/data so retrieved shall be intimated to the consumer and licensee shall change the meter immediately.

- d) In case of non-receipt of bill, either through paper bill/SMS/e-mail and other electronic means, the consumer can make a payment on the basis of previous 4 months average amount of the bill. The excess/deficit payment so made by the consumer shall be adjusted in the next bill.
- e) In such case, if the consumer furnishes the meter reading(s) himself to licensee call centre or concerned officer, the billing for that billing cycles(s) shall be done based on that/those reading(s) subject to adjustment in next billing cycle:

Provided that the consumer shall send the picture of the meter indicating the meter reading and date of meter reading by using an application developed by the licensee/through e-mail/whats app so as to ensure that meter reading has been taken on real time basis and the reading details are clearly visible/readable.

- f) The licensee shall give data access to consumers, in case of smart meters as well as prepaid meters as may be required by the consumer.

9.9 Inaccessibility of meter

- a) If at the time of taking reading the consumer's premises is found locked or the meter is otherwise inaccessible, the licensee may recover charges for electricity supplied on the basis of previous four months average consumption.

Provided that if the meter is inaccessible to the meter reader on two consecutive meter reading dates, the consumer shall have the option to send the picture of the meter indicating the meter reading and date of meter reading through registered mobile or through e-electronic means. In such a case, distribution licensee may not send any notice or provisional bill to the consumer.

- b) If the meter remains inaccessible in the next billing cycle also, the licensee may serve a notice of not less than fifteen days for facilitating the reading of the meter. The licensee may discontinue supply of electricity if the consumer fails to comply with the notice for not providing access for meter reading without prejudice to recover the amount due till then.
- c) For the period meter remains inaccessible, the licensee may charge for the electricity supplied on the basis of average for the previous four months. On the meter becoming accessible for reading, the licensee may recover charges on the basis of actual consumption of electricity and adjust the sum already recovered on average basis.

9.10 Assessment in case of stopped/defective/burnt, lost or stolen meter

- a) If the meter stops working for any reason, or the meter is stolen or lost or burnt, the consumption of electricity for the period during which electricity has been consumed shall be calculated as follows:

i. All consumers except seasonal industrial and agricultural consumers.

The consumption of electricity shall be assessed as the same for the corresponding period of the previous year or the average consumption of the previous 12 months whichever is higher.

ii. Seasonal industrial consumers.

The consumption of electricity shall be assessed as the same for the corresponding period of preceding season or off-season as the case may be.

iii. Agriculture consumers.

The consumption of electricity shall be assessed on connected load basis as follows:

(a) Rural area:

For Billing months of October to April : 6units/HP/day

For Billing months of May to September : 4 units /HP/day

(b) Urban area:

For Billing months of October to April : 12 units/HP/day

For Billing months of May to September : 8 units /HP/day

Provided that till Tariffs for Supply of Electricity, specifies flat rate tariff for agricultural consumers, the electricity consumption shall be charged at the rates applicable to the corresponding flat rate agricultural consumers

- b) In case of other then agriculture consumers in the event of non-availability of previous period energy consumption record for all the previous 12 months; the consumer shall be billed provisionally on the basis of average consumption of whatever period available. However, in case of non- availability of previous period consumption record, the consumer shall be billed provisionally on the basis of 25% load factor on 8 hours use per day in case of domestic category and 50% load factor on 8 hours use per day for all other categories and the assessment shall be reviewed on the basis of average consumption of succeeding six months period after installation of correct meter and charged accordingly. Further, in case where succeeding or preceding basis of average is though available, but there is increase/decrease of contract demand/ connected load, then the average be charged on proportionate basis of contract demand/ connected load. Similarly, in case of seasonal consumers, in the event of non-availability of record of previous period, the assessment shall be reviewed on the basis of consumption recorded by the correct meter for the consumption period of succeeding season or off season, for

the period meter remains stopped.

- c) No defective meter shall be allowed to remain for more than 2 billing cycle. Licensee shall change the meter promptly.

- d) Temporary connection:

In case of a Temporary connection the consumption shall be assessed by considering 80 % load factor on 12 hours use per day, unless it is for a continuous running process where it shall be 24 hours use per day.

9.11 Inaccurate meter

- a) In case the licensee suspects a meter not functioning properly, a notice of 15 days indicating the date of testing shall be given to the consumer. The accuracy of the meter shall be tested by the licensee on site or in its testing laboratory in presence of consumer. In case the consumer is not satisfied, he may get the testing done at any other laboratories designated for the purpose by the Commission. The licensee shall arrange testing at the laboratory of the choice of consumer even if the testing has been done by the licensee in his laboratory on deposition of testing charges for other lab by the consumer. In case meter is found inaccurate during the testing by other than licensee's laboratory, then the testing charges of the other laboratory shall not be refundable. In case meter is found accurate in other lab testing, the testing charges deposited by the consumer shall be refundable through subsequent energy bills. In the event of dispute between the licensee and the consumer regarding applicable test results, then test results of the other test lab (NABL accredited) shall be binding on both.
- b) In case the consumer suspects a meter not functioning properly, a notice of 15 days shall be given by the consumer to the licensee for testing of the meter. No test fee shall be charged from the consumer at the time of reporting if the meter is found to be defective due to reasons attributable to the consumer, the consumer shall bear the cost/security of new meter and test fee shall be charged from the consumer through subsequent bills. The licensee shall arrange the testing within 15 days of receipt of request for testing the meter.
- c) The consumers under sub-regulation 9.11 (b) may also challenge the test result of licensee's laboratory and request for testing of meter/metering equipment from any of the empanelled test laboratory after deposition of requisite fees. The licensee shall arrange the testing from the empanelled laboratory within 15 days of the deposition of the testing fees. The result of the empanelled test laboratory shall be final. If the consumer has challenged the test result of licensee, when the meter has been found accurate in the licensee's lab and if the meter is adjudged inaccurate in the empanelled lab then the testing fees of the empanelled lab shall be borne by licensee. If the consumer has challenged the test result of licensee when the meter has been found inaccurate in the licensee lab and then the testing fees of the

empanelled lab shall be borne by consumer.

- d) The licensee at the beginning of each financial year shall publish a list of NABL accredited meter testing laboratories with the prior approval of Commission. This list will also be available in various offices of the Licensee and on licensee's website also.
- e) If the meter is owned by the consumer and found accurate in testing, licensee shall be under obligation to install the same meter again if so desired by the consumer.
- f) In the event of the meter being found inaccurate, the consumption assessment be intimated to the consumer within two (2) months of the removal of meter for testing and the excess amount recovered from the consumer be adjusted in the subsequent two bills. Where additional amount is to be recovered from the consumer, it may also be recovered in the subsequent two bills.
- g) The excess or short amount under sub-regulation 9.11 (f) may be adjusted or recovered as the case may be for the period from the previous meter testing till the date of meter being removed or replaced for testing or tested at site, but in any case this period shall not exceed six months in case of bi monthly billing and 3 months in case of monthly billing:

Provided that where inaccuracy has been detected through MRI report or testing in the laboratory and the details of which are available with the Licensee, the assessment shall be made for the entire period during which meter remained inaccurate as per MRI reports/Laboratory test report and copy of such reports shall also be made available to the consumer.

9.12 **Replacement of meter**

- a) In case of a stopped / defective/inaccurate meter, the Licensee shall inspect and replace the meter at its cost. In case of burnt meter, the deposited security towards meter shall be forfeited and a fresh security shall be deposited for replacement of meter. In case of defective meter due to causes attributable to the consumer, the necessary charges shall be recovered from the consumer. In case the meter for replacement is provided by consumer, then this shall be done after recovering testing charges through subsequent bill as per Schedule of charges (Schedule-I).

Provided that, if it is established that meter is burnt due to causes attributable to licensee the licensee shall inspect and replace the meter at its cost.

- b) The meter shall be replaced within 24 hrs in urban areas and 72 hrs in Rural areas by the distribution licensee. Non availability of Meter shall not be a reason for delay in restoration of supply. In case due to non intimation by consumer or any other reason, a stopped/defective metering system is not replaced within a period of two months of its detection or date of intimation by the consumer, a rebate of 5% on the total bill of the consumer prepared under sub-regulation 9.10, excluding electricity

duty shall be allowed from third monthly bill in case of monthly/fortnightly billing and second bill in case of bi-monthly billing after such detection till the meter is replaced. However, the recovery of 5% amount shall be made from the officer responsible for delay in replacement of meter.

- c) In case a theft/malpractice case is detected and a vigilance checking report is preferred under section 135/126 of the Act on the basis of tampering of meter then in such cases the available security of the meter shall be forfeited and fresh security shall be demanded. This will not absolve the consumer from the other liability as accrued for theft/malpractice of electricity under section 135/126 of the Act.

9.13 Check meter

If the main meter stops working and the check meter, wherever provided by the licensee, is functioning, the consumer shall pay the electricity charges on the basis of the check meter notwithstanding anything contained in sub-regulation 9.10.

9.14 Lost meter

In case a meter is lost or stolen from the premises of the consumer, the consumer shall report such matter in the Police station and his existing meter security shall stand forfeited. The supply shall be restored by the licensee after obtaining fresh meter security and installation of a new meter. Where the meter is installed by the licensee at the pole or panel installed by licensee on the road is lost or stolen, the licensee shall replace the meter at its cost.

CHAPTER-10

RECOVERY OF CHARGES FOR SUPPLY

10.1 Billing period

The licensee shall recover the charges for electricity supplied to a consumer on the basis of a bill served on the consumer every month or at such intervals as approved by the Commission.

10.2 Information with the bill

The bill shall contain important information relevant to that category of consumer and its type of metering (Whole current meter, CT- operated meter, Tri-vector meter etc.), inter alia, the followings:

- a) Category of consumer in clear term
- b) Date of meter reading
- c) Previous meter reading
- d) Present meter reading

- e) Date of issue of bill,
- f) Due date of payment,
- g) Fixed charges,
- h) Energy charges
- i) Minimum billing amount, if any,
- j) Delayed payment surcharge / Late payment surcharge
- k) Fuel surcharge
- l) Meter details-CT/PT ratio, Multiplying Factor
- m) Amount of Government levies such as electricity duty etc.,
- n) Rentals etc.,
- o) Amount of security
 - I) towards electricity
 - II) towards meter
- p) Full address and telephone number of the concerned AEn,
- q) Full address and telephone number of complaint center/ call center.
- r) Name, Address, Mobile/Phone No., Fax No., e-mail address of Consumer;
- s) K. No.
- t) Date of meter change (if any);
- u) Applicable tariff;
- v) Other charges with full detail and reason;
- w) Previous one-year periodic energy consumption;
- x) Bank Account Number of Sub Division Office and IFSC code;
- y) Vigilance pending dues.
- z) Load Factor

10.3 The bills may be sent by the licensee by hand or by post or courier or by fax or by e-mail or SMS or other electronic means and the date of issue of bills for different regions shall be widely publicized by the licensee for the information of consumers. The licensee shall also make available the bills through its web portal on the day of bill generation. The Distribution Licensee shall also immediately intimate the consumer about despatch

of bill through SMS or by electronics means indicating details of bill amount and the due date of payment.

Provided that In case of Pre-paid metering, the distribution licensee shall issue the bill to the consumer on his request.

10.4 Within two months of notification of these Regulations, the licensee shall obtain registered mobile no. of all the consumers and maintain a data base which may contain all other modes of communication such as e-mail etc. For future consumers, the licensee shall invariably collect the data along with the application. The licensee shall deliver the bills by e-mail to all consumers of more than 25 HP load. The licensee shall also send following SMS alerts-

- a) Information of the issuance of the bill, due amount and the due date
- b) At least two alerts in the week in which is due date of payment is following.
- c) Acknowledgment of the receipt of the payment.

10.5 Annual statement of bills to consumers

The licensee at the end of every financial year shall furnish the details of statement of accounts to the consumers duly indicating the consumption, date of payment and amount thereof, the security held and interest payable and when it was paid, additional security, if any, required and due date of the same. The billing details of last one year for all consumers shall also be made available on the licensee's website.

10.6 Mode of Payments to licensee

- a) The consumer shall pay the power supply charges at the office of issue or at the jurisdictional cash counters on or before due date as indicated hereunder:
 - i. In respect of energy bill payments, i.e., monthly power supply charges upto and inclusive of Rs 10,000/- or such other limit as may be notified by the Commission from time to time may be made by cash or cheque or Demand Draft or any electronic mode. Payments above the amount notified shall be made by a cheque or Demand Draft or electronic mode only.
 - ii. Payments under other heads of accounts, i.e., other than energy bill payments may be made by cash or D.D. or any electronic mode upto and inclusive of Rs 10000/- or such other limit as may be notified by the Commission from time to time and above the amount notified shall be by Demand Draft or electronic mode only.
 - iii. The licensee shall create adequate IT infrastructure to enable payment of bills online without coming to the licensee's cash counters. However, licensee shall also maintain cash counters in the eventuality when the online payment is not becoming possible. Even in the cash counters, the licensee should

encourage the consumers to switch on the online payment system as far as possible. The consumer can avail the facility of payment of power supply bills through ECS/debit/Credit cards/on line e-payment wherever such facility is provided by the licensee in respect of energy bill payments up to the limit prescribed by the RBI. No extra cost on payment made by Consumer through above payment mode shall be charged by the Licensee. However, in case payment is made through a debit card/ credit card, no transaction charges shall be charged by the Licensee upto bill payment of Rs 5,000/-.However, in case payment of a bill amounting more than Rs 5,000/- is made through debit card/credit card, licensee may recover the actual charges paid by it to debit card/credit card company/service provider. To encourage online payment Commission may specify a suitable incentive/rebate for payment through online system by separate order.

- iv. Through banks authorized by the licensee.(The date of payment in the bank shall be the date of payment of the bill).
- b) Demand Draft/Cheque shall be issued in favour of the Licensee drawn on any scheduled commercial bank situated at the headquarters of the office of issue and the same shall be presented along with the bill. The K.No. and ledger folio No. shall be indicated on the reverse side of the Demand Draft/Cheque. Receipt for the payment shall be obtained.
- c) Payment by Cheque/Demand Draft sent by post or by money order shall also be accepted. The consumer shall invariably furnish K.No., Ledger No. and Folio Number on the reverse side of Cheque/Demand Draft sent by post/or on money order form. The consumer has to collect the receipt. The acknowledgement of the receipt shall be sent by licensee on the registered mobile no. through SMS/WhatsApp.
- d) The Licensee shall accept Cheque from consumers in good faith and shall issue receipts subject to realization in the bank. If cheque is not realized but returned by the Bank, it amounts to non-payment and the consumer is liable for levy of interest, LPS/DPS and cheque bounce charges and disconnection of power supply with due notice.
- e) In the event of non-realization of cheque twice, no further cheques shall be accepted from such consumer without prejudice to the Licensee taking action such as levying cheque dishonor fee as given in the Schedule-I besides initiating prosecution under the Negotiable Instrument Act and other penal law(s).
- f) In cases where payment is received within the specified period before the due date, an incentive in bill amount may be given to the consumer by way of adjustment in the subsequent month's bill as specified by the Commission in the tariff order from time to time.

- g) Licensee shall deliver the electricity bills to the consumer within three days of its issue date and allow a minimum period of at least ten days from the date of issue of electricity bills for payment at the concerned office of the licensee or other collection centers authorized by the licensee/or online as notified through local newspapers/ printed on the bills.

Provided that if any bill is served with a delay of a period of more than sixty days, excluding force majeure conditions, the consumer shall be given a rebate of two percent.

- h) As per billing cycle, if payment is required to be made fortnightly, then two bills would be issued to the consumer. One bill would be for consumption made during the first fortnight of the month of issue of bill, which would be on provisional basis equal to half of the previous month's consumption, issued on or after 15th day of the month and its payment shall fall 12 days from the date of issue of the bill. Second bill would be issued on the basis of recorded consumption of the preceding month minus the payment made towards first bill. Second bill would be payable within 12 days from the date of its issue.
- i) Any tax, duty or other levy under any law payable in addition to charges for electricity supplied, shall be payable by the consumer along with the electricity charges.
- j) If monthly charges for electricity supplied or equipment installed by the licensee are to be recovered for a part of a month, they shall be recovered proportionately for the number of days' supply is made in the month.
- k) A consumer may present his bill or provide all relevant details of his connection at the time of making payment. If the consumer has lost the bill or otherwise requires a duplicate copy, a duplicate copy of the bill shall be supplied to him free of cost. The request of the duplicate bill can be registered on the consumers service center/complain centers and the licensee shall send the duplicate bill on the registered mobile no. within 3 days of the request.
- l) A domestic consumer, desirous of leaving the premises for a long time may intimate the Licensee about the same so as to avoid any confusion of stopped meter. He may deposit an amount equal to fixed charges for such period with the Licensee for monthly adjustment of his bills. Licensee shall not send any notice or provisional bill to the consumer after depositing of fixed charges for such period. Interest at the bank rate shall be paid on such advance amount. The Licensee shall accept such amount as a matter of affording convenience to the consumer to prevent disconnection. No rebate shall be allowed to the consumer. The consumer may or may not seek discontinuance of supply for this period. Such discontinuance of supply shall not be treated as disconnection.
- m) Any payment made by the consumer shall be adjusted in the following order of

priority:

- i. Arrear amount of Electricity Duty and other statutory levies;
 - ii. Arrear amount of Licensee's Dues;
 - iii. Amount of Late Payment Surcharge (LPS)/Delayed Payment Surcharge(DPS);
 - iv. Electricity Duty and other statutory levies on current bill; and
 - v. Principal amount of Licensee's dues on current bill.
- n) If a consumer under any category voluntarily deposits the average amount of 6 (six) or 12 (twelve) months energy bill on the basis of average bill of preceding year in advance, he would be allowed a rebate at the rate equivalent to Bank rate as on 1st April of the Financial Year in which the amount of advance was deposited. The amount of rebate shall be adjusted in the last bill after adjusting the amount of bill from the principal advance deposited. A consumer may even deposit the amount less than the amount of 6 (six) months bill, but in that case no rebate as above, shall be allowed.
- o) Licensee shall also provide facility of centralized payment for consumers having multiple connections.

10.7 Delayed payment Surcharge

If a consumer fails to pay his bill within 10 (ten) days of date of issue, the licensee shall be entitled to recover a surcharge for delay in payment at the rate fixed by the Commission from time to time.

10.8 Refund of excess amount

If a licensee recovers charges exceeding the tariff fixed by the Commission, the licensee shall refund the excess amount recovered to the person from whom it was recovered along with interest equivalent to bank rate of Reserve Bank of India prevalent on April 1 of the year when the amount was recovered.

10.9 Electricity charges and prices

The prices to be charged by a licensee for the supply of electricity by him shall be in accordance with tariff determined by the Commission from time to time. The charges for electricity supplied by the licensee shall be published in local newspapers in such manner so as to give adequate publicity for such charges and prices. The licensee shall also publish a booklet from time to time giving prices to be charged for supply of electricity for the benefit of the consumer. The details shall also be available on distribution licensee's website.

Issue of first Bill

- 10.10** The distribution licensee shall issue the first bill within two billing cycles, of energising a new connection where post payment meters are installed.
- 10.11** In case the consumer does not receive the first bill within such period, he may complain, in writing, to the distribution licensee and the distribution licensee shall issue the bill within a time period, not exceeding seven days.

Provisional billing

- 10.12** The distribution licensee shall not generate more than two provisional bills, except where permitted by the Commission, for a consumer during one financial year and if the provisional billing continues for more than two billing cycles except under extraordinary situation due to force majeure, the consumer may refuse to pay the dues until bill is raised by the distribution licensee as per actual meter reading.

CHAPTER-11

DISCONNECTION OF SUPPLY

11.1 Notice for disconnection

A licensee shall be entitled to cut off supply of electricity to any person after giving not less than fifteen clear days' notice in writing to such person if such person neglects to pay charges for electricity supplied or any other sum due from him to the licensee. In addition to the notice, the Licensee shall also intimate through SMS/E-mail on the registered mobile number/e-mail id of the consumer, if available;

11.2 Duty of licensee in respect of disconnection

For disconnection of supply, the licensee shall generally observe that:

- a) Disconnection of power supply shall not be effected on general holidays and Sundays.
- b) Disconnection of power supply shall be effected as far as possible before 1.30 PM and reconnection shall preferably be effected on the same day of payment.
- c) Disconnection shall be effected at the pole/distribution box.
- d) If the arrears is Rs 1000/- or less, the installation shall not be disconnected and arrears shall be carried forward to the next bill.
- e) Disconnection shall not be made or if disconnected, shall be reconnected immediately under following circumstances:-
 - i. if such person produces proof of payment or deposits under protest an amount equal to the sum claimed from him, or
 - ii. the electricity charges due from him for each month calculated on the basis of average charge for electricity paid by him during the preceding six months, whichever is less, pending disposal of dispute are deposited.

11.3 Liability on disconnection

In the event of supply being disconnected due to non-payment of dues or for any other reason, all the money then payable by the consumer including the amount of fixed charges for unexpired initial period of agreement, if any, shall become due and recoverable. In case disconnection is made in the middle of the month or initial agreement period expires in the middle of the month, the fixed charges amount shall be payable proportionately;

- 11.4** A consumer may seek disconnection by giving one month's notice in writing on this behalf. The consumer shall pay all the charges payable upto the date of disconnection subject to notice period or initial agreement period as the case may be after adjusting available security with the licensee. In case disconnection is made in the middle of the month or notice period/initial agreement period expires in the middle of the month, the fixed charges amount shall be payable proportionately. Such disconnected connection shall not be reconnected and consumer has to apply as a fresh applicant.

Provided that in case of vacation of premises, the distribution licensee shall arrange to take a special reading of the meter on receiving the consumer's written request and issue a final bill including all arrears till the date of billing and issue a No-Dues Certificate on receiving final payment, within a time period not exceeding seven days from the receipt of such final payment.

- 11.5** The consumer may also seek disconnection on the same day of notice if he is ready to pay the fixed charges amount for notice period or unexpired period of agreement, as the case may be.

11.6 Breach of code by consumer

If at any time the consumer:-

- (a) Commits breach of supply code or terms of agreement despite three (3) months' notice given by licensee; or
- (b) Being a limited company passes a resolution for winding up or be ordered to be wound up by a court of competent jurisdiction, or
- (c) Being an individual commits any act of insolvency or be adjudged insolvent, or
- (d) Executes or creates any mortgage charge or other encumbrance on any property or asset of the consumer so as to prejudicially affect the Licensee's electric plant apparatus & equipment at consumer's premises or any part thereof or any right exercisable by the Licensee in connection with the said electric meters, plant, apparatus and equipment,
- (e) In case of safety is endangered, the licensee may immediately cut off the supply and restore the same only after ensuring the compliance of safety norms.

then the Licensee shall be at liberty to terminate the agreement with the consumer by giving seven days' notice in writing and upon such termination the consumer shall

forthwith be liable to pay to the Licensee all the money then due and payable under the agreement together with further sum equal to the amount of the minimum and/or special guarantee for the unexpired minimum period of supply by way of liquidated damages.

11.7 Recovery of old dues

- a) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no sum due from any consumer on account of electricity charges or any sum other than electricity charges shall be recoverable after a period of two years from the date when such sum became first due, unless it has been shown continuously as arrears and the licensee shall not cut off the electricity supply.
- b) Before effecting recovery of arrears, the licensee shall issue a notice of 15 days with complete details of arrears to the consumers. If the consumer seeks a personal hearing and furnishes a written response about the arrears being demanded then opportunity of personal hearing shall be given to the consumer and there after licensee shall issue a speaking order in response to consumer reply of notice/personal hearing and shall insist for recovery of arrears/disconnection only after issue of the speaking order. If the consumer is aggrieved with the speaking order, he shall be at the liberty to approach the appropriate consumer grievance redressal forums.
- c) For recovery of outstanding dues, the licensee will prepare a Scheme for the consumers lying connected/disconnected wherein reduction/ waiver of interest/LPS/DPS may be allowed as a special case as per guidelines issued by the Commission from time to time. However, this will not be a regular feature and would be introduced for a limited period under prior intimation to the Commission and shall exclude the cases of theft/malpractices and the consumers already benefited from such schemes during the last 3 years.
- d) Any outstanding dues against any permanently disconnected connection shall be recoverable from another existing/new connection in the name of the same person by serving a notice of thirty (30) days. An opportunity of personal hearing and reply of the notice shall be given to the consumer and thereafter, a speaking order shall have to be issued by the licensee after due consideration of the reply of the notice as well as facts furnished during personal hearing. No recovery shall be affected/disconnection made, without the issue of speaking order. If the consumer is aggrieved with the speaking order, he shall be at the liberty to approach the appropriate consumer grievance redressal forums.

11.8 Restoration of supply

- a) A person whose power supply has been cut off for non-payment of dues or due to any other reasons, may apply for restoration of supply in such form as the licensee may prescribe with approval of the Commission.
- b) An application for restoration of supply shall be considered:

(i)	For	Agriculture	As prescribed in the State Agriculture
-----	-----	-------------	--

	consumers:	Policy
(ii)	HT/EHT consumers:	Within 1 year from the date of disconnection
(iii)	For others:	Within two years from the date of disconnection

A Connection shall be treated as permanently disconnected after expiry of the respective period of disconnection indicated above. Such consumers who are classified permanently disconnect consumers shall have to apply a fresh if connections is desired in the same premises.

- c) Within seven days of receipt of application under sub-regulation 11.8 (b), the licensee shall intimate the applicant the sums due from him to the licensee till the date of disconnection, along with interest thereon at the rate of 10% per annum for each completed month of non-payment after disconnection. No interest shall be charged on the surcharge for delay in payment. The licensee shall also intimate the reconnection charges as specified in the Schedule-I payable by the applicant.
- d) The licensee shall restore supply of electricity to the applicant within six working hours of deposit of the sum intimated under sub-regulation 11.8 (c) and such additional interest as may have become due till the date of deposit and reconnection charges specified in the Schedule. In case restoration requires re-erection of lines/sub-station, then supply shall be restored within the period specified in regulation Chapter-7 of these regulations. Charges for erection of lines/sub-stations, if any shall not be recoverable in case of restoration. Licensee shall also provide offline/online payment facility for deposition of due amount during public holidays and on confirmation will restore the supply even during public holidays.
- e) In case of restoration of supply, the amount of security shall be as applicable at the time of re-connection or the amount of security available at the time of disconnection, whichever is higher. If, however, the connection is reconnected in the next Financial Year after review of security and the same has become due, then the amount of security shall be as per reviewed amount.

11.9 Pre-paid meter

Pre-payment meters will be designed to automatically cut off supply when the amount credited is exhausted. This shall however not be treated as a disconnection and the supply will be resumed whenever the meter is recharged subject to adjustment of fixed charges for the cut off period. The licensee, with the approval of the Commission, may issue guidelines for operationalization of pre-paid metering, if required.

CHAPTER-12

UNAUTHORIZED USE, THEFT AND TAMPERING

12.1 General

- a) The Licensee shall undertake proceedings against unauthorized use of electricity, theft and other irregularities committed by the consumer in accordance with the relevant provisions as laid down in Part XII, XIV, XV of the Act, the Regulations and the procedure in Commission's Orders.
- b) The provisions of these regulations shall be subject to special provisions for agriculture consumers as may be prescribed by the State Government under Agriculture Policy or otherwise through the directives to the Commission in the matter of policy under section 108(1) of the Electricity Act 2003.
- c) The Licensee shall publish on its website, the list of the Assessing officers under section 126 of the Act, the Authorized officers under sub-section (2) of section 135 of the Act and the officers authorized by the Commission to disconnect supply under sub-section (1-A) of Section 135 of the Act and shall display such list at prominent locations in its local offices.
- d) The Licensee shall issue photo identity cards to all the Assessing officers and Authorized officers specifically indicating their designation and details of authorization.
- e) During the inspection of premises, in all cases, the assessing officer or the authorized officer as the case may be, may cause to photograph/video graph the proceedings.
- f) The Licensee shall maintain and submit details of cases booked under Section 126 of the Act, Section 135 and Section 138 of the Act to the Commission on quarterly basis.
- g) If a consumer is found indulging in an unauthorized use or theft of energy or both, the assessment provisions will operate separately for each of such act of wrong doings.
- h) If a consumer is serving employee of the power sector companies of the State and is found indulged in an unauthorized use under Section 126 or theft of electricity under Section 135 of the Electricity Act, 2003 or both, in addition to application of the assessment provisions, shall be liable to disciplinary action, besides other actions as prescribed in law.

12.2 Unauthorized Use of Electricity under Section 126 of the Act

- a) **Inspections of the premises and electrical installations by Assessing Officer:**
 - i. The Assessing officer shall promptly conduct inspection of any premises either suo-moto or on receipt of information regarding unauthorized use of electricity thereat;
Provided that the Assessing officer may avail the assistance of employees of the Licensee for conducting inspection.
 - ii. The Assessing officer shall carry his photo identity card issued under sub-regulation 12.1 (d).
 - iii. Photo ID shall be shown to the consumer before entering the premises, if so requested by the consumer.

- iv. The Assessing officer shall prepare an inspection/site report as per the provisions under these Regulations.
 - v. In case the unauthorized use of electricity is established, the consumer shall remove the cause of unauthorized use within 7 days from the date of intimation failing which supply will be disconnected. If the consumer is willing to regularize unauthorized use, the demand notice if necessary, as per Schedule of charges (Schedule-I) shall be issued. Bill as per normal applicable tariff shall be issued after deposit of demand notice.
- b) No case of unauthorized use of Electricity shall be booked by the Licensee in the following cases:
- i. where consumer has been paying electricity charges for higher tariff category but using electricity for lower tariff category;
 - ii. cases of excess load through meter in domestic category and small consumers of upto 5 KW load in non-domestic category.
 - iii. Where it is incumbent upon the Licensee to suo-moto change the category of supply. For example, consumer had applied for connection in non-domestic category but connection got released in domestic category or connection released in different tariff category than applied tariff category.
 - iv. Use of supply for a religious, social function or any other non-commercial activity by the consumer himself, not exceeding 3 days, in his own or adjoining premises, provided total operating load does not exceed the sanctioned load of the consumer.
 - v. Where connected load is found exceeding the sanctioned load but consumer is billed on demand basis. However, the consumer will be required to furnish a revised [Installation Certificate] to the licensee.
 - vi. Use of supply by the tenant/occupier in the same premises through installation of sub-meter provided that the collection towards the energy charges is as per tariff prescribed by the Commission for the relevant category.
- c) The unauthorized use of electricity shall include:
- i. Use of electricity supplied under lower tariff for a purpose for which a higher tariff is in force, or
 - ii. Exceeding the sanctioned connected load (except as provided for in sub-regulation 12.2 (b)).
 - iii. For the purpose other than for which the usage of electricity was authorized; or for the premises or areas other than those for which the electricity supply was authorized.
 - iv. Use of apparatus for splitting a single or two phase to run a 3-phase appliance when 3-phase supply is not available to him, tampering with

the system to convert 3- phase transformer to single phase by manipulating the phase and earth; or

- v. Non-compliance of orders imposing restriction on use of electricity during power cut /load shedding or
- vi. Restoration of the disconnected service through meter.

d) Preparation of Report by Assessing officer

- i. In the event of detection of unauthorized use of electricity, the Assessing officer shall prepare a detailed Report at site, in the manner as prescribed by licensee.
- ii. All the material evidences such as tampered meter, etc. and the documentary evidence, which are relevant to the case found during the inspection, shall be seized under a seizure memo and sealed in the presence of the consumer or his representative and be kept as a proof along with photography of the premises.
- iii. A detailed description of the material seized, including date, time and place and name & address of witnesses to the seizure shall be recorded on the exterior of the cover and signatures of all witnesses shall be affixed on the sealing points:
Provided that if the witness refused to sign, the same shall be recorded in the report.
- iv. The Inspection Report shall be signed by the Assessing officer and a copy of the same shall be handed over to the consumer or his representative at the site immediately under proper acknowledgement. The other persons present at site may also sign the inspection report.
- v. If consumer or his representative at site refuses to acknowledge and/or accept the copy of the report, a copy of the report shall be pasted at a conspicuous place in or outside the premises and photographed. Another copy of the same report shall be sent to the consumer under Registered Post or Speed Post or electronically on the same day or on the next day of the inspection.
- vi. The Inspection report shall form the basis for further action as per the provisions contained in Regulations.

12.3 Procedure for dealing the case of Unauthorized Use of Electricity (UUE):

a) Provisional assessment and Notice:

If the Assessing officer on the basis of Inspection Report and other materials comes to the conclusion that it is prima facie a case of unauthorized use of electricity, he shall:

- i. Make provisional assessment based on the best of his judgment which is reasonable in the given circumstances and is based on all the available evidence and records. While doing so the Assessing officer shall compute the amount payable by the person benefited by the unauthorized use of

electricity as per provision laid down in sub-section (5) read with sub-section (6) of Section 126 of the Act:

Provided that if the period of unauthorized use of electricity can be conclusively established, the assessment shall be done for the entire period for which the unauthorized use was taking place and if the period of such unauthorized use is not known or cannot be conclusively established, the period of assessment shall be limited to 12 (twelve) months immediately preceding the date of inspection:

Provided further that period of unauthorized use of electricity shall be assessed based on the following factors:

- A. actual period from the date of commencement of supply to the date of inspection;
 - B. Actual period from the date of replacement of component of metering system in which the evidence is detected to the date of inspection;
 - C. Actual period from the date of preceding checking of installation by the assessing officer to date of inspection;
 - D. Data recorded in the energy meter memory wherever available;
 - E. Based on the document being relied upon by the accused person.
- ii. Serve a notice along-with a provisional assessment bill and copy of inspection report, within 7 (seven) days from the date of inspection or date of receipt of meter testing report, if required, whichever is later, to the consumer giving reasons as to why a case of unauthorized use of electricity is being initiated against him. The notice should clearly state the time, date and place at which the reply has to be submitted and the designation of the person to whom it should be addressed.
- b) Objection against notice alongwith provisional assessment: -
- The consumer, on whom notice alongwith a provisional bill of assessment has been served, may file objections, if any, before the Assessing officer, within 7 (seven) days from the date of receipt of notice.
- c) Personal Hearing: -
- i. The Assessing officer shall arrange a personal hearing with the consumer or his authorized representative within 7 (seven) days from the date of filing of consumer's objections.
 - ii. At the request of the consumer, the hearing may be arranged for a future date but not later than 10 (ten) days from the date of filing of the objections by the consumer.
- d) Final assessment Order: -
- i. The Assessing officer shall pass a final assessment order within 30 (thirty) days from the date of service of the order of provisional assessment of the electricity charges payable by such person.

- ii. The final order of assessment shall clearly show as to whether the case of unauthorized use of electricity is established or not. Such Order shall contain the brief of inspection report, submissions, oral or written, made by consumer and reasons for acceptance or rejections of the same.
- iii. If no unauthorized use of electricity is established, the Assessing officer shall pass an Assessment Order dropping the case immediately and the consumer shall be informed accordingly with a copy to the next higher officer.
- iv. In case the unauthorized use of electricity is established, the Assessing officer shall assess the electricity charges as per provisions contained in sub-section (5) read with subsection (6) of the Section 126 of the Act and shall pass the final Assessment Order under sub-section (3) of Section 126 of the Act.
- v. The assessment of energy in the final order shall be made as per Appendix-I to the Regulations:
Provided that if unauthorized use of electricity is on account of wrong usage of tariff category or for the premises or areas other than for which supply of electricity was authorized, the Assessing officer shall take assessment of energy as recorded in the meter for the period of assessment.
- vi. While making the assessment bill, the Licensee shall give credit to the consumer for the amount already paid by the consumer for the period of the assessment bill.
- vii. The Final Assessment Order, shall clearly mention that the

Order is appealable by the consumer before the Appellate Authority (name, designation and address to be mentioned) within 30 (thirty) days of serving the said order as per provisions of sub-section (1) of Section 127 of the Act.

e) Billing & payment based on final assessment Order: -

- i. The Licensee shall serve the bill to the consumer for charges of unauthorized use of electricity as per the final assessment order issued by the Assessing Officer.
- ii. The bill shall be payable by the consumer within 30 (thirty) days from the date of service. The Licensee may extend the last date of payment of the assessed amount or allow the payment in installments subject to payment of interest on the unpaid amount for the extended period beyond 30 (thirty) days at the rate of 16 (sixteen) percent per annum compounded every 6 (six) months.
- iii. The consumer shall accept the bill and deposit the assessed amount within the time lines and manner as per sub-regulation 12.3 (e) (ii) or prefer an appeal against it before the Appellate Authority in accordance with the Act and the Regulations.
- iv. In case of non-payment of bill amount within the period mentioned in sub-regulation 12.3 (e)(ii), the connection will be disconnected by serving a fifteen days notice, which will not be reconnected until the assessed amount is deposited along with other charges as are payable . In case of non-payment, the amount will be shown as arrear in the regular bill.

f) Appeal before Appellate Authority under Section 127 of the Act

- i. If the consumer is aggrieved by the final assessment order issued by the Assessing officer, he may after depositing half of the assessed amount as specified under sub-section (2) of Section 127 of the Act, file an appeal before the Appellate Authority under Section 127 of the Act, within 30 (thirty) days from the date of issuance of such order, in the form and manner as specified by the Commission in "Appeal against assessment regulation 2004."

Provided that no appeal shall lie to the appellate authority against the final assessment order of the Assessing officer, if same is passed with the consent of the parties.

- ii. The Appellate Authority, based on the evidence and the facts presented and after hearing the parties shall pass an appropriate speaking order and send a copy of the order to the Assessing officer and the appellant.
- iii. The order passed by the Appellate Authority shall be final.
- iv. In case the Appellate Authority holds that no case of unauthorized use of electricity is established, no further proceedings shall be initiated or continued by the Licensee in this regard and the amount deposited by the appellant shall be refunded along with interest at the rate of 16 (sixteen) percent per annum compounded every 6 (six) months for the period from the date of deposit till the amount is refunded.
- v. In case the Appellate Authority holds that a case of unauthorized use of electricity is established, the Licensee shall serve the revised bill to the consumer for charges of unauthorized use of electricity as per the final order issued by the Appellate Authority.
- vi. The bill so prepared based on the final order issued by the Appellate Authority shall be payable by the consumer within 30 (thirty) days from the date of service. The Licensee may extend the last date of payment of the assessed amount or allow the payment in installments subject to payment of interest on the unpaid amount for the extended period beyond 30 (thirty) days at the rate of 16 (sixteen) percent per annum compounded every 6 (six) months as per sub-section (6) of Section 127 of the Act.
- vii. In case the amount payable as determined by the Appellate Authority is less than the amount already deposited by the consumer at the time of filing the appeal, the excess amount shall be refunded by the Licensee within 30 (thirty) days:
Provided that if the refund is delayed by the Licensee, interest at the rate of 16 (sixteen) percent per annum compounded every 6 (six) months shall be paid for the delayed period.

12.4 Theft of electricity under section 135

- a) If on checking a premises by an Authorized Officer, prima-facie an evidence is found that a person, dishonestly:-

- (i) taps the line or makes or causes any connection to be made with overhead, underground or under-water lines or cables, or service wires, or service facilities of a licensee as the case may be; or
- (ii) tampers a meter, installs or uses a tampered meter, current reversing transformer, loop connection or any other device or method which interferes with accurate or proper registration, calibration or metering of electric current or otherwise results in a manner whereby electricity is stolen or wasted; or
- (iii) damages or destroys an electric meter, apparatus, equipment, or wire or causes or allows any of them to be so damaged or destroyed as to interfere with the proper or accurate metering of electricity, shall be the conclusive proof of being involved in the theft of electricity and the electric supply will be disconnected immediately.
- (iv) uses electricity through a tampered meter; or
- (v) uses electricity for the purpose other than for which the use of electricity is authorized.

Provided that, it is proved that an artificial means or means not authorized by the licensee exist for the abstraction, consumption or use of electricity by the consumer, it will be deemed that an act of abstraction, consumption or use of electricity has been dishonestly caused by such a consumer and will be treated as theft of electricity, unless otherwise proved by the consumer.

b) Inspections of the premises and electrical installations by Authorized officer

- i. The Authorized officer shall promptly conduct inspection of any premises either suo-moto or on receipt of information regarding theft of electricity:
Provided that the Authorized officer may avail the assistance of employees of the Licensee for conducting inspection.
- ii. The Authorized officer shall carry his photo identity card issued under sub-regulation 12.1 (d).
- iii. Photo ID shall be shown to the consumer or the occupier of the premises before entering the premises.
- iv. The Authorized officer shall prepare an inspection report as per the provisions under these Regulations.

c) Preparation of Report by Authorized officer

- i. In the event of detection of theft of electricity, the Authorized officer shall prepare a detailed Report at site, as per Annexure 4 and 5 (Model Reports).
- ii. All the material evidences such as tampered meter, tampered meter seal and artificial means used for illegal abstraction of energy and the documentary evidences etc., which are relevant to the case and found during the inspection, shall be seized under a seizure memo and sealed in the presence of the consumer or his authorized representative and be kept as a proof along with photography of the premises.

- iii. A detailed description of the material seized, including date, time and place and name & address of witnesses to the seizure shall be recorded on the exterior of the cover and signatures of all witnesses shall be affixed on the sealing points:
Provided that if the witness refuses to sign, the same shall be recorded in the report.
- iv. The inspection Report shall be signed by the Authorized officer and a copy of the same shall be handed over to the consumer or his representative at the site immediately under proper acknowledgement. The other persons present at site may also sign the inspection report.
- v. If consumer or his representative at site refuses to acknowledge and accept the copy of the report, a copy of the report shall be pasted at a conspicuous place inside or outside the premises and photographed. Another copy of the same report shall be sent to the consumer under Registered Post or Speed Post or electronically on the same day or on the next day of the inspection.
- vi. The inspection report shall form the basis for further action as per the provisions contained in Regulations.

d) Procedure for prosecution for Theft of Electricity

- i. The prosecution for theft of electricity under section 135 of the Act shall be initiated only in the cases where dishonest intention is evident from the relevant facts, records and other evidence of the case.
- ii. In case sufficient evidence is found to establish theft of electricity, the Authorized officer under sub-section (2) of Section 135 of the Act shall seize and seal all material evidence including wires/cables, meter, service line etc., from the premises under a seizure Memo.
- iii. The sub-divisional or divisional officers or officers higher in rank to them shall be the authorized officer to disconnect the electricity supply of LT & HT consumers as follows :

1. LT supply connections	Concerned Sub-divisional officer/ Asstt. Engineer of respective distribution licensee.
2. HT supply connections	Concerned Divisional Officer/ Executive Engineer of respective distribution licensee.

Provided that the Commission may also designate other officers of the licensee as authorized officer, as it may deem fit, through a separate order .

- iv. The authorized officer or officer higher in rank to the authorized officer shall be the authorized officer to disconnect the electric supply.

Provided that authorized officer shall lodge a complaint in writing in Police Station having jurisdiction over the site of occurrence of the offence within twenty-four hours from time of such disconnection;

Provided further that authorized officer shall also send to the consumer/non consumer a copy of complaint lodged in Police Station, copy of speaking order

under sub-regulation 12.6 (c) along with a copy of photography of inspection, if available, within 2 (two) days of such disconnection.

- v. No case for theft shall be booked only on account of missing of the seals on the meter or on account of breakage of glass window of the meter, unless dishonest intention is established by any evidence.
- vi. Interference with the accurate registration of energy consumed by resorting to external methods involving remote control, high voltage injection etc., committed by the consumer or his employee or any other person acting on his behalf, shall also constitute theft of electricity which may be established by analysis of metering data and by testing of the meter in licensee's meter testing lab or an accredited laboratory notified by the Commission or by the agency authorized by the Commission in this regard.

12.5 Assessment Bill for theft of electricity

- a) The quantum of electricity for civil liability shall be provisionally assessed as per Appendix-I of these regulations.
- b) The period of assessment for theft of electricity shall be for a period of 12 (twelve) months preceding the date of detection of theft of electricity or the exact period of theft if determined, whichever is less;
Provided further that period of theft of electricity shall be assessed based on the following factors: -
 - i. actual period from the date of commencement of supply to the date of inspection;
 - ii. actual period from the date of replacement of component of metering system in which the evidence is detected to the date of inspection;
 - iii. actual period from the date of preceding checking of installation by authorized officer to date of inspection;
 - iv. data recorded in the energy meter memory wherever available.
 - v. based on the document being relied upon by the accused person.
- c) The assessment bill shall be prepared on two times the rate as per applicable tariff.
- d) While making the assessment bill, the Licensee shall give credit to the consumer for the amount paid by the consumer for the period of the assessment bill.
- e) The assessment order shall be served upon the consumer or the person in occupation or possession or in charge of the place or premises, as the case may be, within 7 (seven) days of disconnection of supply or within 2 (two) days from the date of receipt of request of such person, whichever is earlier.

12.6 Suspected Theft

- a) In all such cases where theft cannot be established on inspection but the theft is suspected based on the consumption pattern, etc., the Authorized officer may remove the old meter under a seizure memo and seal it in the presence of the consumer or his representative which shall be signed by both the parties, and shall restore the supply to the consumer with a new meter:

Provided that if the consumption pattern for last 1 (one) year is reasonably uniform and is not less than 75% of the assessed consumption, no further proceedings shall be taken and the decision shall be communicated to the consumer within 3 (three) days:

- b) The meter shall be tested as per sub-regulation 12.4 (d) (vi).
- c) If the Authorized officer, on the basis of Inspection Report, disproportioned consumption to the load and consumption pattern, results of meter testing, comes to conclusion that it is prima facie a case of theft of electricity, procedure as specified in the sub-regulation 12.5 & 12.7 shall be followed:

Provided that the Authorized officer shall pass a speaking order substantiating the case of theft of electricity within 7 (seven) days of meter testing report.

12.7 **Compounding of the offence under section 152 of the Act**

The Empowered Officer may, on the application made by the consumer or a person who has committed or is suspected of having committed a theft of electricity, and after its satisfaction of first compounding despite initiation of legal proceedings in Special Court, may accept a sum of money by compounding the offence at the rates notified by the State Government under section 152 (1) of the Act, and in absence of which, as per table appearing with that section.

- a) On payment of a sum of money as above, any person in custody in connection with that offence of theft of electricity will stand exonerated and no proceedings will be instituted or continued against such consumer or person in any criminal court.
- b) The acceptance of such sum of money for compounding an offence will be deemed as acquittal within the meaning of section 300 of the Code of Criminal Procedure, 1973.
- c) For availing such compounding, the consumer or person will furnish an undertaking to the effect that such compounding of criminal offence of theft of electricity, is being done first time.
- d) After depositing the compounding charges, the civil liability amount shall remain outstanding and connection shall remain disconnected till remedy of reconnection is availed as per these regulations.

12.8 **Restoration of supply disconnected on account of theft of electricity**

- a) The Licensee shall restore supply of electricity to the premises within 48 hours of payment by the consumer of amount—
 - i. Assessed amount (civil liability) in accordance with sub-regulation 12.5 or,
 - ii. Allowed to be deposited by any court including the Lok Adalat.
- b) If the assessed amount is deposited by an applicant who is not an existing consumer, the supply to the premises will be released, treating it as a case of a new

application subject to the provisions related to priority and release of connection as per these Regulations, if a connection is desired.

- c) The restoration of supply of electricity shall be without prejudice to the right of the Licensee to initiate the criminal proceedings/finalization of civil liabilities under sub-section 5 and 6 of section 154 of the Act against the existing consumer as per Section 135 of the Act.
- d) If the compounding charge is not deposited, FIR shall be invariably lodged to initiate criminal proceeding.

12.9 Tampering, distress or damage to electric plant etc.

- a) In case of tampering, distress or damage to electrical plant, electric lines as by a person, the licensee may, in addition to other action under the provisions of the Act, recover the cost of repair or replacement of such electric plant, electric lines as assessed by licensee and/or forfeit the security deposit towards meter (if meter is damaged) from the person, and disconnect his supply.
- b) The licensee shall give at least seven days' notice to the person and consider his explanation and issue speaking order before proceeding to recover costs or disconnecting his supply under sub-regulation 12.9(a). The person shall be at liberty to file an appeal with the Superintendent Engineer within 7 days of the speaking order and Superintendent Engineer shall decide the appeal within 15 days. The Superintendent Engineer shall have to issue and speaking order. The person, if aggrieved, can approach appropriate grievance redressal forum if so desired.
- c) The supply shall be restored within 24 hours of the repair/replacement of the tampered or damaged plant, line.
- d) The cases framed under section 138 shall be dealt with according to this regulation towards recovery of charges for repair/damage of equipment/plant. As far as compounding charges and civil liability amount, if any, is concerned, the same shall be dealt with as per provision of these regulations relating to section 135 and 152 of the Act.

CHAPTER-13

OTHER PROVISIONS

13.1 Power of licensee to enter premises

- a) Any licensee or any person acting on his behalf, at any reasonable time and on informing the occupier of his intentions, enter any premises to which electricity is, or has been, supplied by him or any premises which have been used for providing service lines or premises in which underground or over which service line has been drawn for the purpose of
 - i. Inspection of meter, electric line or electric plant in connection with their tampering, distress or damage to meter, electric line or electric plant.

- ii. Alteration, meter reading, maintenance, removal and replacement of any meter, electric line or electric plant.
 - iii. Effecting disconnections or restoration of supply, in presence of the occupant of the premises or his representative.
 - iv. No inspection of domestic premises will be carried out between sunset and sunrise except in the presence of an adult male member occupying such premises.
- b) Where a consumer refuses to allow the licensee or any person acting on his behalf to enter his premises or land for the purposes of sub-regulation 13.1 (a) or having entered, refuses to allow him to perform any act which he is authorized to perform, the licensee may after expiry of 24 hours from the service of notice in writing to the consumer cut off the supply to the consumer.
- c) The supply shall remain discontinued for so long as the consumer does not allow the licensee or the person acting on his behalf, to enter the premises and perform his function under sub-regulation 13.1 (a) but for no longer.
- d) Licensee shall be under obligation to show the official identity proof of its authorised representative who intends to enter the premises.

13.2 Requirement of increase/decrease in sanctioned connected load/sanctioned contract demand

- a) In case a consumer requires increase/decrease in his connected load/demand, the licensee may require the consumer to apply in prescribed form and pay reasonable expenses which he is authorized to recover for such load/demand under the Schedule of charges (Schedule-I) for the character of service and the category of consumer.
- b) The consumer shall have to pay fixed charges for the unexpired period of the agreement in case of load reduction/permanently disconnection during initial agreement period of 1 year.
- c) The agreement period shall be considered one (1) year from the date of each subsequent date of sanction of increase/decrease of the load. Further once the load is increased same may be allowed to be decreased within 1 year after depositing of fixed charges of unexpired period of extended agreement.
- d) Once the load/ demand is decreased, it shall be allowed to be reduced further within one year of decrease subject to payment of fixed charges for unexpired period of extended agreement.
- e) In case of any increase in connected load/contract demand, the Licensee shall require 45 days' notice. The date of receipt of completed application along with amount towards security and expenses for providing electric line /plant and extension of distribution mains or the plant cost as the case may be for increase in load/ demand in the concerned sub divisional office shall be considered as the date of notice. In case the Licensee fails to accord sanction or communicate reasons of refusal for the proposed increase within such notice period or the proposed increase in connected load/contract demand is not sanctioned, the increase shall be deemed to have been sanctioned subject to relevant certification and/or intimation in writing

by the consumer about putting the increased load demand on the system of Licensee. On expiry of notice period, the consumer shall be billed accordingly subject to fulfillment of other conditions, if any, thereafter:

Provided that the above deemed increase in connected load/contract demand shall subject to the following conditions:

- (i) The distribution system involved is overloaded or it is not technically feasible.
- (ii) If any additional sum is required to be deposited by the applicant for drawing a new line for technical feasibility;

Consumer is required to augment his own system by installing new/change of capacity of existing sub-station and furnish the required installation certificate.

f) In case of any decrease in connected load/contract demand, the Licensee shall require 30 days' notice. The date of receipt of completed application for decrease in load/ demand in the concerned sub divisional office shall be considered as the date of notice. In case the Licensee fails to accord sanction or communicate reasons of refusal for the proposed decrease within such notice period or the proposed decrease in connected load/contract demand is not sanctioned, the decrease shall be deemed to have been sanctioned.

13.3

General condition of Supply

- a) The licensee shall issue detailed instructions regarding terms and conditions of supply not inconsistent with the Act and the regulations framed by the Commission for the benefit of consumers and persons applying for supply of electricity, containing detailed information regarding.
 - i. technical requirements of consumers' and licensees' installation and provisions relating to safety as specified by the relevant regulations issued by CEA.,
 - ii. procedure for inspection by licensee,
 - iii. requirement of security,
 - iv. agreement that a consumer may have to enter with the licensee regarding supply of electricity,
 - v. grievance redressal, metering, charges for miscellaneous services provided by the licensee and all connected matters, conforming to the provisions of the regulations framed by the Commission, terms and conditions of his license and terms and conditions of tariff determined by the Commission from time to time.
 - vi. Other connected matters conforming to the provisions of the regulation framed by the commission, terms condition of license and terms condition of tariff.

13.4 Charges for providing electric line, electrical plant, security and miscellaneous services

Charges shall be applicable for release of connection/electrification/misc. services/security etc. as well as supervision charges as per Schedule of charges (Schedule-I) of these regulations.

13.5 Optimum utilization of assets

A distribution licensee may use its assets optimally, like using poles for laying communication lines, cables etc., subject to following of safety & other technical norms for optimal utilization of its assets. For this Licensee shall make suitable committee(s) at circle level. The Licensee shall also issue the detailed guidelines in this regard to ensure that the rate fixed is just and proper, billing is being made and collected from the users in terms of number of poles used or the length of cable laid or any other method of measurement as the case may be. The concerned Assistant Engineer/ Sub divisional officers shall be responsible for recovery of full charges as per approved rate based on due verification.

13.6 Safety in case of interconnection

Any alternate source of supply shall be restricted to the consumer's network and consumer shall be responsible to take adequate safety measures to prevent battery power/ diesel generator power/ back-up or any behind the meter plant (which are not covered under net metering Regulation) or any other plant not approved by the licensee flowing back to the licensee's network. Prosumers/ Persons using alternate source of supply shall also ensure compliance of CEA (Measures Relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010 and other technical and connectivity Standards /guidelines as may be specified by the CEA or the Commission.

13.7 Sharing the cost of shifting of existing electric lines & other structures

The existing electric lines & other structures at the time of coming into force of these Regulations, which may prove hazardous to human life & property may be allowed to be shifted from one place to another place subject to technical feasibility by recovering only 50% of the cost of estimates for shifting from person/agency desiring such shifting and the balance 50% cost will be borne by the licensee.

Licensee shall ensure that all lines and plants are erected as per CEA Safety Regulations and consumers shall ensure that in case of construction/ alteration of buildings, clearances as per CEA Safety Regulations are maintained. Licensee should also issue notices for public awareness in this regard at regular intervals.

13.8 General provision

- 1) The distribution licensee shall prominently display on its website and on the notice board in all its offices, the following namely:-

- a) detailed procedure for grant of new connection, temporary connection, shifting of meter or, service line, change of consumer category, enhancement of load, reduction of load' or change in name, transfer of ownership and shifting of premises etc;
 - b) address and telephone numbers of offices where filled-up application forms can be submitted;
 - c) address of website for online submission of application form;
 - d) complete list of copies of the documents required to be attached with the application;
 - e) all applicable charges to be deposited by the applicant.
- 2) The distribution licensee shall provide access to various services such as application submission, monitoring status of application, payment of bills etc. to consumers through its website/web portal, Mobile App and its various designated offices area-wise.
- 3) The distribution licensee shall provide all services such as application submission, payment of bills etc. to senior citizens and specially abled person at their door-steps.
- 4) The distribution licensee shall take necessary steps for creating awareness among consumers and licensee's staff by issuing manuals of procedure for providing common services and handling consumer grievances, issue public advertisements regarding safety, metering and billing, tariff changes and other important matters.

CHAPTER-14

MISCELLANEOUS

14.1 Removal of difficulties

In case any difficulty arises in giving effect to the provisions of these regulations or in the matter of interpretation of these regulations or related matters, the Commission may suo-moto or brought to the notice by any person, by general or special order, direct to take such action as may be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.

14.2 Repeal and savings

- a) On commencement of these Regulations, the Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Electricity Supply Code and Connected Matters) Regulations, 2004 and amendments thereto shall stand repealed.
- b) On commencement of these Regulations, any reference to the Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Electricity Supply Code and Connected Matters) Regulations, 2004 and amendments thereto in any of the Regulations, standards, codes or procedures of the Rajasthan Electricity Regulatory Commission shall be deemed to be replaced by Rajasthan Electricity Regulatory

Commission (Electricity Supply Code and Connected Matters) Regulations, 2021.

By order of the Commission

Secretary

SCHEDULE-I

1. Application Fee

a. For LT supply

Sr. No.	Description	Proposed charges	Related Regulation
i	LT Single Phase*	Rs. 200	6.1
ii	LT Three Phase*	Rs. 500	
iii	Miscellaneous works like shifting, load increase/decrease, change of category, name change etc.	Rs. 100	

*Provided that for domestic consumers the application fee shall be NIL. However, the domestic consumer shall deposit Rs 100/- as advance which will be adjusted in his demand notice.

b. For HT supply

Sr. No.	Description	Proposed charges	Related Regulation
i	11 kV	Rs. 1000	6.1
ii	33 kV	Rs. 2000	
iii	132 kV or above	Rs. 4000	

iv	Miscellaneous works like shifting, load increase/decrease, change of category, name change etc.	Rs. 500	
----	---	---------	--

2. Expenses for providing electric line/ plant and extension of distribution mains and/or Service line

2.1 Amount to be deposited with application (Refer Regulation 6)

a. For LT supply

Sr. No.	Category of consumer	Amount to be deposited (Rs.)	Related Regulation
1	Domestic	Tribal sub plan: Rs. 750/- Rural: <u>Upto 5 kW</u> Single phase/ Three phase: Rs.1500 <u>:Above 5 kW</u> Single phase/ Three phase: Rs.1500 plus additional sum @ Rs. 200 per kW or part thereof beyond 5 kW. Urban: <u>Upto 5 kW</u> Single phase/ Three phase: Rs.3000 <u>:Above 5 kW</u> Single phase/ Three phase: Rs.3000 plus additional sum @ Rs. 200 per kW or part thereof beyond 5 kW	6.1
2	Non-domestic	Single phase/ Three phase: 3000 plus additional sum @ Rs. 300 per kW.	
3	Public street lighting	Rs. 5,000/- per connection. This does not include line/network cost.	
4	Small Industry, Medium	Single phase/ Three phase: Rs. 4000 plus additional sum	

	Industry & Mixed load LT supply	@ Rs. 300 per kW.	
--	---------------------------------	-------------------	--

b. HT supply: Rs. 10,000/-

c. EHT supply: Rs. 20,000/-

d. Cost of meter box: Meter box cost, where provided by Licensee, shall be charged extra as follows:

Sr. No.	Particulars	Amount in Rs.
1	Meter box for LT Single phase/ Three phase meter	As per store issue rate
2	Meter box/ Panel for HT/ EHT supply	

Note: (1) Where push-fit meters are provided for single phase and three phase whole current meters, therefore, no extra cost towards meter box shall be recoverable.

(2) In case where the area is electrified i.e. extension of distribution mains/supply line is not required, additional amount other than above will not be required to be deposited.

2.2 Additional amount to be deposited on demand for extension of distribution mains/ supply line (refer regulation 7.2 & 7.3)

a. For LT supply

Sr. No.	Category of consumer	Amount to be deposited in addition to sum payable under item 2.1 above	Related Regulation
1	Domestic and Non-domestic (in urban area and in rural area)	For extension of distribution mains and/or service line beyond 300 mtrs- (a) For single phase supply: Rs150/mtr (b) For three phase supply: Rs 225/mtr	7.2 & 7.3
2	Public street lighting	Actual material cost + labour and overhead charges as applicable	
3	Small Industry, Medium Industry & Mixed load	For extension of distribution mains and/or service line beyond 50 mtrs- (a) For single phase supply:	

		Rs150/mtr (b) For three phase supply: Rs225/mtr	
--	--	---	--

Note: 1) If the connection is not feasible from existing LT system and new sub-station to be commissioned then extension of HT distribution mains required, it shall be recovered from the consumer @ Rs. 225/meter . However, the cost of sub-station required, if any shall be borne by the Licensee.

2) Service line shall be provided by the Licensee. Where service line is not provided by the Licensee then the Licensee shall provide the credit of 25% of amount deposited by the consumer as per Schedule 2.1 (a) above to the consumer.

b. HT/EHT supply:

For HT supply The actual cost estimates of all works shall be prepared by concerned officer of Distribution licensee and for EHT supply such estimate shall be prepared by the concerned officer of the Distribution licensee in consultation with Transmission licensee, if required, after conducting actual survey as per the field conditions. The cost estimates will be charged on material cost including civil works plus labour and overhead charges as applicable plus Rs. 400/- per kVA of contract demand towards plant cost. The advance amount deposited with application shall be adjusted against the estimate prepared as above.

c. Electrification Charges:

- i) The cases where consumer/developer take up the work at his own, supervision charges shall be recoverable @5% of the total estimated cost.
- ii) In case the developer has completed the electrification work and provided service line upto the premises of consumer, only supervision charges shall be recoverable @5% of the total estimated cost instead of charges prescribed at point No. 2 of Schedule-I.

d. Electrification charges for Supply to the housing colonies/township developed by developer but developer is not willing to commence/complete the electrification work.

Sr. No.	Particulars	Amount (Rupees)	Related Regulation
1	Nagar Nigam Area	Rs. 100/- per Sq. yard of plot area	7.6
2	Nagar Parishad Area	Rs. 85/- per Sq. yard of plot area	

3	Nagar Palika Area	Rs. 75/- per Sq. yard of plot area	
4	Rural Area (Not covered above)	Rs. 65/- per Sq. yard of plot area	

e . Electrification charges for cases under un-electrified old Havelies and Multi Storey Complex/ Buildings.

Sr. No.	Particulars	Amount (Rupees)	Related Regulation
1	Domestic	Rs. 25/- per Sq. feet based on floor area applied	7.10
2	Non domestic & other	Rs. 30/- per Sq. feet based on floor area applied	

3. Security for Meter and Metering Equipment

Sr. No.	Particulars	Amount (Rupees)	Related Regulation
1	Energy meter 1-phase static type (All Capacities)	900/-	8.6
2	Smart/ Prepaid Energy meter 1-phase	2500/-	
3	Energy meter 3-phase 4-wire static type	2500/-	
4	Smart/ Prepaid Energy meter 3-phase	5000/-	
5	LT Trivector meter (static)	4000/-	
6	HT Trivector meter - 0.5 class	15,000/-	
7	LT CT – class 0.5, burden 15 VA, Bakelite type	600/-	
8	LT CT – class 0.5, burden 10 VA, Resin cast type	300/-	
9	11 kV CT PT set – all ratings	35,000/-	
10	33 kV CT PT set – all ratings	1,10,000/-	
11	EHT CT – all ratings (per set)	As per RVPN standard issue rate	

Sr. No.	Particulars	Amount (Rupees)	Related Regulation
12	EHT PT/CVT – all ratings (per set)	As per RVPN standard issue rate	

Note:

1. The above security amount may be revised at the beginning of the every financial year based on Standard/Store issue rate of the previous Financial Year for release of a new connection or change of meter.
2. For existing consumers security shall not be revised.
3. In cases involving change of meter, the credit for existing security shall be provided.

4. Security deposit from Govt. servants living in Govt. quarters (towards energy and meter)

Type of Residence	Amount of Security deposit	Related Regulation
“A” to “C” type	Rs. 1000/-	8.6
“D” to “H” type	Rs. 500/-	

5. Rental charges

(1) Transformer Rent

Consumers required to take supply on HT but instead of installing own transformer opting for Nigam's transformer and DP/switchgear shall be charged rent, at the following rates towards installation of transformer by the Nigam:

Particulars	Amount (Rupees)
(a) for contract demand upto 60 kVA	Rs. 3000/- per month
(b) for contract demand above 60 kVA but upto 100 kVA	Rs. 4000/- per month
(c) for contract demand above 100 kVA but upto 160 kVA	Rs. 5500/- per month
(d) for contract demand above 160 kVA	Rs. 5500/- + Rs. 50/kVA above 160 kVA per month

(2) Other equipment

Particulars	Charges
(a) LT Current Transformer	Rs. 100/- per set per month
(b) 11 kV CT PT set	Rs. 900/- per set per month
(c) 33 kV CT PT set	Rs. 2200/- per set per month
(d) EHT CT PT set	Rs. 9000/- per set per month

6. Line and plant charges for temporary connection

(1) Fixed charges

Sr. No.	Particulars	Charges	Related Regulation
(i)	LT supply upto 5 kW	Rs. 1000/- per connection	6.9
(ii)	LT supply above 5 kW & upto 25 kW	Rs. 2000/- per connection	
(iii)	LT supply above 25 kW & upto 50 kW	Rs. 5000/- per connection	
(iv)	11 kV or 33 kV supply	Rs. 10,000/- per connection	

Note: Above Fixed Charges are inclusive of rent for CTs & CTPT sets for the period upto one month. In case the period of temporary connection is more than one month, then the rent for CT/PT shall be charged on per day basis for the number of days beyond one month period.

(2) Charges towards line cost*

Sr. No.	Particulars	Charges	Related Regulation
(i)	LT lines		
(a)	Single phase	Rs. 50/- per metre	6.9
(b)	Three phase	Rs. 75/- per metre	
(ii)	11 kV single circuit line on 9 metre PCC pole	Rs. 85/- per metre	
(iii)	33 kV single circuit line on 9 metre PCC pole	Rs. 140/- per metre	

* After completion of period of temporary connection, the line shall be removed or deemed to be removed.

(3) Charges towards transformer (if required)

- (a) Transformer installation & removal charges: Rs. 3000/-.
- (b) Transformer Rent: normal charges, prescribed on schedule 5(1). In case the period of temporary connection is more than one month, then the rent for transformer shall be charged on per day basis for the number of days beyond one-month period.

(4) Adjustable part

Particulars	Amount in Rs.	Related Regulation
iv) Above 25 kVAR		

9. Witnessing the testing of metering equipments at Manufacturer's works

Sr. No.	Particulars	Amount in Rs.
1	Metering equipments (Meter, CTPT Sets of all ratings)	Rs. 5000/- per visit

10. Testing fee for other material

Particulars	Amount in Rs.
Transformer oil (per sample) (BDV only)	Rs. 1,000/-

Note:

Testing fee for other items e.g. transformer, cable, line material etc. at Central Testing Laboratory (CTL) or other labs shall be as prescribed by Licensee from time to time.

11. Testing of consumer's installation

Particulars	Amount in Rs.	Related Regulation
a) The first inspection and test of a new installation or of an addition or alteration in the existing installation.	NIL	
b) Subsequent inspection and test necessitated by defects noticed in the installation or by absence of the supervisor of wiring contractor at the time of first inspection (Payable in advance for each subsequent visit for purposes of test)	LT - Rs. 200/- HT - Rs. 1000/-	6.2

12. Charges for duplicate bill.

Category of consumers	Charges*
Duplicate copy of bill for all category consumers	Free

*The licensee shall provide the facility of free download of copy of bills from its website which shall be considered valid for payment.

13. Attendance of fuse man

Charges for attendance of fuse man at consumer's premises during any function (Maximum 6 Hours.)	Rs. 500/-
--	-----------

14. Re-sealing charges (if found broken)

a) Meter box/ Terminal cover Meter/ Meter body	Rs. 50/- each meter/terminal cover/box
b) HT/ EHT Metering panel	Rs. 3000/-
c) Cubical at building complex	Rs. 200/-

15. Change of meter

For changing meter only at the instance of the consumer where it is necessitated by temporary increase in consumption and demand	Domestic- Rs. 35/- (each)
	Others- Rs.200/- (1-Ph) Rs.500/- (3-Ph)

16. Labour charges for shifting of meter in the same premises

LT Single phase	Rs. 100/-
Three phase	Rs. 200/-
HT – 11 kV	Rs. 3000/-
33 kV	Rs. 3000/-
132 or above	Rs. 3000/-

17. Charges for alteration/ shifting of service line

Actual material cost including civil works plus labour and overhead charges as applicable. For retrieved material of line (which may or may not be removed) a credit @ 25% of estimated amount shall be allowed.

18. Connection Transfer Fee (Change of Name)

S No	Particulars	Amount in Rs.	Related Regulation
a)	Domestic	Rs.50/- per installation	6.11
b)	All L.T. installations	Rs.250/- per installation	
c)	H.T. installations	Rs.2500/- per installation	

19. Cheque dishonor fee

S No	Particulars	Amount in Rs.	Related Regulation
1.	Cheque amount upto and inclusive of Rs.10,000/-	5% of the amount subject to minimum of Rs.100/-	10.6
2.	Cheque amount of Rs.10,001/- and upto and inclusive of Rs.1,00,000/-	3% of the amount subject to minimum of Rs.500/-	
3.	Cheque amount above Rs.1,00,000/-	2% of the amount subject to minimum of Rs.3,000/-	

NOTE: The charges for agriculture connections shall be as per Agriculture Policy issued by State Government from time to time.

Appendix-I

Formula for assessment of energy/levy of charges in case of unauthorized use of electricity or theft of electricity

(a) Unauthorized use

- i. For the purpose of assessment, connected load on the date of inspection, shall be computed as per Annexure-1.
- ii. The quantum of unauthorized use of electricity under various categories listed at sub-regulation 12.2 (c), shall be assessed as follows:
 - A. For 12.2 (c) (i) – In proportion of higher tariff load to total load.
 - B. For 12.2 (c) (ii) – quantum of exceeded load.
 - C. For 12.2 (c) (iii) – In proportion of extended load to other premises to total load (including extended load).
 - D. For 12.2 (c) (iv) – On entire consumption.
 - E. For 12.2 (c) (v) – On entire consumption.
 - F. For 12.2 (c) (vi)- On entire consumption.

iii. Rate of charge

The assessment shall be made at rate of charge as under:

A	For 12.2 (c) (i)	-	at twice the tariff applicable to the higher tariff category of service
B	For 12.2 (c) (ii)	-	At twice the fixed charges on excess load applicable for the relevant category of service connection
C	For 12.2 (c) (iii)	-	at twice the tariff applicable for the relevant category of service connection or extended load, whichever is higher
D	For 12.2 (c) (iv) to (vi)	-	at twice the tariff applicable for the relevant category of service connection.

(b) Energy assessment of Theft of electricity

The Quantum of electricity for civil liability shall be assessed as under-

Category	LT Supply (Units/kW*/month)	HT Supply (Units/kVA**/month)
Domestic	85	100
Non-Domestic	125	300
Public Lighting	300	Not applicable
Agriculture-general category other than continuous/ 24 hours supply	200	Not applicable
Agriculture- others	600	Not applicable
Small Industry	100per shift	Not applicable
Medium Industry	100per shift	100per shift
Mixed Load	150	150
Large Industry	Not applicable	100 per shift

For the purpose of assessment

*Total connected load or sanctioned connected load, whichever is higher, shall be considered for LT supply.

**Contract Demand or highest of the maximum demand recorded during the last 6 months, whichever is higher, shall be considered for HT supply.

Annexure-1**Procedure for determination of connected load**
(Reference Regulation 2.1(23))

The applicant shall furnish Installation Certificate for actual connected load as per definition prescribed in Regulation 2.1(23) of these Regulations. However, for the purpose of levy of any charges under the conditions of supply or charges for miscellaneous services or Tariffs for Supply of Electricity and also for deciding the supply voltage, the connected load shall be determined as follows in case of LT consumers. The applicant is advised to workout the load for sanction accordingly.

The connected load for all purposes shall be determined as under:

1.	CFL/LED	-	7/15 Watt or actual rating
2.	Bulb / Fan	-	Actual rating or 60 Watt each, if it is not possible to read the rating on the bulb / fan.
3.	Tube Light	-	Actual rating or 40 Watt each
4.	Light Plug	-	60-Watt each upto three plugs and extra 60 Watts for every three plugs or less.
5.	Television		
	(a) Colour	-	100 Watt
	(b) Black & White	-	60 Watt
6.	Power Plug	-	500 Watt each up to three plugs and extra 500 Watts for every three plugs or less.
7.	Fridge	-	250 Watt
8.	Dessert Cooler	-	250 Watt
9.	Geyser	-	1500 Watt or actual rating
10.	Air-Conditioner 1 Ton / 1.5 Ton	-	1500 Watt / 2200 Watt
11.	Water lifting pump	-	180 Watt or 360 Watt (According to Pump) or according to the equipment's original rating (Name plate & Specification).
12.	Any other motive	-	Rated capacity

	load/device		
--	-------------	--	--

Note:

- a) Total load for s.n. 1 to 6 above, shall be considered with following diversity:
 - i) Domestic-30%
 - ii) Public Street Light- 100%
 - iii) Others - 80%
- b) If any equipment is connected with plug point, equipment's load or plug point rating whichever is maximum shall be taken. In such case, load of plug point shall not be counted separately.
- c) The load for Arc / induction furnace shall be worked out on the basis of 600 kVA per ton of the capacity of the furnace.
- d) The higher rating of only one equipment shall be considered if both Geyser and Air conditioner are installed.
- e) The equipment which is under installation and not connected electrically, equipment stored in warehouse / showrooms either as spare or for sale is not to be considered as "connected load".
- f) Load of fire protection equipments shall not be considered for assessing the connected load.

Annexure -2**.....VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED**

(Please attach suitable value stamp paper as required under Rajasthan Stamp Act)

Application cum agreement form for new electric connection (including single point connection), temporary/permanent connection and other miscellaneous activities such as load extension/reduction, Name Change, transfer of connection, shifting of connection, change of category and electrification by developer.

The Assistant Engineer (),
Vidyut Vitran Nigam Limited,
 Jaipur/Ajmer/Jodhpur

1. Name of Applicant/firm/developer/Government/Private Department/Organization/Co-Operative society (in block letters):

--

Father's /Husband's Name: (applicable in case of individual person only)

--

2. Full Address of the premises where connection is required:

House/Plot/Shop No.:		Locality:	
----------------------	--	-----------	--

Khasra no. /Street:		Village:	
---------------------	--	----------	--

Tehsil/Town/District:		Pin code:	
-----------------------	--	-----------	--

Tel. No.:		Mobile	
-----------	--	--------	--

Email ID	
----------	--

3. Full address of the housing colony/township/group housing/ industrial complex /multi story building/complex developed by developer

House/Plot/:		Locality:	
Khasra no. /Street:		Village:	

Tehsil/Town/District:		Pin code:	
-----------------------	--	-----------	--

Tel. No.:		Mobile:	
-----------	--	---------	--

Email ID	
----------	--

4. Full address for correspondence (indicate Tel. No, Mobile No., E-mail ID and full postal address):

Postal Address	
----------------	--

Email ID	
----------	--

Mobile No.	
------------	--

5. Purpose of supply:

(Residence, Office, Shop, Hotel/Restaurant, Hospital, Theatre, Mobile tower, Telephone exchange, Education Building, Workshop, Agriculture Pump set, Public street lighting, Drinking water supply, Flour Mill, Factory, Hostel, Township, Group housing, Industrial Complex, Multi story building/complexes developed by developer, E.V. Charging Station etc.)

6. Classification of connection for supply depending on the purpose of use

Domestic service ☐	Non domestic Service ☐	Public street lighting service ☐
Agriculture service ☐	Small industrial Service ☐	Medium industrial Service ☐
Large industrial Service ☐	Bulk supply for mix load ☐	Temporary supply ☐
Any Other category (Please specify the Category) ☐		

Note: Applicant can tick (✓) the applicable classification. The checklist/guidance sheet enclosed with the application form may be referred.

7. Status of applicant: (a) Owner ☐ (b) Tenant ☐ (c) Occupier ☐ (d) Developer ☐ (e) Cooperative Society ☐ (f) Other ☐

8. Type of Application: Permanent ☐ Temporary ☐
 (i) New Connection: kW
 Single Phase ☐ Three Phase ☐

Note: Single phase supply shall not be admissible where motive load is more than 3 BHP.

(ii) Load Extension/Reduction

A/C No.		K. No.	
---------	--	--------	--

	Existing		New
Connected load (kW)		To	
Contract Demand (kVA)		To	

(iii) Shifting of connection

Account No.		K. No.	
From		To	

(iv) Change of Name

Account No.		K. No.	
From		To	

(v) Change of Category

Account No.		K. No.	
From		To	

(vi) Transfer of connection

Account No.		K. No.	
From		To	

(vii) Other Misc. services such as meter/service line shifting, overhead line/cable shifting, transformer shifting etc.

(viii) Electrification of housing colonies/township/group housing/industrial complexes/multi story buildings/complexes developed by developer.

(ix) Single point connection.

9. Details of Bank account no. with name of the Bank, Type of account, IFSC Code, Branch Name, Branch address, Pin code. (if applicable)

Bank Name	
Type of account	Saving/Current
Account No	
IFSC Code	

Branch Name	
Branch address	
Pin code	

10. (a) Bhamashah Card No (if available)

(b) Details of BPL card

(c) Details of Astha Card

11. Aadhar Card No (if available)

12. Details of my/our property, If person(s) do not possess any such land/property, a 'Nil' may be mentioned against that.

Residence /Building			
Constructed area(sq.ft.)		Land area (sq. ft.)	
Village		District	
Agricultural Land / Shop			
Situated at		Khasra No.	

Factory building			
Situated at		District	

13. Any electricity dues outstanding in Licensee's area of operation in consumer's name:
Yes/No

14. Any electricity dues outstanding for premises for which connection is applied:-
Yes/No

15. Any electricity dues outstanding with the licensee against any firm with which the consumer is associated as an Owner, Partner, Director, or Managing Director:- **Yes/No**
(For questions 13, 14 & 15, if the answer is "yes" in any case, please provide details on a separate sheet.)

16. Documents required-As per Checklist attached with the application.

17. *Details of Installation:

S.No.	Description of Load	Nos.	Wattage/HP of each	Total Wattage/HP
A. Light & Power Load				
1.	CFL/LED		15/7 W	Watts
2.	Bulb/Fan		60 Watts	Watts
3.	Tube Light		40 Watts	Watts
4.	Light Plug (5 Amp.)		60 Watts	Watts
5.	Television –Colour - B &W		100Watts 60Watts	Watts Watts
6.	Power Plugs (15 Amps.)		500 Watts	Watts
7.	Fridge		250 Watts	Watts
8.	Desert Cooler		250 Watts	Watts
9.	Geyser		1500 Watts	Watts
10.	Air-Conditioner 1/1.5 Ton		1500/2200 Watts	Watts
11.	Water lifting pump		180 watt or 360 watt or according to the equipment's original rating	Watts
12.	Any other motive load/device		Rated capacity or as per testing	
Total				
*Total connected loadKW/HP				
(a) *Connected Load for sanction.....KW/HP.				
(b) *Contract demandkVA.				

*Refer checklist/guidance sheet enclosed with the application form to calculate the applied connected load/contract demand.

18. (i) I/We hereby agree to deposit with the application, the charges as prescribed in Supply Code/TCOS.
- (ii) I/We further require the Nigam to supply me/us necessary meters for measuring the quantity of electrical energy supplied and meter box. I/We shall be solely responsible for any loss or damage to the Nigam's Meters and other apparatus installed at my/or premises.(Strikeout incase applicant wants to provide his own meter).
- (iii) I/We also undertake to take from the Nigam, the supply of electrical energy for my/our bonafide use for a period not less than one year from the date of commencement of supply(in case of temporary supply, for a period.....) and I/We here by further agree to pay for the said supply at the tariff in force from time to time & also to pay all such other charges as become due by me/us from time to time in accordance with the provisions contained in Nigam's Terms & Conditions for Supply of Electricity or any other Rules & Regulations.
- iv) I/We agree and shall have no objection at anytime to the rights of the Nigam to

supply electricity to any other applicant from the service line or apparatus installed on my/our premises.

- v) I/We agree not to use electrical energy during the restricted hours intimated by the Nigam.
 - vi) In the event of this connection being given, this application shall be treated as an agreement for the connection with effect from the date the connection is given till such time as it is either replaced by fresh agreement or it is terminated as per the provisions of Terms & Conditions for Supply of Electricity.
19. The applicant shall submit self certification/ installation certificate of the installation/ permission of electrical Inspector as per provisions of CEA Safety Regulations.
 20. For HT category, the applicant shall execute an agreement with the Nigam separately in Annexure-3, as and when asked to do so.

This agreement shall be read and construed as subject in respect to all the provisions of Terms and Conditions for supply of Electricity and Tariff for supply of Electricity as enforced from time to time, which shall constitute a part of this agreement. The relevant provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules and regulations made there under or any subsequent amendments or modifications thereof, shall be the governing provisions.

21. I/We understand that submission of any wrong information in this application, shall make the agreement itself liable for cancellation and connection if released, shall also be disconnected forth with on this ground alone.
22. As a prosumer I/We agree that I/We shall also be governed by the provisions contained in other relevant Regulations or guidelines, issued in this respect by the Commission / CEA from time to time.

Note: (i) Strike out the clause/portions not applicable.

(ii) Every Page of Application form should be signed by the applicant.

Signature of Applicant/Consumer Address

Signature and Address of witness
(along with K.No. if available)

Dated:

Enclosure Check list

FOR OFFICE USE ONLY

Accepted on behalf of the Jaipur/Ajmer/Jodhpur

Vidyut Vitran Nigam Limited

Date

(Signature)

ACKNOWLEDGEMENT

Received the application of Shri /Ms/Messrsfor (classification of connection).....on along with document as per checklist and registered at Serial No. which should be quoted in all further correspondence.

Signature & Designation of the
person receiving application

A- (1). Checklist/Guidance sheet for documents required for completed Application Form for new domestic connection upto a load of 10 kW

Activity	Yes/No
1) (a) Proof of ownership/occupancy of the premises: (any one of the following	
a) Title Deed (Registry)	☐
b) Possession letter issued by Local Bodies or anyother Government authority like RIICO, Industries Deptt.etc.	☐
c) In Rural areas, the certificate issued by Revenue authorities	☐
d) Mortgage deed	☐
e)Patta	☐
f) Sale deed	☐
g) Allotment letter	☐
h) Court Order	☐
i) Any other document (specify)	☐
(b) Proof of tenant/occupier: no objection certificate of the landlord in form-A or if NOC is not available indemnity	☐

bond in form-B to be attached	
c) Proof of address in case of occupier or tenant having no NOC or rent deed of the owner. Proof in the form of Aadhar card/Driving License/Voter ID, Passport/Ration card or any other document for address proof as may be approved by Commission.	☐
2) Identity Proof- (i.e. Aadhar card/Driving License/Voter ID, Passport/Ration card or any other document for Identity proof.	

Note:- Applicant shall also furnish necessary self certificate/ Installation certificate in accordance with CEA Regulations.

A- (2). Checklist/Guidance sheet for completed Application Form for new connection and modification of existing connection other than domestic consumers and domestic consumers above 10 kW load in addition to checklist A-(1).

1) Site map indicating location of the premises, metering equipments etc.	☐
2) "Self certificate/ Installation Certificate" (may even be furnished later but before the date of deposit of demand. Cases where need of demand notice is not arising, the installation certificate should be furnished at the earliest to treat the application completed.	☐
3) In case the connection is to be released on HT or EHT supply & the transformer is installed by the consumer, a permission letter of Electrical Inspectorate or the certificate of installation by a Chartered Electrical Safety Engineer as per the notification of Government of Rajasthan as the case may be and can be furnished later but before the release of connection.	☐
4) Any other document. The developer need to submit the completed project report with layout of the proposed area of electrification alongwith copy of registration with RERA. Similarly for single point connection the applicant should furnished the completed data of the beneficiaries alongwith layout of the proposed area.	☐
5) Form A & B are attached herewith for release of connection for tenant/occupier, and form C for agriculture connection.	☐
6) In case of a partnership firm – The applicant shall furnish the partnership deed and an authorization in the name of the applicant for signing the requisition form and agreement ;	☐
7) In case of public and/or Private limited Company- The applicant shall furnish the Memorandum and articles of Associations and certificate of Incorporation along with an authorization in the name	☐

of the applicant for signing the requisition form and agreement;	
8) In case of Non-Domestic Thadi and Temporary structure ; No Objection Certificate for Thadi or temporary structure from the Nagar Nigam / Nagar Palika / Nagar Panchayat / gram sabha/ gram panchayat /land development authority / land owning agency.	☐
9) BPL/Astha card Category Consumers: BPL/ Astha card issued by the appropriate State Government Authority.	☐
10) In case of change in name to other than legal heir: No Objection Certificate from the existing consumer if available /possible and registered sale deed / lease deed / succession certificate / (if any other document, please specify).	☐
11) In case of change of name to legal heir: Registered deed /succession or legal heir certificate /mutation deed / (if any other document, please specify), and NOC from other legal heir(s) in case the connection is to be changed in the name of one of the legal heirs. In case the existing consumer is deceased, death certificate is required.	☐

B. Guidance for calculation of connected load

The connected load for all purposes shall be determined as under:

1.	CFL/LED	-	15/7 Watt or actual rating
2.	Bulb / Fan	-	Actual rating or 60 Watt each, if it is not possible to read the rating on the bulb / fan.
3.	Tube Light	-	Actual rating or 40 Watt each
4.	Light Plug	-	60-Watt each upto three plugs and extra 60 Watts for every three plugs or less.
5.	Television (a) Colour (b) Black & White	- - -	100 Watt 60 Watt
6.	Power Plug	-	500 Watt each up to three plugs and extra 500 Watts for every three plugs or less.
7.	Fridge	-	250 Watt
8.	Dessert Cooler	-	250 Watt
9.	Geyser	-	1500 Watt or actual rating
10.	Air-Conditioner 1 Ton / 1.5 Ton	-	1500 Watt / 2200 Watt
11.	Water lifting pump	-	180 Watt or 360 Watt (According to Pump) or according to the equipment's original rating

			(Name plate & Specification).
12.	Any other motive load/device	-	Rated capacity or as per testing

Note:

- a) Total load for s.n. 1 to 6 above, shall be considered with following diversity:
 - i) Domestic-30%
 - ii) Public Street Light- 100%
 - iii) Others - 80%
- b) If any equipment is connected with plug point, equipment's load or plug point rating whichever is maximum shall be taken. In such case, load of plug point shall not be counted separately.
- c) The load for Arc / induction furnace shall be worked out on the basis of 600 kVA per ton of the capacity of the furnace.
- d) The higher rating of only one equipment shall be considered if both Geyser and Air conditioner are installed.
- e) The equipment which is under installation and not connected electrically, equipment stored in warehouse / showrooms either as spare or for sale is not to be considered as "connected load".
- f) Load of fire protection equipments shall not be considered for assessing the connected load.

Form-A**अनुबन्ध - पत्र**

(समय - समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर)

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने यह (स्थान का पूर्ण विवरण) जो कि नगर परिषद / अन्य स्थानीय निकाय में स्थित है मैंसर्स / श्री निवासी को किराये पर दे दिया है तथा उक्त भवन में विद्युत कनेक्शन देने पर मुझे आपत्ति नहीं है। मैं इस बात की गारन्टी देता हूँ कि जब भी किरायेदार मकान/ दुकान/ खाली करेगा तो इस बात का पूरा-पूरा ध्यान करूँगा कि निगम की राशि न रहे। ऐसा न होने की स्थिति में मैं स्वयं निगम की बकाया रकम को देनदार रहूँगा।

हस्ताक्षर किरायेदार

साक्षी

हस्ताक्षर मकान मालिक

Form-B

क्षतिपूर्ति बंध पत्र

(समय - समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर)

जैसा कि मैं पुत्र/पत्नी श्री उम्र वर्ष निवासीने सहायक अभियन्ता जयपुर/अजमेर/जोधपुर वि.वि.नि. के कार्यालय में विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन किया है। जैसा कि वि.वि.नि.लि. ने उक्त स्थित मकान/दुकान को मेरे अपेक्षित विद्युत कनेक्शन के लिये मकान/दुकान मालिक की सहमति माँगी है।

जबकि मैं मकान/दुकान मालिक का सहमति पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ हूँ। चूँकि जयपुर/अजमेर/जोधपुर वि.वि.नि.लि. ने इस सम्बन्ध में मुझ से लिखित वचन चाहा है कि अगर मैं और मकान/दुकान मालिक के मध्य इस विद्युत कनेक्शन के सम्बन्ध में किसी न्यायालय के समक्ष विवाद उत्पन्न होता है तो इस मामले में शामिल नहीं होगा फिर भी निगम को इस कारण हुई किसी भी प्रकार की क्षति/ खर्चों की क्षतिपूर्ति करने का मैं वचन देता हूँ। अतः यह अनुबन्ध मकान/दुकान मालिक की बिना सहमति के निगम द्वारा मुझे उक्त परिसर में कनेक्शन दिये जाने हेतु साक्ष्य किया जाये। मैं वचन देता हूँ कि निगम को इस सम्बन्ध में हुये वादकरण के कारण हुई सभी प्रकार की हानियां / क्षतियों एवं खर्च की क्षतिपूर्ति का वचन देता हूँ।

स्थान

साक्षी का नाम

(निष्पादक के हस्ताक्षर)

दिनांक

पता

शर्तें - कन्ड्यूट पाईप एवं फिटिंग हेतु आवश्यक नट बोल्ट इत्यादि आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

Form-C

कृषि श्रेणी के आवेदको से लिये जाने वाले

“शपथ पत्र का प्रपत्र”

मैं/ हम सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री जाति..... निवासी ग्राम/शहर शपथपूर्वक बयान करता हूँ/करते हैं कि मेरा/हमारा कुआँ ग्राम के भू राजस्व क्षेत्र में स्थित है तथा मेरा/हमारा कुआँ/बोरिंग राजस्व

अभिलेख के अनुसार खसरा नं. में स्थित है और यह खेती के कार्य में ही उपयोग में लिया जाता है। इस कुएं व खेत का मैं/हम स्वयं ही मालिक हूँ/हैं। शपथ पत्र में उल्लेखित कोई भी तथ्य गलत पाया जाता है तो उसके लिये मेरी/हमारी जिम्मेदारी रहेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

Annexure-3

-----VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED

**MODEL POWER SUPPLY AGREEMENT FOR ELECTRICAL ENERGY SUPPLY
ONHT/EHT SYSTEM**

This Agreement made this.....day of.....20.....between theVidyut Vitran Nigam Limited (hereinafter called the “Nigam” which expression shall where the context so admits include its successors in office and assigns) of the one part

And

(hereinafter called as the “CONSUMER” which expression, wherever the context so admits shall include its successor or successors in business and permitted assigns of his heirs, executors, administrators) of the other part.

Whereas at the request of the Consumer, the Nigam has agreed to supply to the Consumer electricity at the consumers premises situated at.....and indicated in red in the map attached hereto for the purpose of.....and the Nigam has agreed to supply to the Consumer such energy upon the terms and conditions hereinafter contained.

NOW IT IS HEREBY DECLARED AND AGREED AS FOLLOWS:

- (1) The Nigam shall supply electrical energy of three phase, alternating current, at a declared voltage of.....between phases and at a nominal frequency of 50 (fifty) cycles per second at the terminals from its distributing main at HT/EHT as specified in the Terms and Conditions for Supply of Electricity (with its amendments) to the premises of the Consumer and the Consumer shall take from the Nigam electricity required for the purpose herein above recited at the single point of supply up to the maximum of..... kVA (hereinafter called contract demand).
- (2) Electrical energy supplied to the premises may not be utilized by the Consumer in any manner prejudicial to the Nigam and all usage must be according to such method or methods approved by the Nigam. The use of power must be confined to such places as shall have been previously approved in writing by the Nigam. In

case prejudicial use of power is detected, the Consumer shall pay penal charges in accordance with the provisions of the Terms and Conditions for Supply of Electricity (with its amendments). Besides, for dishonest abstraction/use/consumption of electricity or interference with the metering equipment or accessories, the consumer agrees and undertakes not to resell any part of the power supplied to him.

- (3) The point of supply as well as the metering point shall be at the Transmission Licensee's / Licensee's substation at _____. (FOR EHT ONLY)
- (4) The agreement shall be signed by common seal in case of companies registered under companies act, otherwise rubber seal affixed and witness thereof.
- (5) The Consumer agrees to take supply under any conditions of restrictions of load and time that may be fixed by the Nigam from time to time.
- (6) The supply of electrical energy under this Agreement is liable to be restricted, staggered or cut off altogether, as the case may be, if the power position or any other emergency warrants such a course of action. The Nigam reserves the right for periodical shutdown as and when required for the purposes of routine maintenance after giving reasonable intimation to the Consumer.
- (7) This agreement shall subject as hereinafter provided, remain in force for a period of one year in the first instance commencing from the date of supply and shall stand automatically renewed from year to year thereafter until expressly terminated in writing by either of the parties.
 Provided that either party shall be at liberty to terminate this agreement or get the contract demand reduced by giving one month's notice in writing in that behalf subject to completion of initial period of one year including notice period. The consumer can also get his connection permanently disconnected or get his contract demand reduced on the same day of notice if he is ready to pay the fixed charges amount equivalent to one month in lieu of one month's notice.
- (8) The Nigam shall not be liable to pay damages/compensation in connection with loss of life or property arising, occurring or resulting from the use of power.
- (9) Where the Consumer is required to obtain a license or permit or "No Objection Certificate (NOC) for running his industrial/commercial concern and the Nigam permit is suspended or cancelled, or the validity of the NOC issued by the competent authority has expired, the Nigam shall have the right to discontinue power supply during the period when the Nigam's permit is cancelled or suspended or the validity of the NOC issued by the competent authority has expired.
- (10) **METERS:** The energy supplied shall be measured and registered by a meter or meters in or upon the said premises to be provided fixed and kept in proper order. The procedure for billing, when the meter is stopped/defective, lost, stolen or inaccurate, shall be regulated as per the relevant provisions of the Act and the Regulations framed.

- (11) **SECURITY DEPOSIT:** The Consumer on a request made by the Nigam in this regard, shall renew/enhance or replenish all security deposits in the event of the same becoming exhausted or insufficient.
- (12) **TARIFF AND PAYMENT OF ELECTRICITY CHARGES:** From the date this Agreement comes into force, the Consumer shall be bound by, and shall pay to the Nigam, fixed charges, energy charges, rentals if any and additional security deposit in accordance with the charges and tariffs approved by the Commission from time to time for the appropriate class of Consumers. The Consumer shall pay the Nigam the tax and levies as determined by the State Government from time to time. In case even after disconnection, if the dues remains unpaid, then the Nigam shall be entitled to take recourse to the provisions stipulated in the Regulations and other laws for the time being in force to recover the arrears.
- (13) **DISCONNECTION FOR ARREARS AND RECONNECTION:** In case the Consumer fails to pay the periodic bill and due charges within the due date, the Nigam shall be entitled to cut off the supply after giving due notice as provided in the Act and RERC Regulations and power supply be restored only on payment of all arrears including interest and re-connection charges as stipulated from time to time.
- (14) **CONTINUITY OF POWER SUPPLY:** The Nigam shall take all reasonable precautions to ensure continuity of supply of power to the Consumer at the point of commencement of supply. However, the Nigam shall not be liable to the Consumer for any loss due to the interruption in the supply of power by reason of damage to the equipment of the Nigam during war, mutiny, riot, strike or by earth quake, hurricane, tempest or any accident or courses beyond the control of the Nigam.
- (15) **ENTRY INTO CONSUMER'S PREMISES:** The Nigam shall have access to the premises of the Consumer at all reasonable times without notice for meter reading, inspection, testing and/or for any other purpose incidental to, or access to the premises at any time for inspection, if there is any reason to suspect breach of the provisions of this Agreement, the Act and the RERC Regulations, if the Consumer, his agent, employees or anyone else purporting to act on his behalf attempts to obstruct or impede the Nigam or its employees or authorized person in this regard, the Nigam shall be entitled to cut off power supply besides taking any other action in accordance with law.
- (16) **ASSIGNMENTS OR TRANSFER OF THE BENEFIT OF THIS AGREEMENT BY THE CONSUMER:** The Consumer shall not, without the previous consent in writing of the Nigam, assign, transfer or part with the benefit of this Agreement and shall not in any manner part with, or create any partial/separate interest in it.
- (17) **APPLICATION OF THE PROVISIONS OF THE ACT AND THE RERC REGULATIONS:** In all matters not herein specifically provided for, the provisions of the Act, the RERC REGULATIONS and other laws for the time being in force shall apply.
- (18) **SAVING CLAUSE:** Nothing contained in this Agreement or any amendment

thereof shall restrict any rights and obligations which the Nigam or the Consumer has derived under any legislation relating to supply and consumption of electricity enacted during the period of this Agreement.

(19) If the consumer opts for open access then the contract for open access shall be governed by relevant regulations.

(20) The consumer has agreed to bear stamp duty on this agreement.

In witness where of I, _____ (Name & designation) on behalf of the _____ Vidyut Vitran Nigam Ltd., and (Name & designation) on behalf of consumer, namely----- have hereunto set their signatures and the common seal the day, month & year first written above.

Signed by the above named in the presence of	Signed by the above named in the presence of
Signature & Rubber Stamp on behalf of consumer	Signature & Rubber Stamp of the authorized representative of the Nigam For & on behalf of -----Vidyut Vitran Nigam Ltd.
Signed by the above named in the presence of	Signed by the above named in the presence of
(1) (Name and Address). (2) (Name and Address).	(1) (Name and Address). (2) (Name and Address).

Annexure -4

..... विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

सतर्कता जांच प्रतिवेदन (अन्तर्गत प्रावधान विद्युत अधिनियम 2003)

पुस्तक सं.....दिनांक पृष्ठ संख्या

- बस्ती का नाम..... उपखण्ड खण्ड..... वृत्त.....
- उपभोक्ता का विवरण.....
(अ) नाम व पता.....
(ब) खाता संख्या (स) श्रेणी (द) स्वीकृत भार.....
- मौके पर उपस्थिति व्यक्ति का नाम.....
(पूर्ण विवरण एवं उपभोक्ता से सम्बन्ध).....
- स्थापित मीटर का विवरण
1.मीटर नं. 2. क्षमता (एम्पीयर).....
3. चक्र प्रति युनिट 4. सी.टी. अनुपात.....

- 5.सी.टी. गुणांक..... 6. डायल नम्बर.....
- 7.विद्युत बिल हेतु गुणांक (एम.एफ.)..... 8. मीटर का स्थान एवं उँचाई.....
5. मीटर का पठन के.डब्ल्यू.एचके.वी.ए.एच. एम.डी.आई.।
(अ) निरीक्षण का समय.....
(ब) पूर्व पठन एवं दिनांक.....
6. मीटरों का विवरण बॉडी सील नं. टर्मिनल सील नं.मीटर बॉक्स सील नं.
7. मीटर में विद्युत कनेक्शन की स्थिति एवं पाये गये दोष
.....
8. सर्विस लाईन की स्थिति का विवरण
9. पाये गये विद्युत भार का विवरण
10. प्रतिदिन विद्युत उपभोग की अनुमानित अवधि (औद्योगिक कनेक्शनों हेतु)
11. जांच के दौरान पाये गये अन्य दोष (पूर्ण
विवरण सहित)
12. अन्य साक्ष्य
13. जांच अधिकारी द्वारा टिप्पणी
14. उपभोक्ता की टिप्पणी निरीक्षण मेरे सामने किया गया एवं जांच प्रतिवेदन की प्रति प्राप्ति की।
उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर (पूर्ण विवरण सहित)
कार्यालय सील निर्धारण/प्राधिकृत अधिकारी
(जांच अधिकारी) -----वि.वि.नि.लि

Annexure - 5

..... विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

फर्द जब्ती सामान बिजली चोरी

श्री/श्रीमति/सुश्री पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री.....

निवासी पुलिस थाना जिला

..... दिनांक

समय वी.सी.आर. नम्बर.....

रूबरू मोतविरान

1. श्री पुत्र श्री.....

कौम उम्र निवासी.....

पुलिस थाना जिला.....

हाल-----वि.वि.नि.लि.....

श्री पुत्र श्री कौम

उम्र निवासी..... पुलिस थाना

.....

हाल-----वि.वि.नि.लि.....

उपीरेक्त मोतविरान के समक्ष आज दिनांक

मन..... वि.वि.नि.लि श्री

के..... गांव/स्थान..... के

बिजली कनेक्शन चैक करने पर पाया गया कि उपरोक्ता व्यक्ति

.....उक्त व्यक्ति का यह कृत्य विद्युत

अधिनियम 2003 की धारा 135 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। वजह सबूत मौके पर से

..... सामान साथ लाये गये शिकटश की सामग्री की मदद से जब्त कर

नियमानुसार सील मोहर किया गया तथा प्रयोग में लायी गयी मोहर अलग से सील की जाकर

रिकार्ड पर रखी गई। मन जांच अधिकारी द्वारा घटनास्थल की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी की गई।

2. हुलिया बिजली चोरी उपकरण

1.

2.

3.

4.

5.

समस्त हाजरान के समक्ष मौके पर फर्द मुर्तिबकर समस्त को सुनाई गई, सुन समझ कर सही मान हस्ताक्षर किये।

1.

2.

कार्यालय सील

(जांच अधिकारी)

निर्धारण/प्राधिकृत अधिकारी

-----वि.वि.नि.लि

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।